खण्ड-362, अंक-8
मंगलवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1905
(5 अप्रैल, 1983 ई0)

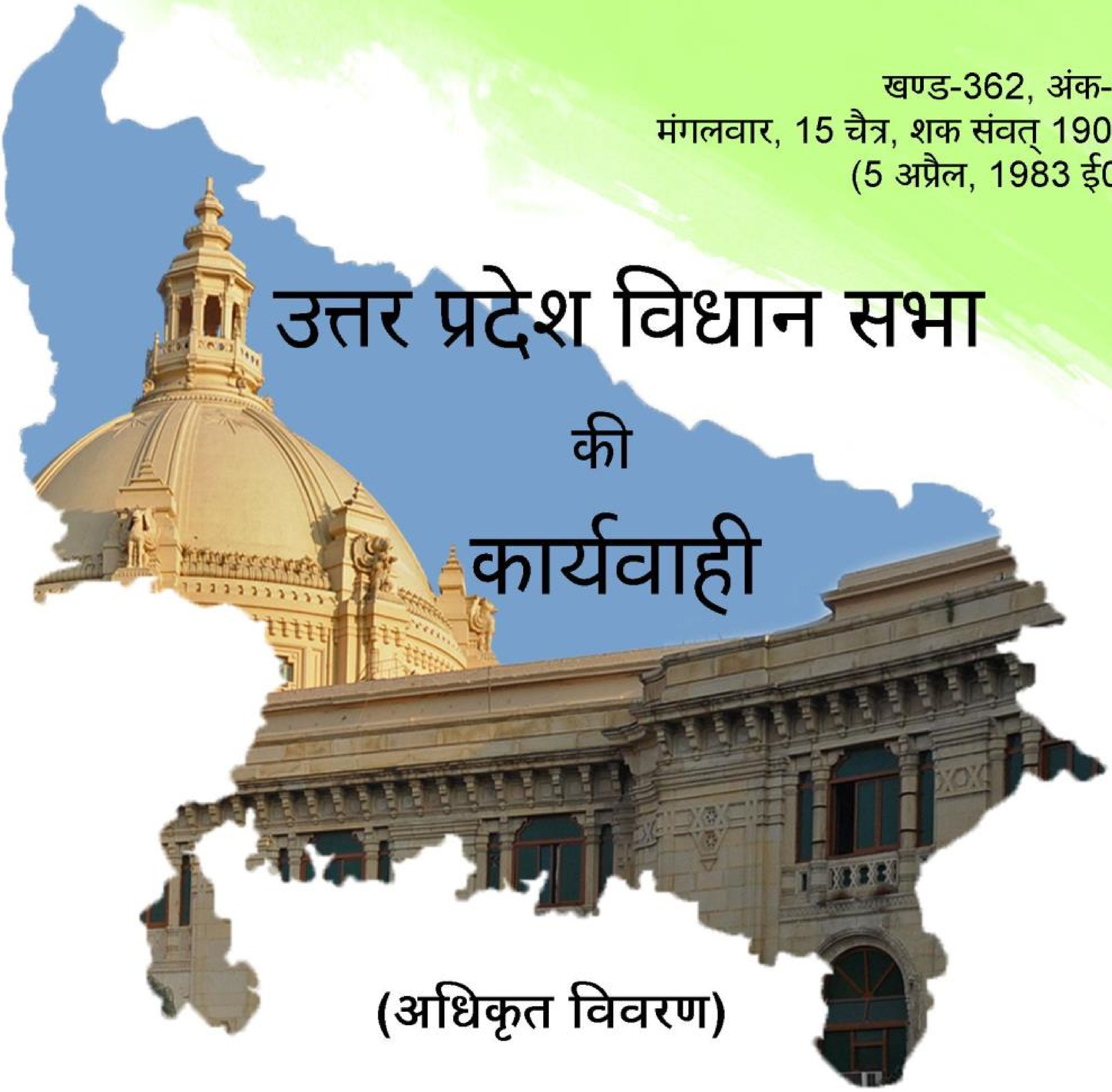

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 362 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान सभा
सचिवालय

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1075–1079
प्रश्नोत्तर	1080–1160
उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव	1160
गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य पांच संस्थाओं के सभा/कार्यकारिणी में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव	1162
कार्य सूची एवं प्रश्नों के उत्तर समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1163
प्रश्नोत्तर के उपरान्त नियम 301 की सूचनाएं न लिए जाने पर आपत्ति	1163
ग्राम्य विकास मन्त्री को उनके विभाग द्वारा बिना उनकी जानकारी के शासनादेश किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	1164
उरई से प्रकाशित "दैनिक एलार्म" में स्वर्गीय केदार पाण्डेय के स्थान पर वित्त मन्त्री श्री ब्रह्मदत्त की फोटो छापे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	1173
बुनकरों की समस्या के सम्बन्ध में 23 मार्च को उद्योग मन्त्री द्वारा की गयी घोषणा का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	1174
श्री राजनारायण कार्यवाहक चपरासी के वेतन को तहसीलदार बिल्हौर (कानपुर) द्वारा जालसाजी करके हड़प लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1175
गंगा नदी (वाराणसी) में हुई नाव दुर्घटना के फलस्वरूप तीर्थ-यात्रियों की मृत्यु एवं लापता होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1176
मुरली मनोहर टाउन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बलिया के छात्रों को परीक्षा सम्बन्धी प्रवेश पत्र जारी न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	1176
ग्राम पनवारी (आगरा) में हरिजन और भूमिहीनों को आवंटित भूमि पर कब्जा कर लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1177
प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ (पाण्डेय गुट) की मांगों की शासन द्वारा उपेक्षा किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1177

फार्मेसिस्टों की हड़ताल के कारण चिकित्सालयों में कार्य ठप्प होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 1178

कर्म भूमि के सम्पादक श्री शरद चन्द्र थूलिया को मारने का षड़यन्त्र तथा जिला प्रशासन की उदासीनता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 1178

इलाहाबाद मेडिकल कालेज के आपरेशन थियेटर में समुचित व्यवस्था न होने से हो रही मौतों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 1179

उत्तर प्रदेश राजा लाटरी के घोषित प्रथम पुरस्कार पाने वाले श्री कुन्दन सिंह नयाल के टिकट को उपकार लाटरी केन्द्र, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा धोखा देकर ले लिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 1179

ग्राम सलारपुर (बहराइच) के हरिजनों को भूमि से बेदखल कर देने तथा आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 1180

उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विकास निगम लि०, बरेली की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा-विवरण 1976-77 (सदन के पटल पर रखा गया) 1180

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982 से सम्बन्धित शुद्धि पत्र... (सदन के पटल पर रखा गया) 1180

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983 एवं उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) 1181

उत्तर प्रदेश (अल्प कालिक व्यवस्था) संशोधन (विधेयक) 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 1181

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 1181

दिनाँक 15 जनवरी, 1982 को पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 59 के उत्तर से सम्बन्ध में होने वाले शोधन वक्तव्य के स्थगन की सूचना 1182

विधान सभा की कार्यवाही की समीक्षा का प्रसारण आकाशवाणी लखनऊ केन्द्र के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य केन्द्रों द्वारा न किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य 1182

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ 1182

आज की कार्य सूची की मद संख्या 23 तक लिए जाने तथा शेष मदों को कल लिए जाने की सूचना 1189

दिनांक 14 मार्च, 1983 को श्री यदुनाथ सिंह द्वारा सरदार पटेल की मूर्ति लगाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये भाषण की प्रतिलिपियाँ कराने हेतु श्री अध्यक्ष की स्वीकृति की माँग 1189

विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 (पारित) 1190

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गाँधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1983 के अनुमोदन का संकल्प तथा किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड, एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 में विधान परिषद द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति एवं पुनः पारण का प्रस्ताव (संकल्प अस्वीकृत तथा प्रस्ताव स्वीकृत) 1209

प्रदेश के बिक्रीकर जांच चौकियों पर प्रतिदिन कई लाख रुपयों की बिक्रीकर की कथित चोरी के सम्बन्ध में वक्तव्य 1216

कार्य सची की टिहरी बांध से सम्बन्धित मद संख्या 20 को दूसरे दिन लिए जाने की सूचना 1222

हमीरपुर जनपद के नगर महोबा को जिला बनाने के लिए चल रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य 1222

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ 1226

नत्थियां 1127 से 1242D तक

संसदीय प्रदेश विधान मण्डल

उत्तर प्रदेश सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—368

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलू अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी, (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री नाम निर्देशित (आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्र श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुवंर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)

चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारुचन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झंगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन बन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेन्द्र चन्द्र भदौरिया, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शहजहाँपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नाराण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलावन, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फरारे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)

बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, (बलिया)
बलवीर सिंह, (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, (बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भगीरथ, श्री (झाँसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीम सिंह श्री (मेरठ)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्लेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मगरूर जाफरी, श्री (उफ शबरोज) गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खाँ, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राम किशोर राय, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपति सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव श्री सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, एडोकेट, श्री(गाजीपुर)

राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावत, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निगम, श्री (सहारनपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालचा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
बिजय पाल सिंह श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कल्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद
शिव मणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव) (
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नारायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकटा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)

सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

विधान सभा सचिवालय

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 5 अप्रैल, 1983 ई0

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के आई0 ए0 एस0 एवं पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के विरुद्ध जांच

×1 –श्रीमती गौरी देवी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री भीखालाल

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने ऐसे आई0 ए0 एस0 एवं पी0 सी0 एस0 अधिकारी सेवा में कार्यरत हैं जिनके विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो रही है ? क्या यह सत्य है कि 18 आई0 ए0 एस0 और 35 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों पर गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनकी जांच लगभग पूरी कर ली गयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी) --

5-10-82 को प्रदेश के 7 आई0 ए0 एस0 तथा 29 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान/अपराध अनुसंधान विभाग/प्रशासनाधिकरण में जाँच लम्बित थी। उक्त तिथि को सतर्कता अधिष्ठान/अपराध अनुसंधान शाखा से नियुक्ति विभाग में प्राप्त 23 आई0 ए0 एस0 तथा 64 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त जाँच आख्याओं पर अभी अन्तिम निर्णय लम्बित है। इन सभी मामलों में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाई आरम्भ कर दी गई है, अतः कोई कार्यवाही न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 23 आई0 ए0 एस0 और 64 पी0 सी0 एस0 अधिकारी वर्तमान में कहाँ और किस पद पर कार्यरत हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष –

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। यह बहुत व्यापक सवाल है।

श्री रियासत हुसैन --

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि नियमानुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी --

जैसा आप स्वयं मान्यवर, परिचित है और माननीय सदस्य भी जानते हैं। जब कोई जांच होता है तो चाहे वह विजिलेंस का हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या सी0 आई0 डी0 का हो, जब सारी चीज शासन को वह भेज देते हैं तो सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और जब स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाता है तो रूल्स फर्म होकर कार्यवाही की जाती है। यही सारी प्रक्रिया की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के दूसरे भाग से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है। मैं जानना चाहूँगा कि 23 आई0 ए0 एस0 और 64 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त जांच आख्याओं पर अभी अन्तिम निर्णय लम्बित है, लेकिन इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनके मामले 2 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है और उनका उत्तर हो नहीं प्राप्त हो रहा है, उनके नाम क्या हैं और उनके लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जहाँ तक समय का सवाल है आपसे निवेदन किया गया था कि किस समय से किस समय तक जो उत्तर आया था उसमें यह था कि जिस तिथि को प्रश्न किया गया हो। 5-10-82 से जो कार्यवाही लम्बित है उसके हिसाब से बताया जाय। किस तिथि से किस समय तक, इसका जिक्र नहीं था। दूसरा प्रश्न है बताने का मैं समझता हूँ जब तक अन्तिम निर्णय न हो जाय किसी अधिकारी का नाम लेना चूँकि नाम से प्रश्न नहीं किया गया है, जनहित में नहीं होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र -

मन्त्री ने उत्तर में कहा है कि 23 आई0 ए0 एस0 और 64 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के जांच आख्या पर अन्तिम निर्णय लेना है। मैं जानना चाहूँगा जांच आख्या आ गयी है तो यह बताने का कष्ट करें कि कितने आई0 ए0 एस0 अधिकारी दण्ड की परिधि में आते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह व्यापक सवाल है मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यही तो असली सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो मैंने पहल सवाल किया था, मैं फिर उसे स्पष्ट कर देता हूँ....

(किसी अन्य सदस्य के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें, कृपया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

5-10-82 का यह था, 23 और 64 की सूची थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि दो वर्ष से ज्यादा के कौन हैं ? दूसरा यह कि सतर्कता अधिष्ठान, अपराध अनुसंधान शाखा और प्रशासनिक अधिकरण से जांच आ गई और कार्मिक के पास भेजी, तो प्राग्दर्शन में उनके खिलाफ अपराध सिद्ध हो गया, तो सस्पेंड, निलम्बन या रिवर्ट करने की कोई कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है। 23 में से 2 के मामले प्राइमाफेसी के अन्दर समाप्त किये गये, 18 से स्पष्टीकरण मांगा है, दो में सूचना की कमी थी, वह मांगी जा रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जब मन्त्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि अपराध सिद्ध हो गया, दण्ड देने की प्रक्रिया में है, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैं आपका मान्यवर, संरक्षण चाहूँगा, मैंने यह कभी नहीं कहा कि अपराध सिद्ध हो गये हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

3 से स्पष्टीकरण मांगा गया, वह समाप्त कर दिया, तो उनके खिलाफ आरोप क्या थे, सतर्कता विभाग द्वारा दोषी पाये जाने का कारण क्या था ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसके लिए अलग से, नाम से, प्रश्न करें।

श्री मोहन सिंह --

मान्यवर, आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के दो कडर हैं। किसी अन्य के खिलाफ जब कोई मामला आता है तो तुरन्त उसका निलम्बन, सस्पेंशन हो जाता है और बरखास्तगी भी हो जाती है लेकिन इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आरोप सिद्ध होने के बावजूद कार्यवाही नहीं होता। तो मैं साफ जानना चाहता हूँ कि इनके भ्रष्टाचार की जांच उनका परीक्षण, स्पष्टीकरण के मामले जो हैं उन पर अन्तिम निर्णय हाईकोर्ट के हाथ में दे कर, हाईकोर्ट के किसी जज द्वारा कराने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी —

यह एक मौलिक प्रश्न है कि सारी शिकायतें एक हाईकोर्ट के जज के पास जानी चाहिये, यानी उच्च न्यायालय को हम एडमिनिस्ट्रेशन के मामले के अन्दर खींच लायें, मैं समझता हूँ कि न्यायालय की स्वतंत्रता के लिये उनकी निष्पक्षता के लिये, डे टु डे बिजनेश की बातें वहां ले जाना, हाईकोर्ट को कम्प्लेन्ड आफिस बनाना जनहित में उचित न होगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, 23 आई0 ए0 एस0 और 64 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है जोकि पूरी भी हो चुकी है जिसके लिये शासन बधाई का पात्र है। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा...

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैं भाषण नहीं कर रहा हूँ प्रश्न ही कर रहा हूँ। मुझे संरक्षण दें मेरे देवता !

(हंसी)

मैं यह चाहता हूँ कि जबकि प्रादर्शन में बात साबित हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है। क्या आई० ए० एस० अधिकारियों को निलम्बित करने के लिये केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा या यहां के राज्यपाल महोदय से परमीशन ली कि इनको निलम्बित किया जाये। जांच हो चुकी है, प्रागदर्शन में दोष सिद्ध हैं, यह जानते हुये कि यह दोषी हैं इनको निलम्बित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

स्पष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न)

फैजाबाद मण्डल व लखनऊ मण्डल में पुलिस फोर्स में नई नियुक्तियों में पुनः छूट दिये जाने का कथित विचार

1×--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि फैजाबाद मण्डल व लखनऊ मण्डल में पुलिस फोर्स में नई नियुक्ति के समय पिछड़ा जाति के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा पुनः छूट दिए जाने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

जी हां। यह छूट फैजाबाद मण्डल व लखनऊ मण्डल में नहीं किन्तु पुलिस में कान्सटेबुल के पद पर भर्ती में उत्तर प्रदेश में किसी भी मण्डल में नहीं दी जा रही है क्योंकि इन पदों पर पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी निर्धारित आरक्षण सीमा से स्वतः अधिक चयनित हो जाते है। अतः शासनादेश संख्या 249/आठ-10-1200 (130)/78, दिनांक 27 फरवरी, 1981 के द्वारा यह छूट समाप्त कर दी गई है। वर्णित दोनों स्थितियों में पुनः छूट दिये जाने पर विचार करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ क्या कांस्टेबिल की भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जा रही थी, अगर दी जा रही थी तो किन परिस्थितियों में दी जा रही थी। पुनः दिये जाने पर क्या शासन विचार करेगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

पहले आयु सीमा में छूट दी जा रही थी। अब अभ्यर्थी आसानी से मिल जाते हैं और अधिक संख्या में चयनित हो जाते हैं। तो छूट समाप्त कर दी गयी।

श्री हुकुम सिंह --

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि यह छूट इसलिये समाप्त कर दी गयी कि पूरे अभ्यर्थी मिल जाते हैं। क्या माननीय मंत्री जी के पास जानकारी है कि 5 वर्षों की छूट समाप्त करने के बाद जो कोटा पिछड़ी जातियों के लिये था वह कितना था और कितने चयनित किये गये ?

श्री गुलाब सेहरा --

कोटा 15 प्रतिशत था। वर्ष 1982 में कानेस्टिबिल 5950 भर्ती किये गये जिसमें 1104 पिछड़ी जाति के थे। यह प्रतिशत आया 18.56।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

निर्धारित सीमा के अन्तर्गत यदि पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी चयनित नहीं होते हैं तो क्या आयु सीमा में छूट दी जायेगी या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा---

कानिस्टेबिल की भर्ती में यह किया गया है। अन्य में जो छूट पहले से थी वह मिलेगी।

तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार

1—श्रीमती गौरी देवी---

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में एक तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो इस तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जायगी और इसका क्या स्वरूप होगा ?

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

एक तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है, परन्तु अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना का मामला शासन के पास कब से विचाराधीन है तथा इस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री---

छठी पंचवर्षीय योजना में रिकमेंडेशन थी कि टेकनिकल विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाय। इस पर अभी शासन विचार कर रहा है। और यह निर्णय लिया गया कि जो आन्ध्र प्रदेशों में तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालय चल रहे हैं और वे किस तरह से कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले उनका अध्ययन किया जाय और किसी को आबजरवर के रूप में वहां भेजा जाय। इस मामले में शासन कार्य कर रहा है।

श्रीमती गौरी देवी --

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विश्वविद्यालय की रुप-रेखा क्या होगी। क्या यह अध्ययन का कार्य भी करेगा या फिर मात्र परीक्षा लेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, अभी यह शासन के विचाराधीन है जब इसका प्रोजेक्ट या प्रोपोजल पूरा हो जायेगा तभी इसकी पूर्ण जानकारी हो पायेगी।

3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

सीतापुर नगर में सरायन नदी पर पुल का निर्माण

×4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर के बीचोंबीच पी0 डब्लू डी0 द्वारा डिपाजिट वर्क के रूप में सरायन नदी पर मात्र तीन लाख रुपए की लागत से गत 3 वर्षों से निर्माणाधीन सेतु अब तक पूर्ण न होने के बावजूद यात्रियों के लिये खोल दिया गया ? क्या यह सही है कि जुलाई, 1982 में पुल से गिरने के कारण एक नवयुवक की मृत्यु हो गयी ? यदि हाँ, तो अब तक पुल का निर्माण क्यों नहीं पूर्ण हो सका तथा कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

पुल का निर्माण कार्य नवम्बर 1982 में पूर्ण हो गया है उसके बाद ही विधिवत यात्रियों के लिए खोला गया है।

जी हाँ।

उपरोक्त प्रसार पुल का कार्य नवम्बर 82 में पूर्ण हो गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, जो संदर्भित पुल है तथा इसको बनाने के लिये जो ठेका दिया गया था तथा उस समय जो वर्क आर्डर इश्यू किया गया था उस पुल की चौड़ाई, लम्बाई तथा किनारे के बांध भी दिये गये थे, लेकिन जो अब पुल बना है, उसमें कुछ फर्क है ? यदि हाँ, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, फरवरी, 1980 में इसकी शिकायत आयी थी, उसके बाद उसमें यह कहा गया कि किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करा दी जाय। शासन ने इसकी जांच करा दी, 1980 में उसके बाद यह पाया गया कि यह पुल स्पेसिफिकेशन के ही आधार पर बना हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में स्वतः स्वीकार किया है कि नवम्बर, 1982 में जनता के लिये यह पुल खोल दिया था, जिस दुर्घटना का मैंने उल्लेख किया है कि इसमें एक आदमी नीचे गिरकर मर गया, यह पुल बनने से पहले ही खोल दिया गया, तथा जनता को इस अधूरे पुल पर चलने फिरने के लिये मजबूर कर दिया गया, जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार की गलती से वह व्यक्ति इस पुल में गिरकर मरा है उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी गई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जिस दुर्घटना की तरफ माननीय सदस्य द्वारा इशारा किया गया है, इसकी सूचना नगर सुधार समिति, सीतापुर ने दिनांक 31-7-19 2 को दी। उनका

जो पत्र आया था उसमें यह लिखा गया था कि एक साइकिल वाला इस तरफ से जा रहा था और दूसरी तरफ से एक रिक्शा वाला आ रहा था और दोनों में टक्कर हो गई, फलस्वरुप साइकिल वाला पुल से नीचे गिर गया। जहाँ तक पुल में रेलिंग्स और चेन का सवाल है, मान्यवर, प्रेक्टिकल रूप मे यह देखा जाता है कि जनता पुल में चलना शुरु कर देती है भले ही आफिशियल रूप में उसको बाद खोला जाय, इसे तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं, यह सही है कि उस वक्त रेलिंग्स नहीं लगी थी, लेकिन अब लगा दी गई हैं, मान्यवर, जिस प्रकार से यह एक्सिडेंट हुआ है उस हालात में जंजीर व रेलिंग्स लगे भी होते तो भी आदमी पुल से नीचे गिर सकता।

आई0 जी0 की गाड़ी टेम्पों से भिड़ जाने की कथित घटना

×5 श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, 1981 में किसी आई0 जी0 की गाड़ी टेम्पों से भिड़ जाने के परिणामस्वरुप आई0 जी0 और टेम्पों ड्राइवर के बीच मार पीट की कोई घटना लखनऊ शहर में घटी। यदि हाँ तो आई0 जी0 कौन है तथा घटना का विवरण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

सितम्बर, 1981 में किसी आई0 जी0 पी0 की गाड़ी टैम्पों से नहीं भिड़ी।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री मंत्री नं0 2 से यह जानना चाहता हूँ कि ये अधिकारियों को बचाने में दक्ष हैं। ये बता दें कि इसकी जांच किससे करायी और किस डी0 आई0 जी0 की गाड़ी लड़ी ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा है सितम्बर, 1981 में कोई घटना हुई ही नहीं।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मेरे द्वारा दी गयी तारीख गलत हो सकती है, लेकिन मा0 मन्त्री जी बता दें कि क्या इसके आस-पास की किसी घटना की जानकारी उनको है ? कोई ऐसी शिकायत मिली है कि डी0आई0जी0 शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और टैम्पों वाले से उनकी लड़ाई हुई ?

श्री गुलाब सेहरा—

यह एक ड्राइवर का मामला है, आई0 जी0 (पुलिस) का नहीं है। 18-10-81 को रात्रि को 10.15 बजे ड्राइवर बच्ची सिंह स्टाफ कार की पुलिस लाइन से पेट्रोल भरवाने के लिये ले गया था जब चला तो शक्ति भवन के पास स्टाफ कार दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी।

विधायक श्री रियासत हुसैन द्वारा अपनी ट्राली की चोरी के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को दिया गया प्रार्थना पत्र

×6—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा अपनी ट्राली की चोरी के सम्बन्ध मे एस0 एस0 पी0 मुरादाबाद को दिनांक 17-9-81 को समय 4-15 सांय जो सूचना दी गयी थी उसकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा –

प्राप्त सूचना के अनुसार मास्टर इब्राहीम पुत्र अली मोहम्मद, नि0 ग्राम भोजपुर थाना भगतपुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को दिनांक 20-5-81 को इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिया कि थानाध्यक्ष, भगतपुर ने प्रार्थी को दिनांक 19-5-81 को धमकी दिया था कि वह अपनी ट्राली श्री रियासत हुसेन, विधायक के यहाँ पहुँचा दें तथा उसके ऐसा न करने पर उसकी ट्राली थानाध्यक्ष भगतपुर द्वारा जबरदस्ती उठा ले जाई गयी है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष, भगतपुर के विरुद्ध अपराध संख्या 126/81 धारा 379 भा0 द0 वि0 थाना भगतपुर पर पंजीकृत, हुआ। इसी ट्राली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17-9-81 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी मुरादाबाद को एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उक्त प्रश्नगत ट्राली की चोरी के सम्बन्ध में पहले ही से अपराध पंजीकृत था जिसकी विवेचना हो रही है अतः प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर अलग से कोई अपराध पंजीकृत नहीं किया गया। मामले की विवेचना निरीक्षक प्रभारी, थाना बिलारी द्वारा की जा रही है। विवेचना शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इससे पहले कि प्रश्न करूं, मै बतला दूं कि यह मेरी ही ट्राली है, जो पुलिस विभाग ने मिलकर गड़बड़ घोटाले मे डाल दी। अब यह जवाब आया है।

क्या मा0 मन्त्री जी इन मुद्दों पर जांच करायेंगे कि मास्टर इब्राहीम जो धान की तिजारत करते थे मेरा धान खरीदकर मेरी ही ट्राली मांग कर ले गये और उसमे धान के बोरे ले गये। बाद मे उनकी नीयत मे बेइमानी आ गयी। मैंने अपनी ट्राली कई बार मांगी, उन्होंने नहीं दी। फिर पंच फैसला हुआ, तब उनके लड़के शकील अपने ट्रैक्टर मे उस ट्राली को जोड़कर गाँव महमूदपुर तिगड़ी में छोड़ आये और पहिया और धुरा कुल 4,000/-रु0 का सामान निकाल लिया और मास्टर इब्राहीम ने डी0 बी0 सिंह, सी0 ओ0 से केवल एक दरखास्त के ऊपर एक मुकदमा कायम कर दिया, जिसका आपने हवाला दिया है। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी ट्राली मेंसे 4,000/-रु0 का सामान निकाल लिया है, तो मैंने एक दरखास्त एस0 एस0 पी0 के हाथ में दी 17-9-81 को और उसमें मैंने कहा नामजद रिपोर्ट की, कि मेरा 4,000/-रु0 का नुकसान जी0 बी0 सिंह और इब्राहीम वगैरह ने किया है, मुकदमा कायम किया जाय और जाँच की जाय, उसमें अभी तक रिपोर्ट भी नही लिखी गयी।

यह सन् 81 का मामला है, अभी तक कोई रिपोर्ट इसकी नहीं मिली है, सिर्फ यह कहा जा रहा है कि एक मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जाँच करायेगे कि जो मैंने एक रिपोर्ट की शक्ल में दरख्वास्त दी थी, उस पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, जानबूझ कर इस मामले में ढील क्यों दी जा रही है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस मुकदमे को कायम करने से पहले इस मामले की कोई रिपोर्ट जाँच कराकर प्रस्तुत करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता। जो माननीय सदस्य ने जानकारी दी है, उस जानकारी के आधार पर आप पुनः इस मामले पर जाँच करायें। मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूँ।

विस्थापित स्वर्णकारों को नौकरी में आरक्षण व अन्य प्रदान की गयी सुविधाएं

× श्री केदार नाथ सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1962 से विस्थापित स्वर्णकारों को नौकरी में आरक्षण या अन्य कोई सुविधा दी जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

पिछड़े वर्ग को, जिसमें सोनार भी सम्मिलित हैं, राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण प्राप्त है तथा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी अनुमन्य है।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न कुछ था और जवाब कुछ आया है। मेरा प्रश्न विस्थापित स्वर्णकार के सम्बन्ध में था उनकी सुविधाओं के बारे में था। और मान्यवर, विस्थापित स्वर्णकार और सोनार में बड़ा फर्क है। विस्थापित स्वर्णकार उन स्वर्णकारों को कहा जाता है जिनके रोजगार सन् 77 से पहले मोरारजी देसाई की सरकार में छीन लिये गये थे, तो मेरा प्रश्न ऐसे विस्थापित स्वर्णकारों की सुविधाओं के प्रति था परन्तु जो उत्तर दिया गया है वह पिछड़ी जाति के सुनारों से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष —

आप प्रश्न कीजिए।

श्री केदार नाथ सिंह

जी हाँ, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जिन विस्थापित स्वर्णकारों के रोजगार समाप्त कर दिये गये थे, उनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा सुविधायें दिये जाने की घोषणा की गयी थी तो इस संबंध में अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन-कौन सी सुविधाएं इन्हें प्रदान की हैं ?

श्री अम्मार रिजवी —

यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तर को श्री केदारनाथ सिंह जी समझ नहीं पाये।

श्री अध्यक्ष—

मैं भी समझ नहीं पाया आपके उत्तर को।

श्री अम्मार रिजवी—

तब तो और दुर्भाग्य की बात है, मान्यवर, एक आदेश 31 जुलाई, 1964 में पारित हुए थे सरकार से और जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि सन् 70 में एक जी0 ओ0 हुआ था इनकी सुविधाओं के बारे में ऐसा नहीं है, यह जी0 ओ0 1963 में 2395/11 बी0/166/63 नम्बर पर हुआ था गोल्ड स्मिथ डिस्प्लेस्ड के बारे में। इनमें कई सुविधाएं इन्हें दी गयी हैं, जिसमें से 5 साल का छूट ऐज के बारे में थी, दूसरे टाईपिस्ट की जगह पर यदि उन्हें टाईप नहीं आती भी होती तब भी उन्हें ले लिया जायेगा परन्तु उन्हें सर्विस में रहते हुए छः माह के अन्दर टाईप सीखनी थी और क्वालीफिकेशन में भी उन्हें छूट दी गयी थी।

जनपद बस्ती में कुआनो नदी पर बस्ती मुडघाट, गनेशपुर मार्ग पर पुल का निर्माण

×8 श्री मोहन सिंह तथा श्री राम आसरे पासवान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती में कुआनो नदी पर बस्ती मुडघाट, गनेशपुर मार्ग पर बजट 82-83 में एक पुल 7.50 लाख की लागत में स्वीकृति हुआ था जो बजट 82-83 में सा0 नि0 वि0 तालिका–13 के अन्तर्गत सा0 नि0 वि0 द्वारा बनाया जा रहा सेतु प्रदर्शित किया गया है? क्या यह सही है कि इस स्थान पर अभी तक कुल निर्माण कार्य हेतु कोई भी सामान नहीं आया है और न ही अब तक निर्माण कार्य ही शुरु हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही कर इस पुल का निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न करायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ।

जी नहीं। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर अब तक इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है, तो अब तक तक इस पुल का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा और कब तक समाप्त कर लिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

यह पुल मान्यवर 7.5 लाख रु0 का है और फरवरी, 83 तक 6,50,69/1रु0 इस पर खर्च हो चुके हैं।

मैं समझता हूँ कि अप्रैल तक कार्य पूरा हो जायेगा, क्योंकि थोड़ा सा धन शेष रह गया है।

श्रीमती मुन्नी देवी उर्फ गार्गी को श्री विपिन कुमार निगम द्वारा भगा ले जाने की थाना चौक, लखनऊ में दर्ज रिपोर्ट पर जांच

×9 श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री बाल मुकन्द वर्मा निवासी मोहल्ला

रूपपुर म0 न0 आर0/117, बाराबंकी ने दिनांक 7-3-81 को एक प्रार्थना पत्र माननीय, मुख्य मन्त्री उत्तर प्रदेश, जिसकी प्रतिलिपियाँ आयुक्त एवं गृह सचिव, पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक नगर, थाना इंचार्ज चौक, लखनऊ आदि को प्रेषित का गयी थी तथा दिनांक 24-9-81 को पुनः मा0 मुख्य मन्त्री व गृह सचिव को इस आशय की दी कि उसकी पुत्री श्रीमती मुन्नी देवी उर्फ गार्गी देवी को श्री विपिन कुमार निगम आत्मज श्री जगत नारायण निगम, म0 न0 414/153, सरायमाली खां, थाना चौक, लखनऊ अपने साथ मय जेवरात भगा ले गया तब से आज तक उसका पता नहीं चला ? चला ? यदि हाँ, तो संबंधित प्रार्थना पत्रों पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ। प्रश्नगत मामले में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कराई गई जांच से विदित हुआ कि श्री सूरज प्रसाद वर्मा निवासी सरायमाला खाँ, थाना चौक, लखनऊ की पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी उर्फ गार्गी के अवैध संबंध पड़ोस में रहने वाले विपिन कुमार निगम नामक व्यक्ति से हो गये थे और दिनांक 11-7-80 को श्रीमती मुन्नी देवी अपनी पुत्री के साथ कहीं चली गई। उसके बाद उक्त विपिन कुमार निगम भी लापता हो गया। इस संबंध में मुन्नी देवी के भाई ने थाना चौक, लखनऊ पर धारा 498 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत 9-9-80 को एक रिपोर्ट अंकित कराई। दिनांक 25-2-81 को श्रीमती मुन्नी देवी की ओर से एक बैरंग पत्र श्री सूरज प्रसाद वर्मा को प्राप्त हुआ, जिसमें श्रीमती मुन्नी देवी का विपिन कुमार के पास कैद होना बताकर 50,000 रु0 की माँग की गई थी, इस पर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि पत्र निर्धारित तिथि के दो दिन बाद प्राप्त हुआ था। दिनांक 24-4-81 को अमृत प्रभात में जिला बाराबंकी में कल्याणी नदी में लाशों को देखी जाने के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार को पढ़कर श्री सूरज प्रसाद वर्मा उक्त समाचार की पुष्टि हेतु बाराबंकी गये और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना पत्र देने शुरू कर दिये। दिनांक 1-5-81 को थाना चौक की पुलिस भी श्री वर्मा व अन्य व्यक्तियों के साथ बाराबंकी गई परन्तु वहां इस बात का पुष्टि नहीं हो सकी कि कथित लाशें श्रीमती मुन्नी देवी व उनकी पुत्री की ही थी। फिर दिनांक 5-6-81 को दरियाफ्तहाल जारी करके पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई। पुलिस द्वारा जनपद बाराबंकी, मुगलसराय तथा जालौन और जहाँ-जहाँ श्री वर्मा ने बताया उन स्थानों पर भी तलाश की गई किन्तु अभी तक कोई पता नहीं चल सका। अतः मामले में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

अब पुनः प्रश्नगत मामले में थाना चौक लखनऊ पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना का चेक अप अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने के आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं, जिसकी जाँच प्रचलित है।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि अब पुनः प्रश्नगत मामले में थाना चौक, लखनऊ पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना का चेक अप अपराध शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने के आदेश शासन द्वारा दिए गये हैं, जिसकी जाँच

प्रचलित है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह आदेश कब दिए गये और जाँच कौन सा अधिकारी कर रहा है और वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा —

अपराध अनुसंधान शाखा के अधिकारी कर रहे हैं।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मैंने माननीय मन्त्री जी से पूछा था कि कौन से अधिकारी जाँच कर रहे हैं और यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, अधिकारी का नाम मेरे पास नहीं है।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि दिनांक 6-5-81 को जब थाना चौक की पुलिस श्री वर्मा के साथ बाराबंकी गयी तो किन-किन स्थानों पर गयी और किन-किन लोगों से सम्बन्ध स्थापित किया ?

श्री गुलाब सेहरा

उनके पति ने जहाँ-जहाँ पर बताया कि लाश मिल सकती है वहाँ पर पुलिस गयी।

बस्ती जनपद के थाना त्रिलोकपुर के भूतपूर्व थानाध्यक्ष श्री जयपति नाथ को सेवा में बहाली

× 10—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के थाना त्रिलोकपुर के थानाध्यक्ष (श्री जयपति नाथ) जिसको निलम्बित किया गया था, को बहाल करते हुए पुनः प्रश्नकर्त्ता के ही क्षेत्र में नियुक्त कर दिया ? यदि हाँ तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

बस्ती जनपद के थाना त्रिलोकपुर के भूतपूर्व थानाध्यक्ष श्री जयपति नाथ सेवा में बहाली के उपरान्त पुनः प्रश्नकर्त्ता के क्षेत्र में कहीं नियुक्त नहीं रहे। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

सिगरौली तापीय परियोजना में टावर क्रेन गिरने से श्रमिकों की मृत्यु तथा अश्रितों को सहायता

× 11—श्री ऊदल—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13 मई, 198[illegible] को सिगरौली तापीय परियोजना में चिमनी निर्माण करते हुए 90 मीटर टावर क्रेन गिर जाने से 10 श्रमिकों की मृत्यु हो गयी और बीसों घायल हो गये ? यदि हाँ, तो मरे तथा घायल हुए श्रमिकों की उनके आश्रितों को कोई सहायता दी गयी ? क्या इस काण्ड की कोई जाँच भी की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

सिंगरौली तापीय परियोजना में दिनांक 13 मई, 1982 को नहीं बल्कि 12 मई, 1982 को चक्रवात तूफान आने के फलस्वरूप बिजली फेल हो जाने से टावर क्रेन गिर पड़ी थी जिससे 5 श्रमिकों की मृत्यु हो गयी थी इनके अतिरिक्त कोई अन्य श्रमिक घायल नहीं हुआ था। मृत श्रमिकों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति एवं अनुदान के रूप में धन दे दिया गया है। इस कांड की जाँच नेशनल थर्मल पावन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा की जा रही है।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, इन पाँचों मृतक श्रमिकों को कितना-कितना रुपया उनके परिवार वालों को दिया गया और ये कहाँ-कहाँ के थे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, 3 श्रमिक नेशनल थरमल पावर कारपोरेशन के कर्मचारी थे और दो ठेकेदारों के थे। जो तीन श्रमिक नेशनल थरमल पावर कारपोरेशन के कर्मचारी थे उनमें एक श्री राजेन्द्र ठाकुर आपरेटर को 20 हजार रुपये अनुदान के रूप में उनकी पत्नी को दिये गये, 10 हजार रुपये जो बीमे के थे वह भी उनको दिये गये और साथ ग्रेच्युटी की धनराशि भी उनको दी गई। दूसरे श्रमिक श्री शमशेर सिंह टेक्नीशियन की पत्नी को 26 मई, 1982 को 27 हजार रुपये दिये गये, 10 हजार रुपये बीमे के दिये गये और ग्रेच्युटी की धनराशि भी उनको भुगतान की गई। तीसरे श्रमिक श्री विजय शंकर लाल श्रीवास्तव की पत्नी को 24 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में 26, मई, 82 को दिया गया, 10 हजार रुपया बीमा तथा 1722 रुपये 60 पैसे ग्रेच्युटी की धनराशि का भी भुगतान इन्हें किया गया। इसके अतिरिक्त जो ठेकेदरों के थे उनमें श्री के0 राघवन के माता-पिता को 18 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिया यया और दूसरे श्री टी0 विजय कुमार के माता-पिता को 27 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रुप में 13-7-82 को दिये गये।

मान्यवर, इसके अलावा इन तीनों नेशलन थरमल पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों की पत्नियों को नौकरी में रख लिया गया है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि चक्रवात आने से जो टावर गिर गया था उसकी जाँच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है तो वह समिति कब तक अपनी जाँच रिपोर्ट आपको दे देगी ? साथ ही इसकी जाँच कब से प्रारम्भ हुई थी ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, नेशनल थरमल पावर कारपोरेशन के चेयरमैन ने चार सदस्यों की समिति गठित की है और अभी तक उसकी रिपोर्ट कारखाने के चीफ इन्स्पेक्टर के पास नहीं है। यह केन्द्रीय सरकार के अधीन है। श्रम विभाग इस सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही कर रहा है कि जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाय जिससे आगे की कार्यवाही की जा सके।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, तूफान की वजह से जो टावर गिर गया था उसमें लाखों रुपये की क्षति हुई है। क्या आपने कोई अनुमान लगाया है कि कितने की क्षति इससे हुई है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, यह केन्द्रीय सरकार का कारपोरेशन है। जब रिपोर्ट आयेगी तो उससे अनुमान लगाया जा सकेगा कि कितने की क्षति हुई मे।

× 12—श्री भीखालाल—

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या—4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विद्यत उप केन्द्र, जलालपुर, जौनपुर की स्थापना तथा भू-स्वामी को भूमि का मूल्य न दिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

* 13—श्री प्रभूनारायण सिह—

क्या ऊर्जा मन्त्री जी कृपा करेंगे कि जिस स्थल पर विद्युत् उप केन्द्र, जलालपुर, जौनपुर निर्मित किया गया है, उसका अधिग्रहण कब किससे और कितने मूल्य में किया गया ? क्या यह सत्य है कि भूमि का पूर्ण और बाजारू मूल्य भू-स्वामी को आज तक नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री प्रभू नारायण सिह—

मान्यवर, इसमें कोई विशेष सूचना मंगाने को आवश्यकता नहीं है। इसमें जमीन का मामला है और भू-स्वामी को उसका मूल्य न दिये जाने के बारे में कहा गया है। 15 साल से अधिक समय से वहाँ पर विद्युत् केन्द्र स्थापित हो गया है। इस प्रश्न को 5 महीने होने जा रहे हैं आज तक सूचना एकत्र नहीं हो पायी है। मान्यवर, आप संरक्षण दें। इस तरह से इसको टाला जा रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी और विद्युत् परिषद् को भी लिखा गया है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जलालपुर, वाराणसी-जौनपुर रोड पर सई नदी के किनारे यह विद्युत् स्टेशन है। कहीं इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या माननीय मन्त्री जी यहाँ से किसी आदमी को भेजकर उसके बारे में जाँच करके आप सूचना नहीं मंगा सकते हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जाँच का सवाल नही है। सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश की नदियों में जल प्रदूषण रोकने हेतु कार्यवाही

×1 '—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के सभी नदियों में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और खासतौर से गंगा में तो संक्रामक कीड़ों की भरमार हो गयी है जिससे कि आज बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं ? इसे रोकने पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री सुनील शास्त्री—

प्रदेश की प्रमुख नदियों में कुछ स्थानों पर जल प्रदूषण हो रहा है । गंगा नदी में प्रदेश के प्रमुख नगरों के समीप प्रदूषण अधिक है।

परन्तु यह सत्य नहीं है कि गंगा नदी में संक्रामक कीड़ों की भरमार हो गयी है जिससे कि बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं ।

प्रदूषण रोकने के लिये जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही ।

श्री रेवती रमण सिंह —

मान्यवर माननीय मन्त्री जी ने अपने जवाब में यह कहा कि प्रदूषण हो रहा है लेकिन संक्रामक कीड़े नहीं पाये जा रहे हैं । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि बी0 एच0 यू0 के वरिष्ठ प्रोफेसर तथा हिन्दुस्तान के दूसरे प्रोफेसरों ने बनारस, कानपुर और इलाहाबाद में सब जगह गंगा के जल का परीक्षण करने के बाद कहा कि यहाँ का जल पूरी तरह से प्रदूषण युक्त है और पानी में कीड़े पड़ हुए हैं जिसके पीने से बीमारियाँ फैल सकती हैं ? इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मैंने अपने उत्तर में इस बात को कहा है कि प्रदूषण है और जो नगर गंगा के समीप हैं जैसे इलाहाबाद, कानपुर, बनारस आदि में प्रदूषण है । लेकिन कीड़ों की भरमार नहीं है और इससे ज्यादा बीमारियाँ नहीं फैल रही हैं फिर भी यहाँ पर कुछ बीमारियाँ फैल रही हैं । सरकार के पास कई एजेंसियों से रिपोर्ट आई है इसीलिए जो अधिनियम 1974 का है उसके अन्तर्गत सर्वे किया जा रहा है और हमारा जो वाटर पोल्यूशन एण्ड कंट्रोल बोर्ड है उसके माध्यम से कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रेवती रमण सिंह —

माननीय मन्त्री जी ने केवल यह बताया कि 1974 के अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है लेकिन क्या कार्यवाही की जा रही है इसका उल्लेख नहीं किया । मन्त्री जी कह रहे हैं कि जल इतना खराब नहीं है जब कि कानपुर, इलाहाबाद और बनारस के जल से दुर्गंध आ रही है जिसको साधारण आदमी पी नहीं सकता है । शहरों के गन्दे नाले उसमें गिराये जाते हैं और फैक्ट्रीज गन्दे पानी को बिना ट्रीट किये ही गंगा में गिरा देती है, तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था अभी तक सरकार ने की है ?

श्री सुनील शास्त्री

मान्यवर इस सम्बन्ध में योजनायें बनाई गयी हैं और यह प्रयास किया जा रहा है कि इन सब नगरमहापालिकाओं के सीवर सिस्टम को नालियों में डायवर्ट किया जाय और सीवर को एक जगह एकत्र करके उसका शुद्धिकरण किया जाय तब फिर गंगा में उसे बहाया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हमारे यहाँ बना है इसका जो कानून बना हुआ है इसके अन्तर्गत जितनी फैक्ट्रीज हैं उनको पानी को शुद्ध करके नदी में गिराना चाहिये जिसके लिए लाइसेन्स भी लेना पड़ता है। मैं केवल कानपुर के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि कानपुर में बहुत से मिल मालिकों का चालान भी इस सम्बन्ध में किया गया लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और अधिकांश ऐसे मिल मालिक हैं जिन्होंने पानी को ट्रीट करने का संयंत्र भी नहीं लगा रखा है। तो इस सम्बन्ध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ताकि नियंत्रण प्रभावी रूप से लागू हो सके? लखनऊ में ही मोहन मीकिन्स का मामला सदन में उठाया जा चुका है। तो मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहूँगा कि कौन सी प्रभावी कार्यवाही की गयी है या कौन सी कार्यवाही शासन के विचाराधीन है?

श्री सुनील शास्त्री

मान्यवर, कानपुर शहर में सबसे ज्यादा प्रदूषण की बात है। वहाँ पर 60 ट्रैनरीज व जिनसे 25 परसेन्ट गंदा पानी इनसे जाता है तथा 70 परसेन्ट सीवर से जाता है और 5 परसेन्ट उद्योगों के माध्यम से जाता है। कानपुर में 1 करोड़ 60 लाख की एक योजना बनाई गयी है जिसमें 60 ट्रैनरीज का पानी शुद्ध करके गंगा में बहाया जायेगा दूसरे तीन बड़े-बड़े नाले हैं नवाबगंज, सीसमऊ और उत्तर घाटा इनकी योजनायें बनाई गयी हैं।

इनके भी पानी को एकत्र करके शुद्धीकरण किया जायेगा जिससे काफी हद तक प्रदूषण दूर होगा।

श्री कुंवर सिंह नेगी

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी बताया गया कि बड़े-बड़े नगरों में प्रदूषण हो रहा है नदियों में परन्तु सबसे बड़े खेद की बात है कि गंगा का जहाँ उदगम है अलखनंदा, बद्रीनाथ में, वहाँ सबसे अधिक प्रदूषण हो रहा है। अभी एक योजना जल निगम ने सीवेरेज की बनाई है जिससे उन्होंने सीवेरेज का गंदा पानी ब्रह्म-कपाल के पास बद्रीनाथ में अलखनंदा में डाल दिया है जिससे बहुत प्रदूषण हो गया है, इसलिये इसको रोकने के लिये मन्त्री जी क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री

मान्यवर, मैंने जैसा पहले कहा कि इस सम्बन्ध में वाटर पाल्यूशन बोर्ड बना है जो सभी चीजों को देख रहा है और सर्वे कर रहा है और उसके अनुसार वह योजना बनाता है और कार्यवाही करता है।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो प्रमुख शहर हैं उनके प्रदूषण को कब तक बन्द कर देंगे और प्रदूषण युक्त पानी गंगा में जाने से कब तक बन्द करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, योजनायें बन रही हैं और उनका कार्यान्वयन किया जायेगा और आशा है कि इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। मैं मा0 सदस्यों को यह भी बताना चाहूँगा कि यह समस्या वर्षों से है और जिसको दूर करने में कुछ वर्ष अवश्य लगेंगे।

कानपुर देहात के अन्तर्गत बारा अकबरपुर से सिकन्दरा तक विद्युत लाइनों की क्षतिग्रस्त स्थिति को ठीक कराने की मांग

×15 श्री रामस्वरुप वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर देहात के अन्तर्गत बारा अकबरपुर से लेकर सिकन्दरा तक बिछी हुई विद्युत लाइन ध्वस्त हो गयी है और उसके खंभे तक गायब हो गये हैं ? यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्युत लाइन को कब तक ठीक करवाएगी, और उससे किन-किन गाँवों को बिजली छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देने की योजना है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जिला कानपुर देहात के अन्तर्गत बारा अकबरपुर से सिकन्दरा तक की के0वी0 लाइन का बारा अकबरपुर से बिहारीघाट तथा काँधी से सिकन्दरा तक का भाग चालू है किन्तु बिहारीघाट से काँधी तक का लगभग 11 किलोमीटर का भाग 40 खम्भों व 33 किलोमीटर कन्डक्टर तथा अन्य वस्तुओं की चोरी हो जाने के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त स्थिति में है। इस क्षतिग्रस्त भाग को पुनः चालू किया जाना उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्रों पर निर्भर करता है तथा क्षतिग्रस्त 11 के0वी0 लाइन से सम्बन्धित क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण किये जाने की अभी कोई योजना नहीं है।

श्री रामस्वरुप वर्मा—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि 11 किलोमीटर का भाग जिसमें 40 खंभों और लाइन बिछाई गयी थी तो वह कितने रुपये की थी, और यह खंभे और तार उखाड़ने की रिपोर्ट कब की गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, इसकी कीमत का इस्टीमेट नहीं है। लेकिन यह लाइन 1970 में बनी थी इसमें जांच करवा रहे हैं कि क्या-क्या इसमें हुआ और कब हुआ। लाइन न चालू करने का मुख्य कारण यह था कि उपभोक्ता नहीं थे इसलिये लाइन चालू नहीं की जा सकी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, उत्तर में शासन ने स्वीकार किया है कि 11 किलोमीटर लाइन पहले से चल रही थी जिससे उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही थी लेकिन खंभे और तार चोरी

चले जाने से बिजली नहीं जा रही है। अब मन्त्री जी का कहना है कि कंजूमर कनेक्शन लें तो लाइन चालू होगी। तो पहले से लाइन थी जिस पर विद्युत प्रसारण होता था तो नई शर्त लगाने का क्या कारण है कि यदि उपभोक्ता बिजली चाहता है तो 25 रुपये जमा करके कनेक्शन लें। तो क्या पुराने या नये उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो रहा है और उनके काम में क्या बाधा नहीं पड़ रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, समस्या तो है कि पुराने उपभोक्ता नहीं हैं।

श्री रामस्वरुप वर्मा—

मान्यवर, लाइन 1970 में बिछ गयी और वह कब उखड़ गयी, और सरकार को इसकी जानकारी कब हुई, इसमें कुल कितना नुकसान हुआ है। जिनके समय में यह किया गया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही किया है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूँ कि नुकसान का इस्टीमेट नहीं है, लेकिन इसमें जो सामान गया वह 5 सामान थे और तीन की रिपोर्ट दर्ज की गयी और दो की नहीं। इसमें हम जांच करवा रहे हैं और जब रिपोर्ट पूरी हो जायेगा तो कार्यवाही करेंगे।

श्री रामस्वरुप वर्मा—

इसमें जांच कौन अफसर कर रहे हैं और यह कब से शुरु है और कब तक जांच पूरी हो जाएगी ? ताकि दोषी अधिकारियों को सजा दी जा सके ?

श्री ब्रह्मदत्त—

वहां के क्षेत्रीय अधिकारी जांच कर रहे हैं।

श्री धनीराम वर्मा—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ, यह समस्या केवल वर्मा जी के क्षेत्र की ही नहीं है, सारे भारतवर्ष की यह समस्या है, तो क्या वह सारे प्रदेश में जहाँ लाइनें समाप्त हो गई हैं—सभी स्थानों पर पुनः खम्भे और तार लगवाने की कृपा करेंगे ताकि उपभोक्ताओं को बिजली की सुविधा प्राप्त हो सके।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

प्रश्नगत यह जो लाइनें समाप्त हो गई हैं, क्या यह उपभोक्ताओं की मांग पर लाइन डाली गई थी या कोई अन्य योजना थी, जिसके अन्तर्गत यह लाइन डाली गई ? और दूसरी बात यह है कि जैसा अभी आपने कहा कि इसमें उपभोक्ता की कोई मांग नहीं है, तो मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के कई स्थानों पर मांग होते हुए भी लाइनें गिरी हुई पड़ी हैं और खम्भे टूटे पड़े हैं, लेकिन अब तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, तो क्या वह प्रदेश में कोई ऐसी नियमावली लागू करवायेंगे कि ऐसे स्थानों पर लाइन तुरन्त ठीक की जा सके ?

श्री ब्रह्मदत्त—

यह सामान्य समस्या है, जहाँ ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है, जहाँ

उपभोक्ता नहीं होते हैं, वहाँ तार उखड़ जाते हैं। अब जहाँ-जहाँ डिमान्ड होगी, हम उसे करेंगे।

पुलिस स्टेशन अधीक्षक, खेसरहा, बस्ती के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा आतंक से क्षुब्ध क्षेत्रीय जनता का रजिस्टर्ड पत्र

16—श्री रामचरण सिंह—(अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस स्टेशन अधीक्षक खेसरहा बस्ती (श्री मिश्र) के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा आतन्क से क्षुब्ध क्षेत्रीय जनता खेसरहा द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर तथा गृह मन्त्री को रजिस्टर्ड पत्र नम्बर क्रमशः 1957 तथा 1958 दिनांक 18-8-82 का भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

×17—श्री मंजूर अहमद—

[दिनांक 24-2-83 को सदन में चर्चा होने के कारण निरस्त]

सुल्तानपुर में गोला घाट के पास गोमती नदी पर नये पुल निर्माण की स्वीकृति

18—श्री जयराज गौतम (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर में गोला घाट के पास बना गोमती नदी का पुल बुरी तरह से जर्जर हो चुका है और वह किसी भी समय टूट सकता है, यदि हां, तो सरकार इसे अविलम्ब बनवाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, ता कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत पुल की वर्तमान दशा को देखते हुये उस स्थान पर एक नये पुल के निर्माण की स्वीकृति 1 करोड़ 10 लाख 35 हजार रुपये की अनुमानित लागत पर शासनादेश दिनांक 10 फरवरी 1983 द्वारा दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत छटनी किये गये मस्टर रोल श्रमिकों को रिक्त स्थानों पर यथा समय समायोजित किये जाने की कार्यवाही

19—श्री नन्दराम (अनुपस्थित)—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न विद्युत गृहों एवं कार्यालयों से दिसम्बर, 1981 तक छटनी किए गये ये मस्टर रोल के श्रमिकों को नियमित अधिष्ठान में रिक्त पदों पर पुनः भर्ती करने अथवा निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं टाण्डा/पराक्षा/आनपारा में समायोजित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत छटनी किये गये मस्टर रोल श्रमिकों

को उनकी योग्यता एवं वरिष्ठता आदि के आधार पर विद्युत परिषद् के अन्तर्गत रिक्त स्थानों पर यथासमय समायोजित किये जाने की कार्यवाही चल रही है।

जनपद सीतापुर में श्री जगन्नाथ सिंह, अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा पत्रकार और विधायकों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप

×20—श्री हरगोविन्द वर्मा—(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में श्री जगन्नाथ सिंह अतिरिक्त जिलाधिकारी ने 2 अक्टूबर, 1982 को गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर हरिजन सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में पत्रकार और विधायकों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया ? क्या इस सम्बन्ध में उ० प्र० पत्रकार संघ के अध्यक्ष (श्री राम गोपाल गुप्त) अतिरिक्त जिलाधिकारी को पत्र लिखा था और उसका उत्तर न प्राप्त होने पर पत्रकार संघ ने निन्दा का कोई प्रस्ताव पास किया ? यदि हाँ तो क्या सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी -

श्री जगन्नाथ सिंह, अतिरिक्त जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा दिनांक 2-10-82 को हरिजन सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुये अपने अध्यक्षीय भाषण में पत्रकार और विधायकों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया।

श्री राम गोपाल गुप्त, अध्यक्ष, उ० प्र० पत्रकार संघ ने उक्त सम्बन्ध में एक पत्र दिनांक 6-10-82 के अतिरिक्त जिलाधिकारी को लिखा था और उसका उत्तर दिनांक 7-10-82 तक चाहा था इस पत्र का उत्तर यथासमय न दिये जाने के फलस्वरूप एक प्रस्ताव दिनांक 8-10-82 को पारित किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा की गई जाँच के आधार पर श्री सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्यापित नहीं पाये गये। अतः सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामकुमार भार्गव—

माननीय मन्त्री जी ने जो बताया है, इसकी जांच किस अधिकारी से कराई गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसका उत्तर मेरे मूल उत्तर के तीसरे पैरा में हो है कि जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा की गई जांच के आधार पर सही नहीं पाए गये।

श्री यदुनाथ सिंह—

इन्होंने जाँच कराई, लेकिन कोई आरोप सही नहीं पाए गये, लेकिन जैसा अखबारों में प्रकाशित हुआ है और जैसी शर्मनाक घटना घटी है, क्या मन्त्री जी इसकी पुनः जांच किसी उच्च अधिकारी या एजेन्सी से कराने की कृपा करेंगे।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या—20 श्री रामकुमार भार्गव का सूची पर लिया गया।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, कोई नये तथ्य सामने नहीं आये हैं, इसलिये कोई पुनः जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 द्वारा अथवा किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच करायेंगे ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न केवल एक जिले से सम्बन्धित नहीं है। इस तरह की शिकायतें सभी जिलों से आ रही हैं, जो पत्रकारों और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किये जाते हैं, मान्यवर, दस दिन पहले जालौन के जिलाधीश ने एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉफ्रेंस में जब पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछना शुरू किया, तो जिलाधीश को नगवार मालूम हुआ, तो उन्होंने धमकी देते हुये यह कहा कि जब तक मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, तब तक इस तरह के कोई प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह कोई इस तरह की व्यवस्था करने में सक्षम हैं कि पत्रकार और विधायकों के साथ जिलाधिकारी मानवीय और सदभावपूर्ण व्यवहार करें ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसके आदेश तो निर्गत किये जा चुके हैं।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी का कहना है कि उसकी जाँच कलक्टर से करायी गयी, वह सारे प्रकरण जो शिकायती-पत्र में थे, वह सब झूठे पाये गये, जिलाधिकारी ने किसी पत्रकार को, किसी विधायक को अपशब्द नहीं कहा। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वह सदन की कोई कमेटी बनाकर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

वहां जो जिले में लोग हैं, कुछ कहते हैं कि यह हुआ और कुछ कहते हैं नहीं हुआ, जो इन्क्वायरी हुयी, उससे यह मालूम हुआ कि वहां पर कोई ऐसी बात नहीं हुई।

गोपी नाथ वर्मा,

मान्यवर, यह तो फर्जी रिपोर्ट जिलाधिकारी ने बनाकर दिया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री राम गोपाल गुप्त ने जो पत्र जिलाधिकारी और अतिरिक्त जिलाधिकारी को लिखा, उसमें उन्होंने क्या लिखा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

उन्होंने यह कहा कि मैं किसी से भी घबड़ाता नहीं, चाहे कोई बदतमीज पत्रकार या बदतमीज विधायक हो।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, एक उत्तर प्रदेश के पत्रकार संघ के अध्यक्ष ने इस तरह की बात लिखी, सत्यता इसमें हो सकती है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से दुबारा कराने का आदेश दे'गे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

वहाँ पर जो लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, जो बहुत से सम्पादक हैं, उनका यह कहना है कि किसी प्रकार की बात नहीं की गयी, तो जब इस प्रकार की बात आ गयी है, तो इसमें किसी प्रकार की पुनः जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, शिकायत हुई, जिस आदमी ने शिकायत किया, उसने इस तरह से यह शब्द लिखा है कि "वदतमीज विधायक" तो इसमें किसी उच्च अधिकारी से जांच करा दें' या सदन की कोई कमेटी बनाकर जांच करा दें' ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मन्त्री जी पहले विधायक हैं तब मन्त्री हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, किसी कमेटी वगैरह का बनाना जो है अगर यहाँ सदन की कोई कमेटी, किसी मामले पर बनायी जायगी, तो हर कम्प्लेंट के लिये कमेटी भेजना होगा।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर ऐसे जब भी प्रश्न उठे हैं और उसकी जांच करायी गयी है, तो कभी भी जाँच करने वाला जिलाधिकारी हो या कोई हो, वह विधायकों से नहीं पूछता है उस क्षेत्र के अधिकारियों के पक्ष में रिपोर्ट आती है। इस तरह से इस सदन को असन्तोष है। यह सदन चाहता है कि सदन की एक कमेटी बनाकर जाँच करायी जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, जिलाधिकारी ने जब जाँच की तो उन्होंने रामगोपाल गुप्ता जी से कब सम्पर्क स्थापित किया, जिस शिकायत की ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, सम्पर्क सबसे स्थापित किया गया है लेकिन तिथि यहाँ पर नहीं है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न—

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली के नियम 22 में प्रस्तावित संशोधन पर विचार

××1—श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

न्याय सेवा भर्ती नियमावली के नियम 22 में 1978 में एक संशोधन प्रस्तावित था जिसकी स्वीकृति लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और उच्च न्यायालय इलाहाबाद से हो गयी थी ? यदि हाँ, तो उक्त के सम्बन्ध में अभी तक राजाज्ञा जारी न करने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के वरीयता क्रम के प्रश्न पर कोई रिट याचिका दायर की है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 के नियम 22 में संशोधन प्रस्तावित था। इस संशोधन के विषय में उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग दिसम्बर, 1982 में ही एक मत हुए उसके पूर्व नहीं। इस बीच उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकायें दायर की गयी है जिनमें भी कुछ निर्णय हुये हैं जिनका सीधा सम्बन्ध इस नियम से है। शासन द्वारा कोई रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर नहीं की गयी बल्कि कुछ अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध शासन द्वारा उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गयी है। अतः नियम में संशोधन का पूरा प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन है।

[एक सदस्य के मुख्य मन्त्री के आसन पर बैठने पर।]

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर एक नये मुख्य मन्त्री बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप उस आसन पर नहीं बैठ सकते हैं, न बात कर सकते हैं। आप उधर से आयें।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मुझको बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सरकार जो वरिष्ठ प्रशासनिक कैडर है उनकी भी समस्याओं का समाधान 5-5 वर्ष तक नहीं करती है। सिविल सर्विस की जुडीशियल ब्रांच प्रतिष्ठित सेवा प्रदेश की है। मैं जानना चाहता हूँ कि संदर्भित संशोधन उत्तर प्रदेश शासन ने कब प्रस्तावित किया और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर अपनी सहमति कब दी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 17-12-77 को उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा गया कि इस प्रकार का अमेंडमेंट किया जाय। उसमें 18 जनवरी, 1978 को हाईकोर्ट से जवाब आया कि इसमें यह अमेंडमेंट कर लिया जाय। मान्यवर, आप जानते हैं कि जुडीशियल सर्विस के जो मामले हैं उनमें हाईकोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन की राय लेना आवश्यक है। जिस समय 1979 में, माननीय मोहन सिंह जी भी मन्त्री रहे होंगे, उस समय यह उत्तर आया। उसके बाद उच्च न्यायालय ने अगस्त, 82 में शासन को लिखा कि नियमावली में संशोधन किया जाय। तो यह पत्राचार चलता रहा। तीन साल उस तरफ के और दो साल इस तरफ से लगे। लेकिन जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन और हाईकोर्ट एक राय के नहीं हो जाते उस वक्त तक जुडीशियल

सर्विस की जो नियमावली है उसमें परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। इसलिए विलम्ब हुआ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, हमारी यही शिकायत है। यह सरकार हमारी हर चीज को, चूँकि लोगों ने एक शिथिलता को, देर की इसलिए इसमें और विलम्ब करना इसका स्वाभाविक धर्म है। हमारे हर कुकर्मों के जायज वारिस यह हैं। हमारी जानकारी जो है, उसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने 18/1/72 को ही अपनी स्वीकृति इस संशोधन के सम्बन्ध में दे दी थी। मैं संदर्भ बताना चाहता हूँ जिससे कि उत्तर में सफाई हो जाय। जो वरिष्ठ न्यायायिक सेवा उत्तर प्रदेश की है उसके नियम भारतीय संविधान की धारा 308 के अन्तर्गत 1951 में निर्मित हुये। जिसके अन्दर 19 7 में एक जी0 ओ0 हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन और हाईकोर्ट के कन्सल्टेशन से उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को भर्ती करने का अधिकार है। जो परीक्षार्थी विफल हो जाते हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार या महामहिम राज्यपाल इनके कन्सल्टेशन से विशेष परिस्थिति में भर्ती कर सकते हैं। मान्यवर, 197 में एक योजना बनायी गयी कि जो लोग 1967, 68,69,70, में इन चार वर्षों में, जुडीशियल सेवा के जो विफल परीक्षार्थी हैं उनकी भर्ती कर ली जाय। लोक सेवा आयोग को उत्तर देश सरकार ने लिखा। लोक सेवा आयोग ने कहा कि 1967-68- 9 के, तीन वर्षों के, कागजात नष्ट हो गये हैं। इसलिये 1970 के जो 37 परीक्षार्थी विफल हैं, उनके नाम रिकमेंट करके और फारवर्ड करके उत्तर प्रदेश सरकार का दिये गये।

इसके बाद परीक्षा आयोजित 1972 में हुई उस परीक्षा में 16 लोग पास हुए, 22 लोग फेल हुए। 37 लोग 1970 में फेल हुए और 22 लोग 1972 में फेल हुए। उनका रिक्रूटमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के कंसलटेशन से कर लिया, उनकी वरिष्ठता सूची को लेकर न्यायिक सेवा में असन्तोष पैदा हुआ उस असन्तोष को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक संशोधन प्रस्तावित किया कि जो लोग परीक्षा में विफल हैं उनका वरिष्ठता क्रम जो सफलता सूची में चयनित विशेष रूप से लोग हैं, उनके नीचे क्रम में रखा जाय। इस चीज को लेकर 197 से यह प्रकरण चल रहा है। कुछ न्याय विभाग के खास अधिकारी इसमें विशेष दिलचस्पी के कारण उस वरिष्ठता सूची को बनने नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यथा प्रस्तावित जो संशोधन हैं, उनके किन-किन बिन्दुओं पर रिट याचिका दखिल की गयी, माननीय उच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया है, जिससे संशोधन को इनकारपोरेट करने में शासन को परेशानी पैदा हुई?

श्री अम्मार रिजवी

सबसे पहले तो निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मोहन सिंह जी ने शब्द विफल का इस्तेमाल किया कि फेल कैन्डीडेट तो फेल कैन्डीडेट नहीं, अनसक्सेस्ट कैन्डीडेट हैं, उनका यहाँ पर प्रश्न है। यह रिट [illegible] में हाईकोर्ट में दायर की गयी, उसके अन्दर जिन बिंदुओं पर जो माननीय सदस्य ने कहा है कि आधार क्या होना चाहिए, इस बात का चैलेन्ज किया गया है, रिट हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली, इसके बाद मिस्टर पाराशर के

द्वारा रिट दायर की गयी, उसके अन्दर पहले वाला फैसला जो था, स्टे कर दिया गया। हमारी प्राबलम यह है, शासन की प्राबलम यह है कि एक उसका जो डिले हुआ, किसी जमाने में हुआ, इसको मैंने ऐसे ही कहा था, माननीय मोहन सिंह जी को इस तरह से उसको नहीं लेना चाहिए था। सारे प्रकरण में उस जमाने में भी कार्यवाही की जा रही थी और अब भी की जा रही है, अब अगर रिट हो जाय और स्टे मिल जाय तो जिन बिन्दुओं पर शासन का आदेश होना है, उसमें कठिनाई पैदा हो जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मोहन सिंह से कहना चाहता हूँ कि जुडीशियल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, या किसी अधिकारी के सर्विस रुल्स में जो प्राविधान किया जाना चाहिए, यह नियम 22 मे संशोधन करके ही किये जाते हैं, उनको किया जायेगा। लेकिन, उसके साथ ही साथ कानूनी अड़चने हैं, न्यायालय का प्रतिबन्ध है, उसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मुझे माननीय मन्त्री जी के कथन से यहीं पर विभक्ति है। मैंने साफ-साफ प्रश्न किया कि क्या उच्च न्यायालय ने उनको किसी भी स्टेज पर उन संशोधनों को इनकारपोरेट करने से मना किया? जो उच्च न्यायालय ने आदेश और जजमेंट दिया है, मेरी जानकारी के अनुसार, शासन के पक्ष में दिया है। उसकी लीव पिटिशन में सर्वोच्च न्यायालय ने न तो संशोधनों को इनकारपोरेट करने और न किसी माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट में प्रतिबन्ध किया है। मैं चैलेन्ज करता हूँ कि माननीय मंत्री जी के कहीं भी वक्तव्य को। जो सर्वोच्च न्यायालय में लीव पिटीशन पेंडिग है, उसने आपको प्रतिबन्धित नहीं किया, तो इनकारपोरेट न करने के ज्या कारण हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, उसी के बाद श्री पाराशर द्वारा जो स्टे लिया गया पहले वाली कार्यवाही रोक दी गयी, इसी वजह से विलम्ब हुआ।

श्री मोहन सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय में जो आपने लीव पिटीशन दायर की, उसमें किन-किन बिन्दुओं पर स्टे किया गया है?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, नियम 22 में संशोधन करने के लिये जो पत्र लिखा गया है, कार्यवाही चल रही है, हाईकोर्ट से और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से इन बिन्दुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लिया गया, वहाँ पर उच्च न्यायालय का फैसला जो बाद में स्टे कर दिया गया, जब कोई चीज सब जुडिश हो जाती है, तो उसके ऊपर कार्यवाही नही हो सकती।

श्री ख्वाजा हलीम—

मान्यवर, ऐसा है कि माननीय न्यायालय में जो गया हुआ मामला है, जो रुका हुआ है, उसका मुख्य कारण यह है कि इनकी फाइल क्लीयर नहीं हुई। अगर इनकी फाइल क्लीयर हो जाय, तो मामला तय हो जाय। इसी बहाने से अटका दिया कि सुप्रीमकोर्ट में तय न हो वरिष्ठता तय न हो, अगर फाइल में तय हो जाय तो सुप्रीमकोर्ट भी निर्णय कर लेगा।

सुप्रीमकोर्ट ने जो बातें माँगी हैं वे इनके यहाँ से अभी तक नहीं भेजी गयी हैं तो वह कब तक भेज देंगे ताकि निर्णय जल्दी हो सके ?

श्री अम्मार रिजवी

जो फैसले की बात आपने कही वह सत्य नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही वह तो इस निर्णय से जुड़ी हुई है। जब निर्णय हो जायेगा तब यह किया जायेग।

श्री मोहन सिंह—

सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे आर्डर बताया गया है कि मेरे ख्याल से कोई वहाँ से स्टे नहीं मिला है, अगर है तो वह किन-किन बिन्दुओं पर है ?

श्री अम्मार रिजवी

मैंने यह नहीं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है। मैंने उच्च न्यायालय के स्टे आर्डर की बात कही थी।

रियासत हुसैन—

मिसाल है एक कि चित्त भी इनकी और पट भी इनकी। जिस न्यायालय से भी आपको ऐक्शन लेने से रोका गया हो, केवल उसी पोर्शन को आप पढ़ कर बता दें ? उसमें क्या लिखा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह जजमेंट इस समय मेरे पास नहीं है। अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिये अलग से प्रश्न माननीय सदस्य कर लें।

सचिवालय में कार्यरत शोध सहायक अराजपत्रित कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता दिये जाने की माँग

××2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री देवी प्रसाद तथा श्री हरदेव—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय में कार्यरत शोध सहायक अराजपत्रित कर्मचारियों को सचिवालय के अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों की तरह सचिवालय भत्ता नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी

सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक तथा उसके समक्ष पदों से उच्चतर वेतनमानों के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः जो शोध सहायक वेतनमान रु0 5[illegible]0-1100 से उच्चतर वेतनमानों में कार्यरत हैं, उन्हें भी विशेष भत्ता नहीं दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

एक प्रश्न इसी सदन में माननीय नौटियाल साहब ने पूछा था जिसका उत्तर 27-8-82 को दिया गया था जिसमें यह पूछा गया था कि इस तरह के भत्ते को दिये जाने का आधार क्या है ? इसके उत्तर में सदन में बताया गया था कि "इस प्रकार के विशेष

भत्ते की सुविधा सामान्यतः राजपत्रित अधिकारियों को नहीं दी जाती है। इसीलिये अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव, तथा उप सचिव को यह विशेष भत्ता नहीं दिया गया।" तो जो यह शोध सहायक अराजपत्रित हैं, इनको यह भत्ता न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह जो अराजपत्रित शोध सहायक हैं इनकी दो कैटेगरी है-एक तो 5[illegible]0-1100 रुपये के वेतन मान में हैं और दूसरे [illegible]2[illegible]-12[illegible] के वेतनमान में हैं। तो जो यह उच्च वेतनमान वाले हैं इनको नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इनकी सेलरी ज्यादा है, यह हायर स्केल में हैं। जो कम वाले स्केल में हैं उनको मिलता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

शासन की नीति यह थी कि जो राजपत्रित हैं उनको नहीं दिया जायेगा, इसको देखते हुये तथा यह देखते हुये कि इनके पद मुश्किल से करीब 40-50 के ही हैं, सरकार इन उच्च स्केल वाले शोध सहायकों को भी यह भत्ता देने पर विचार करेगी।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो विचार करने वाली बात कही है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन इस समय यह सरकार हर तरफ से खर्च कम करने पर लगी हुई है। चूँकि हमारी वित्तीय स्थिति इस समय ठीक नहीं है, इस समय इस पर विचार करने से पूरे प्रदेश के अन्य कर्मचारियों में भी यह बात पैदा होगी। इसलिए आगे चल कर जब हमारी वित्तीय स्थिति ठीक होगी, इस पर अवश्य सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री ओमकार सिंह, निवासी ग्राम मद्दू खेड़ा के विरुद्ध थाना अजगैन में दर्ज मुकदमों की संख्या तथा स्थिति

1—श्री छत्तर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में थाना अजगैन के अन्तर्गत ग्राम मद्दूखेड़ा निवासी ओमकार सिंह पुत्र मुन्शी सिंह के विरुद्ध वर्ष 1975 76 से 14 नवम्बर 1982 तक थाना अजगैन में डकैती, कत्ल, गिरोहबन्दी, राहजनी 25 आर्म्स एक्ट तथा हरिजन अत्याचार के कितने मुकदमे दर्ज किये गये, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी उन्नाव के न्यायालय में उक्त अपराधी के विरुद्ध गुण्डा एक्ट का कोई मामला विचाराधीन है, यदि हाँ, तो उस पर अब क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री ओमकार सिंह पुत्र श्री मुंशी सिंह निवासी ग्राम मद्दू खेड़ा, थाना अजगैन जिला उन्नाव के विरुद्ध वर्ष 1975-76 से 14 नवम्बर, 1982 तक थाना अजगैन में दर्ज मुकदमों की संख्या तथा स्थिति निम्नलिखित है :—

अपराध	मुकदमों की संख्या	मौजूदा स्थिति			
		चालान,	सजा,	रिहा,	विवेचनाधीन
1–डकैती	1	1	—	—	—
2–कत्ल	2	2	1	1	—
3–गिरोहबंदी	1	1	—	1	—
4–राहजनी	2	2	—	1	—
5–25 आर्म्स एक्ट	3	3	—	1	—
6–हरिजन अत्याचार	2	1	—	—	1

श्री ओमकार सिंह के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के एक मुकदमे में जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव के आदेश दिनांक 21-1-83 द्वारा उन्नाव की सीमा से 6 माह की अवधि के लिये निष्कासन के आदेश हुये थे। श्री ओमकार सिंह द्वारा इस आदेश के विरुद्ध आयुक्त लखनऊ मण्डल के न्यायालय में अपील की गई। आयुक्त, लखनऊ मण्डल के आदेश दिनांक 14-2-83 द्वारा अपील के निर्णय तक निष्कासन आदेश का कार्यान्वयन रोक दिया गया है।

2—श्री श्यामलाल वाजपेयी—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

कानपुर देहात जनपद की सिकन्दरा से बैजामऊ और बिल्हौर मार्ग को पक्का करने तथा नदियों पर पुल निर्माण कार्य

3 श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर देहात जनपद की सिकन्दरा से बैजामऊ और सिकन्दरा से बिल्हौर जाने वाली सड़कें कब तक मय पुल के पक्की बनकर तैयार हो जायेंगी ? और 2 अक्टूबर, 1982 को उक्त सड़कें कितनी दूर तक कितनी लम्बाई में पक्की हो चुकी थी, और उनमें किन-किन नदियों पर पुल बनाये जा चुके थे ?

श्री अम्मार रिजवी—

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सिकन्दरा से बैजामऊ मार्ग पक्की बनने के लिए स्वीकृत नहीं है।

सिकन्दरा से बिल्हौर जाने वाली सड़क का सिकन्दरा से झींझक मार्ग 23.4 कि0मी0 लम्बाई तक पक्का बन चुका है। झींझक से बिल्हौर मार्ग पान्डू नदी के पुल के पहुँच मार्ग को छोड़कर शेष लेपित है। इस मार्ग पर पड़ने वाली रिन्द एवं छुईया नदियों पर पुलों के निर्माण कार्य 2-10-1982 से पहले पूर्ण किये जा चुके हैं।

वर्तमान मन्त्रि परिषद के सदस्यों पर विभिन्न मदों पर व्यय

4—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या सरकार कृपया बतायगी कि वर्तमान मन्त्रि परिषद के सदस्यों पर जनवरी 82 से दिसम्बर 82 तक निर्धारित एक अतिरिक्त अन्य मदों में (दौरा, आवासीय, मरम्मत, साज-सज्जा टेलीफोन, आकस्मिक व्यय) कितना व्यय प्रत्येक पर हुआ है ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहाँपुर में अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये गये नये आर्म्स लाइसेन्स

5—श्री नाजिर अली—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में 1 अक्टूबर, 82 से आज तक कितने नये आर्म्स लाइसेंस जिले के लिए अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये गए हैं ? उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद शाहजहाँपुर में दिनांक 1-10-82 से प्रश्न पूँछने की तिथि अर्थात 10-12-82 तक सक्षम अधिकारियों द्वारा जिले के लिए 16 नये आर्म्स लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं। उक्त लाइसेन्सियों के नाम व पते बताना जनहित में न होगा।

जनपद गोरखपुर में बरगदवा थाने की पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

6—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में बरगदवा थाने की पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दिनांक 1 दिसम्बर, 1982 को जिला जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वालेन्द्र सिंह तथा डा0 नर्वदेश्वर त्रिपाठी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को कोई शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वालेन्द्र सिंह के शिकायती पत्र पर जांचोपरान्त थानाध्यक्ष, बरगदवा द्वारा सभा स्थल पर व्यवधान रोकने के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही न करने के फलस्वरूप उनकी चरित्र पंजिका में दुष्चरित्र लेख प्रदान करने हेतु, कारण बताओ नोटिस दी गयी है। डा0 नर्वदेश्वर त्रिपाठी के शिकायती पत्र में लगाये गये आरोप जाँचोपरांत सही नहीं पाये गये।

थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी में पुलिस द्वारा श्री कृष्णानन्द को जख्मी किये जाने की मैजिस्ट्रीरियल जाँच रिपोर्ट

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी में दिनांक 6-7-80 को पुलिस द्वारा एक व्यक्ति (श्री कृष्णानन्द) को बुरी तरह जख्मी किए जाने की मैजिस्ट्रीरियल जाँच की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हाँ, तो रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी तथा वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। मैजिस्टीरियल जाँच जारी है।

जनपद गोरखपुर में भिटौली कमता मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि तथा निर्माण

8—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में भिटौली कमता मार्ग के लिए कितना रुपया स्वीकृत हुआ था और अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? क्या यह सच है कि उक्त मार्ग अभी तक पूरा नहीं हुआ ? यदि हाँ तो यह कब तक पूरा हो जायगा और अब तक कार्य पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्ग के लिये वर्ष 1971-72 में रु0 5.25 लाख स्वीकृत किया गया था। मार्च 1982 तक रु0 5.38 लाख व्यय किया जा चुका है।

कार्य, आगणन एवं धन की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण किया जा चुका है।

पी0 एम0वी0 (पोलिटेकनिक) मथुरा के कार्यशाला प्रशिक्षक श्री राम जी लाल शर्मा व श्री मूल चन्द्र शर्मा तथा स्टोर लिपिक श्री सच्चिदानन्द श्रीवास्तव को पेन्शन, ग्रेटयुटी तथा भविष्य निधि योजना का भुगतान

9—श्री सरदार सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 एम0वी0 (पोलिटेक्निक मथुरा के कार्यशाला प्रशिक्षक श्री रामजी लाल शर्मा व श्री मूलचन्द्र शर्मा तथा स्टोर लिपिक श्री सच्चिदानन्द श्रीवास्तव संस्था से 30 जून, 80 को सेवा निवृत्ति हुये थे ? यदि हां तो इन तीनों को अभी तक पेन्शन, ग्रेच्युटी तथा उनके भविष्य निधि का निजी अंशदान का भुगतान न होने का कारण क्या है ? क्या सरकार इनका भुगतान शीघ्र करायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। पेंशन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि योजना सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 13-2-80 के प्रतिबन्धों का पालन समय से न करने के कारण उक्त भुगतान नहीं हो सका।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

टनकपुर जल विद्युत परियोजना हेतु अधिग्रहीत की गई तथा प्रभावित लोगों को पुनर्वास व्यवस्था

1 —श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि टनकपुर जनपद नैनीताल जल विद्युत परियोजना (प्रस्तावित होने वाले ग्राम समूहों के निवासियों के वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

टनकपुर जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विनियोग का निर्णय होना अभी शेष है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु आवश्यक कदम परियोजना के कार्यान्वयन के समय उठाये जायेंगे।

थानाध्यक्ष इनायत नगर फैजाबाद के विरूद्ध शिकायती पत्र

11—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री रूपचन्द्र थाना इंचार्ज इनायत नगर, फैजाबाद के विरूद्ध प्रश्नकर्ता का कोई गम्भीर शिकायती-पत्र प्रेषित जिला कारागार, फैजाबाद माह नवम्बर/दिसम्बर, 1982 में उप महा निरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो शिकायती-पत्र की मुख्य शिकायतें क्या थीं, जाँच रिपोर्ट क्या है और अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। शिकायती पत्र में मुख्यतः थानाध्यक्ष इनायतनगर श्री रूपचन्द्र के विरुद्ध कांग्रेसियों का साथ देने, असामाजिक एवं अपराधिक तत्वों को सरक्षण देने, क्षेत्र की अपराध स्थिति बिगड़ने तथा वहाँ हुये विभिन्न अपराधों में पुलिस द्वारा छानबीन न करने, प्रमुख अपराधी तत्वों को गिरफ्त में आने केबदा भी पुलिस द्वारा छोड़ देने तथा क्षेत्र में आतंक और भय का वातावरण व्याप्त होने आदि के आरोप लगाये गये थे। जाँच से ज्ञात हुआ है कि स्थानीय पुलिस द्वारा जहाँ कहीं भी अपराध का होना पाया गया है, नियमानुसार सदमा कार्यवाही की गई है। जाँच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये।

12—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 1-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 55 द्वारा उत्तरित]

पाली, जनपद हरदोई के पावर स्टेशन के निर्माण हेतु कार्यवाही

13—श्री राम औतार दीक्षित—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पाली जनपद, हरदोई में 33 के0वी0 का एक पावर स्टेशन लगवाए जाने का स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। लेकिन पाली में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की दिशा में अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्योंकि वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता

को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त विद्युत उपकेन्द्र को प्राथमिकता के कार्यों में अभी तक सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत सरकोनी-राजेपुर मार्ग का निर्माण कार्य

14—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत सरकोनी-राजेपुर मार्ग का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया और कब तक उसे पूर्ण कर लिया जायेगा ? क्या इस सड़क का निर्माण त्रिमुहाना घाट तक किया जायगा और त्रिमुहानी के समीप पड़ने वाले नाले पर पुल भी बनाया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत सरकोनी-राजेपुर मार्ग का निर्माण कार्य नवम्बर 1981 से आरम्भ किया गया। इस मार्ग का निर्माण कार्य जून 1984 तक पूर्ण होने की आशा है।

जी नहीं, कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज एवं जलालपुर में पशु सेवा केन्द्र

15—प्रभूनारायण सिंह—

क्या पशुधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज एवं जलालपुर में पशु सेवा केन्द्र (स्टाक मेन सेंटर) कहां-कहां है ? क्या सरकार जलालपुर ब्लाक के सुदूरवर्ती क्षेत्र जगापुर एवं मुफ्तापुर के राजपुर गांवों में भी उक्त केन्द्र खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पशुधन राज्य मन्त्री (श्री संजय सिंह)—

इस समय जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज में दो पशु सेवा केन्द्र पैसारा व देवकली तथा जलालपुर विकास खन्ड में दो पशु सेवा केन्द्र, सिरकोनी व चौरी में कार्यरत हैं।

विकास खन्ड जलालपुर के ग्राम जगापुर एवं विकास खन्ड मुफ्तीगंज के ग्राम राजेपुर में पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना की अभी कोई योजना नहीं है।

बस्ती नौगढ़ के फजिहतवा नाले पर बने लकड़ी के पुल पर अधिक भार वहन न करने हेतु व्यवस्था

16—श्रीमती कमला साहनी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद के नौगढ़ मार्ग पर फजिहतवा नाले पर बना लकड़ी का पुल 10 टन से अधिक भार वहन करने के योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार बैरियर लगाकर अधिक भार वाली गाड़ियों को रोककर जन-धन के हानि को रोकने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

जनधन की सुरक्षा की दृष्टि से काशन बोर्ड पहले से लगा दिये गये हैं तथा दिये गये हैं दोनों तरफ गति अवरोधक भी लगा दिये गये हैं। जैसा कि विभाग में सामान्य व्यवस्था है। जिसके कारण अभी वैरियर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया (लखनऊ) में गायों की मृत्यु

17— श्री शंकर सिंह —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सही है कि जनपद लखनऊ, गंजरिया डेरी फार्म में स्थित गत अगस्त महीने में एक दर्जन से भी अधिक उमदा नस्ल की गायों के मरने के क्या कारण थे ?

श्री संजय सिंह—

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया (लखनऊ) पर दिनांक 11 जून, 1982 को 12 गावों की मृत्यु के कारणों की जाँच की जा रही है।

जनपद सीतापुर के होमगार्ड के कम्पनी कमाण्डरों को मानदेय भत्ते का शीघ्र भुगतान

1 —श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री (नागरिक सुरक्षा) बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के होमगार्ड के कम्पनी कमाण्डरों (ग्रामीण) को विगत अप्रैल, 1982 से अब तक मानदेय भत्ते नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक दे दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। प्रशासनिक कारणों से ऐसा नहीं हो सका। यथा शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अनिर्णीत वाद

19 —राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (सम्पूर्ण उ० प्र०) में विचाराधीन ऐसे वादों की संख्या कितनी है जोकि 5 वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दिनांक 1-1-1983 को 25, 505 वाद पाँच वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं।

जनपद गोरखपुर स्थित बरगदवा थाना अन्तर्गत पुलिस सब इन्सपेक्टर श्री रामकरन राम की हत्या

20—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नवम्बर 82 में गोरखपुर जनपद स्थित बरगदवा थाना अन्तर्गत पुलिस सब इन्सपेक्टर रामकरन राम की हत्या कर दी गयी थी ? यदि हाँ, तो हत्या का कारण क्या था और राम करन के परिवार को क्या सहायता प्रदान की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामकरन राम पुलिस उप निरीक्षक को डकैती की सूचना मिली और वे एक सिपाही को लेकर ठूठीवारी निचलौल रोड पर चले। ग्राम भखलिया के सामने उन्होंने कस्टम निरीक्षकों को एक गाड़ी घेरे देखा। सिपाही को कस्टम वालों ने बताया कि वे कस्टम वाले हैं। कस्टम निरीक्षकों ने यह जानते हुये कि यह ठूठीवारी के दरोगा हैं, ललकारते हुये उनके ऊपर फायरिंग शुरु कर दी जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। थाना बरगदवा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 गोरखपुर विवेचना कर रही थी। इसी मध्य भारत सरकार से सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस पर अनुमति जारी कर दी गयी फिलहाल जनपद के कर्मचारियों ने 20,325/—को मृतक रामकरन राम के परिवार को सहायता दी है।

जनपद फैजाबाद में नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रैफिक कान्स्टेबिल की गिरफ्तारी

21—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जिले में पुलिस कर्मियों ने दो ट्रैफिक कांस्टेबिलों को नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तार किये जाने के कारण (दिनांक 26 व 27 नवम्बर 82) अनशन प्रारम्भ कर दिया था ? यदि हाँ, तो पुलिस कर्मियों की मांगें क्या थीं और पूरी घटना क्या थी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद फैजाबाद में नगर पुलिस अधीक्षक का कोई पद नहीं है, अतः उनके द्वारा ट्रैफिक कांस्टेबिल को गिरफ्तार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कौड़ी राम, खोरावर व पिपरौली में मार्गों का निर्माण

22—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड कौड़ी राम खोरावर व पिपरौली में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 81-82 व 82-83 में सार्वजनिक निर्माण विभाग गोरखपुर द्वारा एक कि0 मी0 की सड़क निर्माण की स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी न ही इसके पूर्व के स्वीकृत सड़क निर्माण पूरा कराया गया ? यदि हाँ तो उपरोक्त विकास खण्डों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला योजना का कार्य न कराने का कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, नहीं।

जिला सैक्टर योजना वर्ष 1981-82 में प्रारम्भ नहीं हुयी थी।

वर्ष 1982-83 में जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत कौड़ीराम गोला मार्ग का शेष भाग 2.00 किलोमीटर की लम्बाई में स्वीकृत किया गया है।

विकास खण्ड कौड़ीराम, खोरावर व पिपरौली में वर्ष 1982-83 तक स्वीकृत तथा

निर्माणाधीन मार्गों में से लगभग 16.57 किलो मीटर मार्गों का निर्माण विभिन्न स्तरों तक पूर्ण करा दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में कतिपय मार्गों का निर्माण

23—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद की हाटा देवरा, एकसड़वा से अड्डा बाजार पुरन्दरपुर टेढ़ीघाट व पैसिया (बाबू) से नईकोट, हरिहरपुर माल्हनापुर मार्ग का निर्माण अधूरा है? यदि हाँ, तो क्या कारण है और इसके निर्माण को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

हाटा-देवरा मार्ग:—

हाटा-देवरा मार्ग खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 3 कि0 मी0 लम्बाई में केवल मिट्टी स्तर पर निर्माण कार्य कराने के लिए स्वीकृत है। जिसके 2.70 कि0 मी0 में मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष भाग में भूमि कृषकों द्वारा स्वेच्छा से उपलब्ध करायी जानी है।

एकसड़वा से अड्डा बाजार मार्ग—

एकसड़वा से अड्डा बाजार मार्ग खाद्यान्न योजना 3 में 12 कि0 मी0 लम्बाई में स्वीकृत है। कि0 मी0 1 से 6 तक कार्य प्रगति पर है शेष लम्बाई में संरेखण का मामला विचाराधीन है।

पुरन्दरपुर-टेढ़ीघाट—

इस विभाग के अन्तर्गत इस नाम का कोई मार्ग नहीं है।

पैसिया बाबू नई कोट—

2 कि0 मी0 लम्बाई में स्वीकृति के अनुसार पूर्ण किया जा चुका है।

हरिहरपुर-माल्हनपार मार्ग—

मार्ग 5 कि0 मी0 लम्बाई में खाद्यान्न योजना-5 के अन्तर्गत सेलिंग स्तर तक स्वीकृत है। 4.85 कि0 मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष भाग में स्वेच्छा से भूमि न दिये जाने के कारण कार्य नहीं किया जा सका।

24—श्रीमती गौरी देवी—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

विधायक श्री जटा शंकर सिंह द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

25—श्री जटा शंकर सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का 29 दिसम्बर, 81 का पत्र जिसकी प्राप्ति गृह मन्त्री के पत्रांक एम 35 दिनांक 5-1-1982 द्वारा स्वीकार करते गए आवश्यक कार्यवाही हेतु गृह सचिव को भेजे जाने की सूचना दी थी? कि शिकायत पर अब तक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। प्रश्नगत शिकायती पत्र की जाँच जिलाधिकारी बहराइच के माध्यम से की गयी। शिकायतकर्ता के बाग के हरे पेड़ अवैध रुप से काटने का आरोप प्रमाणित होने पर तथा थाने में पूर्व से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा निरोधत्मक कार्यवाही की गई और धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम तथा 379 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।

यू0 पी0 आई0 एल0 एम्प्लाइज यूनियन, लखनऊ के श्रमिकों की मांगों के सम्बन्ध में पत्र

26—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14-10-82 जिसमें यू0 पी0 आई0 एल0 एम्लाइज यूनियन, लखनऊ के श्रमिकों की माँगों के सम्बन्ध में उल्लेख था उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में।

सम्बन्धित क्षेत्रीय श्रम कार्यालय द्वारा संराधन कार्यवाही की गयी। पक्षों के बीच दिनांक 5-1-1983 को समझौता हो गया है।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड, जहानागंज में चकरपानपुर से बड़हलगंज जाने वाली सड़क का निर्माण

27—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड, जहानागंज में चकरपानपुर से बड़हलगंज को जाने वाली सड़क पर अब तक कितना कार्य हो चुका है तथा जो कार्य शेष है वह कब तक पूर्ण हो जायगा ? उस सड़क पर कार्य के बिलम्ब का कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

चकरपानपुर से बड़हलगंज (लम्बाई 11 कि0मी0 में से 7.5 कि0 मी0 (चकरपानपुर से दौलताबाद) 5 कि0 मी0 तथा शेरपुर से बड़हलगंज 2.5 कि0मी0) खंडन्जास्तर तक स्वीकृत है जिसमें 4.6 कि0 मी0 कार्य पूर्ण हो चुका है।

शेष कार्य का पूर्ण किया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बिलम्ब का कारण आवश्यकतानुसार धन का उपलब्ध न होना है।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत मार्ग टाटीघाट बारा बाया रेवतीपुर का लागत व्यय तथा सम्पूर्ण व्यय धनराशि का भुगतान न होने के विरुद्ध कार्यवाही

28—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत

तहसील जमनिया के मार्ग टाटीघाट बारा वाया रेवतीपुर के बोर्ड नम्बर टी0पी0 डब्लू0 ए0 1/ए0 ई0जेड0 दिनांक 7-5-72 को किलो मोटर नम्बर 15 का ठेका हुआ था। यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग का कुल लागत व्यय कितना था ? अब तक सम्पूर्ण व्यय धनराशि का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? इसके कौन-कौन विभागीय कर्मचारी दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ।

मूल प्रस्तावित कार्य की लागत 98,466.74 रु0 थी। अब तक इस पर 1,91,237/—रुपये का भुगतान हो चुका है।

3 मीटर स्पेन वाली आर0 सी0 सी0 पुलिया के स्लैब में लगाये गये स्टील की मापी कराये बिना ठेकेदार द्वारा स्लैब डाल दिया गया था। जिसके कारण इस कार्य की अन्तिम मापी नहीं हो सकी तथा अन्तिम भुगतान नहीं किया जा सका।

इस सम्बन्ध में जाँच समिति गठित की गयी है जिसकी आख्या प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जाएगी ?

जालौन कुठौद रोड से ग्राम मड़ोरी जनपद जालौन को जाने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण

29—श्री दलगंजन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन कुठौद रोड से ग्राम मड़ोरी जनपद जालौन को जाने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया और अभी तक पूरा न होने के क्या कारण हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जालौन के ग्राम मिटारा से कन्जासा जाने वाली सड़क के निर्माण की मांग

30—श्री दलगंजन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विकास खण्ड, रामपुरा में ग्राम मिटारा से कन्जासा जाने वाली निर्माणाधीन सड़कों के कार्य को रोक देने के क्या कारण हैं ? कब तक इस सड़क का निर्माण पूरा हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बरेली के ग्राम लाभीखेड़ा, तहसील नवाबगंज के कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के मुआवजे का वितरण

31—श्री चेतराम गंगवार—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको तथा जिलाधिकारी बरेली को दिनांक 15-2-82 व दिनांक 7-3-82 और 15-4-82 को श्री मोहन लाल, बाबू राज व डारी लाल व पारवती और चमेली देवी स्त्री तोताराम निवासी ग्राम लाभीखेड़ा, तह-

मील नवाबगंज, जिला बरेली के प्रार्थना-पत्र उनकी संथल जादोपुर मार्ग में अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो मुआवजा अब तक न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी --

उपलब्ध सूचना के अनुसार जनपद बरेली के ग्राम लाभीखेड़ा तहसील नबाबगंज के निवासी गणों सर्वश्री मोहन लाल, बाबूराम, डोरीलाल व पर्वती देवी द्वारा मुआवजे के भुगतान के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 15-2-80, 7-3-82 तथा 15-4-82 जिलाधिकारी, बरेली एवं राजस्व मन्त्री जी को प्राप्त नहीं हुये हैं। जादोपुर मार्ग के निर्माण में ग्राम लाभीखेड़ा के कृषकों की स्थायी रुप से अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा दिनांक 19-8-81 से 1-3 82 के बीच वितरित किया जा चुका है।

हरदोई सीतापुर मुख्य मार्ग के इयां नामक स्थान से मिश्रिख तक पक्का मार्ग बनवाकर गोमती नदी के तटवर्ती क्षेत्रों का सीधा सम्पर्क लखनऊ से कराने की मांग

32—श्री रामलाल वर्मा --

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हरदोई-सीतापुर मुख्य मार्ग के इयां नामक स्थान से अकबरपुर जिगिनिया होतो हुयो मिश्रिख तक पक्का मार्ग बनवाकर गोमती नदी के तटवर्ती क्षेत्रों का सीधा सम्पर्क लखनऊ से करायेंगे। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत् मार्ग जिला सेक्टर योजना से सम्बन्धित है। अतः इसका निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति तथा जिला योजना के अन्तर्गत धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

33 श्री सरदार सिंह—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

34- श्री देवी प्रसाद तथा श्री हरदेव—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन द्वारा चलाया जा रही डेरिया तथा घाटा दूर करने के प्रयास

35—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन द्वारा प्रदेश में कितनी डेरी चलायी जा रही है उनमें कितनी घाटे में चल रही हैं ? शासन उक्त घाटे के सम्बन्ध में क्या कर रहा है ?

श्री संजय सिंह--

प्रादेशिक को आपरेटिव डेरी फेडरेशन द्वारा इस समय चार डेरियाँ चलाई जा रही हैं जो मेरठ, मुरादाबाद वाराणसी तथा फैजाबाद जनपद में स्थित है।

चारों डेरियाँ घाटे में चल रही हैं। दुग्ध उपार्जन बढ़ाकर तथा दुग्ध पदार्थों को

प्रक्रिया में होने वाली हानियों को दूर कर घाटे को लाभ में बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्राम नरईपुर से गड़ेरुआ तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण से सम्बन्धित नागरिकों का पत्र

36—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नरईपुर से गड़ेरुआ तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित गड़ेरुआ के नागरिकों का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 5-4-81 के साथ जिला विकास अधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ।

यह मार्ग जिला स्टीयरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया, जिसके फलस्वरुप इस पर कोई कार्य नहीं कराया जा सका।

ग्राम चक लाल चन्द, विकास खण्ड, हरैया, आजमगढ़ को सम्पर्क मार्ग द्वारा वर्जिया गंगापुर में जोड़ने से सम्बन्धित पत्र

37—श्री पचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चक लाल चन्द विकास खण्ड, हरैया, आजमगढ़ को सम्पर्क मार्ग द्वारा वर्जिया गंगापुर में जोड़ने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 13-4-82 जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

दिनांक 13-4-82 का नहीं बल्कि दिनांक 30-4-82 का पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत कार्य के लिए खण्ड विकास अधिकारी हरैया को जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा आवश्यक आदेश देते हुए 1[illegible],793.00 रुपये का अग्रिम भुगतान किया बरार जा चुका है।

प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन

38—श्री जयदीप सिंह—

ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1982 से लेकर अक्तूबर, 1982 तक प्रदेश में कुल कितना विद्युत उत्पादन हुआ और इसमें से क्रमशः कितनी-कितनी बिजली प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों को दी गयी ? प्रदेश में विद्युत की कमी के बावजूद अन्य प्रदेशों को विद्युत देने का क्या औचित्य है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माह अप्रैल, 198[illegible] से अक्तूबर, 1982 तक प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन 72[illegible]2 मिलियन यूनिट हुआ। इस अवधि में सिंगरौली व हिमांचल प्रदेश से 693 मिलियन यूनिट ऊर्जा प्राप्त हुई तथा इस अवधि में दूसरे प्रदेशों (देहली, राजस्थान, मध्यप्रदेश व बिहार) को 26[illegible] मिलियन यूनिट ऊर्जा निर्यात की गई इस प्रकार इस अवधि में प्रदेश ने कुल मिलाकर [illegible] मिलियन यूनिट ऊर्जा बाहरी श्रोतों से आयात की। आयात

की गई ऊर्जा का लगभग 38 प्रतिशत अन्य प्रदेशों को निर्यात किया गया । स्वीकृत शर्तों के अनुसार आयात की गई ऊर्जा का कुछ भाग अन्य प्रदेशों को देना पड़ता है इसके अतिरिक्त जब कभी वर्षा से मांग में भारी कमी आ जाती है तो खपत के अतिरिक्त जो बिजली उपलब्ध होती है उसे भी निर्यात कर दिया जाता है। सामन्यतः प्रदेश में कोई अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध नहीं है और न ही प्रदेश के अपने उत्पादन में से ऊर्जा निर्यात की जाती है।

भदोही अस्थायी खण्ड की कलिजरा-सुरियावा मार्ग पर व्यय की गयी धनराशि तथा निर्माण कार्य

39—श्री वृद्धि नारायण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के भदोही अस्थायी खण्ड की कलिजरा-सुरियावा मार्ग पर इस वर्ष कितना धन व्यय किया गया व सड़क का क्या कार्य हुआ और शेष कार्य कब तक हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1982-83 में कुल 2.80 लाख रुपये व्यय के लिए उपलब्ध हुए। सड़क पर कि0 मी0 5 से 7 तक तथा 19 से 24 तक इम्बैंकमेंट को चौड़ा करना तथा कि0मी0 16 से 19 एवं 21 से 22 में मध्य सतह के लिए पत्थर की रोड़ी जमा करने का कार्य किया गया।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री राजपाल सिंह गौतम, सहायक विद्युत निरीक्षक, श्री एस0 के0 शर्मा व श्री राजेन्द्र नारायण का स्थानान्तरण

40 राधेश्याम पटेल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1981 में श्री राजपाल सिंह गौतम, सहायक विद्युत निरीक्षक का स्थानांतरण रुड़की से झाँसी हुआ था और पुनः मेरठ स्थानांतरण किया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या श्री एस0 के0 शर्मा का मेरठ से तथा श्री राजेन्द्र नारायण सिंह का झांसी को स्थानांतरण 3 वर्ष के पूर्व ही किया गया ? यदि हाँ, तो ऐसे स्थानांतरण का औचित्य क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ ? श्री राजपाल सिंह गौतम सहायक विद्युत निरीक्षक द्वारा झाँसी में कार्य-भार ग्रहण करने से पूर्व ही, उनकी विशेष परिस्थितियों के कारण, उनका स्थानान्तरण झाँसी से मेरठ किया गया। श्री एस0 के शर्मा व श्री राजेन्द्र नारायण का स्थानान्तरण 3 वर्ष से पूर्व उनके विरुद्ध गम्भीर शिकायतों के कारण किया गया।

प्रदेश में दुग्ध विकास हेतु आपरेशन फ्लड 2 नामक कार्यक्रम की योजना

41—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में दुग्ध विकास के लिए कोई आपरेशन फ्लड सेकेण्ड (ओ0 एम0 म0II) नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है ? यदि हाँ, उक्त

कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि एलाट की गयी है तथा कार्यक्रम किन जनपदों में लागू हो रहा है ?

श्री संजय सिंह—

जी हाँ ।

आपरेशन फ्लड-2 की पूरी अवधि के लिये अनुमानतः 60 करोड़ रुपये की धनराशि के आवंटन की संभावना है जिसमें से एक करोड़ रुपये 1982-83 में प्राप्त हो चुका है ।

आपरेशन फ्लड 2 कार्यक्रम संलग्न सूची के 25 जनपदों में चलाया जायेगा । यह कार्यक्रम अभी प्रथम चरण में प्रदेश के 5 जनपदों, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ तथा कानपुर में प्रारम्भ किया गया है ।

(देखिए नत्थी 'क" पृष्ठ विषय सूची में देखे)

जनपद मैनपुरी के मत्स्य प्रक्षेत्रों, दुल्हापुर व चौराईपुर पर व्यय की गयी धनराशि, उक्त प्रक्षेत्र को अधिक लाभप्रद बनाने हेतु स्वीकृति धनराशि

42 श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद के मात्र दो फिशरीज फार्म ग्राम चौराईपुर तथा ग्राम दुल्हापुर पर शासन ने पृथक-पृथक अब तक कितनी धनराशि व्यय की है ? क्या यह सही है कि इन फार्मों से विभाग को अभी तक कोई आय नहीं हुई है ? यदि हाँ, तो क्या इन फार्मों को विकसित करके किसी लाभ की सम्भावनाएं हैं ? यदि नहीं, तो इन दोनों या इनमें से अधिक अनुपयोगी फार्म को समाप्त करने या उसे स्थानान्तरण करने पर क्या शासन विचार करेगी ?

श्री संजय सिंह—

जनपद मैनपुरी के मात्र दो मत्स्य प्रक्षेत्रों, दुल्हापुर व चौराईपुर पर अब तक क्रमशः रु0 21,335/- व रु0 19,300/- की धनराशि व्यय की गई है ।

यह सही नही है ।

चौराईपुर मत्स्य प्रक्षेत्र को अधिक लाभप्रद बनाने हेतु जनपद स्तरीय योजना के अन्तर्गत रु0 1,20 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ।

दुल्हापुर मत्स्य प्रक्षेत्र की अनुपयोगिता के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

मथुरा जनपद के अन्तर्गत बल्देव सादाबाद कस्बों के मध्य बिजली के तारों की चोरी

43 श्री सरदार सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20/21-9-82 की रात्रि को मथुरा जनपद के अन्तर्गत बल्देव सादाबाद कस्बों के मध्य बिजली के तारों एवं अन्य विद्युत उपकरणों की चोरी हुई थी ? यदि हाँ, तो चोरी गए कुल विद्युत सामान की कीमत क्या थी ? पुनः तार कब तक लगा दिए जावेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 20/21-9-1982 की रात्रि में बल्देव से बिसावर जाने वाली 33 के0 वी0 लाइन पर अर्वेनो और अरतौनी के मध्य में 4.5 कि0 मी0 "डाग" कन्डक्टर की चोरी

हुयी थी तथा चोरी गये 4.5 कि0 मी0 कन्डक्टर की कीमत लगभग रु0 36,000/-थी चोरी गये कन्डक्टर के स्थान पर पुनः कन्डक्टर लगाकर लाइन को दिनांक 27-9-1982 को चालू किया जा चुका है।

श्री शीतला प्रसाद मिश्र, निवासी ग्राम पीडी, जनपद इलाहाबाद के घर आगजनी की घटना की रिपोर्ट न दर्ज किए जाने से थानाध्यक्ष श्री जय करन सिंह, भदौरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र

44--श्री राम आसरे वर्मा -

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री शीतला प्रसाद मिश्र, निवासी ग्राम पीडी, थाना करछना, जनपद इलाहाबाद के घर में दिनांक 13/14-7-82 को हुई आगजनी की घटना की रिपोर्ट न दर्ज किए जाने के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष श्री जयकरन सिंह भदौरिया, थाना करछना, जनपद इलाहाबाद के विरुद्ध श्री भास्कर पाण्डेय विधायक का कोई शिकायती-पत्र माह दिसम्बर, 1982 में सचिव, सतर्कता विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हाँ।

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र में अंकित आरोपों की छानबीन कराई गई तथा प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया गया है।

जनपद सीतापुर के क्षेत्र लहरपुर में कच्ची सड़कों का निर्माण

45--श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के क्षेत्र लहरपुर में वर्ष 80-81, 81-82 में कितनी कच्ची सड़क बनी, कितने पर खड़ंजा लगा और कितने पर डामर हुआ तथा कितने पुल और पुलियों का निर्माण हुआ? क्या सरकार अगले वर्ष क्षेत्र लहरपुर की दुर्दशा पर ध्यान देगी और कुछ सड़कें जो पहले से प्रस्तावित है उन पर विचार करके पूरा करने का कार्य करेगी और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री—अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है!

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की विदेश यात्रा पर व्यय

×46 श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सा0 नि0 मन्त्री सन् 80 के माह जून से दिसम्बर 82 तक कितने बार विदेश यात्रा गये और उससे उत्तर प्रदेश के सा0 नि0 विभाग को क्या लाभ हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार का कितना खर्चा विदेश यात्रा पर आया?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश के सा0 नि0 मन्त्री जून, 1980 से दिसम्बर, 1982 के बीच चार बार विदेश यात्रा पर गये जिसमें से एक बार उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के इलाज के सम्बन्ध में विदेश यात्रा निजी तौर पर की। उपरोक्त विदेश यात्राओं से उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को लगभग 50 करोड़ रुपये का ठेका प्राप्त हुआ। उपरोक्त यात्राओं पर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई व्यय नहीं हुआ।

प्रदेश में सड़कों व पुलों का शिलान्यास तथा व्यय

47--श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 81 82 में कितनी सड़कों का और पुलों का शिलान्यास किया और उसमें किस सड़क का और किस पुल का कार्य प्रारम्भ हुआ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापर में जहाँगीराबाद पुल जनता के लिये किस समय से खोला गया? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जहाँगीराबाद पुल जो केवानी नदी पर बना हुआ है उसके उद्घाटन पर कितना खर्च आया और उस पुल का जब इस्तेमाल लगभग 6 माह पहले से प्रारम्भ हो गया था तो उद्घाटन करने का क्या औचित्य था?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहायक विद्युत निरीक्षक श्री राजेन्द्र मोहन माथुर व श्री ओम प्रकाश के दुबारा स्थानान्तरण का औचित्य

48--श्री राधेश्याम पटेल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक विद्युत निरीक्षक श्री राजेन्द्र मोहन माथुर व श्री ओम प्रकाश वर्मा का वर्ष 1981 में ही दो बार स्थानान्तरण करने के क्या कारण हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

सहायक विद्युत निरीक्षक श्री राजेन्द्र मोहन माथुर एवं श्री ओम प्रकाश वर्मा का वर्ष 1981 में दुबारा स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया था।

जनपद जौनपुर में दुग्ध उत्पादकों को दूध की गुणवत्ता के आधार पर मूल्य का भुगतान

49--श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के दुग्ध विक्रेताओं से डेयरी वाले मात्र दो रुपये पाँच पैसे लीटर दूध क्रय करते हैं, जब कि उसी दूध की बिक्री खुले बाजार में तीन रुपये या उससे अधिक मूल्य में होती है? क्या सरकार दुग्ध विक्रेताओं को उचित और अधिकतम मूल्य शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करेगी?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं।

जनपद जौनपुर में दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य का भुगतान दूध की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। जिसके अनुसार 6.5 प्रतिशत बसा तथा 8.6 प्रतिशत बसा

रहित पदार्थ पर दिसम्बर, 1982 से रुपये 2.70 की दर से दुग्ध मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। इसमें कम वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ के कम वाले दूध की दर कम, तथा अधिक वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ अधिक होने पर अधिक की दर से दुग्ध मूल्य का भुगतान किया जाता है।

जहाँ तक विक्रय मूल्य का संबंध है दूध के क्रय के पश्चात् दूध के एकत्रित करने, प्रासेस करने तथा उसकी क्वालिटी को बनाये रखने के लिये दुग्ध संघ द्वारा अतिरिक्त धनराशि व्यय की जाती है। इन सबको ध्यान में रखते हुये विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है, उदाहरणार्थ जौनपुर दुग्ध संघ का विक्रय मूल्य दिसम्बर, 1982 में 3.03 रुपये प्रति लीटर था।

उपरोक्त स्थिति के अनुसार जौनपुर में दुग्ध का क्रय एवं विक्रय मूल्य उचित है।

50—श्री प्रभूनारायण सिंह—

[11वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर के मार्गों पर अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय

51—श्री प्रभू नारायण सिंह

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने का कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में जनपद जौनपुर की सड़कों के रख-रखाव हेतु शासन से कितना धन स्वीकृत हुआ और उसमें से किन-किन सड़कों पर कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सत्य है कि उक्त धन का सही उपयोग नहीं किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1981-82 में जनपद जौनपुर में सड़कों के रख-रखाव हेतु प्रमुख अभियन्ता द्वारा रु0 79-43 लाख का अनुदान स्वीकृत हुआ है। व्यय संलग्न विवरण के अनुसार हुआ है।

जी नहीं।

(देखिए नत्थी "ख" में पृष्ठ विषय सूची में देखें)।

ग्राम बहुखड़िया, जनपद बहराइच की ग्राम समाज की भूमि का वन विभाग को नाजायज हस्तान्तरण के विरुद्ध कार्यवाही

52-श्री जटाशंकर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश गजट 22 अगस्त 1970 भाग 1 में प्रकाशित वन अधिनियम की धारा 20 के अधीन जनपद बहराइच, तहसील नानपारा, परगना धर्मापुर, ग्राम बहुखड़िया की केवल 1222.390 एकड़ अधिग्रहीत भूमि की एवज में वन विभाग ने 1243.050 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है और राजस्व अभिलेखों में भी तदनुरूप संशोधन कर 22.660 एकड़ ग्राम समाज भूमि का नाजायज हस्तान्तरण राजस्व विभाग ने वन विभाग को कर दिया ? यदि हाँ, तो क्यों ? इस गम्भीर जन सम्पत्ति की क्षति का दोषी कौन है ?

श्री संजय सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

53-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र —

[10वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

54-श्री शंकर सिंह —

[8वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत व्यक्तियों की निरुद्धि

55-श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में वर्ष 81 व 82 में कुल कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया था जिन व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध किया गया उनकी क्या गतिविधियाँ थीं और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरुद्ध करने का क्या औचित्य था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्ष 1981 में जनपद गोरखपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कुल 26 व्यक्ति निरुद्ध किये गये और वर्ष 1982 में कोई व्यक्ति निरुद्ध नहीं किया गया। जो व्यक्ति निरुद्ध किये गये उनकी गतिविधियाँ लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल पाई गई और उन्हें ऐसी रीति से कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से निरुद्ध करना आवश्यक था। अतएव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्तिगत समाधान हो जाने पर निरुद्ध के आदेश पारित किये गये थे।

जनपद गोरखपुर में रोहिन व राप्ती नदियों के बीच जल विद्युत गृह की स्थापना व सर्वेक्षण

56—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में रोहिन व राप्ती नदियों के बीच में 440 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत् गृह की स्थापना का प्रस्ताव वर्ष 1974 से ही विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो यह सच है कि वर्ष 1978 में इसका सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ हुआ था और पुनः वर्ष 1982 में इस योजना को पुनः सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या इस पर आगे कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के कतिपय मार्गों का निर्माण

57—श्रीमती गौरी देवी —

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद स्थित बाधा-गाड़ा-जरलही, महाबीर छपरा ककराखोर लिंक मार्ग, कौड़ीराम-गजपुर और डागोपार-मिर्जापुर मार्ग स्वीकृति के बाद उनके निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है और उपरोक्त मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जाएगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

चारों मार्गों पर धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

ककराखोर लिंक मार्ग : -ककराखोर लिंक मार्ग पर कृषकों द्वारा स्वेच्छा से भूमि न दिये जाने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका। यह मार्ग खाद्यान्न योजना नं0-5 में स्वीकृत है जिसमें भूमि कृषकों को स्वेच्छा से उपलब्ध कराना है।

डांगोपार-मिर्जापुर मार्ग : —डांगोपार-मिर्जापुर मार्ग की लम्बाई 6 कि0 मी0 खाद्यान्न योजना नं0-5 में सोलिंग स्तर तक स्वीकृत है। कि0मी0 5, 6, व 7 में बन्धा बना होने के कारण तथा कि0 मी0 9 में नाले की नीची जमीन होने के कारण कार्य सम्भव नहीं है।

निर्माण कार्य को पूरा कराना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद गोरखपुर में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये आयुध लाइसेन्स

58—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अक्टूबर-नवम्बर, 1982 में गोरखपुर जनपद में जिला अधिकारी ने कुल कितने व्यक्तियों को आयुध लाइसेन्स देने की स्वीकृति प्रदान किया है ? क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों को आयुध अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की गई है उनके पूर्व बहुत से व्यक्तियों ने आयुध अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र दिया है परन्तु उन्हें लाइसेन्स नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या कारण है और पुलिस द्वारा संस्तुति किस आधार पर कर दी है और लाइसेन्स न प्राप्त करने वालों की संख्या क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार माह अक्टूबर-नवम्बर, 1982 में गोरखपुर जनपद में जिलाधिकारी ने 28 व्यक्तियों को आयुध लाइसेन्स स्वीकृत किये।

यह सही है कि जिन व्यक्तियों को आयुध अनुज्ञापत्र उक्त अवधि में स्वीकृत किये गये उनमें से पूर्व के भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे किन्तु उन पर उक्त अवधि में निर्णय नहीं हो सके थे।

आयुध लाइसेन्सों के आवेदन पत्रों पर उपयुक्तता एवं आवश्यकता के सम्बन्ध में आयुध अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत संतुष्टि ली जाती है। विभिन्न श्रोतों से प्राप्त की गयी रिपोर्टें निश्चित तिथि क्रम में नहीं होती और न आवेदन पत्रों पर निश्चित तिथि क्रम में निर्णय लेना व्यवहारिक होता है। पुलिस द्वारा संस्तुति मामले के सुसंगत तथ्यों को ध्यान में लेकर दी जाती है। 315 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं।

59—श्री प्रियदर्शी जेतली —

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

एस0 ओ0 भोजपुर, जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा दुर्व्यवहार से सम्बन्धित शिकायती पत्र

60—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एस0 ओ0, भोजपुर जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध गंभीर भ्रष्टाचार तथा दुर्व्यवहार से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र

दिनांक 17-12-82 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। उक्त पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई जा रही है।

श्री जमालुद्दीन, जनपद मुरादाबाद के परिवार के व्यक्तियों को मुआवजे की धनराशि का भुगतान

61—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जमालुद्दीन जनपद मुरादाबाद के परिवार के 12 लोगों को जो मकान नं0 15/57/297 ग्राम रामतलैया में रहते थे को दंगे के दौरान दिनाँक 15 अगस्त, 1980 में जलाकर मार दिया गया है ? यदि हाँ, तो उनको कितना मुआवजा दिया गया है और आग लगाने से जो सम्पत्ति नष्ट हुई उसका कितना मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों।

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री जमालुद्दीन के परिवार के उन 12 व्यक्तियों को जिनके नाम श्री जमालुद्दीन के प्रार्थना-पत्र दिनांक 16-9-80 में उल्लिखित थे, को कुल 1,20,000 रु0 की धनराशि मुआवजे के रूप में दी गई है।

मकान की क्षतिपूर्ति का भुगतान घर में ताला पड़े होने तथा पुलिस एवं गुप्तचर विभाग की जाँच प्रचलित होने के कारण नहीं दिया जा सका है।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित समस्त अभ्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही

62—श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा विभाग में सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु किये गये सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी —

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित समस्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है. उसमें से 24 अभ्यर्थियों ने अब तक कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा शेष की तैनाती के बारे में प्रमुख अभियंता द्वारा यथावश्यक कार्यवाही की जा रही है। तैनाती के आदेश जारी करने के पूर्व कतिपय औपचारिकताओं की पूर्ति अपेक्षित है।

सहायक अभियन्ता (विद्युत।यांत्रिक) के पदों के विरुद्ध की गई तदर्थ पदोन्नतियाँ गृह सचिव को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

63—श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में वर्ष 1979-80 तक सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के 47 पदों के विरुद्ध 93 अवर

अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) को पदोन्नति दी गयी है ? यदि हाँ, तो क्यों ? इस अनियमित कार्य के लिये दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। वर्ष 1979-80 तक सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के 47 पदों के विपरीत 95 तदर्थ पदोन्नतियाँ नहीं की गई। जो तदर्थ पदोन्नतियाँ नहीं की गई थी उनके बारे में प्राप्त शिकायतों की छान-बीन की जा रही है।

64—श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ताओं में से किसी प्रश्नकर्त्ता का गृह सचिव को संबोधित पत्र दिनांक 4-12-1982 शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्न में संदर्भित पत्र गृह सचिव के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ जिसके बारे में छान-बीन की जा रही है।

बरेली जिले में निर्माण हेतु स्वीकृत मार्गों तथा उन पर पुलिया का निर्माण

65—श्री नन्द राम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बरेली जिले में वर्ष 81-82 में निर्माण हेतु स्वीकृत कंजाचकरपुर से रसूलपुर-बाहनपुर (2 कि0 मी0), चकरपुर से बरेली मार्ग से मिलना (5 कि0 मी0), रसूलपुर-बाहनपुर से ककराकलाँ (3 कि0 मी0) सड़कों तथा उन पर पुलिया कब तक पूरी होनी थी ? क्या उक्त कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

66—श्री मुन्शी लाल—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

पुलिस अधीक्षक (नगर) लखनऊ को थानाध्यक्ष, नाकाहिंडोला, लखनऊ के विरुद्ध दिया गया शिकायती पत्र

67—श्री राम औतार दीक्षित—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि पुलिस अधीक्षक (नगर) लखनऊ को दिसम्बर, 1982 के दूसरे सप्ताह में थानाध्यक्ष नाकाहिंडोला, लखनऊ के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र विधान सभा सदस्यों सर्वश्री राम आसरे वर्मा, मोहन सिंह, माता प्रसाद पाण्डेय, आदि द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के साथ प्राप्त हुआ है। यदि हाँ, तो शिकायतें क्या है तथा इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ।

श्री रूप नारायन पाठक का प्रार्थना पत्र दिनांक 6-12-82 उक्त छः विधायकों द्वारा अग्रसारित पुलिस अधीक्षक नगर, लखनऊ को दिनांक 16-12-82 को प्राप्त हुआ था जिसमें आरोपित था कि दिनांक 29-11-82 को जब श्री पाठक अपने कार्यालय में थे तो उनके मोहल्ले के निवासी श्री शम्भू दयाल व अन्य कुछ व्यक्तियों ने उनका मकान जबरदस्ती खाली करवा दिया। थानाध्यक्ष नाका से प्रार्थना करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रश्नगत मामले के संबंध में श्री रूप नारायन पाठक, जो मकान नं0 136/131, दुर्विजयगंज थाना नाका में किरायेदार के रूप में रहते थे, द्वारा दिनांक 29-11-82 को थाना नाका हिंडोला, लखनऊ पर लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर धारा 147/448/384 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग श्री शम्भू दयाल (मकान मालिक) व चार अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कायम किया गया। विवेचना से वादी द्वारा रिपोर्ट में अंकित कराये गये तथ्य प्रमाणित नहीं हुए। अतः अभियोग की विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई। विवेचना से ज्ञात हुआ कि वादी श्री पाठक एवं श्री शम्भू दयाल (मकान) मालिक के मध्य एक वाद न्यालालय में चल रहा था जिसमें श्री पाठक हार गये। अतः न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय के अमीन द्वारा उक्त मकान खाली कराया गया था।

जनपद मुजफ्फरनगर के गोधनपुर गाँव में नया थाना स्थापित करने का कथित विचार

×68 हुकम सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के गोधनपुर गाँव में नया थाना स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या क्षेत्र की कानून व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए इस दिशा में अविलम्ब निर्देश पारित किए जायेंगे?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद मुजफ्फरनगर के गोधनपुर गाँव में एक नया थाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

लोक सभा चुनाव में मतदान केन्द्रों पर अवैध कब्जा तथा बन्दी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

69—श्री उदयबीर सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में गत लोक सभा चुनाव में कितने मतदान केन्द्रों पर अवैध कब्जा किया गया? इस सम्बन्ध में कितने मुकदमे कायम किये गये और कितने व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया? और बन्दी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद शाहजहाँपुर में गत लोक सभा चुनाव में केवल एक मतदान केन्द्र भंडेरी पर अवैध कब्जा करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी की सूचना पर थाना सिधौली पर दिनांक 6 जनवरी, 1980 को करीब 3.30 बजे दिन 60-70 व्यक्ति नाम पता अज्ञात, सूरत शिनाख्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या—1 के अन्तर्गत धारा 147/ 353/ 392/ 394 भा0 द0 वि0 तथा 135 रिपेण्टेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट पंजीकृत किया गया, जो दिनांक 8 जनवरी, 1980 को धारा 395 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। उक्त अभियोग में 18 व्यक्ति प्रकाश में आए जिनमें से 6 को गिरफ्तार किया गया एवं 12 ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। सभी अभियुक्तों की कार्यवाही शिनाख्त करायी गयी किन्तु शिनाख्त न होने के कारण वे धारा 169 दं0 प्र0 सं0 में रिहा हो गये तथा अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जो न्यायालय जुडीशियल मजिस्ट्रेट, पुवायाँ द्वारा दिनांक 12 जून, 1981 को स्वीकृत की गयी। इन सभी 18 अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोल दी गयी है। इनमें से 4 व्यक्ति लाइसेन्सी हैं, जिनके लाइसेन्स के निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है।

जनपद शाहजहाँपुर से डामर की सड़कें व राष्ट्रीयकृत मार्ग

70—श्री उदयबीर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में कितने किलोमीटर सड़क डामर की है व कितना सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद शाहजहाँपुर में 532 कि0मी0 सड़कें डामर की हैं जिसमें 53.90 कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग है।

जनपद शाहजहाँपुर के जैतीपुर थाना के अन्तर्गत आयुध अनुज्ञापियों के विरुद्ध मुकदमे

71—श्री उदयबीर सिंह

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के थाना के जैतीपुर के अन्तर्गत कितने व्यक्ति आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सधारी हैं जिन पर विभिन्न अपराधों के अन्तर्गत मुकदमे चल चुके हैं ? क्या सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद शाहजहाँपुर के जैतीपुर थाना अन्तर्गत 15 आयुध अनुज्ञापियों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों में मुकदमे चल चुके हैं अथवा चल रहे हैं। उपरोक्त सभी अनुज्ञापियों के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की गई। इनमें से सात अनुज्ञापियों के अनुज्ञापन निलम्बन आदेश वापस ले लिये गये, एक का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया गया तथा एक की हत्या हो जाने के फलस्वरूप अनुज्ञापन निरस्त कर दिया गया। शेष छः के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद शाहजहाँपुर में कतान परौर मार्ग का निर्माण तथा सूखाग्रस्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग

72 - श्री उदयवीर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में कतान परौर मार्ग जो पिछले लगभग 10 वर्ष से निर्माणाधीन है कब तक पूरा हो जायेगा ? इस देरी का क्या कारण है ? क्या शासन इस देरी के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में वर्ष 1979-80 में सूखा.ग्रस्त योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कें स्वीकृत हुई थीं तथा अब तक कितनी पूर्ण हुई हैं तथा अपूर्ण रहने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ।

निर्माण कार्य हेतु एकत्रित सामग्री में कमी पाई गई थी जिसके कारण इस विषय में जाँच कराई जा रही है। जाँच के बाद ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा। इसी कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है। जाँचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी। जनपद शाहजहाँपुर में वर्ष 2979-80 में सूखाग्रस्त योजना के अन्तर्गत 72.50 कि0 मी0 लम्बाई के मार्ग स्वीकृत किये गये थे परन्तु मौके पर केवल 63.525 कि0मी0 पर ही कार्य होना है। इसमें से 51.225 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 5.00 कि0मी0 मार्ग का निर्माण भूमि उपलब्ध न होने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका है। शेष 7.20 कि0मी0 में कार्य प्रगति पर है।

73 — श्री उदयवीर सिंह—

[9वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहाँपुर में जलालाबाद-जारमनपुर मार्ग पर पैन्टून पुल एवं सड़क का निर्माण

74—उदयवीर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में जलालाबाद-जारमनपुर मार्ग पर पैन्टून पुल एवं सड़क पिछले वर्ष स्वीकृत हुई थी परन्तु इस महत्वपूर्ण मार्ग पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ ? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू कराया जायेगा और इस देरी का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र —

जी हाँ।

धन की अनुपलब्धता के कारण कार्य आरम्भ न किया जा सका। कार्य का शुरू कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

75—श्री रामलाल —

[दिनांक 17-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-77 द्वारा उत्तरित]

जनपद मथुरा में राया सादाबाद से पचावर मार्ग के निर्माण हेतु किसानों की ली गयी भूमि

76—श्री सरदार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में अस्थाई खण्ड सार्वजनिक निर्माण द्वारा निर्मित मार्ग राया-सादाबाद से पचावर मार्ग में किसानों की ली भूमि का अभी तक मुआवजा न देने का क्या कारण है ? शासन कब तक मुआवजा देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद मथुरा में राया-सादाबाद से पचावर मार्ग के निर्माण में किसानों की भूमि उनकी मौखिक सहमति से खाद्यान योजना नं0 4 के अन्तर्गत ली गई थी, जिसके अन्तर्गत भूमि के मुआवजे दिये जाने का कोई भी प्राविधान नहीं है।

फतेहपुर-विश्नोई मार्ग की स्वीकृत एवं निर्माण कार्य

77—श्री रामकृष्ण माहेश्वरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने अपने-अपने पत्र संख्या 3586/ई0/23-सार्वजनिक निर्माण अनु0 11, दिनांक 19-6-82 को प्रश्नकर्त्ता को सूचित किया था कि प्रश्नकर्त्ता के निर्वाचन क्षेत्र कांठ संख्या 24 में पिछले दो वर्षों में फतेहपुर-विश्नोई मार्ग 3.50 लम्बाई को स्वीकृत किया गया है ? यदि हाँ, तो इस मार्ग की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य किस स्थान से व कब प्रारम्भ किया गया था और इसकी क्या प्रगति है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड, लखनऊ द्वारा चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टर को जबरन तोड़कर अन्य को दिलाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

78—गोरे लाल शाक्य—

क्या पशुधन मन्त्री को जानकारी है कि अक्टूबर 1982 के प्रथम सप्ताह में चिकित्सक, राजकीय पशुचिकित्सालय हैवलक रोड, लखनऊ द्वारा एक चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टर को जबरन ताला तोड़ कर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को आवंटित करने सम्बन्धी श्री विजय सिंह राना, विधायक का कोई शिकायती पत्र निदेशक, पशुपालन को मिला है? यदि हाँ, तो अभी तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संजय सिंह—

जी हाँ। जांच कराने पर ज्ञात हुआ है कि हैवलक रोड, पशु चिकित्सालय के एक चतुर्थ श्रेणी जिसका देहावसान दिसम्बर, 81 में हो गया था, के परिवार के सदस्य पशुचिकित्सालय परिसर में मृतक को पूर्व आवंटित क्वार्टर में रहते थे। पशुचिकित्सक द्वारा बार-बार आग्रह करने पर भी जब उन्होंने उक्त क्वार्टर को खाली नहीं किया तब तीन राजपत्रित अधिकारियों के समक्ष उक्त क्वार्टर जिसमें मृतक के परिवार के सदस्यों ने अपना ताला डाल रक्खा था और स्वयं अन्यत्र चले गये थे, दिनांक 11-5-1982 को पशुचिकित्सक द्वारा खुलवाया गया और पशु चिकित्सक को रहने के लिये दे दिया गया क्योंकि पशुचिकित्सालय के किसी भी अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्म-

चारो को उक्त क्वार्टर की आवश्यकता नहीं थी तथा पशु औषधिक के पास केन्द्रीय भण्डार प्रभार होने के कारण पशु चिकित्सालय में उसका रहना आवश्यक है।

जनपद मथुरा के राया व वल्दे ब्लाक में ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण

79 श्री सरदार सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के राया व वल्दे ब्लाक में कौन-कौन सी ऐसी ग्राम सभा है, जिनमें 15 दिसम्बर, 1982 तक विद्युत नहीं पहुँची है ? क्या सरकार उन ग्राम सभाओं में शीघ्र ही विद्युतीकरण कराने की कृपा करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र --

मथुरा जनपद के राया व वल्दे ब्लाक में क्रमशः 23 तथा 37 ग्राम सभाय ऐसी हैं जिन्में दिनांक 15 दिसम्बर, 1982 तक विद्युत नहीं पहुँची थी किन्तु उक्त तिथि के उपरान्त इन दोनों ब्लाक में क्रमशः एक तथा बारह ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा शेष ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण वहाँ निवासियों द्वारा प्रार्थनापत्रों के प्राप्त होने पर कर दिया जाना संभव हो सकेगा ?

पिन्डीजार (देवरिया) मार्ग को जिला परिषद से सा0 नि0 वि0 में लेने के सन्दर्भ में पत्र

80—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाँक 8-9-82 जो पिन्डोजार (देवरिया) मार्ग को जिला परिषद से सा0 नि0 वि0 में लेने के सन्दर्भ में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

उपलब्ध अभिलेखों को देखने से यह पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षण हेतु पी0 टी0 सी0 मुरादाबाद गये डायरेक्ट पुलिस उपनिरीक्षक अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा पुनः कराने की मांग

81 श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्र 1982-83 के लिए प्रशिक्षण हेतु पी0 टी0 सी, मुरादाबाद गये डायरेक्ट पुलिस उपनिरीक्षक अभ्यर्थियों को मुरादाबाद में स्वास्थ्य परीक्षा किसी मेडिकल बोर्ड ने की थी ? यदि हाँ, तो उस परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों को अयोग्य पाया गया ? क्या शासन अयोग्य पाये गये अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षा पुनः कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ।

इस परीक्षा में कुल 89 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किये गये।

इनमें से उन अभ्यर्थियों का स्टेट मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु आदेश दे दिये गये हैं जिन्होंने पुनः मेडिकल कराये जाने का अनुरोध किया।

82—श्री राम आसरे वर्मा--

(8 वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या--13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

प्रभारी निरीक्षक, थाना उझानी, बदायूं के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती पत्र

83—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रभारी निरीक्षक, थाना उझानी, जिला बदायूं के विरुद्ध भ्रष्टाचर तथा अनियमितताओं के बारे में सर्वश्री होतराम वर्मा, दुलीराम मौर्य, राजेन्द्र पाल गुप्त, एडवोकेट निवासी उझानी, जिला बदायूं तथा लगभग 500 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित कोई शिकायती पत्र दिनाक 8-12-83 को अथवा उनके आस-पास किसी दिन उन्हें मिला ? यदि हाँ, तो मुख्य शिकायतें क्या है तथा उस पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। उक्त शिकायती-पत्र में मुख्य रुप से जनपद बदायूं के उझानी थानान्तर्गत मोहल्ला साहुकारा में दिनांक 27-11-82 को एक ही परिवार के पांच व्यक्तियों की, की गई हत्या, उझानी नगर में दिनांक 19-10-81 को भूरे कसाई के ढाई वर्षीय बच्चे की की गई हत्या, दिनांक 30-4-82 को आशा राम पंजाबी की गोली मारकर की गई हत्या तथा बस स्टैंड के निकट बरामद एक कटी लाश के मामले में, थाना उझानी की पुलिस की निष्क्रियता एवं कोतवाली निरीक्षक इंचार्ज श्री बाबू राम मिश्र की अक्षमता तथा भ्रष्टाचार के कारण अपराधियों के पता न लगने तथा उझानी के नागरिकों में असुरक्षा की भावना व्याप्त होने आदि के आरोप लगाये गये थे।

2--प्रश्नगत शिकायती-पत्र की पुलिस के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जाँच कराये जाने पर थाना उझानी की पुलिस एवं प्रभारी निरीक्षक श्री बाबू राम मिश्र के विरुद्ध निष्क्रियता एवं भ्रष्टाचार आदि के लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी।

84—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

(दिनांक 8-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 57 द्वारा उत्तरित)

ग्राम नगरियाखुर्द, जनपद शाहजहाँपुर के भूतपूर्व प्रधान और उनके परिवारों के विरुद्ध मुकदमे

85—श्री राम नारायण सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहाँपुर जिले के थाना जैतपुर के अंतर्गत ग्राम नगरियाखुर्द के भूतपूर्व प्रधान और उनके परिवार के विरुद्ध कितने मुकदमे भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत थाना मीरानपुर कटरा और थाना जैतीपुर से दिनांक 21-12-82 तक अदालत में विचाराधीन हैं।

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री लखपत सिंह पुत्र चेतराम यादव, निवासी ग्राम नगरिया खुर्द, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहाँपुर, भूतपूर्व प्रधान ग्राम नगरिया खुर्द व उनके परिवार के विरुद्ध दिनांक 21-12-82 तथा थाना जैतीपुर व थाना मीरानपुर

कटरा द्वारा भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत कोई भी रिपोर्ट अथवा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रदेश में ट्रेन डकैती की घटनाएँ

86—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सन् 1982 में कितनी ट्रेन डकैतियाँ हुई तथा इन्हें रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री श्रीपति—

वर्ष 1982 में जी0 आर0 पी0, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कुल 15 ट्रेन डकैती की घटनाएँ हुई।

इन घटनाओं की रोकथाम के लिये सरकार ने अनेक प्रभावात्मक कदम उठायें है जैसे कि रात्रि-कालीन गाड़ियों में सशस्त्र गारद की व्यवस्था और संदिग्ध व्यक्तियों के कार्यकलापों पर दृष्टि रखने हेतु सादे वस्त्र में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गयी है तथा अपराधियों की हिस्ट्रशीट खोलने आदि की कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमती अहमदी की गाड़ी के ब्रेकडाउन होने के फलस्वरूप हुई हानि की क्षति पूर्ति का समायोजन

87—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती अहमदी, निवासी 60/112, हुसैनगंज, लखनऊ की गाड़ी नम्बर यू0आर0ए0 9964 उत्तर प्रदेश सहकारी दुग्ध यूनियन, लखनऊ के अधीन देवां मार्ग पर दूध लाने का कार्य 24-5-81 से जून, 1981 तक कर रही थी ? यदि हाँ, तो उन्हें जून, 1981 का भुगतान तथा जमा जमानत की धनराशि रु0 2000 वापस नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में श्रीमती अहमदी ने दिनांक 4-6-81 से 31-12-82 तक कई प्रार्थना-पत्र उपार्जन अधिकारी, प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड, लखनऊ को दिए हैं ? यदि हाँ, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं।

श्रीमती अहमदी की गाड़ी देवां मार्ग पर 24-5-81 से 26-5-81 तक ही रही। उस दिन के बाद उनकी मोटर गाड़ी बिना किसी सूचना के कार्य पर नहीं उपस्थित हुई। दिनांक 26-5-81 को मोटर गाड़ी के ब्रेकडाऊन के फलस्वरूप हुई हानि की क्षति मु 1,643.05 की धनराशि का समायोजन श्रीमती अहमदी द्वारा जमा की गयी जमानत से कर लिया गया। अतःजमानत की धनराशि उन्हें वापस नहीं की गई।

यह सही कि श्रीमती अहमदी ने दिनांक 4-6-81 से 31-12-82 तक कई प्रार्थना-पत्र उपार्जन अधिकारी, लखनऊ दुग्ध संघ को दिये हैं। दिनाँक 26-5-81 को ब्रेकडाउन होने के फलस्वरूप हुई हानि की क्षति पूर्ति का समायोजन उनके बकाया भुगतान एवं जमानत से किये जाने की सूचना उनके प्रतिनिधियों को कराई जाती रही।

सचिवालय के हिन्दी तथा उर्दू अनुवादकों की प्रोन्नति

88—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि सचिवालय के हिन्दी तथा उर्दू अनुवादकों की प्रोन्नति सम्मिलित रूप से बनाई गयी पारस्परिक ज्येष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठता क्रम में नहीं की जाती है। यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि 1-10-75 से अनुवादक उर्दू को, वित्त विभाग की सहमति से सेलेक्शन ग्रेड दिए जाने हेतु सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश सचिवालय के भाषा विभाग के अनुवादकों की प्रोन्नति वरिष्टतानुसार भाषाधिकारी के पद पर की जाती है। भाषाधिकारी उर्दू के पद पर उर्दू अनुवादक एवं भाषाधिकारी हिन्दी के पद पर हिन्दी अनुवादक प्रोन्नति के लिए पात्र होते हैं। जहाँ तक सेलेक्शन ग्रेड का सम्बन्ध है, उर्दू अनुवादकों के लिए अलग से सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत नहीं है। सेलेक्शन ग्रेड के लिए अनुवादक (हिन्दी व उर्दू) के कुल पदों की संख्या के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से दिनाँक 1-10-75 से तीन अनुवादकों के लिए सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया गया है।

जलालपुर ब्लाक, जनपद फैजाबाद के ग्रामों की हरिजन आबादियों का विद्युतीकरण

89—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर में जलालपुर ब्लाक, जनपद फैजाबाद के किन-किन ग्रामों की हरिजन आबादियों में विद्युतीकरण हो गया है और किन-किन गाँवों में विद्युतीकरण की योजना है ? क्या अकबरपुर नगरपालिका स्थित हरिजन आबादी में अब तक स्ट्रीट बिजली की व्यवस्था नहीं हुयी है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अकबरपुर में जलालपुर ब्लाक, जनपद फैजाबाद के निम्न ग्रामों की हरिजन आबादियों में विद्युतीकरण हो गया है :—

1—जमालपुर (घसियारी टोला)
2—बरियावन
3—मजीसा
4—उसरहा
5—जैकाबाद
6—सेठाकला
7—पाखनपुर
8—बरसाइत
9—जैनापुर
10—मोहम्मदपुर
11—गौरा कमाल

12--कन्जूपुर

चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्त तक जलालपुर ब्लाक में निम्न हरिजन आबादियों का विद्युतीकरण किये जाने की योजना है :--

1--गौरा मोहम्मदपुर

2--करमयनी

अकबरपुर नगरपालिका स्थित हरिजन आबादी में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है।

90- श्री प्रियदर्शी जेतली--

[दिनांक 22-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-34 द्वारा उत्तरित]

मैनपुरी जनपद के ग्राम रमईहार निवासी श्री निरोत्तम सिंह द्वारा गलत सूचना के आधार पर लिये गये नलकूप कनेक्शन के विरुद्ध श्री योगेन्द्र नाथ चतुर्वेदी के पत्र पर जाँच तथा कृत कार्यवाही

91 श्री जगदीश सिंह यादव --

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मैनपुरी जनपद के ग्राम रमईहार में श्री योगेन्द्र नाथ चतुर्वेदी की निजी बोरिंग जो गाटा संख्या 135 में स्थित ग्राम रमईहार जो उनके भाई अवधेश चन्द्र आदि के नाम पर अंकित है श्री निरोत्तम पुत्र रामलाल, निवासी रमईहार को विद्युत कनेक्शन किस प्रकार दे दिया गया, जबकि निरोत्तम ने अपने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ अपने नामांकित गाटा संख्या 38, 95 तथा 146 की फर्द खतौनी लगाई थी और एस्टीमेट भी गाटा संख्या 95 का बनाया गया था ? इस अवैध कनेक्शन के विरुद्ध श्री योगेन्द्र नाथ चतुर्वेदी ने 10-9-81 को एक प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता देवा रोड, मैनपुरी को दिया था जिसकी जाँच उन्होंने जिलाधिकारी, मैनपुरी से कराई थी तथा जिलाधिकारी, मैनपुरी ने अपने पत्र संख्या 2122/बी0 अल्प सिंचाई दिनांक 3-4-82 के द्वारा श्री योगेन्द्र नाथ चतुर्वेदी की पुष्टि की थी परन्तु यह अवैध कनेक्शन अभी तक क्यों नहीं हटाया गया और अवैध रूप से कनेक्शन दिए जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मैनपुरी जनपद के ग्राम रमईहार के निवासी श्री निरोत्तम सिंह द्वारा नलकूप कनेक्शन हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के साथ लगाई फर्द खतौनी में गाटा संख्या 38, 95 तथा 146 दर्शाये गये थे तथा बोरिंग सर्टिफिकेट खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिया गया था। उक्त कनेक्शन हेतु इस्टीमेट बनाये जाने के लिये परिषद के कर्मचारी जब गये तो जहाँ भावी उपभोक्ता ने अपनी बोरिंग दिखायी वहीं का इस्टीमेट बनाया गया। यह इस्टीमेट गाटा संख्या 95 के लिये नहीं था। तदनुसार श्री निरोत्तम सिंह को नलकूप का कनेक्शन दिनांक 24-8-1981 को दे दिया गया। इस कनेक्शन के विरुद्ध श्री योगेन्द्र चतुर्वेदी से दिनांक 10-9-1981 को प्राप्त प्रार्थना पत्र पर जाँच जिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा कराई गयी तथा जिलाधिकारी ने पत्र संख्या 2122/विद्युत/अ0 सि0 दिनांक 3-4-1982 द्वारा सूचित किया कि उक्त सम्बन्ध में मौके पर सहायक अभियन्ता

(अ0 सि) मैनपरी से जाँच कराई गयी जिसके आधार पर खेत संख्या 135 जो श्री योगेन्द्र नाथ चतुर्वेदी के भाई का है, में बोरिंग व कोठरी मौजूद है। इस पर श्री निरोत्तम सिंह ने राज्य विदयुत परिषद को गलत सूचना देकर कनेक्शन ले लिया है। परन्तु उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न सहायक अभियन्ता (अ0 सि0) मैनपरी की जाँच रिपोर्ट में सूचित किया गया था कि मौके पर बोरिंग तथा कोठरी खेत नं0 135, 137 के कोने पर निर्मित है जिस पर परिषद द्वारा कनेक्शन दिया गया है। जांच रिपोर्ट में विरोधाभास होने पर परिषद के अधिकारी द्वारा जाँच कराये जाने पर यह निष्कर्ष निकला कि उक्त नलकूप गाटा संख्या 137 में है जो श्री राम चरन का है जिसकी पुष्टि गाँव के लेखपाल ने भी की है। गलत सूचना के आधार पर कनेक्शन लेने के कारण उक्त कनेक्शन को स्थायी रूप से काटे जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। उक्त कनेक्शन को देने के लिये मूलतः परिषद के किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

अतरहर-खीरी रायबरेली की सड़क पर व्यय की गई धनराशि

92—श्री के0 शुक्ल

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अतरहर-खीरी रायबरेली की सड़क पर कितना धन व्यय किया गया है ? बनने में अभी कितना समय लगेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामदेव बसफोर तथा मिट्ठू पाण्डेय, बाजार पुरानी बस्ती द्वारा तत्कालीन थानेदार के विरुद्ध शिकायती पत्र

93 श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ —

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 17-9-82 को श्री राम देव बसफोर तथा मिट्ठू पाण्डेय, बाजार पुरानी बस्ती ने तत्कालीन थानेदार (रामनाथ उपाध्याय) के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र एस0 पी0 बस्ती को रजिस्ट्री द्वारा दिया है ? यदि हाँ, तो थानेदार के विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं और कौन अधिकारी जाँच कर रहा है ? जांच से अब तक कितने आरोप सिद्ध हुए और कितनों की जांच अब भी चल रही है ? क्या उक्त थानेदार की जांच अब भी चल रही है ? क्या सरकार उक्त थानेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने की सोच रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता, सहायत अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं के स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

94—श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ —

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में शासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कितने पद अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के स्वीकृत हैं तथा वर्तमान कार्यभार

के अनुसार कितने अभियन्ताओं के विभिन्न वर्गों की तत्काल आवश्यकता है ? उसमें से उक्त पदों में से कितने स्थान भरे जा चुके हैं और कितने स्थान रिक्त हैं ? जो उक्त पद रिक्त हैं उसे क्या सरकार भरने जा रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं के पद स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है :—

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
अधिशासी अभियन्ता	342	327	15
सहायक अभियन्ता	1546	1130	419
अवर अभियन्ता	6284	4502	1782

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त न होने के कारण रिक्त पद नहीं भरे गये हैं।

आजमगढ़-अमिला मार्ग पर ग्राम तिवारी पट्टी के किसानों की सड़क निर्माण पर अधिग्रहीत की गयी भूमि एवं प्रतिकर का भुगतान

95—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में आजमगढ़-अमिला मार्ग पर स्थित ग्राम तिवारी पट्टी के किसानों को सड़क निर्माण में उनकी ली गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि पुराने नम्बर 252 तथा 352 के प्रतिकर का भुगतान उनके मालिकों को नहीं किया गया है ? इसके क्या कारण हैं तथा यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ के पास नव निर्मित के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण

96—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ नगर के पास नव निर्मित 220 के0 वी0 विद्युत उप केन्द्र का निर्माण कार्य मार्च, 1982 में पूरा दिखा दिया गया था और उसे कार्यरत बताया गया ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि इस विद्युत उप केन्द्र पर अगस्त, 1982 तक लोड नहीं दिया गया था ? इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मेसर्स नागरथ पेन्ट्स प्रा0 लि0 फजलगंज, कानपुर के सेवायोजकों एवं उनके श्रमिकों के मध्य वेतन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद

97—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि मेसर्स नागरथ पेन्ट्स प्रा0 लि0, फजलगंज, कानपुर तथा उनके श्रमिकों के मध्य उत्पन्न वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी विवाद वर्ष 1981-82 में उत्पन्न हुआ था तथा दोनों पक्षों ने अतिरिक्त श्रमायुक्त श्री आर0 के0 राय का पंच निर्णय माना था। उक्त सम्बन्ध में प्रकाशन के लिए श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 30-10-82 को उप सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेख शासन श्रम अनुभाग-1 के लिए भेजा गया है ? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि शासन द्वारा अभी तक प्रकाशन के निर्देश नहीं दिए गये ?

श्री सुनील शास्त्री—

सर्वश्री नागरथ पेन्ट्स प्रा0 लि0, फजलगंज, कानपुर के सेवायोजकों एवं उनके श्रमिकों के मध्य वेतन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद में श्री आर0 के0 राय, तत्कालीन उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर क्षेत्र, कानपुर को मध्यस्थता में दिनांक 8-9-82 को एक मध्यस्थता करार सम्पन्न हुआ था, जो श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर द्वारा शासन को दिनांक 23-10-82 को उसे प्रकाशित किये जाने की संस्तुति के साथ भेजा गया था। प्रश्नगत मध्यस्थता करार उत्तर प्रदेश सरकारी गजट के दिनांक 19-2-83 के अंक में प्रकाशित हो चुका है।

अकबरपुर स्थित डिवीजन कार्यालय में लिपिकों की नियुक्तियाँ

98—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या ऊर्जा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित अकबरपुर स्थित डिवीजन कार्यालय में वर्ष 1981-82 में लिपिकों की नियुक्तियां की गया हैं। यदि हाँ, तो कितनी नियुक्तियाँ की गयी हैं तथा उसमें कौन सी प्रक्रियाँ अपनाई गयी ? इसमें अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति लिए गये ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। शेष भाग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद में फायर ब्रिग्रेड स्टेशन बनाने की कथित स्वीकृति

99—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद में फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाने की स्वीकृति शासन द्वारा हुई है ? यदि हाँ, तो कब उसकी स्थापना होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। इसका औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद खीरी के दक्षिण खीरी वन प्रभाग के किशनपुर रेन्ज के अन्तर्गत थाना भीरा और मैलानी में लीज पर दी गयी भूमि ट्रैक्टर और ट्राली आदि कृषि यंत्रों को वन मार्गों से ले जाने की अनुमति

100—श्री छेदा लाल चौधरी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक जनपद खीरी के दक्षिण वन प्रभाग के किशनपुर रेन्ज के अन्तर्गत थाना भीरा और मैलानी में कितने लीज होल्डर तांगिया प्रणाली को भूमि पर तथा अन्य भूमि पर हैं ? उनके नाम क्या हैं और उनके नाम कितनी-कितनी भूमि वन विभाग द्वारा लीज पर उठाई गयी है ? वह कितने समय के लिए हैं और कितनी धनराशि उनसे ली गयी है ?

श्री संजय सिंह—

दिनांक 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक जनपद खीरी के दक्षिण खीरी वन प्रभाग के किशनपुर रेन्ज के अन्तर्गत थाना भीरा और मैलानी में कोई भी लीज होल्डर टांगिया प्रणाली पर कहीं है परन्तु अन्य प्रणाली पर एक प्लाट श्री शेर सिंह को तथा 2 प्लाट श्री नरेन्द्र शुक्ला को लीज पर दिये गये हैं। श्री शेर सिंह को पूर्वी किशनपुर में 7 हे0 रु0 490/- पर तथा श्री नरेन्द्र शुक्ला को उत्तरी भीरा में 13 हे0 रु0 585/- पर और 7 है0 भूमि रु0 315/- पर लीज पर दी गई है। इन तीनों पट्टों की अवधि 14-9-81 से 31-5-84 तक है तथा उनसे उक्त धनराशि का वसूल कर ली गयी है।

101—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त कथित लीज होल्डर्स को लीज की वन भूमि पर काम करने के लिए वन मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्राली आदि कृषि यन्त्रों को आने-जाने की इजाजत दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

उपरोक्त सभी लीज होल्डर्स को ट्रैक्टर ट्राली आदि कृषि यंत्रों को द्वितीय श्रेणी वन मार्गों से ले आने वाले जाने की अनुमति है। यह तीनों भूखन्ड किशनपुर रेन्ज की बाहरी सीमा पर स्थित है। अतएव इन पर खेती करने के लिए वन के भीतर के मार्गों को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और न ही पट्टेदारों द्वारा भीतरी मार्गों के प्रयोग की मांग की गयी है।

सिविल पुलिस उत्तर प्रदेश के निरीक्षकों के स्थानान्तरण

102—श्री सुल्तान सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, 1982 से अब तक सिविल पुलिस उत्तर प्रदेश के निरीक्षकों के कितने स्थानान्तरण हुए और उनमें से कितनों का अनुपालन शासन द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार माह जून, 1982 से अब तक 111 नागरिक पुलिस के निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया। इनमें से 21 निरीक्षकों के स्थानान्तरण आदेश स्थगित हैं और 9 निरीक्षकों के आदेश निरस्त कर दिये गये हैं। 1 निरीक्षक सेवा-निवृत्त हो गया है। शेष निरीक्षकों को स्थानान्तरण स्थल पर प्रस्थान करने हेतु कार्यमुक्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं। स्थानान्तरणो का अनुपालन शासन स्तर पर किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

थानाध्यक्ष तालकटोरा व उनके सहयोगी पुलिस जनों के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

103—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ के थाना तालकटोरा के इन्चार्ज व इनके सहयोगी पुलिस जनों के विरुद्ध माह जून, 1982 से जुलाई 12, 1982 तक कितनी शिकायतें शासन व स्थानीय अधिकारियों को मिली हैं ? क्या इसमें श्री रामदयाल हरिजन सी-196 आवास विकास कालोनी ताल कटोरा, लखनऊ से सम्बन्धित कोई शिकायत है जिसमें उनको गलत ढंग से दफा 25 आर्म्स ऐक्ट में दिनांक 8-6-82 में बन्द करके प्रताड़ित करने की बात कही गयी है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार थानाध्यक्ष तालकटोरा व उनके सहयोगी पुलिस जनों के विरुद्ध प्रश्नगत अवधि में 6 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये। इनमें श्री राम दयाल द्वारा दिया गया तार तथा प्रार्थना पत्र भी सम्मिलित है।

पुलिस को सूचना मिलने पर श्री राम दयाल के घर की गवाहों के समक्ष तलाशी ली गई थी और एक बन्दूक, 2 भरे 10 खोखा कारतूस अवैध बरामद हुये थे। श्री राम दयाल के विरुद्ध धारा 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग की विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। श्री राम दयाल द्वारा पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप जांच से सही नहीं पाये गये।

गढ़वाल मण्डल से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों द्वारा पालेकर एवार्ड लागू किया जाना

104—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या श्रम मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में प्रकाशित होने वाले किन-किन दैनिक समाचार पत्रों ने अपने यहाँ पालेकर एवार्ड लागू कर दिया है ? जिन समाचार-पत्रों ने अभी तक यह एवार्ड लागू नहीं किया है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री—

गढ़वाल मण्डल से प्रकाशित होने वाले तीन दैनिक समाचार पत्रों में से (1) दैनिक हिमान्चल टाइम्स तथा दून दर्पण ने अपने यहाँ पालेकर एवार्ड लागू कर दिया है तथा दैनिक राष्ट्रीयता पालेकर एवार्ड की संस्तुतियों से आवर्त होना है या नहीं इस प्रश्न पर श्रम विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्रों के पुस्तकालयाध्यक्षों को स्वीकृत वेतनमान

105—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालय के सेवायोजन सूचना एवं मन्त्रणा केन्द्रों के पुस्तकालय एवं सूचना कक्ष का उपयोग सम्बन्धित विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राएं/शोध छात्र आदि करते हैं ? यदि हाँ, तो क्या उनमें स्थापित

पुस्तकालय उत्तर प्रदेश वित्तीय वेतन आयोग द्वारा वर्गीकृत पुस्तकालयों की कोटि चार की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं ? यदि हाँ, तो क्या उनमें नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष जो वेतन आयोग द्वारा निर्धारित कोटि चार की अर्हताएं पूरी करते हैं को 515-860 एवं अन्य को 470-735 वेतनमान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित किए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हाँ।

सेवायोजन सूचना एवं मन्त्रणा केन्द्रों के पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार रु0 4[illegible]0-615 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इनके वेतन विसंगति तथा वर्गीकरण के अनुरूप वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

106—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

विद्युत प्रदेय उपक्रम लखनऊ में तैनात अवर अभियन्ता

107—श्री सुल्तान सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् प्रदेय उपक्रम लखनऊ के अन्तर्गत विद्युत् निर्माण खण्ड में कुछ अवर अभियन्ता पांच साल से अधिक समय से तैनात हैं ? उनका तीन बार स्थानान्तरण होने पर भी बार-बार क्यों रोका गया है जबकि अन्य अवर अभियन्ता तीन साल से अधिक समय तक नहीं रुक पाये ? यदि हाँ तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

विद्युत प्रदेय उपक्रम लखनऊ में इस समय केवल 5 अवर अभियन्ता ऐसे हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं। उक्त अवर अभियन्ताओं में से केवल एक अवर अभियन्ता का तीन बार से अधिक स्थानान्तरण हुआ था किन्तु प्रशासनिक/विशेष परिस्थितियों के कारण उनका स्थानान्तरण रोका गया। जहाँ तक अन्य अवर अभियन्ताओं का तीन साल से अधिक समय तक न रुक पाने का प्रश्न है, राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतया परिषद् की विद्यमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप किया जाता है, किन्तु परिषद् के कार्य हित में उनमें परिवर्तन भी किया जाता है।

देवरिया जनपद के विभिन्न थानों में हत्या की घटनाएं तथा उप निरीक्षकों पर घूस लेने का आरोप

108—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में विभिन्न थानों में दिनांक 1-1-82 से 5-12-[illegible]2 के बीच कितनी कत्ल की घटनाएँ हुयीं ? उनमें कौन सी कार्यवाही की गयी ? कितने में चार्जशीट तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई गया ? फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में जनपद देवरिया के विभिन्न थानों में

हत्या से सम्बन्धित सत्तावन मामले दर्ज कराये गये जिनका विवरण निम्नवत है :—

(क) प्रश्नगत अवधि में पंजीकृत कुल अपराधों की संख्या	57
(ख) संख्या, जिनमें चार्जशीट भेजी गई	51
(ग) संख्या, जिसमें अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई	03
(घ) विवेचनाधीन	03
कुल	57

दो अपराधों में शव की शिनाक्त न हो पाने तथा साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई। एक अपराध में अभियुक्तों की नामजदगी गलत पाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

109—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में दिनांक 1-1-82 से 15-12-82 तक कौन-कौन सब इंसपेक्टर घूस लेते हुए पकड़े गए, उनके नाम क्या हैं? इनके ऊपर आरोप क्या हैं?

श्री श्रीपति मिश्र —

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में देवरिया जनपद के दो पुलिस उप-निरीक्षक—सर्वश्री विश्वनाथ सिंह, थाना कोतवाली देवरिया व लक्ष्मी नारायण पाण्डे, थाना—भाटपार रानी—घूस लेते हुये पकड़े गये। उपर्युक्त उपनिरीक्षकों के ऊपर क्रमशः रुपये 300/- तथा रु0 50 रिस्वत लेने का आरोप था।

देवरिया जनपद के सब इंसपेक्टरों के विरुद्ध आरोपों की जांच

110—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के किन-किन सब इंसपेक्टरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिष्ठान (एन्टी करप्शन) गोरखपुर से जांच की जा रही है? तथा उनके विरुद्ध आरोप क्या हैं? जांच की प्रगति क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद देवरिया के केवल एक सब इन्सपेक्टर श्री हीरा सिंह थानाध्यक्ष, भटनी के विरुद्ध प्राप्त आरोपों की जाँच भ्रष्टाचार निवारण संगठन की गोरखपुर इकाई द्वारा की जा रही है। उनके विरुद्ध रिश्वत लेने, अपराध छिपाने तथा लोगों को मारने-पीटने एवं अपमानित करने आदि के आरोप लगाये गये हैं। जाँच पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद देवरिया के विभिन्न थानों में दर्ज की गयी डकैती की घटनाएं

111—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के विभिन्न थानों में 1-1-82 से दिनांक 15-12-82 के बीच कितनी डकैतियाँ पड़ीं? उनमें कौन सी कार्यवाही की गयी? कितने में चार्जशीट लगाई गयी, कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई गयी? फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र —

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद देवरिया के विभिन्न थानों के अन्तर्गत प्रश्नगत

अवधि में डकैती के पचीस अपराध दर्ज हुये हैं। सभी की विवेचना की गई। विवेचनोपरान्त उन्नीस अपराधों में चार्जशीट तथा एक अपराध में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। शेष पाँच अपराधों की विवेचना जारी है। अन्तिम रिपोर्ट साक्ष्य के अभाव में प्रेषित की गई।

श्रीमती विनेश वर्मा चौरटिया, लखनऊ के नवजात शिशु को क्वीन मेरी चिकित्सालय से चुरा लेने के सम्बन्ध में दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

112—श्री रामलाल वर्मा—

क्या मुख्यमन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक6-12-82को श्रीमती विनेश वर्मा, पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, चौरटिया, लखनऊ का नवजात शिशु क्वीन मेरी चिकित्सालय से उस समय एक बाहरी महिला द्वारा चुरा लिया गया जबकि श्रीमती वर्मा चलने-फिरने में असमर्थ थीं और पुलिस द्वारा पकड़ी गयी एक संदिग्ध महिला से भी कोई ठीक तरह से पूछताछ नहीं की गयी तथा उसे छोड़ दिया गया ? यदि हाँ, तो 6-12-82 को पुलिस द्वारा किस महिला को अस्पताल (क्वीन मेरी) से पकड़ा गया और उसका अस्पताल में बिना भर्ती के रोगियों के बिस्तर पर कई दिन से रहने का क्या कारण था ? वह कहाँ से व किस मंशा से आई थी ? क्या शासन इस प्रकरण को सी0 आई0 डी0 जांच कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा की सूचना के आधार पर दिनांक 6-12-82 को 15-05 बजे थाना चौक लखनऊ पर धारा 363/366 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया।

दिनांक 6-12-82 की रात्रि में ही क्वीन मेरी चिकित्सालय के कर्मचारियों द्वारा श्रीमती अनवरी बेगम नामक महिला पकड़ी गई। उक्त महिला से पुलिस द्वारा विस्तृत पूछतांछ की गयी तथा उसकी शिनाख्त करवाई गयी। लेकिन उक्त महिला को बच्चे खोने की घटना से सम्बन्धित नहीं बताया गया। पूछताँछ से यह ज्ञात हुआ कि उक्त महिला अपने मोहल्ले की एक स्त्री को देखने आई थी, जो उक्त चिकित्सालय में भर्ती थी। इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई कि उक्त महिला कई दिनों से चिकित्सालय में रोगियों के बिस्तर पर रही। कथित महिला के विरुद्ध कोई साक्ष्य न होने के कारण पुलिस द्वारा पूछताँछ के बाद उसे छोड़ दिया गया।

उक्त पंजीकृत अपराध की विवेचना के दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताँछ की गयी। दिनांक 1-1-83 को इस आशय की सूचना मिली कि मोहल्ला बिलोचपुरा निवासिनी श्रीमती साबिरा बेगम नामक महिला एक लावारिस बच्चा पाल रही है। बच्चा एक माह पूर्व एक मज़ार से प्राप्त होना बताया गया। बच्चे को श्रीमती दिनेश कुमारी वर्मा तथा उनके परिवार के सदस्यों ने पहचाना और अपना बच्चा होना बताया। अतएव बच्चा श्रीमती वर्मा की सुपुर्दगी में दिया गया। इसी बीच बिलोचपुरा निवासिनी श्रीमती .इशरारजहाँ, विधवा महिला ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस आशय का वाद दाखिल किया कि वास्तव में बरामद बच्चा

उनका अवैध रूप से पैदा बच्चा है, जिसे वह मज़ार पर रख आयी थी। मामला न्यायालय के विचाराधीन है। अतएव मामले की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

श्रीमती कमलेश पत्नी श्री रामफल, ग्राम बाबली, थाना बड़ौत, जनपद मेरठ की हत्या की दर्ज रिपोर्ट की जाँच

113—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-10-82 की रात में दहेज के मामले को लेकर श्रीमती कमलेश पत्नी श्री रामफल पुत्र फेरु, ग्राम बाबली, थाना बड़ौत, जनपद मेरठ की हत्या की गयी थी, जिसकी श्री मेघराज व भोपाल पुत्र श्री हरपूल, ग्राम बाबली, थाना व जनपद उपरोक्त के सूचना दिए जाने के बावजूद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है, किन्तु शिकायतों के आधार पर क्षेत्राधिकारी, बड़ौत के जाँचोपरान्त दफा 302 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है? यदि हाँ, तो उक्त हत्या का रहस्य क्या है और अब तक की विवेचना क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मेघराज की दिनांक 27-10-1982 को लिखित सूचना पर तत्काल ही थाना बड़ौत पर सूचना अंकित कर हरयाफ्तहाल जांच शुरु की गयी थी। मृतका के पिता के प्रार्थना-पत्र के आधार पर दिनांक 23-11-82 को मुकदमा हत्या के अपराध में परिवर्तित किया गया था। उसी दिन क्षेत्राधिकारी द्वारा जाँच की गयी थी। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पति-पत्नी के मध्य मुकदमेबाजी चली थी तथा न्यायालय द्वारा पत्नी का खर्चा पति पर तय करके आदेश पारित किये गये थे।

पत्नी व पति में अक्सर कहासुनी हो जाया करती थी। दिनांक 26-10-82 की रात्रि में मृतका की, उसके पति व श्वसुर द्वारा मारपीट से, मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों ने शव बुग्गी से ले जाकर श्मशान में जला दिया। विवेचना के उपरान्त मृतका के पति व श्वसुर का चालान न्यायालय में किया जा चुका है।

श्रीमती अंगूरी पत्नी श्री उदयवीर धीवर, ग्राम शाहपुर बड़ोली, थाना बड़ौत, मेरठ की हत्या की जाँच

114—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्तूबर, 1982 में श्रीमती अंगूरी पत्नी श्री उदवीर धीवर, ग्राम शाहपुर बड़ोली, थाना बड़ौत, जनपद मेरठ की हत्या की गई थी किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने द्वारा नहीं लिखी गयी है बल्कि आत्म-हत्या का मामला बताकर केस को रफा-दफा कर दिया गया, बाद में जनता व कम्युनिस्ट पार्टी की शिकायत पर क्षेत्राधिकारी बड़ौत के जाँचोपरान्त दहेज हत्या काण्ड का मामला दर्ज किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त हत्या काण्ड का रहस्य क्या है एवं अब तक की विवेचना क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र --

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना की सूचना दिनांक 25-10-1982 को थाना बड़ौत पर मिलते ही रिपोर्ट लिखकर तथा पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराकर विवेचना आरम्भ की गयी था।

सम्बन्धित उप निरीक्षकों के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जाँच क्षेत्राधिकारी, बड़ौत ने की थी जिसके फलस्वरूप मामला हत्या के अभियोग में परिवर्तित किया गया था। विवेचना प्रचलित है।

115—श्री छत्तर सिंह—

[दिनांक 22-3-83 को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 द्वारा उत्तरित]

श्री इसरार अली, हेड कांस्टेबुल, शाहजहाँपुर आदि द्वारा अपने मकान के ऊपर नियम विरुद्ध लगाए गये विद्युत तारों को हटाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

116- श्री सत्यपाल सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बतायेंगे कि श्री इसरार अली, हेड कांस्टेबुल पुलिस कार्यालय शाहजहाँपुर आदि ने अपने निवास स्थान, मोहल्ला शेख सराय, कस्बा व थाना पाली, जिला हरदोई में उपरोक्त के मकानों के ऊपर से नियम विरुद्ध लगाये गये विद्युत तारों को हटाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र 20 नवम्बर, 1981 व 25 नवम्बर, 1982 में अधिशासी अभियन्ता विद्युत हरदोई नगर व मन्त्री जी को दिए थे। यदि हाँ, तो उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री इसरार अली हेड कान्सटेबुल आदि का प्रार्थना पत्र दिनांक 20 नवम्बर 1981 अथवा 25 नवम्बर 1982 का राज्य विद्युत परिषद को अप्राप्य है। इस सम्बन्ध में किसान मिलसेल से एक सन्दर्भ क्षेत्रीय अधिकारी को दिनांक 15 जनवरी, 1982 को किया गया था। प्रश्नगत मामले की जाँच मौके पर की गयी तथा सचिव, टाउन एरिया, पाली से भी सम्पर्क स्थापित किया गया। जाँचोपरान्त यह तथ्य सामने आये कि सम्बन्धित विद्युत लाइन टाउन एरिया की भूमि पर सन् 1965 में खींची गयी थी। श्री इसरार अली ने अपना मकान टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही सड़क पर अनधिकृत कब्जा करके बाद में बनवा लिया है। सचिव, टाउन एरिया, पाली ने परिषद के क्षेत्रीय अधिकारी से निवेदन किया है कि प्रश्नगत विद्युत लाइन का खम्भा वर्तमान जगह से हटाया न जाये अन्यथा यातायात अवरोध एवं दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। अतः श्री इसरार अली के प्रार्थना पत्र पर राज्य विद्युत परिषद, द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी हैं।

आपरा जनपद की वाह तहसील में रेंजों का पुनर्गठन तथा श्री नारायन सिंह रेंजर की जैतपुर रेंज में तैनाती

117—श्री मुंशीलाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाह तहसील में तीन रेंज बनाई गयी है उसका क्या कारण है ? क्या वन मन्त्री को यह भी ज्ञात है कि इसी तहसील की उसी रेंज

में श्री नारायन सिंह रेंजर जो लगभग 5 वर्ष यहाँ पर रहकर गये थे फिर दुबारा इनको इसी रेंज में पोस्टिंग करने का सरकार का क्या मतलब है ?

श्री संजय सिंह—

सामाजिक वानिकी परियोजना के अन्तर्गत जिलेवार सामाजिक वानिकी वन प्रभागों की स्थापना के परिणामस्वरूप रेंजों का पुनर्गठन आवश्यक समझा गया और आगरा जनपद की वाह तहसील में पड़ने वाली चार रेंजों का पुनर्गठन करके तीन स्थापित की गयी।

श्री नारायण सिंह रेंजर, जून 1974 से सितम्बर 1979 तक वाह रेंज में रहे थे। पुनगहन के पश्चात स्थापित की गया नई जैतपुर रेंज जो बीहड़ क्षेत्र में है, को चलाने के लिये अनुभवी एवं क्षेत्र से सुपरिचित व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये श्री नारायण सिंह की तैनाती नवगठित जैतपुर रेंज में की गयी है।

118—श्री हुकम सिंह—

(9वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद द्वारा कतिपय व्यक्तियों के पपीते के पेड़ों का प्रतिकर का भुगतान न किये जाने सम्बन्धी पत्र, सेशन जज, फैजाबाद के न्यायालय का निर्णय

119—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जयप्रकाश व श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रामपदारथ व श्री राम अवध पुत्र श्री जगई ग्राम खैरपुर पो0 व0 त0 टाण्डा, फैजाबाद के हजारों पपीता के पेड़ों का प्रतिकर टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद द्वारा भुगतान न किए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता के पत्र के संलग्न प्रार्थना-पत्र राजस्व मन्त्री को दिनांक 13-10-82 का प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त व्यक्तियों का कुल कितने पपीतों के पेड़ों को परियोजना निर्माण हेतु आर्जित किया गया है ? कुल पेड़ों का प्रतिकर कितना है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ।

टाण्डा तापीय परियोजना के निर्माण हेतु प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों के कोई भी पपीते के पेड़ अर्जित नहीं किये गये हैं। अतः प्रतिकर का प्रश्न नहीं उठता।

120—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या यह भी सही है कि उक्त मामले में सेशन जज, फैजाबाद के न्यायालय से निर्णय दिया जा चुका है ? यदि हाँ, तो उक्त न्यायालय का निर्णय क्या है ? क्या निर्णय में अर्जित पपीतों के पेड़ों का प्रतिकर सम्बन्धित व्यक्तियों को दिए जाने हेतु लिखा है ? यदि हाँ, तो अब तक प्रतिकर भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ।

जिला जज, फैजाबाद ने दिनांक 28 अगस्त, 1981 के अपने निर्णय द्वारा वादियों

के प्रतिकर के लिये दायर वाद को खारिज कर दिया है।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

हीवेट पालीटेक्निक स्टाफ एसोसिएशन की ओर से आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में ज्ञापन

121—श्री भीखा लाल—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हीवेट पालीटेक्निक स्टाफ एसोसिएशन की ओर से संस्था में होने वाले आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में उनको तथा मुख्य मन्त्री को ज्ञापन दिया गया जिसके परिणामस्वरूप शासन ने संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक विभागीय जाँच समिति की नियुक्त की थी और उसने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर, 1981 में शासन को दे दी है? यदि हाँ, तो जाँच समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। जाँच समिति की मुख्य सिफारिश संस्था में प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त करने की थी। उक्त संस्तुति के अनुसार संस्था में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है।

आयुक्त बिक्री कर के कार्यालय बटलर पैलेस में किराए की धनराशि के गबन के आरोप में सहायक आयुक्त तथा एकाउन्टेन्ट के विरुद्ध मुकदमा

122—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि आयुक्त बिक्री-कर के कार्यालय बटलर पैलेस के किराए के रुपयों में जाल-साजी करने के आरोप में वर्ष 1978 में तत्कालीन सहायक आयुक्त (शा0) तथा एकाउन्टेन्ट के विरुद्ध मुकदमा नं0 4/78 चलाया गया और जिसकी सुनवाई ता0 12-7-82 को लगी थी? यदि हाँ, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सहायक आयुक्त (शा0) के विरुद्ध क्यों और कैसे मुकदमा वापस ले लिया गया? तथा क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी थी? यदि हाँ, तो किसने जांच की और जांच की रिपोर्ट क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ, आयुक्त बिक्रीकर के लखनऊ स्थित बटलर पैलेस कार्यालय के किराये की धनराशि का गबन करने के आरोप में तत्कालीन सहायक आयुक्त (शा0) तथा एकाउन्टेन्ट के विरुद्ध मुकदमा नं0 4/78 चलाया गया। वर्तमान समय में यह मुकदमा एकाउन्टेन्ट के विरुद्ध ही अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के यहाँ विचाराधीन है। इस मुकदमे की सुनवाई दिनांक 12-7-1982 को लगी थी और बाद में दिनांक 22-3-1983 निर्धारित की गई। दिनांक 29-3-1981 को तत्कालीन सहायक आयुक्त (शा0) श्री मुंशी सिंह सन्त के विरुद्ध उक्त मुकदमा वापिस लिया जाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि श्री सन्त ने सहायक बिक्रीकर आयुक्त की हैसियत से आहरण एवं वितरण का सत्यापन किया था और इसमें उनकी कदाशयता साबित करना कठिन समझा गया। सहायक आयुक्त (शा0) रुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद मिर्जापुर में सीखड़ से मुन्दीपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण

123—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर के सीखड़ ब्लाक में सीखड़ से मुन्दीपुर तक एक सम्पर्क मार्ग जाता है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त क्षेत्र के ग्रामों से होकर जाने वाली उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण न होने से लोगों को आवागमन में घोर असुविधा हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस मार्ग का शीघ्र निर्माण करायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी —

जी हाँ, एक कच्चा मार्ग है। मार्ग की उचित व्यवस्था न होने से लोगों को आवागमन में असुविधा होती ही है। धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र कोट के अन्तर्गत जामताखाल-चराकोट मोटर मार्ग का निर्माण

124—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र कोट के अन्तर्गत जामताखाल-चराकोट मोटर मार्ग का निर्माण किस वित्तीय वर्ष में किया गया है और इस पर कितना धन व्यय हुआ ? इस मार्ग के निर्माण से किन-किन ग्रामों को मोटर यातायात की सुविधा मिली है तथा इस मोटर मार्ग को कब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किए जाने की सम्भावना है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद में बायो गोबर गैस प्लान्ट हेतु स्वीकृत धनराशि

125—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982-83 में जनपद फैजाबाद में सार्वजनिक हित में बायो गोबर गैस प्लान्ट लगाए जाने हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हाँ, तो कुल स्वीकृत धनराशि क्या है और बायो गैस का निर्माण किस सार्वजनिक स्थल पर किया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हाँ।

9.00 लाख रु0 की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, परन्तु बाद में समर्पित कर दी गयी।

बायोगैस का निर्माण नहीं हो सका क्योंकि योजना का विस्तृत ब्योरा एवं कार्य विधि आदि के निर्धारण में कठिनाइ थी।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत लाभ

126—प्रो0 चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के

अन्तर्गत वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत जून, 1980 से अब तक कितने व्यक्तियों को लाभ मिला ?

श्री सुनील शास्त्री—

वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अभिलेख विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार नहीं रखे जाते हैं। उक्त अभिलेख तहसीलदार ही रखे जाते हैं। जून, 80 से माह फरवरी, 83 तक बांदा जनपद में कुल 644 (421 स्त्री तथा 223 पुरुष) व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत लाभ मिला।

श्री खग्गा पुत्र नत्था निवासी ग्राम ढकवा को भूमि पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में पत्र

127—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ढकवा, पोस्ट मलीहाबाद, जिला लखनऊ स्थित खसरा नं0 33, 281 तथा 305 क्या खग्गा पुत्र नत्था हरिजन का है, जिस पर गाँव के कुछ सवर्ण लोग जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं और खग्गा आदि को जान से मारने की धमकी देते रहते हैं ? क्या उसने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ, राजस्व मन्त्री तथा पुलिस अधीक्षक देहात को दिनांक 10-12-82 को प्राथना-पत्र दिया है ? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री जी उक्त प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही करके खग्गा हरिजन को भूमि का कब्जा दिला कर दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री खग्गा पुत्र नत्था निवासी ग्राम ढकवा तहसील एवं थाना मलीहाबाद, लखनऊ को प्रश्नगत आशय का प्रार्थना-पत्र दिनांकित 10-12-82 प्राप्त हुआ। प्रार्थना-पत्र के आधार पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 379 भा0दं0वि0 का एक अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचना के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी। जांच से ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत जमीन के सम्बन्ध में एक वाद दीवानी न्यायालय के विचाराधीन है। जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि गाँव में दो गुट है जिनके विरुद्ध धारा 107/116 दं0प्र0सं0 की रिपोर्ट दी गयी थी। जांच से उक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा पेशबन्दी में दिया जाना पाया गया। चूंकि मामला दीवानी न्यायालय के विचाराधीन है अतः मामले में न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है।

जनपद फैजाबाद के बीकापुर तहसील मुख्यालय पर अनशनकारियों की मांगों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही

128—श्री गोपीनाथ वर्मा—

सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद के बीकापुर तहसील मुख्यालय पर जनहित की मांगों को लेकर दि0 6-8-81 को बाबा किशोरी दास व अन्य द्वारा की गयी भूख हड़ताल के सम्बन्ध में तत्कालीन परगनाधिकारी एम0ए0 फारूकी द्वारा दिनांक 7-8-81 को लिखित रूप से यह आश्वासन दिया गया है कि अनशनकारियों की मांगें तथा जांच अगस्त 31, 1981 तक पूरी कर दी जायेगी ? यदि हाँ, तो क्या अनशनकारियों की मांगें पूरी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र

जी हाँ। जाचोंपरान्त अनशनकारियों की मांगों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री राम चन्दर राम, परगनाधिकारी गाजीपुर का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

129--श्री राधेश्याम पटेल तथा श्री यदुनाथ सिंह --

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामचन्दर राम, परगनाधिकारी गाजीपुर जनपद में नियुक्त हुए 7 वर्ष हो गये ? यदि हाँ, तो शासनादेशानुसार 3 वर्ष से अधिक समय बाद भी उन्हें इस जनपद में अब तक रखे जाने का क्या आधार है ? क्या सरकार इन्हें इस जनपद से हटाने की तत्काल कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र

जी नहीं, श्री राम चन्दर डिप्टी कलेक्टर, गाजीपुर जनपद में 18 जून, 1979 से तैनात है। आगामी ग्रीष्मकालीन सामान्य स्थानान्तरण के समय उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायेगा।

130--श्री मोतीलाल देहलवी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गाँव नानाभऊ, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर में अपात्र लोगों को गृह अनुदान वितरित किये जाने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

131--श्री मोतीलाल देहलवी--

दिनांक 20 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्र0 सं0 64 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या इन अपराधिक एवं अनियमित तथा शासकीय आदेश के विपरीत आचरण वाले मामले में मुख्य दोषी जनपद कानपुर के अन्तर्गत तत्कालीन परगनाधिकारी, बिल्हौर हैं ? यदि हाँ, तो परगनाधिकारी श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र --

मामला शासन के विचाराधीन है।

132--श्री मोतीलाल देहलवी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

एस0 डी0 एम0 भोगनीपुर के खिलाफ आरोपों की जांच

133--श्री रामस्वरूप वर्मा --

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें डा0 फिदा हुसैन, ग्राम अहरौली शेख, परगना भोगनीपुर, जिला कानपुर की ओर से कोई शिकायती-पत्र व पर्चे दि0 10-1-83 व 20-1-83 के मध्य उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें एस0 डी0 एम0 भोगनीपुर के खिलाफ गम्भीर आरोप हैं ? यदि हाँ, तो संक्षेप में वे आरोप क्या हैं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही अब तक की ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हाँ। एस0डी0एम0 भोगनीपुर के विरुद्ध डा0 फिदा हुसैन के दिनांक 10-1-83

व 20-1-83 के मध्य तीन शिकायती-पत्र व पर्चे प्राप्त हुए जिन्हें मूल रूप में भेजकर उन पर जिलाधिकारी, कानपुर देहात से जांच आख्या मांगी गयी है। जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, श्री श्याम राज कुर्मी की पेन्शन स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र

134--श्री ऊदल--

क्या राजनैतिक पेन्शन मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री श्यामराज कुर्मी, पुत्र श्री सुखनन्दन, गाँव दविलहां, पो0 कान्हवंशीपुर, जिला जौनपुर को पेन्शन (राजनैतिक) नहीं दी गई है और ये असहाय जीवन व्यतीत कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और उन्हें राजनैतिक पेन्शन देगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री श्यामराज कुर्मी पुत्र श्री सुखनन्दन, ग्राम दविलहां, पोस्ट कान्हवंशीपुर, जिला जौनपर का राज्य स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेन्शन स्वीकृत करने हेतु कोई आवेदन-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस सम्बन्ध में जांच कराने अथवा उन्हें राज्य स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेन्शन स्वीकृत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा पर असमाजिक तत्वों द्वारा हमला होने की दर्ज रिपोर्ट

135—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 दिसम्बर, 1982 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा (श्री शिव शंकर पाण्डेय) के ऊपर उनके कार्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला हुआ था जिसकी रपट उन्होंने थाना कोतवाली में की थी ? यदि हाँ, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा दोषियों के खिलाफ अब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शिव शंकर पाण्डे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा ने दिनांक 14-12-82 को थाना कोतवाली, जिला मथुरा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई कि उसी दिन प्रातः 10-45 पर उन्हें एक नामजद तथा तीन अज्ञात अभियुक्तों द्वारा मारा पीटा गया है। इस सूचना पर थाना कोतवाली पर अपराध अन्तर्गत धारा 452/353/323 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया। इस अभियोग से सम्बन्धित 3 अज्ञात अभियुक्तों की तलाश जारी है तथा नामांकित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

मथुरा जनपद में ब्रज चौरासी कोस में परिक्रमा मार्गों का पक्का निर्माण

136—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथुरा जनपद में पड़ने वाले "बृज चौरासी कोस" में परिक्रमा मार्गों का पक्का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

बृजभूमि चौरासी कोस परिक्रमा के पुनरोद्धार की योजना, भारत सरकार के पर्यटन एवं पर्यावरण विभागों के विचाराधीन है, परन्तु उसके अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यों अथवा किस विभाग द्वारा यह योजना कार्यान्वित होगी, इस पर कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है।

उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत परिक्रमा मार्गों के पक्का निर्माण की कोई योजना, इस समय प्रदेश शासन के विचाराधीन नहीं है। अतः कार्य प्रारम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता।

137—श्री खैरुल बशर—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

ग्राम बाहरपुर, रसूलपुर फतेहपुर की भूखण्ड संख्या, फलदार व बिना फलदार पेड़ों की संख्या

138—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अता0प्र0सं0 98 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर के भूखण्ड संख्या 824-1514-1515/11515/2-1947/1925-1926 व ग्राम रसूलपुर के भूखण्ड संख्या 1130 तथा ग्राम फतेहपुर के भूखण्ड संख्या 72-119-345-355 में फलदार व बिना फलदार पेड़ों की संख्या कितनी है तथा कितने पुराने हैं, क्या उनको न काटे जाने हेतु कोई व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

सूचना निम्नवत है :—

भूखण्ड संख्या	फलदार पेड़ों की संख्या	बिना फलदार पेड़ों की संख्या	पुराने पेड़ों की संख्या
ग्राम बाहरपुर—			
824	8	42	20
1514	–	–	–
1515/1	15	–	9
1515/2	15	–	15
1947	30	1	24
1925	13	–	10
1926	22	2	20
ग्राम रसूलपुर—			
1130	26	6	20
ग्राम फतेहपुर—			
72	19	2	19
119	11	–	11
345	13	–	13
355	6	4	10

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत वृक्ष संरक्षण अनियन्त्रित कटान को रोकने हेतु समुचित व्यवस्था की गयी है।

जिला वन अधिकारी बदायूं के कार्यालय में भवन निर्माण हेतु स्वीकृति टेन्डर तथा वन विभाग द्वारा सीमेंट एवं लकड़ी की आपूर्ति

139—श्री मो0 अबरार अहमद—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वन अधिकारी, बदायूं के कार्यालय का वर्ष 1981-82 में निर्माण कार्य टेन्डर द्वारा कराया गया है ? यदि हाँ, तो क्या वन विभाग के कर्मचारियों के लिए भी कुछ भवनों का निर्माण कार्य इसी वर्ष प्रारम्भ कराया गया है ? यदि हाँ तो कितने भवन शासन द्वारा स्वीकृत किए गये हैं ? क्या यह सही है कि कर्मचारी निवास भवन निर्माण हेतु भी टेन्डर तथा समस्त अनौपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी थीं ? यदि नहीं, तो इसके निर्माण हेतु ठेका किस आधार पर उस ठेकेदार को दिया गया है ?

श्री संजय सिंह—

वर्ष 1981-82 में बदायूं वन प्रभाग में कोई कार्यालय भवन का निर्माण नहीं कराया गया है एक ग्रीन हट कार्यालय के उपयोगार्थ विभागीय तौर पर खड़ी करवाई गई जिस पर रु0 7410/-मात्र व्यय हुआ। वर्ष 1981-82 में चार लिपिक वर्गीय आवास भवनों का आंशिक निर्माण प्रारम्भ कराया गया। शासन द्वारा स्वीकृत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से उक्त कार्य हेतु वन संरक्षक, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, बरेली ने चार लिपिक वर्गीय आवासों के आंशिक निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। इन भवनों के निर्माण की लागत क्रमशः रु0 40.5,00.,37,300. 40.500 तथा 37.300 मात्र था।

उपरोक्त कार्य हेतु दिनांक 11-2-82 को टेन्डर आमन्त्रित किये गये तथा निर्धारित तिथि व समय पर तीन टेण्डर प्राप्त हुए जिनमें श्री बी0 के0 अग्रवाल, ठेकेदार का टेन्डर न्यूनतम पाया गया जिसका वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक पश्चिमोत्तर क्षेत्र द्वारा अनुमोदन किया गया तथा उसी आधार पर ठेकेदार को कार्य करने की अनुमति दी गई।

140—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त निर्माण कार्य में वन विभाग ने अपनी ओर से ठेकेदार को कोई सामग्री सप्लाई की है ? यदि हाँ, तो उसका क्या आधार था ? क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में किसी उच्च अधिकारी द्वारा जाँच कराके दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

उक्त निर्माण कार्य में वन विभाग द्वारा सीमेंट एवं लकड़ी की आपूर्ति की गई तथा नियमानुसार उक्त आपूर्ति किए गए सामान का मूल्य ठेकेदार से वसूला गया। इस आपूर्ति का आधार टेण्डर नोटिस में दी गई 'टेण्डर व ठेके की अन्य शर्तें" क्र0 सं0-6 तथा "नियतदर पर ठेका" (इकरारनामा) की शर्त संख्या 11(क) के अधीन किया

गया। अतः किसी उच्च अधिकारी द्वारा जाँच कराये जाने एवं दोषी पाये गये अधिकारियों को दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

140 (ए)—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

(7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित):

ललितपुर जनपद के अलीगढ़ जनपद का पकड़ा गया कथित कुख्यात डाकू

141—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 जुलाई, 1982 को ललितपुर नगर में अलीगढ़ जनपद का कुख्यात अपराधी जी0 आर0 पी0, झाँसी तथा ललितपुर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उसके बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार 15-7-82 को ललितपुर नगर में अलीगढ़ जनपद का कोई कुख्यात अपराधी जी0 आर0 पी0 झाँसी तथा ललितपुर पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा गया था।

गोरखपुर मेडिकल कालेज में पुलिस द्वारा मारपीट की शिकायत

142—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 30-9-82 जिसमें 22 जून, 1982 को गोरखपुर में बिना अनुमति के मेडिकल कालेज में पुलिस घुसी और मारपीट की है शिकायत मिला है ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र दिनांक 28-4-82 मुख्य मन्त्री सचिवालय में प्राप्त हुआ था जो आवश्यक कार्यवाही हेतु 9-11-82 को स्वास्थ्य सचिव को भेजा गया।

जनपद मिर्जापुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग को ओला, सूखा राहत कार्य हेतु दी गई धनराशि

143—श्री रामचरण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ओला, सूखा राहत कार्य के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग को वर्ष 1981-82 में कितना-कितना धन दिया गया ? विभाग द्वारा कहाँ-कहाँ और कितना-कितना व्यय किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना संलग्न सूची में दी गयी है।

(देखिए नत्थी "ग" पृष्ठ विषय सूची" पर।)

बलिया, गाजीपुर, देवरिया, जौनपुर एवं आजमगढ़ जनपदों में मन्च बनवाने और लकड़ी की बैरीकेटिंग कार्य हेतु आमन्त्रित किये टेन्डर तथा वास्तविक व्यय

144—श्री मोहन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 29-20- अक्तूबर, 1982 को मुख्य मन्त्री ने जब पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा किया जिसमें श्री राजीव गाँधी ने भी भाषण किया था। देवरिया जिले के रुद्रपुर, बलिया, गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, मऊ, घोसी, (आजमगढ़) आजमगढ़ और जौनपुर में मन्च बनाने और लकड़ी के बैरीकेट करने से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कितने लाख रुपए का टेण्डर दिया और वस्तुतः कितने लाख रुपये खर्च हुए ?

श्री अम्मार रिजवी—

विगत 29/30 अक्तूबर, 1982 को माननीय मुख्य मन्त्री जी के दौरे के समय बलिया, गाजीपुर, देवरिया, जौनपुर एवं आजमगढ़ जनपदों में मन्च बनवाने और लकड़ी की बैरीकेडिंग करने के कार्य हेतु आवंटित किये गये टेन्डरों और वास्तविक व्यय का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी "घ" पृष्ठ विषय सूची··· पर।)

जिला हरदोई में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये अपराधी तथा मुठभेड़ों की मैजिस्टीरियल जाँच

145—श्री हरीशंकर तिवारी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में 1 जनवरी, 1981 से 31 अक्तूबर, 1982 तक कुल कितने व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए ? उनके नाम व पते व अपराधिक इतिहास क्या है ? क्या इन मुठभेड़ों की मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच की गई ? यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या रहा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-1-81 से 31-10-82 तक 20 पुलिस मुठभेड़ों में कुल 28 अपराधी मारे गये जिनके नाम, पते व अपराधिक इतिहास एवं मैजिस्टीरिल जाँच को परिणाम संलग्न सूची में दिया गया मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा मैजिस्टीरियल जाँच के आदेश दिये गये हैं जिनमें से 9 मामलों में जाँच समाप्त हो चुकी है तथा शेष 11 मामलों में जाँच प्रचलित है। उक्त 9 मामलों में से 1 में उप निरीक्षक श्री बृज मोहन शुक्ला, थानाध्यक्ष, बिलग्राम के विरुद्ध आरोप 'सत्यापित हुए। अतः इस प्रकरण की सूक्ष्मता एवं गहराई से जाँच हेतु इसे अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपा गया। इसकी जाँच प्रचलित है। शेष आठ मामलों में मुठभेड़ें सही पायी गयी।

(देखिए नत्थी "ङ" पृष्ठ विषय सूची··· पर।)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मल्लाँवा में स्वीकृत मार्ग

146—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता को विभाग द्वारा सम्बोधित पत्र संख्या 8586 ई/23--सा0 नि0 अनु0 11 दिनांक 18 जून,1982 में स्वीकृति मार्गों पर कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा और सन्दर्भित कार्यों को पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं0-91 (मल्लांवा) में निम्नलिखित चार मार्ग स्वीकृत किए गए है :—

1—कुरसठ बुर्जुग लिंक मार्ग	2 कि0 मी0
2—बाँसा लिंक मार्ग	1 कि0 मी0
3—पहतेरा कुर्सठ का छूटा भाग	0.5 कि0 मी0
4—माधोगंज से मेंहदीघाट के शुरु के 2कि0मी0	2 कि0 मी0

उपरोक्त में से 3 तथा 4 पर कार्य प्रगति पर है शेष 1 व 2 पर उल्लिखित मार्गों पर कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा तथा सभी मार्गों की प्रगति धन व अन्य संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

सन्दर्भित पत्र में राघवपुर-लिंक मार्ग योजना स्वीकृत नहीं है। यह गलती से सूचित कर दिया गया था।

राज्य विद्युत परिषद द्वारा ट्रान्सफार्मर की आपूर्ति हेतु फैक्ट्रियों से अनुबन्ध

147—श्री रेवतीरमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस—

क्या ऊर्जा मत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ट्रांसफार्मर एवं पोल फैक्ट्रियां प्राय: बन्द हैं ? इन फैक्टरियों में राज्य विद्युत परिषद का जो अनुबन्ध हुआ था वह कितना पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रदेश मे ट्रान्सफारमर एवं पोल फैक्ट्रियों के बन्द होने के सम्बन्ध में शासन को कोई जानकारी नहीं है। राज्य दिद्युत परिषद ने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर की आपूर्ति हेतु वर्ष 1982-83 में 11030 ट्रान्सफारमरों के लिए प्रदेश में स्थित फैक्ट्रियों से अनुबन्ध किया था जिसके विपरीत कब तक 6418 ट्रान्सफारमर प्राप्त किये जा चुके हैं और शेष ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार की जानी हैं। इसके अतिरिक्त पोलों की आपूर्ति हेतु राज्य विद्युत परिषद ने लगभग 15,73 लाख पोलों के अनुबन्ध किये हैं जिनके अन्तर्गत जून 1982 से मार्च, 1982, तक मांग की पूर्ति की जानी थी इन अनुबन्धों के अन्तर्गत लगभग 11.43 लाख पोल प्रदेश में स्थित फर्मों से आने थे और इन अनुबन्धों के अन्तर्गत अब तक लगभग 11.58 लाख पोल प्राप्त हुए हैं। शेष पोलों की आपूर्ति सामयिक तथा समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार की जानी है।

बिजली करेन्ट लगने से श्री खेदू, श्री सोमई तथा श्रीमती धूपा की मृत्यु तथा आश्रितों को सहायता

148—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम व डाकखाना हरिहरपुर, तहसील खलीला-

बाद जिला बस्ती में दिनांक 23-9-32 को बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बिजली, करेंट लगने से श्री खेदू, श्री सोमई तथा उनकी बड़ी मां श्रीमती धूपा की मृत्यु हो गयी और अन्य आठ व्यक्ति घायल हो गये ? इस सम्बन्ध में शासन, जिलाधिकारी बस्ती तथा बिजली विभाग द्वारा उक्त व्यक्तियों के परिवारों को क्या सहायता प्रदान की गयी ? यदि अब तक प्रदान नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। दिवंगत व्यक्तियों के परिवार की सहायतार्थ एक-एक हजार रुपये की धनराशि तत्काल प्रदान की जा चुकी है। तथा शेष सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री रामनाथ सिंह, गाँव मानी, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी की हत्या, लाश का पोस्ट मार्टम तथा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जाँच होने पर आवश्यक कार्यवाही

1-9-150—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनाथ सिंह, गाँव मानी थाना फूलपुर, जिला वाराणसी की हत्या सितम्बर, 82 में करके लाश को कुएं में डाल दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या रामनाथ के भाई शिवनाथ सिंह ने मुख्य मन्त्री को तारीख 9-11-82 को प्रार्थना-पत्र तथा कई दरख्वास्तें जो अधिकारियों को दी गयी हैं, नत्थी करके दिया है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनाथ सिंह की लाश का पोस्ट-मार्टम कराया गया था ? यदि हाँ, तो कितने चोट के निशान पाए गये और क्या उस पर कोई मुकदमा थाना फूलपुर, वाराणसी में दर्ज किया गया है ?

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवनाथ सिंह ने जो प्रार्थना-पत्र मा0 मुख्य मन्त्री को दिया है, उसमें एस0 ओ0 फूलपुर, वाराणसी के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने साजिश करके हत्या करवा दी है ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति—

प्राप्त सूचनानुसार श्री शिवनाथ सिंह निवासी मानी, जनपद वाराणसी ने थाना फूलपुर पर दि0 12.9.82 को अपने भाई रामनाथ सिंह के दिनांक 10.9.82 की रात्रि से गायब होने की सूचना दी तथा पुनः उन्होंने ही दि0 13.9.82 को प्रातः रामनाथ सिंह के शव के ग्राम मानी में कुएं में मिलने की सूचना दी। शव का पोस्टमार्टम कराया गया जिससे मृत्यु से पूर्व की दो कुन्द चोटें पायी गयीं। इस सम्बन्ध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 थाना फूलपुर में पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

प्रश्नों में उल्लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था।

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जाँच के पश्चात सही तथ्य ज्ञात होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

विधायक श्री कुबेर भन्डारी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण मण्डल, इलाहाबाद को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

152—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता (श्री कुबेर भण्डारी) का पत्र दिनांक 24-8-82 जो अधीक्षण अभियन्ता, एलेक्ट्रिसिटी सिविल कांस-ट्रक्शन सर्विस 1 बी/ चर्च लेन, इलाहाबाद को प्रेषित तथा सम्बन्धित अन्य अधिका-रियों को भी पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो प्राप्त 5 सूत्री उक्त पत्र पर कृत कार्यवही से मन्त्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री कुबेर भन्डारी माननीय विधायक का दिनांक 24-8-82 का पत्र अधीक्षक अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण मण्डल इलाहाबाद को दिनांक 30-8-82 को प्राप्त हुआ था जिसकी प्राप्ति सूचना माननीय विधायक को दे दी गई थी। उक्त पत्र में विधा-यक महोदय ने श्री लाल वचन शर्मा ठेकेदार के द्वारा किये गये कार्य के सम्बन्ध में समय-बद्ध (Time Extenston Case) मामले की कार्यवाही की जानकारी चाही थी'।

श्री लाल वचन शर्मा ठेकेदार के कार्य का समयबद्ध प्रार्थनापत्र दिनांक 21-8-82 तथा अधिशासी अभियन्ता विद्युत जनपद निर्माण खण्ड गोरखपुर के आधार पर दोबारा जांच के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता जनपद इलाहाबाद के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और इसकी सूचना ठेकेदार को भी दी जा चुकी है।

उक्त मामले में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है

गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल के पास जल कुम्भी बायो गैस संयन्त्र लगाने की योजना

153—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल के पास जल-कुम्भी बायो गैस संयन्त्र लगाने की योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री सुनील शास्त्री—

भारत सरकार के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा मार्च, 1982 के एयर फोर्स स्टेशन गोरखपुर में एक प्रयोगात्मक जलकुम्भी बायोगैस संयन्त्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

इस संयन्त्र के लिये रामगढ़ ताल गोरखपुर से जलकुम्भी एकत्र करके प्रतिदिन लगभग 35 टन जलकुम्भी के प्रयोग से लगभग 50000 घनफुट बायोगैस का उत्पादन किया जायेगा। उत्पादित बायोगैस अधिकांशतया बिजली पैदा करने में प्रयोग की जायेगी तथा इसका कुछ अंश खाना पकाने में भी प्रयोग किया जायेगा। परियोजना का कार्यान्वयन प्रतिरक्षा विभाग एम0 ई0 एस0 तथा एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना में प्राविधिक परामर्श शिवसदन ग्रह निर्माण सहकारी सोसायटी लिमिटेड, सांगली, महाराष्ट्र द्वारा दिया जा रहा है।

धुधली थाना, जनपद गोरखपुर के थानाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा नगर के संभ्रान्त नागरिकों की पिटाई

154—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 अप्रैल, 1982 को धुधली, थाना जनपद गोरखपुर के थानाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों ने धुधली उपनगर के कई संभ्रान्त नागरिकों की बर्बरतापूर्वक पिटाई की जिसकी जाँच के लिए जिलाधिकारी, गोरखपुर ने परगनाधिकारी, महराजगंज को लिखा है ? यदि हाँ तो परगनाधिकारी ने जाँच की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं हुयी किन्तु प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र परगनाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव।

(12 बजकर 15 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

(एक सहायक के खड़े होने पर)

कृपया बैठें। मैंने संसदीय कार्य मन्त्री जी को बुला लिया है।

संसदीय कार्य मन्त्री—(श्री अम्मार रिजवी) —

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उपाध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन हेतु जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसे निरस्त कर दिया जाय तथा माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया जाय कि वे सदन के आगामी सत्र के दौरान इस हेतु नयी तिथियाँ निर्धारित करें। मै यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि अब तक प्राप्त सभी नामांकन पत्र निरसित समझे जांय।

श्री अध्यक्ष—

×श्री रियासत हुसैन—

इसके पहले कि आप प्रस्ताव रखें माननीय सदन के सामने हम लोगों को सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष —

इस मामले पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिये।

श्री रियासत हुसैन—

पूरी ठीक टिप्पणी होगी यह सदन की बेइज्जती का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

यह आपस का मामला है।

श्री रियासत हुसैन—

यह आपस का मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप यह नहीं कह सकते की टीका टिप्पणी होनी चाहिये।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन --

मै नियम की बात कहूँगा। मुझे खेद है कि आज जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मन्त्री जी ने रखा है और जिसको वह समझते हैं कि हमारा पैदायशी हक है, लेकिन माननीय सदन उस चीज में बँधा नहीं है न संसदीय कार्यमन्त्री से सदन बँधा है न मुख्य मन्त्री से बँधा है। यह सदन नियमावली से बँधा है। नियमावली के नियम 9 के अन्तर्गत उपाध्क्ष के सम्बन्ध में सारा अधिकार इस सदन के अन्दर निहित है और इस सम्बन्ध में सारे कार्यक्रम को निर्धारित करने का अधिकार आपका है। मुझ इस बात का खेद है कि सदन को जो परम्परा रही है उपाध्यक्ष का पद विरोधीपक्ष को जाता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है फिर इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार इस काम को टालना चाहती है जो चीज ट्रेडिशन और कन्वेन्शन के अनुसार विरोध पक्ष को मिलना चाहिये। इसके पहले जब यह चीज आयी थी तो मैंने कहा था कि इसके बाद जब दुबारा इस बात का करें तो पूरे विधान सभा काल के लिये स्थगित कराये। इस सत्र के अन्दर का तो अब सवाल पैदा नहीं होता, संविधान में 6 महीने का आपको अधिकार है विधान सभा मिले न मिले। जो सदन को चलाने वाली नियमावली है जिसमें सारी चीज निहित है उस परम्परा के अनुसार उपाध्यक्ष का पद विरोध पक्ष को जाता है। सत्ता पक्ष की नीयत साफ नहीं है जिसके कारण दुबारा इस प्रस्ताव को ला रहे हैं। अगर नीयत साफ होती तो सत्ता पक्ष स्पष्ट रुप से यह कहता कि हम इस पद को विरोध पक्ष को नहीं देंगे। उनका अधिकार था और इस सदन में बहुमत से चुनाव होता जिसको चाहते नाम लिखा कर चुनाव करा देते। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जिस तरह से विरोध पक्ष के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रजातंत्र के अन्दर कुठाराघात किया जा रहा है और जिस हल्के तरीके से नियमावली को लेकर जब चाहा नियमों को शिथिल करने का प्रस्ताव कर दिया और जिस तरीके से बाहर के लोगो का असर डाला जा रहा है और जिस तरीके से सदन के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है उस पर मुझे घोर आपत्ति है।

श्री अम्मार रिजवी --

मैं खड़ा न होता क्योंकि आपके निर्णय पर मैंने प्रस्ताव किया। दो बिन्दु रियासत साहब ने उठाये हैं। एक तो यह कि शासक दल चाहता है कि विरोध पक्ष को यह सीट न जाय। मुझे आपके माध्यम से रियासत साहब को और सारे सदन को सूचना देनी है कि शासन की नीति है कि यह पद विरोध पक्ष को जाय। इसमें कोई परिवर्तन नही हो रहा है। लेकिन इसमें विरोधपक्ष एक राय हो जाय तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात यह कही कि यह सदन नियमावली के तहत चलेगा या संसदीय कार्यमन्त्री या मुख्य मन्त्री के तरह से चलेगा मेरा निवेदन है कि यह सदन नियमावली के तहत चलेगा। माननीय सदस्यों की जो राय होगी उसी के हिसाब से चलेगा और उसी के हिसाब से यह प्रस्ताव सम्मानित सदन में रखा गया है। माननीय सदस्य इसको पारित करेंगे तो यह होगा यदि नहीं पारित करेंगे तो नहीं होगा। तीसरा बिन्दु यह उठाया कि यह ट्रेडीशन है, मै वे सब मिसालें नहीं देना चाहता कि वर्षों तक यहाँ उपाध्यक्ष ही नहीं अध्यक्ष के चुनाव टले हैं। तो एक राय होकर यदि कोई फैसला किया जाये तो निर्णय में भी

आसानी होगी। अगर शासन का हाथ नामांकन में होता, तो शासक दल के किसी आदमी का नाम होता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वे इस तरह की किसी बात को न सोचें और न शासक दल यह चाहता है कि जो सीट अपोजीशन को जानी चाहिए, उस पर कब्जा करें। हमारी संख्या काफी है, उसमें कुछ और ऐड नहीं करना है।

श्री रियासत हुसैन—

जैसा संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा है, शासक दल का कोई आदमी नहीं है, तो आप नम्बर 7 देखें, प्रस्तावक और समर्थक दोनों शासक दल के हैं, मेरा भी नाम है, मैं अपना नाम वापस लेने को तैयार हूँ लेकिन आप चुनाव करा दें। प्रजातन्त्र का गला घोंटा जा रहा है और इससे मुझे तकलीफ है। अगर आप इस रेजूल्यूशन को लायेंगे तो जनता पार्टी इस सदन का त्याग करेगी।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उस पर नेता विरोधी दल और संसदीय कार्य मन्त्री, दोनों के दस्तखत हैं, नियमों को निलम्बित किया जा चुका है, यह इस सदन को अधिकार है कि वह कोई निर्णय ले ले। जो संसदीय कार्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया है उस पर प्रश्न यह है कि उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हेतु जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसे निरस्त कर दिया जाये तथा माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया जाय कि वे सदन के आगामी सत्र के दौरान इस हेतु नयी तिथियाँ निर्धारित करें। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि अब तक प्राप्त सभी नामांकन पत्र निरस्त समझे जाये।

श्री रियासत हुसैन—

(माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न उपस्थित किये जाने पर) जो प्रस्ताव रखा गया है उसके विरोध में जनता पार्टी इस सदन का त्याग करती है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्यागकर चले गये)

गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य पांच संस्थाओं के सभा/कार्यकारिणी में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री, (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य 5 संस्थाओं के सभा अथवा कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु जो कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया है और जिसके अन्तर्गत नामों की वापसी की तिथि 4 अप्रैल, 1983 तथा निर्वाचन की तिथि 8 अप्रैल, 1983 निर्धारित की गयी थी, को निरस्त किया जाय और माननीय अध्यक्ष इस सम्बन्ध में नया कार्यक्रम विधान सभा के आगामी सत्र में पुनः निर्धारित करे। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि इस सम्बन्ध में अब तक की गयी सभी कार्यवाही भी निरस्त समझी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य 5 संस्थाओं के सभा अथवा कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु जो कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष द्वारा

निर्धारित किया गया है और जिसके अन्तर्गत नामों की वापसी की तिथि 4 अप्रैल, 198 तथा निर्वाचन की तिथि 8 अप्रैल, 1983 निर्धारित की गई थी, को निरस्त किया जाय और माननीय अध्यक्ष इस संबंध में नया कार्यक्रम विधान सभा के आगामी सत्र में पुनः निर्धारित करे। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि इस सम्बन्ध में अब तक की गई सभी कार्यवाही भी निरस्त समझी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य सूची एवं प्रश्नों के उत्तर समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

×श्री जैराज गौतम--

मैंने मान्यवर, एक स्पष्टीकरण के लिए निवेदन किया था। माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न किये जाते हैं और हम सभी यह अपेक्षा करते हैं कि समय से एजेण्डा मिलेगा और प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। दुर्भाग्य से न मुझे एजेण्डा मिला और न ही प्रश्न के उत्तर मिले जिसकी वजह से मुझे जो अधिकार प्राप्त है, उसके तहत अपनी बात सदन में नहीं रख सका। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम जब माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न किया जाय उसके लिये समय से एजेण्डा और उत्तर दिये जाने चाहिये ताकि जो जनहित की बातें हैं, हम लोग सदन में रख सकें।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैं महसूस करता हूँ कि आज इस मामले में देरी हुई है। क्यों देरी हुई है, किस प्रकार से ऐसा हुआ है, माननीय सदस्यों को एजेण्डा क्यों नहीं मिला, इसको मैं देखूंगा। आगे से इस पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्नों के उपरान्त नियम 301 की सूचनाएं न लिए जाने पर आपत्ति

×श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

मान्यवर, नियम 315 को देखें। औचित्य के प्रश्न पर नहीं कहूँगा। 315 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। कार्य की सापेक्ष अग्रेता दी हुई है इसमें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने पहले ओझा जी को बुला लिया है उनको सुन लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

ओझा जी को सुन लें, मान्यवर। पहले नियम 315 देख लें। इसमें सदन की कार्य-सूची की सापेक्ष अग्रेता दी हुई है। 301 का क्या हुआ? शून्य प्रहर में जो 301 की सूचना पढ़ी जाती है, वह कहाँ चली गयी। मद संख्या 1 और 2 के बाद नियम 315 के तहत 301 की सूचनायें लानी चाहिये थीं। वह न लाकर आईटम नं0 6 बुलाया गया है। औचित्य के प्रश्न शून्य प्रहर के बाद आने थे। मेरा निवेदन है कि पहले 301 का सूचनाओं को पढ़वा लें उसके बाद औचित्य के प्रश्न को ले लें।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उपाध्यक्ष का मामला लिया है अभी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसके पहले 301 लेना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मैंने अपने अधिकार से किया है। 301 बाद में आ जायेगा।

ग्राम्य विकास मन्त्री को उनके विभाग द्वारा बिना उनकी जानकारी के शासनादेश किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

×श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

बड़े ही खेद के साथ श्रीमन्, यह तथ्य आदरणीय सदन के सामने लाना पड़ रहा है। मैं एक ऐसे विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देश के पूर्वजों ने जिस भावना से भारत के संविधान को स्थापना की, जिसके आधार पर हम लोग यहाँ पर आये हैं, उस पर कुठाराघात किया गया है। ग्रामीण विकास के बजट पर सामान्य चर्चा के समय मैंने कहा था कि दो शासनादेश निर्गत हुये जिनकी जानकारी माननीय मन्त्री जी को नहीं है। माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि मैं इसको देख लूंगा। कल अल्पसूचित प्रश्न आया। उसमें जो अनुपूरक किया—मा0 मन्त्री जी ने उसके उत्तर में कहा कि दो शासनादेश निर्गत हुये हैं जिनकी जानकारी नहीं है। आज लेटेस्ट सूचना के अनुसार 7 शासनदेश ऐसे निर्गत हुये हैं जिनकी जानकारी मन्त्री जी को नहीं है।

एक सदस्य—

सात नहीं आठ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

चलिये आठ हो गये। मै आपका संरक्षण चाहूंगा कि यह प्रशासन, यह सरकार किधर जा रहा है। सुपरमेशी आफ दि कैबिनेट-सुपरमेशी आफ दि पार्लियामेंट के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत यह सरकार जा रही है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि हेड आफ दि गवर्नमेंट कौन है। प्रशासन का उच्चाधिकारी कौन है? किसके निर्देशन में यह प्रशासन चल रहा है? यह प्रश्न असाधारण है। बढ़ी हुई नौकरशाही, उसका अंकुश, उसका दबाव, उसका हाथ-पैर मारना, इस बात का प्रतीक है और हमारा जो यह डेमोक्रेटिक फेब्रिक है, और हमारे जनतंत्र की जो परम्परा या प्रणाली है उसके सामने आज यह एक प्रश्न-चिन्ह लगा हुआ है। यह एक शर्म की बात है और आश्चर्य की बात है कि शासनादेश निर्गत हो गया और उसकी जानकारी उस विभाग के मन्त्री को नहीं है। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक अंग्रेजी सेन्टेन्स पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास जो यह पुस्तक है इसका नाम है, "कैबिनेट गवर्नमेन्ट वाई इवर जेनिंग्स थर्ड एडीशन दि सिविल सर्वेन्ट इज सो टू एक्ट नाट टू एम्बरेंस इज मिनिस्टर एण्ड दि गवर्नमेंट आफ दि डे इन देयर रिलेशन विथ पार्लियामेंट एण्ड विथ आर्गेनाइजेशन हैविंग पोलिटिकल पावर। किसी भी सिविल सरवेन्ट की इस बात की इजाजत नहीं है

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि वह मन्त्री जी की स्थिति इम्वेसिक करे। इतना ही नहीं इसी किताब में सबसे ऊपर एक सेन्टेन्स और लिखा हुआ है। डिटरमिनेशन आफ पालिसी इज दि फक्शन आफ दि मिनिस्टर...जब मान्यवर, पालिसी डिसीजन हो गया तब वह शुद्ध रूप में माननीय मन्त्री जी के पास एप्रूवल के लिये आता है। माननीय मन्त्री जी के एप्रूवल के बाद शासनादेश निर्गत होता है। लेकिन मान्यवर, यहाँ इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वगैर माननीय मन्त्री के एप्रूवल के और वगैर उनकी जानकारी के शासनादेश निर्गत कर दिये हैं। इस सम्बन्ध में मैं मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रदेश में नौकरशाही की राज्य है और क्या हम जो जनता से चुनकर आदरणीय सदन में आये हुए हैं, नौकरशाही के प्रति प्रतिबद्ध हैं, क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है।

मान्यवर, आज इस प्रकार से जनतांत्रिक अधिकारों पर और हमारे विधान सभा की जो रियमावली है उस पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। आज जो यह हो रहा है वह हमारे संविधान की मूल-भावना के विपरीत है, सदन का अवमानना है और संविधान के नियमों की खुली अवहेलना है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं। इस गम्भीर विषय पर हमारे प्रदेश की ही नहीं अपितु पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि आगे जाकर यह प्रेसीडेन्स बनेगा और इस प्रेसीडेन्स का अनुपालन न केवल हमारे प्रदेश में अपितु अन्य प्रदेशों में भी होगा। तो क्या हम लोग जनतंत्र के हत्यारे के रुप में इस आदरणीय सदन में आये हुए हैं? मान्यवर, यदि ऐसा ही हुआ तो आने वाली संतान भी यही कहेगी कि आदरणीय सदन में जनतंत्र की हत्या की गई। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा जनतंत्र की रक्षा के लिये, संविधान की मान्यता की रक्षा के लिये और जो अधिकार हमारे फोर-फादर्स द्वारा दिये गये हैं और जिनके नाम पर हम यहाँ पर आये हुए हैं उनकी रक्षा के लिये। साविरन डेमोक्रेसी आफ दि पालिसी आर सुपरमैसी आफ द मिनिस्टर तथा इस सदन का क्या होगा?

×श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, माननीय श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी ने जो यह बोल रहे थे क्या यह नियम 56 में उन्होंने लिखाकर दिया है?

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री ओझा जी औचित्य के प्रश्न पर बोल रहे थे।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय श्री ओझा जी जो औचित्य का प्रश्न कर रहे थे वह मिनिस्टर एण्ड लैप्सेज का वर्णन कर रहे थे कि मिनिस्टर में क्या खामियाँ हैं। मान्यवर, जैसा कि मैंने पढ़ा है उसमें आप औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मिनिस्टर की खामियों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप वोट आफ कन्फीडेन्स लावें सरकार के विरुद्ध तब माननीय मन्त्री जी आपको बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मिश्र जी मैं आपको इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। यह कोई व्यवस्था

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का प्रश्न नहीं है। माननीय मन्त्री जी ने प्रश्न का उत्तर देते समय कुछ इस प्रकार के तथ्य सदन के सामने रखे थे। जिनकी वजह से उनको बोलना पड़ा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मैं यह अनुरोध कर रहा था कि मा० काशी नाथ मिश्र जी को अपत्ति म० है। उनको यह मालूम नहीं था कि मैं किस विषय पर बोल रहा हूँ लेकिन वह खड़े हो गये, व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर। मैं तो मा० मन्त्रियों का संरक्षण कर रहा हूँ, उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। उनके गौरव को, जिसे नौकरशाही ने धूमिल कर दिया है, उसको बचाने के लिये विचार रख रहा हूँ। यह जो परम्परा कायम हो रही है यह संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है, जनतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत है और इस प्रकार के आदेश का होना इस आदरणीय सदन के अधिकारों के लिये चुनौती है। यह हो सकता है कि काशीनाथ मिश्र जी जैसे लोग इसका विरोध न करें, जो कि नौकरशाही के द्वारा रौंदे जा रहे हैं, लेकिन इस आदरणीय सदन का सदस्य होने के नाते मैं उस चुनौती को स्वीकार करने के लिये यहाँ पर आया हुआ हूँ। इसकी गरिमा, गम्भीरता और इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए आप इस पर अपना निर्णय दें।

×श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने जो सूचना आपको दी है, मा० काशीनाथ जी को बता दूँ कि सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित जो तथ्य हैं या तो कार्यवाही में आ चुके हैं, उन्हीं पर बात करूँगा, आगे नहीं बढ़ूँगा। माननीय काशीनाथ जी शांति पूर्वक सुनें।

कल जिस समय मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी उस समय एक प्रश्न सदन में उठा कि जिला ग्राम विकास अधिकरण की जो कमेटी है, उसमें से विधान सभा और विधान परिषद के मा० सदस्यों तथा सांसदों को निकाल दिया गया है। यह एक नीति सम्बन्धी मामला है जो कि विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा और राज्य सभा, के सम्मान की दृष्टि से आवश्यक था। उस पर मा० मन्त्री जी ने बड़ी दुखद बात कह दी। उन्होंने कहा कि यह राजाज्ञा उनकी जानकारी के बिना निर्गत हो गई। इसकी जो प्रक्रिया है, उसके तहत कोई भी राजाज्ञा जब बनती है तो फाइल पर मन्त्री के हस्ताक्षर आवश्यक हैं और निकलने के बाद उसकी एक प्रति मन्त्री के पास आती है। आप देखिये, नौकरशाही का नंगा तांडव कितनी ऊँचाई पर पहुँच गया है कि मन्त्री को विश्वास में नहीं लिया और राजाज्ञा बनाने के बाद भी उसकी जानकारी मन्त्री को नहीं दी। यह एक सैद्धांतिक प्रश्न आपके सामने है। दूसरी बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि यह मामला उठा, सभी ने रुचि ली, उस समय आपने कृपापूर्वक संरक्षण दिया था और कहा था कि सभी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करेंगे और रास्ता निकालेंगे क्योंकि आप समझते हैं कि जो जिला नियोजन है, उसमें से विधायकों को हटाना ठीक नहीं है। लेकिन यह ब्यूरोक्रेसी की साजिश थी उन्होंने मुख्यमन्त्री और सम्बन्धित मन्त्री को भी इसमें फांस लिया।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक निन्दनीय काम हुआ है । आपको स्मरण होगा जिस दिन सदन में विवाद हुआ था और सदन स्थगित हो गया था और आपके कमरे में नेतागण बैठे थे, उस समय मैंने मा) मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था, मुख्य मन्त्री जी अचम्भे में रह गये थे । उन्होंने कहा था कि क्या ऐसा आदेश हो गया है । मैंने उन्हें बताया था कि ऐसे आदेश हो चुके हैं और उसका नम्बर मेरी डायरी में लिखा हुआ है । तो मान्यवर, उन्होंने भी आश्चर्य प्रगट किया था कि ऐसी राजाज्ञा कैसे निकल गई । यह उत्तर प्रदेश मे नौकरशाही के तांडव का एक नमूना है । सम्बन्धित मन्त्री को जानकारी नहीं, नेता, सदन को जानकारी नहीं । अब केवल दो दिन का सदन रह गया है । आप इसकी मीटिंग कब बुलवायेंगे, 2 दिन बाद सदन स्थगित हो जायगा, नये वित्तीय वर्ष की बैठकें होने वाली हैं । जिलाधिकारी नहीं चाहते हैं कि हम बैठक में आयें क्योंकि बैठक में हमारे जाने से उनके काले कारनामों पर अंकुश रहता था ।

मैं उस मीटिंग में भी कह सकता था और यहाँ सदन में भी कह सकता था इस लिए हम लोगों का वहाँ से पत्ता कट गया अब वहाँ पर हमारा सिर्फ नामनो जायेगा तो नामनी वहाँ पर क्या करेगा क्या अंकुश लगायेगा तो इस तरह मान्यवर प्रदेश की विकास गति को अवरुद्ध करने के कदम उठाये गये हैं, तो इस पर अब सरकार की ओर से क्या नीति है इसके लिए आज ही बैठक हो जाए तो ज्यादा उचित रहेगा और इसके लिए मैं समझता हूँ कि न सत्ता पक्ष की कोई दूसरी राय होगी और न ही विरोध पक्ष की ।

× श्री मोहन सिंह —

मान्यवर, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात कहूँगा । जिन दो माननीय सदस्यों ने औचित्य के प्रश्न को लेकर जो कुछ कहा है, उस सम्बन्ध में केवल दो आरोप और लगाकर उनकी बातों में बल देना चाहता हूँ । नियम 301 के अन्तर्गत संविधान की धाराओं तथा अपनी नियमावली के नियमों के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है, जिनसे सदन का कार्य सुनिश्चित होता है । दूसरे राजाज्ञा जब प्रसारित की जायेगी तो उसे पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी के संज्ञान में लाना होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं किया गया तो इससे माननीय मुख्य मन्त्री जी की सुपरमेसी पर असर आया और इसके दूसरी ओर सिविल सर्वेन्ट ने अपने को एक पोलीटिकल मास्टर के रुप में कंवर्ट किया है और जिसकी पुष्टि भी अभी कुछ दिन पूर्व माननीय ग्रामीण विकास मन्त्री जी ने भी कर दी थी । दूसरे मान्यवर ऐसा करके विधान सभा, विधान परिषद्, लोक सभा और राज्य सभा के सम्मान को ठेस पहुंचाया है । इसके अतिरिक्त मेरा खुला एक आरोप यह भी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास जो मन्त्रि-मण्डल है, वह स्वयं उनके विश्वास का नहीं है, और यही वह कारण है जिसकी वजह से बहुत से मामलों में सम्बन्धित मन्त्रीगण के पास पत्रावली न जाकर डायरेक्ट माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास चली जाती है और साईन होकर चली आती है, परन्तु वह संबंधित ऐसे निर्लज मन्त्री हैं जिन्हें अपनी मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं है । मान्यवर, इन सारी चीजों को देखते हुए इस मसले पर विवाद करने की आज्ञा दीजिए ताकि हम अपने पक्ष को आपके सामने रख सकें ।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

× श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, एक फरवरी से यह आदरणीय सदन बैठा है, इस दौरान समय-समय पर नियम 301 व अन्य नियमों के तहत इस प्रकार के औचित्य के प्रश्न आए, जिस पर आपने समय-समय पर निर्देश भी दिये और जिस पर माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने घोषणा की कि इस प्रकार के मामलों पर मा0 नेताओं की बैठक को बुलाकर निर्णय लूँगा, इन सारी चीजों की पृष्ठभूमि को देखते हुए मान्यवर, आप इस पर निर्णय अपना दें इससे पूर्व आप कृपया मा0 नेताओं की बैठक को शीघ्र बुला लें ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो सके।

श्री फखरे आलम

माननीय अध्यक्ष महोदय यह औचित्य का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और गम्भीर है। इस माननीय सदन को सरकारी अफसरों ने और सरकारी कर्मचारियों ने इस कदर तौहीन की है जिसका कि अन्दाजा नहीं हो सकता है। सरकारी अफसरों ने कानून और सब चीजों को अपने हाथ में ले लिया है। इक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर तीन पार्ट हैं हमारे शासन के। अगर इक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर को पाबन्द नहीं है तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि इसको पूरा अख्तियार हासिल करने का मौका दिया जाय। जब यह तय हो गया प्रेसाइडिंग आफिसर की मीटिंग में कि जो भी कोई मीटिंग होगी जिसमें लेजिस्लेचर डिमाइड करेगा तो उसको समाप्त करने के लिए यह किया गया है कि नामिनी जावेगा। जब लेजिस्लेचर जिन्दा है तो उसका नामिनी जावे तो यह अफसोस की बात है। मान्यवर, यह पूरे सदन को तौहीन की गयी है और यह ऐसी बात है जिसका कि कोई भी प्रेसीडेन्ड उत्तर प्रदेश में नहीं है हम केवल एक बात कहकर समाप्त करेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में आफीसर्स ने उसको ओवर-राइट किया तो प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था और हमारे मन्त्री जी को भी इस बात का ज्ञान है। जब इस तरह का काम किया गया है तो पूरे कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए। सदन का बहुत बड़ा अपमान हुआ है और यह अनप्रेसीडेन्टेड है।

× श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह औचित्य का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सदन मंत्रि-परिषद के जरिये प्रदेश में अपना शासन चलाता है। शासन जिम्मेदार है इस सदन के लिए और शासन ने कह दिया कि हमारे बिना स्वीकृति के राजाज्ञा निकल गयी तो यह आशंका पैदा होती है कि शासन के जरिये प्रशासन चल रहा है या प्रशासन के जरिये शासन चल रहा है। शासन तो मंत्रि-परिषद है और जब तक उसका आदेश न हो जाय प्रशासन कोई आदेश नहीं निकाल सकता है। मंत्रि-परिषद में इस पर कोई दस्तखत नहीं किया तो वह शासनादेश है ही नहीं। उन्होंने उसको छपवा दिया इसलिए वह दण्ड के भागी हैं। मेरा तो कहना है कि वह शासनादेश है ही नहीं। वह प्रशासन का आदेश है, उसको रद्द करके कार्यवाही की जाय। इस औचित्य के प्रश्न पर आप गम्भीरता पूर्वक

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचार करें। क्योंकि मन्त्री यह कहकर अलग हो जायगा कि हमने दस्तखत नहीं किये हैं प्रशासन तो हमारे अन्डर में है नहीं, शासन इस सदन के प्रति उत्तरदायी है इसलिए इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

(श्री ऊदल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय ऊदल जी इसको समाप्त करें।

श्री ऊदल—

मैं इस पर बहुत थोड़े में कहता हूँ। यह जो प्रश्न उठाया गया है बहुत ही महत्व-पूर्ण है। मंत्री यह कहें कि हमारी गैर जानकारी में शासनादेश जारी हो गया, यह बहुत बड़ी गम्भीर बात है इसमें सदन का अपमान है। जिसको कि संविधान में इतने अधिकार दिये गये हैं। शासन इस सदन के प्रति जिम्मेदार है उसी का घोर अपमान हुआ है इस लिए इस औचित्य के प्रश्न पर आप जरूर विचार करें मेरी राय है कि यह बहुत व्यापक मामला है और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। आप आज निर्णय न दें। आपने जो कल कहा था जब मीटिंग बुलायेंगे उसमें 'विचार विमर्श' करने के बाद कोई निर्णय लिया जायगा। मैं समझता हूँ कि वही स्थान उपयुक्त होगा। इस पर आप निर्णय सुरक्षित रखें, यही मेरी प्रार्थना है।

+श्री मारकन्डेय चन्द—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल आपने मुझे इस सन्दर्भित प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी और मैंने पूछा था कि इस आदरणीय सदन के अनेक माननीय सदस्य ऐसी समितियों के सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं। अगर हम अपने सम्मान का परित्याग करके ऐसी समितियों में बंधना चाहें तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि आप अपने यहाँ सभी नेताओं की एक मीटिंग बुला लें और बात कर लें। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्री जी की घोषणा के अनुसार आप इस तरह की कोई मीटिंग बुलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में मैं निर्णय दूँगा। अब इसमें बहस नहीं होनी चाहिए। कृपया बैठें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी —

यह बहस की बात नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग भी इस सम्बन्ध में अपनी बात रखना चाहते हैं।

×—श्री दलगंजन सिंह—

मैं इस प्रश्न को आगे बढ़ाकर एक बात कहना चाहता हूँ। इसकी सैद्धान्तिक स्थिति सभी नेताओं ने सदन के सामने रखी। मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान की हत्या की जा चुकी है। जिस प्रजातंत्र में विकास की मीटिंग्स में विधायकों को बैठने का अधिकार

+—वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाप्त कर दिया गया हो, जहाँ अभिघोषणायें मंत्रियों के दस्तखतों से जारी न हो रही हों वहाँ अपंग प्रजातंत्र से अच्छा यह है कि इस प्रदेश में पूरे तौर पर तानाशाही और ब्यूरोक्रेसी को कायम कर दिया जाय और उसमें मुख्य मन्त्री के स्थान पर मुख्य सचिव को बैठाया जाय और मंत्रियों के स्थान पर हर विभाग के सेक्रेटरीज को बैठाया जाय ताकि प्रजातंत्र के इतिहास में यह बात भी लिख दी जाय कि इन लोगों ने प्रजातंत्र की हत्या की थी।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

× श्री श्यामलाल बाजपेयी—

अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित विषय पर बहुत से माननीय सदस्यों ने औचित्य के प्रश्न उठाये और उनके विचार मैंने सुने। इस सम्बन्ध में कल आपने कहा था, मैं सारे नेताओं की मीटिंग बुलाऊँगा और उस पर विचार विमर्श किया जायेगा। जहाँ तक सम्बन्धित विषय का प्रश्न है यह औचित्य का प्रश्न किसी कोने से नहीं बनता परन्तु माननीय सदन के समक्ष जो बातें विचारणीय हैं उनका भी अपना बहुत महत्व है। ग्रामीण विकास की मीटिंग में माननीय विधायकों को बैठने की सुविधा थी जिसके बारे में आपकी पीठ से बार-बार यह कहा गया कि जिस मीटिंग को जिलाधिकारी प्रिसाइड करेंगे वहाँ पर विधायक उस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। मान्यवर, यह बड़े लज्जा की बात है कि आई० ए० एस० का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वह यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह अपनी अध्यक्षता छोड़े। उसकी जगह पर उसने मनोनीत विधायक को स्वीकार किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में नेताओं से आप मंत्रणा कर लें। माननीय विधायकों को उस मीटिंग में पुनः शामिल कर लिया जाय। मनोनीत व्यक्ति से काम चलने वाला नहीं है। आइ० ए० एस० का यह अहंकार कि यदि उसे प्रिसाइड करने का मौका न दिया जाय तो वह सम्पूर्ण व्यवस्था को ही नष्ट कर देगा, इसे यह माननीय सदन स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं होगा।

मान्यवर, आप इस आदरणीय सदन के मुखिया हैं। आप एक पवित्र स्थान पर बैठे हैं। सारे सम्मानित सदस्यों के हितों का संरक्षण आप में निहित है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा और मुख्य मन्त्री जी के ऊपर टिप्पणी की है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। (व्यवधान) सदन उठने वाला है, इसलिये मान्यवर आप आज या कल तक सभी नेताओं की एक मीटिंग बुला लें और उसमें निर्णय लेंगे। क्योंकि दूसरी राजाज्ञा जारी होनी चाहिए।

माननीय सदस्य जिस तरह से उसमें सम्मिलित होते थे उसी तरह से उसमें सम्मिलित होंगे और जिलाधिकारी मीटिंग को प्रिसाइड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोपी नाथ वर्मा —

मान्यवर, हरिजन विभाग में भी इसी तरह से शासनादेश जारी हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

आप बैठें (व्यवधान) आप लिख कर दें।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जो प्रश्न उठाया गया और उसमें जहाँ तक कैबिनेट के उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है सदन के सामने जो भी निर्णय लिये जाते हैं उसमें मन्त्रि-परिषद् के आदेशों के होने का सम्बन्ध है उसमें जो भी बातें यहाँ पर कही गयी हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ उससे अलग मुझे कुछ नहीं कहना है। अभी मैंने प्रोसीडिंग देखी कल माननीय बलराम सिंह जी जब जबाब दे रहे थे उसमें जो आदेश जारी हुए हैं और यहाँ पर तमाम माननीय सदस्यों ने बातें कही और किसी मीटिंग में माननीय सदस्यों को नहीं लिया गया है और डी0 आर0 डी0 ए0 के बारे में भारत सरकार को लिखा गया हम भारत सरकार को फिर लिखेंगे फिर से निवेदन करेंगे कि हमारे माननीय समस्यों की जो भावनायें हैं उनके अनुरूप कार्य होना चाहिये और उसकी अध्यक्षता और उसमें सक्रिय भाग माननीय सदस्यों का रहना चाहिये, उनकी अध्यक्षता भी माननीय सदस्यों को करनी चाहिये। हम भारत सरकार को पुनः लिखेंगे यह मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ।

दूसरी बात यहाँ पर आई कि मन्त्रिपरिषद को सूचित किये बगैर राजाज्ञा जारी कर दी गयी। जहाँ तक किसी भी नीति विषय प्रश्न का सम्बन्ध है या और बात का सम्बन्ध है वह मन्त्रिपरिषद् की अनुमति से होना चाहिये। इसमें माननीय मोहन सिंह जी तथा और माननीय सदस्यों ने जो बात कही मुझे उससे इन्कार नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रश्न इतना है एक निर्णय यहाँ पर लिया गया आपकी अध्यक्षता में कि माननीय सदस्यों को उस कमेटी में नहीं बैठना चाहिये जहाँ अध्यक्षता प्रशासनिक अधिकारी या जिला-धिकारी कर रहे हों। उस सम्बन्ध में केन्द्र से पत्राचार हुआ और जो केन्द्र से जबाब आया वह उसके अनुरूप नहीं था जो यहाँ पर निर्णय हुआ कि माननीय सदस्य उन बैठकों में नहीं बैठेंगे। लिहाजा केन्द्र के डायरेक्टिव के अनुसार राजाज्ञा जारी हो गयी केन्द्र उससे सहमत था और राजाज्ञा जारी हो गयी। (व्यवधान) इससे कोई कांस्टीट्यूशनल क्राइसेस नहीं पैदा होती है कि किसी प्रकार की संवैधानिक आपत्ति इसमें नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

शांत रहें, पहले बात कहने दें।

श्री अम्मार रिजवी—

किसी प्रकार अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं किया गया है (व्यवधान) एक बात माननीय सदस्यों ने कही माननीय बाजपेयी जी ने माननीय मोहन सिंह जी ने, माननीय उदल जी ने तथा औरों ने कही कि आप निर्णय देने से पहले नेताओं को बुला लें यह ठीक है हमें और उन्हें आप पहले सुन लें। जहाँ तक भारत सरकार का प्रश्न है हम उनसे पुनः निवेदन करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

व्यवस्था का प्रश्न है...(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इसमें क्या अव्यवस्था हो गयी जितने भी माननीय सदस्य खड़े हैं सब व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया मैंने उसे ध्यान से सुना। जो शंका हमने उठाई थी उस पर माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सदन ने जो निर्णय लिया उसे शासन ने मान लिया। सदन की पूरी भावना को नहीं माना गया बल्कि एक पार्ट को स्वीकार किया गया कि हम सदस्य उसमें नहीं रहेंगे जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्षता करेंगे तो इस तरह हमको निकाल दिया गया। तो क्या जो यहाँ पर निर्णय हुआ उसके अंश को, जो व्यवस्था यहाँ पर हुई है, उसको माना जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया लेकिन जो औचित्य का प्रश्न मा0 श्री जनार्दन प्रसाद ओझा और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने प्रस्तुत किया है मैं इसके बारे में निर्णय बाद में दूंगा पत्रावली और प्रोसीडिंग्स को देखने के बाद कि मन्त्री जी ने क्या कहा था और क्या बात है। लेकिन जहाँ तक नेताओं की मीटिंग का प्रश्न है वह 8 तारीख के पहले संभव नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 7 तारीख को रख लें।

श्री अध्यक्ष—

हर चीज को इसमें देखना पड़ेगा इसलिये ऐसा सम्भव नहीं होगा।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि 8 तारीख को बहुत से माननीय सदस्य चले जायेंगे, इसलिये 7 तारीख को मीटिंग बुला लें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

यदि सभी मा0 सदस्य सहमत हैं तो 7 तारीख को 9 बजे पूर्वाह्न मीटिंग रख ली जायेगी ?

(सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की)

श्री अध्यक्ष—

ठीक है 7 तारीख को 9 बजे पूर्वाह्न मीटिंग होगी।

× श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है लेकिन संसदीय कार्य मन्त्री जी ने दो विषयों को एक में मिलाने की बात की है। मान्यवर, हमारे अहं और औचित्य की बात है

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसको बाई पास करने की बात है। मान्यवर, मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि निर्णय देते समय दो बातों का ध्यान रखें कि नं0 एक--क्या शासनादेश बिना मन्त्री के जानकारी के निर्गत होगा और नं0 दो--जिस अधिकारी ने ऐसा किया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

पत्रावली देखने के बाद इसमें कुछ कह सकेंगे।

× श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आपने निर्णय सुरक्षित कर लिया तो ठीक है। लेकिन अध्यक्षपीठ से एक निर्णय है कि जो निर्णय सुरक्षित किये जाते हैं उन पर निर्णय शीघ्र आने चाहिये। मान्यवर, आज से एक साल अधिक हो गया है, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया था तो अध्यक्षपीठ से निर्णय सुरक्षित किया गया था। मैंने दो-दो पत्र लिखे, अध्यक्षपीठ तो समाप्त होती नहीं, वहाँ से जो निर्णय सुरक्षित होता है उस पर निर्णय देना होता है, मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ भाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, अध्यक्षपीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस पर अभी तक निर्णय नहीं आया, रिमांइडर के बाद, कल परसों सदन उठने वाला है, इसलिये इस पर निर्णय आप दे दें, यदि आपकी पीठ से इतना विलम्ब होगा तो ब्युरोक्रेसी से कैसे आशा करेंगे और आपके निर्णय में विलम्ब होने के सम्बन्ध में मैं कहाँ शिकायत करूँगा।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात सही है. उस पर निर्णय जल्दी होना चाहिये लेकिन उस पर गहराई से विचार किया जा रहा है।

उरई से प्रकाशित "दैनिक एलार्म" में स्वर्गीय केदार पाण्डेय के स्थान पर वित्त मन्त्री श्री ब्रह्म दत्त की फोटो छापे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

×श्री शंकर सिंह—

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि वित्त मन्त्री श्री ब्रह्म दत्त जी हमारे सामने बैठे हैं, वह इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और एक जिम्मेदार मन्त्री भी हैं, उनकी अवमानना होना सदन की अवमानना है, मान्यवर, समाचार पत्रों में जो छपता है उनसे कभी-कभी भ्रामक समाचार भी फैलते हैं और समाचार पत्रों में हम सभी की रुचि होती है। मान्यवर, उरई का दैनिक एलार्म, समाचार पत्र जो 26 मार्च, 1983 का है उसमें समाचार है कि भूतपूर्व मन्त्री, केदार पांडे नहीं रहे लेकिन जो समाचार पत्र की फोटो स्टेट कापी दिया है और आप इस समाचार पत्र को देखें तो उसमें फोटो हमारे वित्त मन्त्री, श्री ब्रह्मदत्त का दिया है, तो यह बात हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्या वित्त मन्त्री जी ने ऐसा समाचार देकर अप्रैल फूल मनाने की योजना रखा है। इसलिये यह औचित्य का प्रश्न पैदा हो जाता है।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

×वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

और अगर ऐसा नहीं हैं ... (व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, यह पुरबी-पुरबे के अखबार हैं, इस पर विश्वास न कीजिए।

श्री शंकर सिंह—

तो इस पर अवश्य कार्यवाही कीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आपने जिसका जिक्र किया है मैं उसको देखूंगा और उसकी जांच करूंगा, लेकिन औचित्य के प्रश्न का जहाँ तक सवाल है, यह नहीं बनता है और मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

बुनकरी की समस्या के सम्बन्ध में 23 मार्च को उद्योग मन्त्री द्वारा की गयी घोषणा का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी, 23 तारीख को माननीय उद्योग मन्त्री द्वारा सदन में वक्तव्य दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि—प्रदेश में बुनकरों के बकाया देयों की वसूली की समस्या के निराकरण हेतु शासन के नवीनतम आदेशों के अनुसार बुनकरों के ऊपर देय बकाये बैंक ऋण की वसूला कार्यवाही दिनांक 30-6-83 तक के लिए स्थगित की गई और तब तक उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायगी और यह निर्णय लिया गया है कि जो बुनकर दिनांक 30-9-1983 तक बकाये मूलधन का प्रतिदान बैंकों को कर देते हैं तो उनके ऊपर देय ब्याज, दण्ड ब्याज की राशि शासन द्वारा भुगतान कर दी जायगी। शासन के इस निर्णय से बुनकरों को पर्याप्त राहत मिल गई है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सम्बन्धित आदेश आज तक इस प्रदेश के किसी भी जिलाधिकारी के पास नहीं पहुँचे हैं। मैंने जिलाधिकारी, फैजाबाद से सम्पर्क किया था, तो मालूम हुआ कि इस सम्बन्ध में कोई भी ऐसे आदेश वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और उत्पीड़न की कार्यवाही अब भी जारी है। मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया है उसके आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को वह देंगे या नहीं और आदेश देकर माननीय सदन को सूचित करेंगे या नहीं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री वीरबहादुर सिंह)—

मान्यवर, यह एक कैबिनेट का निर्णय है उसके बाद यह कार्यवाही की गई है। माननीय सदस्य को कोई परेशानी है तो उसको देख लिया जायगा।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

पूरे प्रदेश के जिलों में कहीं यह नहीं पहुँचा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी आप इसको देख लीजिएगा और यह कोई खास बात नहीं है। (व्यवधान) मैंने आपकी बात को देख लिया है, जब मालूम हुआ फौरन ही आपको इत्तिला करनी चाहिए थी। आप न कोई नियम सुनते हैं और न बात। इसमें न कोई औचित्य का प्रश्न उठता है और न किसी नियम का ही इसमें उलंघन हुआ, जिसके आधार पर इसको औचित्य का प्रश्न माना जाए।

श्री रामआसरे वर्मा—

मेरा मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय वर्मा जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह इससे सम्बन्धित है कि उद्योग मन्त्री ने सदन में एक वक्तव्य दिया और सदन में यहाँ पर घोषणा की और उस पर हम लोगों ने मन्त्री जी को बधाई भी दी, पर अब माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि किसी भी जिलाधिकारी के पास, जो घोषणा यहाँ पर की गई थी, उस सिलसिले में आदेश अब तक नहीं पहुँचा है। अतः मन्त्री जी ने जो घोषणा की है उसके अनुसार उसे (आदेश) वह जिला अधिकारियों के पास भेज दें और बेहतर होगा कि परसों तक यह भी सदन की जानकारी दे दें कि आदेश भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसे औचित्य के प्रश्न के रुप में अस्वीकार कर दिया है। लेकिन उद्योग मन्त्री जी कृपया इसको देखें और देखना चाहिए कि जो उन्होंने घोषणाएँ की हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं।

श्री गोरेलाल शाक्य—

मान्यवर, मेरा भी विशेषाधिकार का प्रश्न जो मैंने एस0 डी0 एम0, भरथना, जिला इटावा श्री शंकरपाल सिह तथा विकास कमिश्नर इलाहाबाद डिवीजन, श्री बागला के खिलाफ दिया था, लेकिन उन पर आपका निर्णय अब भी लम्बित पड़ता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप यहाँ पर बैठें, इस तरह नहीं। मैं सब देख रहा हूँ।

श्री राज नारायण कार्यवाहक चपरासी के वेतन को तहसीलदार, बिल्हौर (कानपुर) द्वारा जालसाजी करके हड़प लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचना आज प्राप्त हुई थीं, जिसमें से 10 को मैंने स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है।

जो स्वीकार की गई हैं, वे माननीय मोती लाल देहलवी, माननीय राम गोविन्द, माननीय गौरी शंकर भैय्या, माननीय बदन सिह माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय नन्द राम, माननीय कुंवर सिह नेगी एवं माननीय नरेन्द्र सिह भण्डारी, माननीय रेवती रमण सिह, माननीय जसवन्त सिह विष्ट, माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल की सूचनाएं हैं।

× श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, जब अपराधी कानून-पालकों की रियायत पर कानूनी कार्यवाही से बचा रहता है, जो जन-चर्चा का विषय बनता है, और शासनतंत्र पर अविश्वास की भावना व्याप्त होती है। अपराध प्रोत्साहन पाकर बढ़ते हैं।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानपुर में तहसील बिल्हौर की ऐसी ही एक घटना इसका उदाहरण बनी हुई है। इसके डाकूमेन्ट्रीं प्रूफ हैं कि तहसीलदार बिल्हौर ने राजनारायण नामक कार्यवाहक चपरासी का कई माह का वेतन जालसाजी करके हड़प रखा है। संलग्न आवेदन-पत्र डाकूमैन्ट्री प्रूफ के साथ मैंने दूसरी बार 14 फरवरी, 83 को मुख्य मन्त्री, राजस्व मन्त्री तथा जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) को भेजे हैं। पहली जाँच में ही भूतपूर्व अतिरिक्त जिलाधिकारी ने अपराध प्रमाणित पाया था, किन्तु फाइल दबी रही। यद्यपि दुबारा जाँच में भी वर्तमान अतिरिक्त जिलाधिकारी ने अपराध प्रमाणित पा लिया है, किन्तु वह अपने स्थानान्तरण के भय से तहसीलदार के विरुद्ध मुकदमा कायम कराने से इसलिए कतरा रहे हैं कि चूंकि तहसीलदार ने अपने को मन्त्री का रिश्तेदार होना प्रचारित कर रखा है। तहसीलदार ने फर्जी रूप से यह वेतन मुरली नामक व्यक्ति के नाम केवल ड्रा होना दिखा रखा है राजनारायण के भाई व डाकूमैन्ट्री गवाहों को धमकाया व आतंकित किया जा रहा है। गबन व जालसाजी प्रमाणित है सरकार के हितमें तदनुरूप कार्यवाही अपेक्षित है।

गंगा नदी (वाराणसी) में हुई नाव दुर्घटना के फलस्वरूप तीर्थ यात्रियों की मृत्यु एवं लापता होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, वाराणसी जनपद में रामनगर के निकट गंगा नदी में दिनांक 3-4-83 को एक नाव के उलट कर डूब जाने के कारण उस पर सवार तीर्थ यात्रियों में से तेरह तीर्थ यात्री डूब कर मर गये। मृतकों में 6 महिलायें भी शामिल हैं। ये तीर्थ यात्री दक्षिण भारत से भ्रमण हेतु निकले थे। नाव पर अड़तीस तीर्थ यात्री सवार थे। जिसमें महिलायें अधिक संख्या में थीं। ये लोग आन्ध्र प्रदेश के विजय नगर जिले से यहाँ आये थे। राम नगर किले को देखने के पश्चात् अड़तीस तीर्थ यात्रियों ने नाव से गंगा पार करना पसन्द किया, जिसमें से नाव डूबने के कारण तेरह शव प्राप्त किये गये हैं, अवशेष 25 शव अभी तक नहीं मिल पायी हैं। इस घटना से पूरे प्रदेश धर्मावलम्बियों में विशेषकर बनारस की जनता तथा दक्षिण भारत की जनता में दुःख, क्षोभ आतंक एवं अविश्वास भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ

मुरली मनोहर टाउन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बलिया के छात्रों की परीक्षा सम्बन्धी प्रवेश पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

× श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, जनपद बलिया के मुरली मनोहर टाउन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के छात्रों की परीक्षा 5 अप्रैल से प्रारम्भ हो रही है। इस महाविद्यालय में इस सत्र में 6500 विद्यार्थियों के नाम लिखे गये हैं परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा केवल 4000 छात्रों के परीक्षा सम्बन्धी प्रवेश-पत्रजारी किये जाने की सूचना है। इसके कारण 2500 विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। इस घटना से स्पष्ट होकर महाविद्यालय

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्बन्धी प्रवेश-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

के दो विद्यार्थियों ने स्थानीय चौक के मैदान में आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया है तथा छात्र सन्घ के नेताओं ने सभी विद्यार्थियों के प्रवेश-पत्र न मिलने तक परीक्षा न होने देने का फैसला किया है।

उपरोक्त घटना से जनपद की जनता में छात्रों एवं अभिभावकों में सरकार के प्रति अविश्वास एवं रोष की भावना उत्पन्न हो गई है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

ग्राम पनवारी (आगरा) में हरिजन एवं भूमिहीनों को आवंटित भूमि पर कब्जा कर लिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(1 बजकर 15 मिनट)

× श्री बदन सिंह—

महोदय, आगरा की तहसील किरावली के ग्राम पनवारी के खसरा नम्बर 339 रकबा, 4 बीघा, खसरा नं0 320 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा, 15 विसवांसी, खसरा नं0 322 रकबा 17 बिसवा, 15 विसवांसी, खसरा नं0 421/851, रकबा 7 विसवा 15 विसवांसी, हरिजनों व भूमिहीनों को आवंटित सभी खेतों पर देवी सिंह निवासी भदेरुआ, जिला मथुरा, विनोद व हरी बाबू निवासी आगरा शहर, कृष्णगोपाल निवासी पनवारी ने लट्ठ और धन की शक्ति से कब्जा कर भट्ठों की ईटों की मिट्टी काटने का काम स्थानीय अधिकारियों की शह से 4 माह से धड़ाधड़ शुरु कर दिया है ताकि उक्त खेतों से शीघ्र मिट्टी उठ जाय। गरीब हरिजन व भूमिहीन इन शक्तिशाली लोगों से मुकालबा करके कब्जा लेने में असमर्थ हैं। उनमें भारी असन्तोष व आक्रोश व्याप्त है। वे आंदोलित हैं। हरिजनों व स्वर्णों के बीच साम्प्रदायिक अग्नि भड़कने की आशंका पैदा हो गई है।

इस अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से माँग करता हूँ कि उक्त खेतों की मिट्टी काटने का काम तुरन्त रोक दिया जाय और हरिजनों व भूमिहीनों को पुनः कब्जा दिलाने की ठोस व प्रभावी कार्यवाही की जाय।

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ (पाण्डेय गुट) की माँगों की शासन द्वारा उपेक्षा किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

× श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

महोदय, शासन के संज्ञान में यह विषय लाना चाहता हूँ कि कल विधान भवन के दरवाजे पर माध्यमिक शिक्षक संघ (पाण्डेय गुट) के तत्वावधान में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन द्वारा उनकी न्यायोचित मांगों की सतत अपेक्षा के कारण उनमें भीषण असंतोष है।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी माँगे हैं कि तदर्थ शिक्षकों का स्थायीकरण, राज्य कर्मचारियों के समान नगर भत्ता, भवन निर्माण, वाहनक्रय हेतु कर्ज, अवकाश नकदीकरण, सेवाओं का सरकारीकरण, सी0 टी0 वेतनमान समाप्त करके स्नातक तथा प्रवक्ता वेतन मान लागू करने, प्रथम तिथि को भुगतान, कार्यरत एवं अवकाश प्राप्त शिक्षकों के पाल्यों को विश्वविद्यालय स्तर पर निःशुल्क शिक्षा संघ की माँग के अनुसार मानक में संशोधन, ग्रामीण शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता, शुल्क संग्रह कार्य से मुक्ति, अनुदान प्राप्त करने वाले 250 विद्यालयों की सूची का प्रकाशन तथा भविष्य में मान्यता के साथ सहायता, वेतन निर्धारन के एरियर का तत्काल भुगतान करना आदि। शासन से उन्हें तत्काल पूरा किये जाने की माँग करता हूँ।

फार्मेसिस्टों की हड़ताल के कारण चिकित्सालयों में कार्य ठप्प होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

×श्री नन्द राम—

महोदय, आपकी आज्ञा से यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि प्रदेश के डिप्लोमा फार्मेसिस्टों ने कल से सम्पूर्ण प्रदेश में अनिश्चित कालीन हड़ताल प्रारम्भ कर दी है। उनकी न्याय संगत माँगों की सरकार द्वारा सतत् उपेक्षा किये जाने से उनमें असन्तोष है। अस्पतालों का कार्य ठप हो गया है। रोगी अस्पतालों में दवा नहीं पा रहे हैं।

उनकी माँग है कि माँगों के औचित्य को शासन द्वारा दो वर्ष पहले स्वीकार किया जा चुका है तथा उनके क्रियान्वयन के लिये अनेक बार मौखिक और लिखित आश्वासन मिले हैं। बजट पर चर्चा के दौरान कुछ प्रमुख माँगों की सदन में घोषणा की जा चुका है किन्तु उनके शासनादेश अभी तक जारी नहीं किये गये।

मैं शासनादेश तुरन्त जारी करने की माँग करता हूँ।

"कर्म भूमि" के सम्पादक श्री शरद चन्द्र धूलिया को मारने का षडयंत्र तथा जिला प्रशासन की उदासीनता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुँवर सिंह नेगी—

महोदय, कोट द्वार गढ़वाल से प्रकाशित होने वाले उत्तराखंड के प्रमुख साप्ताहिक पत्र "कर्म भूमि" के सम्पादक श्री शरद चन्द्र धूलिया एवं उनके परिवार को स्वतन्त्र एवं निर्भीक पत्रकारिता की वजह से भयंकर जान-माल का खतरा पैदा हो गया है, सम्पादक को पत्रों द्वारा जान-माल की सख्त धमकियां दी जा रही हैं और उनकी हत्या का सुनियोजित षडयन्त्र रचा जा रहा है। श्री धूलिया द्वारा धमकी भरे पत्रों की कापियां उत्तर प्रदेश सरकार को एवं जिला प्रशासन को भेजी गई हैं।

और शासन एवं प्रशासन से जाँच एवं अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा का निवेदन किया गया है परन्तु प्रदेश शासन एवं जिला पौड़ीगढ़वाल का प्रशासन घोर उदासीन है इस वजह से उनका परिवार भयन्कर रुप से भयभीत एवं आतंकित है असुरक्षित है आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतएव हम लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय गृह मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि मामले की जाँच सी0आई0डी0 द्वारा करायी जाय तथा श्री धूलिया एवं उनके परिवार की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय।

इलाहाबाद मेडिकल कालेज के आपरेशन थियेटर में समुचित व्यवस्था न होने से हो रही मौतों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रेवती रमण सिंह—

महोदय,

मैं सदन तथा शासन के संज्ञान में एक अति लोक महत्व एवं अविलम्बनीय तथ्य को लाना चाहता हूँ।

इलाहाबाद मेडिकल कालेज में विगत महीनों में कई मौतें आपरेशन थियेटर में टेटनस की बीमारी से हो गयी, इसका कारण यह था कि आपरेशन थियेटर का ठीक ढंग से रख-रखाव नहीं हुआ था न तो उसमें वातानुकूलन का व्यवस्था की गयी था। इण्डियन मेडिकल कौन्सिल ने जो एक मानक रखा है उन मानकों को पूरा नहीं किया और इसी कारण से वहां पर आपरेशन थियेटर में लगातार लोग मरते रहे, इसका नतीजा यह है कि आज भी अर्थोपैडिक्स विभाग का आपरेशन थियेटर बन्द पड़ा है जिससे लोगों को बहुत असुविधा हो रही है वैसे भी इलाहाबाद मेडिकल कालेज की हालत बहुत ही दयनीय हो गयी है। गन्दगी, मरीजों को दवा न मिलना आदि यह आम बात हो गयी है।

अतः मैं शासन से माँग करता हूँ कि इस पर तत्काल कार्यवाही करें।

उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी के घोषित प्रथम पुरस्कार पाने वाले श्री कुन्दन सिंह नयाल के टिकट को उपकार लाटरी केन्द्र, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा धोखा देकर ले लिए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

×श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से विधान सभा के संज्ञान में उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी के 5 फरवरी, 1983 को घोषित ड्रा के टिकट नम्बर एफ0 एक्स0 196899 प्रथम पुरस्कार सात लाख जो श्री कुन्दन सिंह नयाल, पुत्र श्री मदन सिंह नयाल, ग्राम बौड़ खत्त, पत्रालय लालकुंआ, जिला नैनीताल के नाम पर निकला था किन्तु श्री कुन्दन सिंह नयाल जी से उपकार लाटरी केन्द्र हल्द्वानी वालों ने धोखा देकर श्री नयाल को 850/—देकर वास्तविक टिकट ले लिया इसकी रपट हल्द्वानी थाने में दर्ज है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि श्री कुन्दन सिंह नयाल जी गाँव के कम पढ़े-लिखे गरीब व्यक्ति हैं, को उनके टिकट का प्रथम पुरस्कार देने की

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृपा करें साथ ही उच्चस्तरीय जाँच कर उपकार लाटरी केन्द्र हल्द्वानी को उचित दण्ड दें।

ग्राम सलारपुर (बहराइच) के हरिजनों को भूमि से बदेखल कर देने तथा आंदोलन के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

×श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल —

मान्यवर, प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बहराइच के ग्राम सलारपुर तहसील व परगना बहराइच के भूमिहीन हरिजनों, रामलाल, भुसैली, ननकउ, बेचू, मुलायम आदि को 1976 में गाटा संख्या 641 रकवा 45.70 एकड़ का पट्टा किया गया था परगनाधिकारी बहराइच ने दिनांक 20-10-82 को उपरोक्त भूमि खण्ड का पट्टा हरिजनों से निरस्त करके संत राम पुत्र भगोले कहार के पक्ष में कर दिया तथा ग्राम सभा के प्रधान को दिनांक 2-3-83 को तहसील में उपस्थित होकर पट्टे का अनुबन्ध करने का आदेश दिया।

दिनांक 3-3-83 को प्रधान ने तहसील में उपस्थित होकर हरिजनों से बेदखल की गयी जमीन का अनुबन्ध करने का लिखित रूप से इन्कार कर दिया। तहसीलदार ने प्रधान के प्रतिवाद को निरस्त कर उसी दिन उक्त भूमि का पट्टा सन्तराम के नाम कर दिया।

हरिजनों को गैर कानूनी ढंग से बेदखल कर देने से वहाँ हरिजनों द्वारा आंदोलन शुरु कर दिया गया तहसील के सामने भूख हड़ताल हो रही है तथा किसी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है।

कृपया शासन को निर्देश देकर उन भूमिहीनों को भूमि दिलवा देवें तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आज 26 लोगों की सूचनाएँ प्राप्त हुई थी, जिसमें से 10 सूचनाओं को ले लिया गया है। अब क्या है? आप लोग बैठें।

उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विकास निगम लि, बरेली की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा-विवरण 1976-77 +

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी—)

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विकास निगम लि0 बरेली की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976-77 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (प्रथम संशोधन), नियमावली, 1982 से सम्बन्धित शुद्धि पत्र +

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी—)

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग —2 की विज्ञप्ति संख्या

×वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

+छापा नहीं गया।

++ छापा नहीं गया।

एस0 टी0 2–7781 । दस–5 (2) । 82, उ0 प्र0 अ0–15।1948–नियम 1948 संशो0 (प्रथम)–1982, दिनांक 6 दिसम्बर, 1982 द्वारा प्रख्यापित उ0 प्र0 बिक्री कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982, जो दिनांक 21 फरवरी, 1983 को सदन पटल पर रखी गयी थी, से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र संख्या एस0 टी0-2-409 । दस–5 (2)–82 दिनांक 20 जनवरी, 1983 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1983 एवं उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर नियमावली, 1983 ++

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग की—

(1) अधिसूचना संख्या तीस–ई0-बी0-6 (2) । 82, वित्त (म0 क0) अनुभाग, दिनांक 11 जनवरी, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983 एवं ।

(2) अधिसूचना संख्या तीस–ई0-बी0-6 (8) । 78–वित्त (म0 क0) अनुभाग दिनाँक 15 जनवरी 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर नियमावली 1983 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन विधेयक), 1983

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 21 मार्च, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनाँक 23 मार्च, 1983 बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 27 मार्च, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का आठवाँ अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 25 मार्च, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनाँक 26 मार्च, 1983 को वापस प्राप्त हुआ, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 27 मार्च, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का नवाँ अधिनियम बन गया ।

++छापा नहीं गया ।

दिनाँक 15 जनवरी, 1982 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के सम्बन्ध में होने वाले शोधन वक्तव्य के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आइटम 13 (क) को, माननीय मन्त्री जी के आग्रह पर, मैंने स्थगित कर दिया है क्योंकि उन्होंने दूसरी जगह रहने के कारण आज अपनी असमर्थता प्रकट की है।

विधान सभा की कार्यवाही की समीक्षा का प्रसारण आकाशवाणी लखनऊ केन्द्र के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य केन्द्रों द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि दिनांक 9 फरवरी, 1983 को माननीय विद्यासागर नौटियाल ने सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया था कि विधान सभा की कार्रवाई की समीक्षा का प्रसारण आकाशवाणी लखनऊ केन्द्र के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य केन्द्रों द्वारा नहीं किया जा रहा है। हमने इस सम्बन्ध में भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने सूचित किया है कि विधान सभा की कार्यवाई की समीक्षा प्रतिदिन 8.20 बजे सायंकाल लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के अन्य केन्द्रों से प्रसारित की जा रही है। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वैभागिक कठिनइायों के कारण एक-दो दिन इस कार्यक्रम के प्रसारण में कठिनाई उत्पन्न हुई जो कि अब ठीक कर दी गई है।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, मेरे एक प्रश्न के बारे में माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री जी ने गलत सूचना दी थी···

श्री अध्यक्ष—

उसका वे कल संशोधित उत्तर देंगे, आज मैंने उसे स्थगित कर दिया है।

श्री धनीराम वर्मा—

इसको परसों रख दें।

श्री अध्यक्ष—

वे परसों अगर न रहे तब ?

कार्य-स्थन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत आज मुझे 20 सुचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री राजेन्द कुमार गुप्त, श्री थम्मन सिंह गहलौत, श्री नन्द राम, श्री जटाशंकर सिंह और श्री ख्वाजा हलीम की, अलीगढ़ में पुलिस द्वारा जनता पर लाठी चार्ज एवं गोली वर्षा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उसके आगे श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की, हमीरपुर में पुलिस द्वारा वकीलों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री बलबीर सिंह की, कानपुर में अराजक तत्वों द्वारा 3 व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में, इसी से सम्बन्धित श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन, श्री धनीराम वर्मा की भी है। उसके आगे श्री कुंदर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की, प्रदेश में फार्मि-

स्टों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, श्री मोती लाल देहलवी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मिट्ठसेन, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री परम ई लाल, श्री खैरुल बशर की भी इसी से सम्बन्धित है। उससे आगे श्री शंकर सिंह और श्री दलगंजन सिंह की, मध्य प्रदेश में फूलन के आत्म समर्पण के सिलसिले में सम्मन तामील करने हेतु गये सब-इस-पेक्टर के लापता होने के सम्बन्ध में। उससे आगे है श्री मोहन सिंह की, देवरिया के ग्राम डुमिराया के ग्राम सभापति को पुलिस द्वारा फर्जी इंकाउन्टर दिखा कर मार डालने के सम्बन्ध में, उससे आगे श्रीराम गोविन्द की श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया के 5 हजार से अधिक विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल न किये जाने के सम्बन्ध, में उससे आगे श्री उदल की, वाराणसी में गंगा नदी में नाव डूबने से कई लोगों के मरने के सम्बन्ध। में उससे आगे श्री प्रदीप कुमार यादव की, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर आवास-योजना के अन्तर्गत वहाँ के अल्पसंख्यकों की भमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री मुहम्मद आजम खाँ, की जनपद रामपुर म जुआबाजी के विरोध में जनता द्वारा प्रदर्शन किये जाने के सम्बन्ध में है उससे आगे श्री दुगा प्रसाद मिश्र, श्री हरिवश का, देवरिया में जंगल पार्टी के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। उससे आगे श्री माता प्रसाद पाण्डेय कि जिला योजनाओं द्वारा स्वीकृत सार्व० निर्माण विभाग के वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकृत धनराशि का सरेन्डर करने के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री दिवाकर विक्रम सिंह की प्रदेश के गन्ना समितियों के कर्मचारियों द्वारा अनशन किये जाने के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह की, चकबन्दी कचेहरी सलेमपुर, देवरिया में सी० ओ० से जबरन फैसला करवाने के सम्बन्ध में और आखिरी सूचना श्री दलगंजन सिंह की, ग्राम बहुनिदा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर में पुलिस द्वारा कमिश्नर से मारपीट के फलस्वरूप वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार के सम्बन्ध में।

मैंने इन सबको देखा। जहाँ तक श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की सूचना का सम्बन्ध है इसको मैंने नियम 301 में स्वीकार किया है, जो दूसरी सूचना श्री उदल की है श्रीराम गोविन्द ने पढ़ दिया है नियम 301 में। माननीय प्रदीप कुमार यादव की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत मैं विचार कर रहा हूँ। शाम को निर्णय दूंगा। श्री मुहम्मद आजम खाँ की नियम 301 में हो चुकी है।

श्री मुहम्मद आजम खाँ -

परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं। वह अलग चीज थी यह अलग चीज है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। आप बैठें। श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र और श्री हरिबंश सहाय की 301 में स्वीकार हो चुकी है। बाकी को मैंने केवल ग्राह्यता के ऊपर उसकी महत्ता पर सुनने के लिये श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री थम्मन सिंह गहलौत, श्री नन्दराम तथा श्री जटाशंकर सिंह की स्वीकार किया है

श्री अध्यक्ष—

सर्व श्री बलबीर सिंह, रियासत हुसैन, अकबर हुसैन, धनी राम वर्मा की, कानपुर में 3 लोगों की हत्या के संबंध में है, सुनने के लिए स्वीकार किया है और तीसरी मोहन

सिंह की, देवरिया के ग्राम जमुरिया के ग्राम सभापति की पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउन्टर दिखाकर मार डालने के संबंध में, दलगंजन सिंह को है पुलिस द्वारा कमिश्नर से मारपीट के फलस्वरूप वकीलों द्वारा अदालत के बहिष्कार के संबंध में। जहाँ तक मुहम्मद आलम साहब जो कह रहे हैं, उसको पुनः देखूँगा और तभी निर्णय लूँगा। एक ही आदमी बोल सकेगा।

+श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 31 तारीख को अलीगढ़ में पुलिस ने इतनी बर्बरता के साथ अत्याचार किया, लाठी चार्ज किया, गोली चलाई, निरीह लोगों के ऊपर घर में घुस कर, दरवाजे तोड़ कर महिलाओं को मारा और घटना हाल ही में घटी है। वहां के प्रशासनिक अधिकारी, जलाधिकारी और एस एस पी ने जानबूझ कर साम्प्रदायिक रूप देने की कोशिशकी लेकिन वहाँ के हिन्दू और मुसलमान बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने साम्प्रदायिक रूप नहीं होने दिया।

30 तारीख को होली के अवसर पर बिहारी जी की रथयात्रा निकलनी थी, प्रशासनिक अधिकारियों ने रास्ता रोक कर रास्ता बदल दिया, 7 राउण्ड गोली चलायी, हड़ताल हो रही थी उसको विफल करने के लिए 30 वर्ष का एक नौजवान गोली से मर गया, जिस समय वह मरा, पुलिस ने कुत्ते की तरह घसीट कर उसे जीप में डाला, उसके फटे कपड़े उसके पिता ने मुझे दिखाये, कल मैं वहां गया था। वहाँ के एस एस० पी0, डी0 एम0 ने घरों में घुस कर, वहाँ दयावती नाम की एक औरत से कहा कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, उसको खड़ा करके गोली मार दो, दिल्ली में उसका इलाज हो रहा है। एक मुन्नी देवी से पूछा कि तुम्हारा आदमी कहाँ है, जिलाधिकारी ने उसके बाल पकड़ कर खींचा और पुलिस से कहा तो उसे बन्दूक के कुन्दों से मारा। इतना ही नहीं, इसका चर्मोत्कर्ष तब हो गया जब एक स्वतन्त्रता सग्राम सेनानी, 70 साल के थे, देवेन्द्र शर्मा, अपने घर में बैठ थे, उनके लड़के को पकड़ने के लिए पुलिस वहाँ पहुँची, देवेन्द्र शर्मा को चौकी में बुलाया गया, उनको स्वतन्त्रता सग्राम सेनानी होने की यह इज्जत बख्शी गयी कि उनको वहाँ मारा गया, फ्रैक्चर हो गया, जेल में डाल दिया गया। इतने नृशंस अधिकारियों की जितनी भी निन्दा की जाये कम है। न्यायिक जाँच के भी आदेश नहीं हुए, वहाँ की जनता का विश्वास वहां के एस0 एस0 पी0 और जिलाधिकारी खो चुके हैं, उनको निलम्बित किया जाना चाहिए, उनको वहाँ से तुरन्त हटाया जाना चाहिए,। 11-12 आदमी गोली से घायल हैं, औरतें घायल हैं, उन पर 307 का फर्जी मुकदमा लगा दिया है, उनको रिहा किया जाना चाहिए और जो मारे गये, घायल हैं उनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

मैं उमेश के परिवार की चर्चा करना चाहता हूँ। 20 साल का कमाऊ आदमी था। उसके बूढ़े बाप रिटायर्ड चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे नहर विभाग के। 250 रुपये की नौकरी करता था, तीन छोटे-छोटे भाई हैं उसके अविवाहित। सरकार की ओर से इस तरह की घोषणा भी नहीं की गयी कि उनको सहायता दी जायेगी। अलीगढ़ में तेजी से आंतक बढ़ रहा है। दो तारीख को महिलाओं ने जुलूस निकाला इसके विरोध में।

+वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महिलाओं पर आंसू गैस के गोले चलाये गये। तीन महिलाओं के कपड़े जल गये। अत्याचार बढ़ रहा है। इसलिये मांग करता हूँ कि कार्य स्थगित करके इस मामले की चर्चा कराई जाये। वक्तव्य से समस्या का समाधान नहीं होगा। अलीगढ़ में असन्तोष का वातावरण है। यह झगड़ा हिन्दू और मुसलमान के बीच का नहीं है। हमारे कांग्रेस के मुसलमान भाई उनका कहना है कि यह झगड़ा हिन्दू और पुलिस के बीच में नहीं है बल्कि जनता और पुलिस के बीच में है। जुलूस निकाला जा रहा था, हिन्दू और मुसलमान सबका समर्थन था। अधिकारियों ने जानबूझ कर साम्प्रदायिक रूप देने की कोशिश की। कार्य स्थान प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की है। बहुत से तथ्य मौके पर कहना चाहता हूँ। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सम्पूर्ण कार्य स्थगित करके इस मामले पर नियम 56 के अन्तर्गत चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ख्वाजा हलीम साहब वहाँ के सदस्य हैं। तथ्यों से अवगत होंगे। वह संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

श्री ख्वाजा हलीम—

मैं राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की इस बात से सहमत हूँ कि हिन्दू-मुसलमान के बीच झगड़ा बिल्कुल नहीं था। साम्प्रदायिक रूप देने की कोशिश की गयी। रथ यात्रा निकलनी थी। जिलाधिकारी को प्रार्थन पत्र दिया गया। इसकी दो लाइनें पढ़कर सुना दूं। इसकी कापी मेरे पास है, आपको भेज दूंगा। राजेन्द्र वार्ष्णेय, उप प्रधान, बिहारी रथ यात्रा महोत्सव ने 30 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया था। डी0 एस0 कालेज के सतीश गुप्त और राधे श्याम गुप्ता के भी हस्ताक्षर हैं। इन्होंने लिखा था कि जिस रास्ते से पहले जुलूस निकलता था उसी रास्ते से गत वर्ष की भांति मेला पक्की सरांय, खिरनी गेट से से आगरा रोड होता हुआ अचल ताल से गीतांजली सिनेमा होते हुये फिर चन्द्रा सिनेमा के सामने से मिरी लाल की प्याऊ रेलवे रोड वस्त्रलोक के बराबर गली से पत्थर वाली से बारहदरी हकीम की सराय से होता हुआ अप्सरा सिनेमा से होता हुआ खिरनी गेट वापस आयेगा। यह प्रार्थना पत्र दिया गया जिसको स्वीकृति भी दे दी गयी। हमेशा इसी रास्ते से जुलूस निकलता था जिस रास्ते से निकलने के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया। डी0 एम0 की सेंक्शन मिल गयी। मेरे पास कापी सेंक्शन कापी है। जुलूस शान्ति पूर्वक खिरनी गेट तक आया। वहाँ लोगों ने कहा कि हम रास्ता बदलेंगे। अधिकारियों ने कहा कि उसी रास्ते से जाना होगा जिसकी अनुमति ली गयी है। उस तरफ-मानक चौक का तरफ 17 मुसलमानों को जलाया गया था। जब सन् 80 में फसाद हुआ था—घर जलाये गये थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। जो लिखकर दिया है वहीं से जाना होगा।

एक बात और कहना चाहता हूँ कि वह रास्ते से जाने की मांग नहीं कर रहे थे, वह केवल यह मांग कर रहे थे कि दुबारा मानक चौक घुसने की अनुमति दे दी जाये। एडमिनिस्ट्रेशन ने तीन-चार घंटे की देरी उनको समझाने कर दी। अगर पहले ही कंट्रोल कर लिया होता तो यह घटना न घटती। आगरा रोड पर जुलूस था, वहाँ पर आगरा से बस आ रही थी। एक व्यक्ति को जो मुसलमान था रोडवेज की बस से उतार कर

गोली मार दी गयी, एडमिनिस्ट्रेशन देखता रहा। यदि पहले बल प्रयोग कर लिया गया होता तो संभवतः इस प्रकार की घटना न होती। मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि उस यात्री को जो रोडवेज की बस से यात्रा कर रहा था मुआवजा दिया जाये। वह दूसरी जगह से आ रहा था। उसे बाहर खींचकर मारा गया। मान्यवर, जब कमिश्नर की जाँच हो उस समय इन दो मुद्दों को सामने रखा जाय कि पहले तो उसके आश्रितों को उसका मुआवजा दिया जाय और दूसरा जो बल का प्रयोग देर से किया गया। क्योंकि यदि यह बल पहले प्रयोग कर दिया जाता तो इस प्रकार की घटना वहाँ पर नहीं होती। बस में बैठे लोगों को पीटा गया और उसके बाद पुलिस पर छतों से पथराव किया गया तब पुलिस ने दरवाजे तोड़ दिये। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज भी यह कोशिश की जा रही है कि इसे साम्प्रदायिक दंगा बना दिया जाय। मैं चाहूँगा कि शासन इस पर विजीलेन्स रहे ताकि जो साम्प्रदायिक दंगा बनाने का प्रयास किया जा रहा है वह साम्प्रदायिक दंगा न बने। जिन लोगों ने यह दरख्वास्त लिखी है और मैं इसमें रास्ता लिखकर रास्ते को बदलना चाहते थे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और इस सारी घटना के ऊपर कमिश्नर से इन्कवायरी कराई जाय ताकि तथ्य सामने आ सकें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष —

केवल एक ही सदस्य बोलेगा।

श्री धनीराम वर्मा —

मान्यवर, मैंने अलग से दिया था। साथ में नहीं दिया है।

+श्री रियासत हुसैन —

मान्यवर, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी पिछले दिनों में कानपुर देहात में जो मदरसा काण्ड हुआ था और उसकी बुनियाद में पुलिस ने और प्रसाशन ने एक तरीका अपना कर उसे प्रस्तुत किया था। और उसका वर्जन पुलिस ने जल्दी में ऐसा किया था कि "गुलाब सिंह गरीबी के कारण अपने परिवार को मारकर फरार हो गया है।" लेकिन जब उस मामले पर इस माननीय सदन में माननीय सदस्यों ने कहा कि यह तथ्य बिलकुल गैर-मुमकिन है इसमें कुछ और तथ्य भी निकलेंगे। जब उसमें दूसरे तरीके से जाँच शुरू की गई तो पुलिस ने जो अपना पहले बुनियादी आधार बनाया था वह बिलकुल निराधार निकला। मान्यवर, आज उसी तरीके से वहाँ की पुलिस अर्थात कानपुर देहात की पुलिस द्वारा मदरसा काण्ड की तरह, इस केश में असलियत को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, यह घटना हुई है। एक औरत 46 वर्ष की थी उसके दो बच्चे जिनकी उम्र 21 वर्ष और 26 वर्ष है को मार दिया गया। मदरसा-काण्ड में तथ्यों को छिपाने की वजह से आज अराजक तत्वों को बढ़ावा मिल गया है। आज इनके ऊपर शासन का कंट्रोल नहीं है। इसलिये मान्यवर, मैं चाहूँगा कि इस केस में तथ्य सामने आयें नियम 56 के अन्तर्गत इसमें चर्चा हो। तभी सही रुप में इसमें इन्कावयरी होगी। आज मदरसा-काण्ड की तरह से पुलिस गलत तरीके से मिस-गाइड करने की कोशिश कर रही है।

+वक्ता ने भाषण का पुनर्वीणक्ष नहीं किया।

× श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, मैंने भी अलग से दिया है।...

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, मुझे बड़े दुख और वेदना के साथ कहना पड़ रहा है आज पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आज कानून-व्यवस्था गुण्डों और बदमाशों के हाथ में है और पूरे प्रदेश की पुलिस पूर्णतया अक्षम हो गई है और साथ ही साथ में कहना चाहूँगा कि प्रशासन का आज कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। मदरसा-काण्ड की तरह आज पुलिस इस सन्डीले वाले काण्ड के असली तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है और केस को दूसरे तरीके से प्रस्तुत करना चाहती है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि नियम 56 के अन्तर्गत आज आप इस सदन की कार्यवाही को रोककर इस विषय पर चर्चा करा दें।

×श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक गम्भीर और उत्तर प्रदेश की पुलिस की बर्बरता सम्बन्धी मामला आपके सामने लाना चाहता हूँ। श्री सर्वेश चन्द्र त्रिपाठी, जो देवरिया जनपद के ग्राम जमिराया रुद्रपुर के रहने वाले थे और केवल 32 वर्ष की ही उम्र में ग्राम जमिराया रुद्रपुर जिला देवरिया के ग्राम सभापति चुने गये थे, वे लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डा० गोपाल त्रिपाठी के सगे भतीजे थे। इनको गोरखपुर जिले की झगहा थाने की बरही चौकी की पुलिस ने 11-12 मार्च, 1983 की रात्रि में अज्ञात डाकू घोषित करके फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। बाद में पता चला कि वह कोई अज्ञात डाकू नहीं बल्कि सर्वेश चन्द्र त्रिपाठी थे। उनके परिवार से उनकी पत्नी ने बताया कि देवरिया जिले के मदनपुर थाने के थानाध्यक्ष ने विगत फरवरी में उनकी तलाशी लेने की कोशिश की। इस तलाशी के दौरान सभापति से कुछ तकरार हुई। वे निरन्तर श्री त्रिपाठी को धमकी देते रहे कि उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नवनिर्वाचित सभापति इतने प्रतिष्ठित परिवार के थे, उनके भाई के विवाह में उसका चित्र है, वह चित्र मेरे पास है। श्री श्रीपति मिश्र जी, जो अब श्री विपत्ति मिश्र हो गये हैं, उनका भी चित्र है, डा० गोपाल त्रिपाठी के साथ। ऐसे नौजवान को अज्ञात डकैत कहकर उत्तर प्रदेश की जंगली और नृशंस पुलिस ने उसकी हत्या कर दी है। आदरणीय श्री विपत्ति मिश्र जी के राज्य में प्रदेश की पुलिस आर्गनाइज्ड क्रिमिनल के रूप में विहेव कर रही है। 30 तारीख को मैं मा० मुख्यमन्त्री जी से मिला और मैंने उनसे कहा कि प्रागदर्शन में सारे तथ्य नहीं हैं। डा० गोपाल त्रिपाठी ने जो तथ्य बताये हैं, उन तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ, इनकी जाँच कराकर तत्काल कार्यवाही करिये। मेरे सामने उन्होंने आई० जी० से कहा कि सी० आई० डी० की जाँच हो और सम्बन्धित थानाध्यक्षों को

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तत्काल स्थानान्तरित कर दीजिये। लेकिन आज तक मा0 मुख्यमन्त्री जी के अदेशों का कार्यान्वयन नहीं हुआ। मदनपुर के थानाध्यक्ष श्री त्रिपाठी के परिवार को तथा अन्य लोगों को जो सामूहिक रूप से दरखास्त दे रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं कि अन्जाम बुरा होगा। इस सरकार का कोई नियन्त्रण प्रशासन पर नहीं रह गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की अमानवीय घटना पर, जिसका मैंने जिक्र किया है, आप सरकार को वक्तव्य का निदेश दें और चर्चा करावें।

×श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, जनपद हमीरपुर में बार बिल्डिंग के अन्दर 26 मार्च को वकील आपस में बैठे बातचीत कर रहे थे। एक वकील कमिश्नर जो फसल की कुर्की के लिये अदालत के आदेश को लेकर गया हुआ था, उस समय उस खेत पर उस थाने की पुलिस मौजूद थी और खेत की फसल को कटवा रही थी। कमिश्नर ने अदालत का आदेश दिखाया और यह कहा कि आप इस फसल को काटना बन्द कर दीजिये, अदालत ने आदेश दिया है। उस वकील को वहाँ की पुलिस ने मारा-पीटा। जब उसने हमीरपुर बार में यह मसला रखा 26 तारीख को वे लोग मीटिंग कर रहे थे, पुलिस वालों ने एक जुलूस निकाला, जनता के जुलूस निकलते हुए तो आपने देखे होंगे, उस जुलूस में वे नारे लगा रहे थे—"एस0 पी0 जिन्दाबाद। 'कलेक्टर जिन्दाबाद" यह जुलूस डी0 एस0 पी0 रमा कान्त तिवारी की अध्यक्षता मेंनिकला। तमाम कोर्ट के आदमी और जजेज पुलिस वालों से प्रार्थना करते हैं कि धारा 144 लगी हुई है।

कोर्ट कम्पाउन्ड में आपको पुलिस लेकर नहीं आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जुडीशियरी के किसी आफिसर की कुछ नहीं सुनी और न ही बार एसोशिएसन की सुनी सीधे बार एसोसिएशन कम्पाउण्ड के अन्दर पूरी पुलिस असामाजिक तत्वों व गुण्डों के साथ चली गयी और इस तरह वहाँ पर उपस्थित वकील समुदाय पर लाठी, डन्डों, जूतों और लातों से टूट पड़ी और खूब मारा-पीटा, जिसमें 30 वकील घायल हुए। यह घटना मान्यवर, आजमगढ़ से भी ज्यादा भयंकर घटना हुयी है जिसमें से तीन वकील गम्भीर रूप से घायल हुए हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन से और सरकार से इस बात की आपील करुँगा और निवेदन करुँगा कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाए और सदन में कम से कम इस पर वक्तव्य दिलाया जाए, वरना एक दिन ऐसा भी आयेगा जब पुलिस के डन्डे इनके सिर के ऊपर बरसेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उन सब को देखा है नियम 56 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनाएँ प्राप्त हुयी हैं, मैं इनको अस्वीकार करता हूँ। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को मैं शासन के पास भेज रहा हूँ। (शोर) श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना का जहाँ तक सम्बन्ध है, उसे भी शासन के पास भेज रहा हूँ। ध्यान आकर्षित करने के लिए (शोर) तथा माननीय

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मोहन सिंह की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ और मा0 दलगंजन सिंह की सूचना को भी शासन के पास ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज रहा हूँ (शोर)।

+ श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन की एक सूचना आपको दी थी जो हमीरपुर में पुलिस द्वारा वकीलों पर किये गये लाठी चार्च के सम्बन्ध में था, जिसमें पुलिस की बरबरता से 48 वकील घायल हुए, जिसमें इस सदन के आदरणीय सदस्य जो फतेहपुर के रहने वाले हैं श्री जगदीश नरायन शर्मा, वह भी उस बार एसोशिएसन के सदस्य हैं, वह उस समय वहाँ मौजूद थे, जिन्हें भी काफी चोटें आयीं वह यहाँ पर इस समय मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैं, इसकी आज्ञा नहीं देता। मैंने आपकी सूचना को शासन के पास भेज दिया है, ध्यान आकर्षिन करने के लिए, इसलिए आप कृपया बैठें। धनीराम वर्मा जी आप भी कृपया बैठ, सबकी सूचनाएँ एक साथ स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। जहाँ तक आपकी सूचना का सम्बन्ध है कानपुर के सम्बन्ध में, उसको सुनारियासत साहब को भी इस पर सुना, इसलिए इसको शासन के पास भेज दिया, ध्यान आकर्षित करने के लिए। (व्यवधान)

आज की कार्य सूची की मद संख्या 23 तक लिए जाने तथा शेष मदों को कल लिए जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष

माननीय मन्त्री जी कृपया बैठें। मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। आज एजेन्डे में जितने मद हैं, उनमें से केवल 22 और 23 तक ही लिये जायेंगे और शेष कल ले लिये जायेंगे क्योंकि कल इस प्रकार के कोई वक्तव्य नहीं है। संसदीय कार्य मन्त्री इसे कृपया सुनिश्चित कर लें।

दिनांक 14 मार्च, 1983 को श्री यदुनाथ सिंह द्वारा सरदार पटेल की मूर्ति लगाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये भाषण की प्रतिलिपियाँ कराने हेतु श्री अध्यक्ष की स्वीकृति की मांग

×श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक दूसरी चीज है। 14 मार्च को कार्य स्थगन पर मैं बोला था। लौहपुरुष की जो स्टैचू है, मैंने 50 हजार प्रतिलिपियाँ करा ली हैं, लेकिन प्रेस वाले आपकी इजाजत के बिना नहीं छाप रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मन्त्री जी आप इसको देख लीजिए, यह क्या कह रहे हैं।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985+

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाये।

(इस समय 2 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

मान्यवर, एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है, जब बहुत ही आवश्यक है। मेरी अपनी राय है कि इससे पहले ही इसको आ जाना चाहिए था। इसकी कुछ मोटी-मोटी बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत कुछ उपक्रमों को शासन ने ले लिया था और वे अब विद्युत परिषद के अन्तर्गत हैं। अब मैं चाहता हूँ कि धारा 4 (2) के अन्तर्गत लिए गए उपक्रमों पर भी यह लागू हो। जिनका सेंक्शन दी गयी है उनके अर्जन और मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में कोई बात नहीं है, उसको भी इसमें लाया गया है। जो लाइसेंसी हैं उनके कर्मचारी हैं उनके नियुक्ति का अधिकार विद्युत परिषद को नहीं था और यह उसके लिए सम्भव भी नहीं था तो यह सुझाव है कि इसको भी किया जाये जो अधिकारी विद्युत परिषद के अधीन नहीं हैं उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्यवाही भी नहीं की जा सकती है, इसको भी हम इसमें निहित कर रहे हैं। एक आश्चर्य की बात है कि रिहन्द डैम परिषद के अन्तर्गत चल रहा था लेकिन उसका विधिवत् हस्तान्तरण नहीं किया गया था, उसके विधिवत हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव है। रिहन्द डैम जब विद्युत परिषद के अन्तर्गत नहीं था उस समय जो बिजली दी गयी वह कुछ लोगों को बहुत कम और नाम मात्र का दर पर दी गयी, इसके द्वारा हम बिजली की दर को बढ़ायेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। कुछ लोगों के साथ अनुबन्ध है कि 16 साल से पहले नहीं कर सकते हैं, तो अब इस प्राविजन को समाप्त करने की बात है जिससे मौजूदा दर पर बिजली दें सकें इससे विद्युत परिषद के साधनों में वृद्धि भी होगी। अभी यह व्यवस्था नहीं थी, हम जो पावर कटौती करते हैं उसके सम्बन्ध में प्रभावशाली व्यवस्था करें, वह भी इसके माध्यम से कर रहे हैं। जो बड़े-बड़े उपभोक्ता हैं उनसे भी लैंड रेवेन्यु की तरह वसूल करने की व्यवस्था की गयी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसका भार जनता पर बिलकुल नहीं पड़ेगा। विद्युत परिषद को सुचारू रूप से चलाना है और जो विद्युत दरें अलग-अलग थीं किसी को कम और किसी को ज्यादा वह सब करने का इसमें प्राविधान किया गया है।

यह बहुत जरूरी है और विद्युत् परिषद की व्यवस्था ठीक करने के लिये इसे लाया गया है। मैं माननीय सदन से निवेदन करूँगा कि वह इस पर विचार करने के लिए अपनी स्वीकृति दे।

×श्री रियासत हुसैन

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश

+दिनांक ... के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संशोधन) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। श्रीमन्, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। यह बात सही है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब पहले आ जाना चाहिए था तो आपको रोका किसने था। कौन आपको रोके हुये था। श्रीमन्, हिन्डालको और अन्य बड़ी-बड़ी फैक्टरीज के बारे में इस सदन में डिसकशन होते-होते और करते-करते मेरे बाल सफेद हो गये कि इन बड़ी बड़ी कर्सन को आपने सस्ती दरों पर बिजली दी आपने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था, उनको सस्ती बिजली मिलती थी उसके बारे में आप कह रहे हैं कि आप उनसे बात करेंगे और करेक्ट रेट पर बिजली देंगे। यह सब चीजें पब्लिक अंडस्टेकिंग के अन्तर्गत आपने ली थीं और जो 1910 का अधिनियम था उसके मातहत आपने उनको टेक-ओवर किया उनके कर्मचारी आपके पूर्ण नियंत्रण में नहीं थे इसलिये आपको यह महसूस हुआ कि उनके जो कर्मचारी हैं, और उनके ऊपर जो बकाया था उसको दिलवाया जाना चाहिए था। उनका जो पेंशन का था, ग्रेच्युटी का था या जो भी बकाया था, उसकी वसूलियाबी से सम्बन्धित था। यह जो बिल आपने रखा है वह बिजली से सम्बन्धित है। परिषद् से सम्बन्धित है। इस पर आपने 12/14 आइटम इकट्ठा करके जो आपने आज सदन के सामने प्रस्तुत किया है और अब कह रहे हैं कि इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था तो पहली बात तो यह है कि आपको इसे पहले लाने के लिये रोका किसने था। आप कभी भी इसको ला सकते थे। अब चूंकि आपने सारी चीजें कन्सोलिडेट की हैं और आपका जो विद्युत परिषद् है उसके परव्यु में यह आ जाय, यह आपका मुख्य मकसद है। जो कर्मचारी उसके हैं और उनका जो रुपया है, रिकवरी का पैसा है उसके लिये परिषद् को शक्ति मिल जाय जिससे आप सुचारु रुप से काम कर सकें।

इसका मतलब यह है कि आपका जो विद्युत परिषद इस वक्त है उसकी जो हालत है उसके बारे में कहा जा सकता है कि उस पर चर्चा हो सकती है। इस वक्त जो आपके विद्युत परिषद की हालत है वह बिलकुल जर्जर हालत है, उसको आप इसके जरिये शक्ति प्रदान कर रहे हैं। क्या आपको इस बात का यकीन है कि जो आज उसकी हालत है, जिसके जिम्मे ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, आपका यह बिल उन सारी हालात को पूरी कर सकता है। उसमें लैंड रेवेन्यू की तरह से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कि इस-इस तरह से वसूलियाबी होगी। आपका टोटल 42 प्रतिशत का प्रोडक्शन है, 18 प्रतिशत आप ट्रांसमिशन लासेज बता रहे हैं, इधर 4/5 साल में आपने कुछ घटाने का प्रयास किया है। जितने भी आपके सेक्टर हैं उनमें आपको विवरण की व्यवस्था ठीक से करनी चाहिए। कहीं आप 10 घन्टे बिजली दे रहे हैं और कहीं 6 घन्टे ही दे रहे हैं। इस विधेयक को लाकर माननीय मन्त्री जी जो व्यवस्था करने जा रहें हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मालूम नहीं वाकई में बात कहाँ तक सही है या किसी तबके को खुश करने के लिए यह किया गया हो इसका पता चल जायेगा। आज जो पूरे सूबे के अन्दर हालात हैं आपका विद्युत परिषद जितनी बिजली बनाता है उसकी जो किताब अपने दी है उसमें आपकी क्षमता 3693.85 मेगावाट की है लेकिन आप बता रहे हैं। 12 हजार 500 मीलियन यूनिट तो जो आपकी कैपेसिटी है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं इसी तरह से जनरेशन तथा

डिस्ट्रिब्यूशन में जो चीजें हो रही है उसमें देहात और शहरों में दोनों जगह हालत खराब है खंभे आपके खड़े हैं उनमें तार नदारत है आप कहते हैं लोग निकाल ले गये। आपने उसका काम मुकम्मल नहीं किया। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कंज्यूमर आना चाहिये लेकिन जितने कंज्यूमर हैं उनको आप बिजली नहीं दे पाये हैं चार-चार, पांच-पांच साल से लोगों को एपलीकेशन पड़ी हुई हैं करीब 35 हजार एप्लीकेशन आपके यहाँ पड़ी हैं पहले उनको बिजली दे दीजिये। पूरे हिन्दुस्तान में आपके यहाँ चार्ज लोड सबसे ज्यादा है। आपके अधिकारीगण या जो लोग चला रहे हैं वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं अब आप कहते हैं कि 85 तक हम पूरा कर लेंगे हरदुआगंज में थरमल स्टेशन लगा कर उत्पादन करेंगे। क्या आप इन सब बातों से मुतमयिन हैं या जितने कर्मचारी या राजनीतिक लोग हैं वह आपकी प्रगति से मुतमयिन हैं कि आप यह काम कर लेंगे और बिजली का उत्पादन पूरा कर लेंगे। लेकिन आज जो हालत है उसमें तो हमारा कंज्यूमर भी परेशान है और कर्मचारी भी परेशान है और वह साल में 301 दिन हड़ताल पर रहता है और आपको नोटिस देता रहता है। जो आपके पुराने यूनिट्स हैं वह आहिस्ता-आहिस्ता सिक हो रहे हैं, लॉस पर जा रहे हैं उनका आप नीलाम कर रहे हैं।

अरबों रुपये का सामान स्टेशनों पर पड़ा-पड़ा सड़ रहा है। आज आप इस विधेयक के जरिये से विद्युत परिषद को और शक्तिशाली बना रहे हैं। तो क्या आप उसकी प्रगति से मुतमयिन हैं कि विद्युत परिषद का कार्य ठीक चल रहा है जो और शक्ति उसे देने जा रहे हैं। विद्युत परिषद को आपने लोन की लिमिट बढ़ा दी है दूसरी तरफ उसके घाटे को रोक नहीं पा रहे हैं। शैतान के हाथ की तरह वह बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैंने इसको प्रवर समिति में भेजने की बात कही है। आप स्वयं कहते हैं कि यह बिल पहले आना चाहिये था जो बातें आपने इसमें रखी हैं वह सारी बातें विद्युत परिषद को टच करती हैं चाहे कर्मचारियों का मामला हो, या उनकी तनख्वाह की बात हो या ग्रेच्युटी की बात हो या फिर कंज्यूमर से वसूलयाबी की बात हो हर चीज पर विचार करना है। यह विधेयक हर चीज को टच करता है तो इन सब बातों पर प्रवर समिति में बैठकर विचार करना है जिसमें इसको सीरियसली विचार कर लिया जाये। एक महीने का समय और इसमें लगेगा जितनी कमियाँ हैं उन पर सुझाव आ जायेंगे। आपके इंजीनियर्स की क्या दिक्कतें हैं और कंज्यूमर्स की क्या दिक्कत हैं उन पर प्रवर समिति में विचार कर लिया जाय तो उससे कोई नुकसान की बात नहीं है। जैसा आपने कहा पहले आना चाहिये था जब पहले नहीं आया तो एक महीने बाद आयेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिये मैं आपसे कहता हूँ कि इस पर बैठकर, चूंकि सारी चीजें उद्देश्यों में लिख दी गयी हैं, गम्भीरता से विचार किया जाये प्रवर समिति में और जैसा आप चाहते हैं कि सभी मा0 सदस्यों के सुझावों का समावेश हो सके तो इसके लिये प्रवर समिति को इसको दे दें जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और जहाँ इतना विलम्ब हुआ उसमें एक महीने बाद ही सही।

(2 बजकर 15 मिनट)

×श्री प्रभू नारायण सिंह—

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह जो विद्युत विधि (उ0 प्र0 संशोधन) विधेयक,

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1983 जिसको वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन हेतु इसलिये खड़ा हुआ हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि इससे इसको काफी व्यावसायिक बनाने का प्रयास किया गया है और इसके क्रियान्वयन में जो कठिनाइयाँ थीं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है चूंकि पुराने बिलों को देखें तो जो संशोधन किये गये हैं तो जो व्यावहारिक परेशानी थी उसको दूर करने के लिये, चूंकि हम या आप जो शासन में होगा उसको अनुभव होगा, उधर भूतपूर्व विद्युत मन्त्री बैठे हैं वह जानते हैं कि कितनी कठिनाईयाँ होती थीं और उन्हीं व्यवहारिक कठिनाइयों को लेकर, इसमें संशोधन लाये गये हैं जैसे बकाये की वसूली। पुराने को देखें "उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम 1958 को पढ़ रहा हूँ जिससे मालूम हो जायेगा कि इसको कितना व्यवहारिक बनाया गया है—

"3—जब किसी उपभोक्ता द्वारा किसी सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था को कोई धनराशि जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 47 के अधीन देय प्रतिभूति की धनराशि भी है, देय हो तो नियत प्राधिकारी वह धनराशि बकाया होने के दिनांक से 30 दिन के बाद किसी समय देनदार व्यक्ति के नाम मांग का एक नोटिस तामील कर अथवा करा सकता है जिसमें उस व्यक्ति का नाम उसके द्वारा देय धनराशि तथा वह व्यवसाय-संस्था जिसके सम्बन्ध में धनराशि बकाया हो, उल्लिखित होंगे।

स्पष्टीकरण—(1) नोटिस का रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाना सम्बद्ध व्यक्ति पर पर्याप्त तामील माना जायेगा।

स्पष्टीकरण—(2) बिल में देय धनराशि के भुगतान के लिये उल्लिखित दिनांक की समाप्ति पर सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था को देय धनराशि बकाया हुई समझी जायेगी।"

मान्यवर, इसमें कितनी परेशानी थी जिसमें संशोधन करके अब यह कर दिया गया है कि—

"12—उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 के उपबन्धों को यह स्पष्ट करने के लिये संशोधित किया जा रहा है कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की अनुसूची 6 के अधीन देय प्रतिभूति की धनराशि की वसूली भी भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जा सकती है।"

तो निश्चय ही इसकी प्रसंशा करनी चाहिये क्योंकि जो बकाया रहता है वह वसूली नहीं हो पाता था जिसको अब भू-राजस्व की तरह वसूल करने की व्यवस्था की गयी है। इसलिये मैं समझता हूँ कि यदि किसी भी मा0 सदस्य को केवल विरोध करना है इसलिये इसका विरोध किया जाये या प्रवर समिति को दें तो किसी चीज को यदि टालना है तो प्रवर समिति को दें और कुछ साथियों को टी0 ए0. डी0 ए0 मिलता रहे इसलिये समिति में बैठकर विचार करें तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि इसका कोई औचित्य है। मान्यवर, प्रवर समिति को देकर जो जनता के हित के लिये बात कही जाती है, तो एक तरफ कुछ मा0 सदस्य कहते हैं कि रिहन्द डैम की कम कीमत पर बिजली क्यों दी जाती है और दूसरे उपभोक्ताओं से ज्यादा कीमत क्यों ली जाती है

और जब यह संशोधन करके बराबर करने का अधिकार लिया जाता है और नियुक्तियों में प्रतिनिधियों की बात बढ़ाई जाती है तो उनको क्यों आपत्ति है। इसलिये मैं चाहूँगा कि जो यह विधेयक लाया गया है उसका बिना किसी विरोध के अभी को समर्थना करना चाहिये।

× श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस सन्दर्भित विधेयक के सम्बन्ध में जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रियासत हुसैन साहब ने रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह जो संशोधन विधेयक आया है, इसको मैंने बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश की है और उसके बाद मैं निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जहाँ इसमें दो-एक बातें ऐसी हैं, जिनका समर्थन किया जा सकता है—जैसे बल्क कंज्यूमर्स के टेरिफ को रिवाईज करने की बात है और बकायों को लैंड रेवन्यु की तरह वसूल करने की बात है, लेकिन पूरे बिल को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यह संशोधन विधेयक सरकार की श्रमिक विरोधी नीति का परिचायक है, न्यायालय की अवमानना करने वाला और उपभोक्ताओं का शोषण करने वाला है। साथ ही यह, भी साबित करता है कि इस शासन की प्रशासनिक क्षमता समाप्त हो गई है। इसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि कभी सन् 75 या 76 में हाईकोर्ट का कोई जजमेंट हो गया था, जिसमें यह व्यवस्था हो गई कि बोर्ड में कर्मचारियों की नियुक्ति केवल बोर्ड ही कर सकता है। आप कह रहे हैं कि इसका मुकाबला करने के लिए, हमारे सामने जो अव्यवस्था पैदा हो गई है उसका निराकरण करने के लिए आप इसमें संशोधन लाए हैं। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है सन् 78 में हाईकोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध मामला सुप्रीमकोर्ट में गया था और सुप्रीमकोर्ट ने जो निर्णय दिया है अब्दुल शकूर हासमी बनाम विद्युत परिषद् नामक केस में जो कि एस0सी0सी0 198 के पेज 40 पर दिया हुआ है उसके अनुसार सुप्रीमकोर्ट ने बोर्ड के इस अधिकार को मान लिया है और उसका निर्णय है कि बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति के अपने अधिकार को, शक्तियों को डेलीगेट कर सकता है। उसके इस निर्णय के बाद भी यह इस प्रकार का अमेण्डमेंट इसमें यहाँ पर पेश किया जा रहा है। अतः यह अनावश्यक और इरेलीवेंट है।

दूसरी बात यह है कि मैंने जो प्रारम्भ में कहा है कि यह संशोधन विधेयक श्रमिक विरोधी है, इसके सम्बन्ध में आप उद्देश्य और कारण का पृष्ठ 6 देखने का कष्ट करें, जिसमें इन्होंने कहा है कि— "औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु विनियमों द्वारा नियत करना भी समीचीन समझा गया है।" यानी जो स्टैंडिंग आर्डर हैं, उनको सुपरसीड करके बोर्ड के जो नियम हैं उनके तहत उनकी सेवाशर्तों में संशोधन करना चाहते हैं। यह भी है कि स्टैंडिंग आर्डर जब बनेगें तो उसमें श्रमिकों की राय ली जाएगी और लेबर डिपार्टमेंट के सहमति के बाद ही वह जारी किये जाएंगे। लेकिन अब इसमें श्रम विभाग की राय लेने की कोई बाध्यता नहीं है और आपने बड़ी होशियारी से इसमें परिवर्तन कर

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया है। आप व्यवस्था के रहते हुए भी परिवर्तन कर सकते हैं बोर्ड ऐक्ट के तहत। इसमें भी हम सुप्रीमकोर्ट के एक निर्णय का हवाला आपके सामने देना चाहते हैं। हरिशंकर जैन वर्सेस राज्य विद्युत परिषद् नामक केस में एफ०एल०आर०, 1978 (3) के पेज नम्बर 280 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह निर्णय दिया है कि स्टैंडिंग आर्डर्स श्रमिकों के लिए विशेष विधि है, अतः विद्युत अधिनियम में बनाए गये नियमें इनको निरस्त नहीं कर सकते हैं यानी सुपरसीड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपके द्वारा न्यायपालिका की अवमानना करने की नियत स्पष्ट रुप से दिखाई पड़ती है, आपने ऐसा इसीलिए किया है। इस समय विद्युत मन्त्री नहीं है मुख्य मन्त्री के पास विद्युत विभाग हैं, इनका केवल इस बिल को पायलट करने के लिए दिया गया है। यदि इन्होंने इसको अच्छी तरह से देख लिया होता तो खुद कहते कि मैं इस बिल को पेश नहीं करूंगा। इन्होंने बहाना यह लिया है कि हम जो पुराने मामले हैं, जो कम्पनीज को हमने टेक-ओवर कर लिया था, उनको निपटाना चाहते हैं। लेकिन उनको याद होगा जब वह इस विभाग के मन्त्री थे, तो 1975 में जो आर्डिनेन्श हुआ था, जिसके तहत आपके बोर्ड ने एक स्पेशल कमेटी बना दी थी और एक दो को छोड़कर आपने सबके मामले निस्तारित कर दिये हैं।

उनकी प्राइस का मामला हो गया, तो आज फिर से ले आये अमेंडमेंट, जैसा कि भाई रियासत हुसैन ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका वेज बोर्ड बना हुआ था, 69 से 5 वर्ष के लिए 1974 तक लागू कर दिया। 74 से सभी का रिवीजन होना था। 79 में नया वेतनमान दिया। यह जो लाइसेन्सी आपके कर्मचारी थे, इनके मामले में क्या करेंगे ? यह भी विसंगति इसमें दिखाई देती है। यह जो कम्पनी को ले आये थे, इतने वर्षों में 59 से लेकर 71 तक, जितनी कम्पनियों को टेक-ओवर किया, उस बीच न जाने कितने प्रमोट हो गये होंगे, न जाने कितने मर गये होंगे। इसलिए भी इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। आप ऐक्ट को ठीक करिये, उपभोक्ता का शोषण नहीं होना चाहिए।

आपका कहना है कि जो हमारा पैसा है, उसको हम रेवन्यु की तरह वसूल करेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इसमें जो उपभोक्ता है, उसके हितों की कहाँ पर गारंटी दे रहे हैं ? आपके यहाँ व्यवस्था है कि मिनिमम चार्ज लिया जायगा। मैं उसके विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। लेकिन बोर्ड का आर्डर है, बी० ओ० है कि वित्तीय वर्ष के पहले-पहले हो जाना चाहिए और जिस दिन मिनिमम चार्ज पूरा हो जायगा, उसके बाद ऐक्चुअल बिल जायगा। क्या आपने इसके बारे में कोई जानकारी करने की व्यवस्था की कि इस बी० ओ० का पालन हो रहा है ? आप स्पष्ट रुप से उपभोक्ता के हित में आदेश जारी करें। एक दूसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो बिलिंग के बारे में है। कम्प्युटर की करामात जब से प्रारम्भ हुई है, तब से यह हुआ है कि बिल की निर्धारित तिथि निकल जाने के बाद बिल मिलता है। क्या यह नहीं हो सकता है कि आप यह नियम बना दें कि जिस तारीख को बिल उपभोक्ता को प्राप्त हो, उसके 15 दिन के बाद की तिथि निश्चित कर दें। मान लीजिए कि किसी का मीटर बन्द हो गया, यह भी मैं मानता हूँ कि लोग कभी-कभी जानबूझकर मीटर

खराब कर देते हैं। जब तक मीटर ठीक नहीं होगा, तब तक प्रति हार्स पावर के हिसाब से 8 गुना यूनिट का बिल चार्ज किया जायगा। आप जल्दी तो मीटर ठीक नहीं कराते हैं। अगर हम अपनी सिक्योरिटी जमा करते हैं, तो उसके ऊपर आप 3 परसेन्ट ब्याज देते हैं। लेकिन आप कितने परसेन्ट ब्याज लेते हैं।

(सदन को बिजली चली गयी।)
(बिजली आने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गुप्ता जी, अगर दुबारा बिजली गायब हुई, तो आपकी आवाज पूरे हाल में गूंजती है, आप बोलते रहियेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हमने कुछ कह दिया, अगर तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात लिख जायगी, तो उससे कभी कार्यवाही देखने पर पता चलेगा कि मैंने इन-इन बातों को कहा था। मैं तो मान्यवर, अपने स्वांतः सुखाय के लिए बोलता रहता हूँ।

अब मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि बोर्ड में संवेदनशीलता का अभाव है। इन्होंने जनरेशन की बात कही है। धारा 4 में एक जगह प्राविधान आया है टेक ओवर करने की बात आपने कही है। इसे देखकर मुझे अच्छा लगा, ठीक है आप टेक ओवर करें। लेकिन टेक ओवर करते समय आप देखें कि उस समय कितना जनरेशन था और बाद में कितना जनरेशन हो रहा है। रेनुसागर जिसको आप टेक ओवर करने जा रहे है उसकी जो टोटल इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है उसका 90 परसेंट जनरेशन है। आपका कितना है। मेरे पास समय कम है नहीं तो मैं आपके सामने आंकड़े रखता। लेकिन जिन कम्पनीज का आपने टेक ओवर किया है उनके जनरेशन का परसेंटेज बराबर गिरता गया है। आप टेक ओवर करें लेकिन अपनी इफीशियेंसी बढ़ायें। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आपका ओबरा है। जो उसकी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है उसका 25, 30 परसेन्ट जनरेशन कर रहा है। ओबरा के बारे में एक दल केन्द्रीय सरकार का आया था। उसने ओबरा को देखा और बहुत सी सिफारिशें की हैं। एक सिफारिश यह है कि ओबरा का जो रसायन है उसको सक्षम कीजिये। अगर आपकी जनरेशन बढ़ाने में रुचि है, जैसा कि मैं विश्वास करता हूँ तो रुचि के अनुरूप काम होना चाहिये। इसी सन्दर्भ में मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरे जिले सीतापुर में 66 के0 वी0 की लाइनें हैं। यह लाइनें बहुत पुरानी हैं। लाइनें फाल्टी हैं। तो वहाँ पर आप 33 के0 वी0 की लाइनें कीजिये। विद्युत उपग्रह जो 7 हैं उनकी जगह पर 20 कर दें। अगर नहीं करेंगे तो बिजली की तरफ से यह बहुत पिछड़ा जिला है, बिजली के अभाव में मर रहा है।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि पॅच वर्क निगम में करना है तो इससे बोर्ड की इफीशियेंसी बढ़ने वाली नहीं है। बोर्ड में जितने भी काम हैं उनके लिये अभियन्ताओं का जाल बिछा रखा है। बोर्ड का एक काम है डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा काम है संपरीक्षा, तीसरा काम बिलिंग का है और एक काम कार्मिक विभाग का

है । कार्मिक विभाग का काम इन्जीनियर्स देख रहे हैं । बिलिंग का काम इन्जीनियर्स देख रहे हैं तो इससे इफीशियेंसी नहीं बढ़ने वाली है। आपस में कोई तालमेल नहीं है । जहाँ पर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कम हो वहाँ पर इन्जीनियर्स काम करें। जो काम उनके लिये उचित नहीं है वह उससे न कराया जाय । तभी जाकर आप बोर्ड में इफीशियेन्सी ला सकते हैं। बोर्ड का जो आज का स्वरूप है वह सफेद हाथी की तरह हो गया है । जब आप विधान परिषद् में विपक्ष के नेता थे तो हम समाचार पत्रों में पढ़ते थे कि कितनी निन्दा आपने किया था। उसके बाद आप आये, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट आज तक नहीं हुआ । तो अगर सर्वांगीण तरीके से, सम्यक रूप से विचार नहीं किया जायगा तो बोर्ड की तरक्की नहीं हो सकती । अगर बोर्ड को व्यावसायिक संस्था बनाना है तो क्या परिवर्तन किया जाय, इन सब मुद्दों पर विचार करने के लिये इसको प्रवर समिति में भेजें। आप आज 1983 में इक्जीक्यूशन करने जा रहे हैं, पहले ही आपने इसको स्वीकार किया है तो यहाँ इन चीजों को लाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप लाये हैं तो केवल महीने भर की बात है। प्रवर समिति में इधर के और उधर के लोग होंगे । क्योंकि मैंने प्रवर समिति की वर्किंग देखी है वहाँ पार्टी की भावना से ऊपर उठकर सम्यक विचार किया जाता है ।

मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रवर समिति में भेजें वहाँ पर सभी मुद्दों पर विचार होगा और रिपोर्ट आयेगी । इस बात को सुनिश्चित वहाँ कर लिया जायगा कि इससे कहीं मजदूरों का अहित तो नहीं होने वाला है या न्यायपालिका की अवमानना तो नहीं है। सरकार को रेवेन्यू मिले लेकिन इसके साथ-साथ उपभोक्ता का भी शोषण नहीं होना चाहिये । तो इन संदर्भित मुद्दों को ध्यान में रखते हुये प्रवर समिति में इन सब बातों पर विचार होगा । इसलिये मैं माननीय रियासत हुसैन ने जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूँ ।

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह जो बिल सरकार की तरफ से पेश हुआ है और जिसके सम्बन्ध में माननीय रियासत हुसैन साहब ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव दिया है तो मैं माननीय रियासत हुसैन के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि प्रवर समिति में इसके जाने से आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि सरकार को इससे कुछ मदद ही मिलेगी । जैसे रेवेन्यू वसूल करने का मामला है । आपने रेवेन्यू विभाग के जरिये से कर दिया है, उसी से वसूली होगी । लेकिन बहुत से मुद्दे इस बिल में आप नहीं ला पाये हैं । मैं चाहता हूँ कि उनको भी समुचित तरीके से विचार करके, जल्दबाजी न करके, उस पर विचार कर लें और उन मुद्दों पर विचार करके ही आज इस बिल को इस हाउस में पास करायें । जैसे कि एक चोरी का मामला है, मैं मिसाल देना चाहूँगा कि लाइन लासेंस 18 प्रतिशत दिखायी जाती है, माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि 18 प्रतिशत में बहुत बड़ा भाग लाइन लासेंस का चोरी का है, लेकिन उसमें हम कुछ कर नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा हुआ तो हम डिसकनेक्शन कर देते हैं । न तो हम मुकदमा चला पाते हैं और न जो चोरी

करने वाला है, उसे दण्ड दे पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस चोरी को इनकारपोरेट कर लिया जाय कि जो लोग चोरी करते हुए बिजली की पकड़े जायेंगे, उनका विद्युत विच्छेदन तो किया ही जायेगा, लेकिन उसके साथ-साथ जैसे रेलवे में होता है, और जगहों में भी होता है, उनको इमीडियेट पनिशमेंट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कारखाने से लेकर, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर और शहर के अँचलों में आज यह आम बात हो गयी है कि लोग कटिया लगाकर बिजली लेते हैं और उसको आपके अधिकारी रोकने में सक्षम नहीं हैं।

मान्यवर, आज आप विद्युत विभाग को, विद्युत परिषद को व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में चला रहे हैं। आपको यह भी देखना है कि जहाँ आप यह सुधार कर रहे हैं, क्या इससे अपेक्षित सुधार विद्युत परिषद् के कार्य प्रणाली में होगा कि नहीं होगा? अगर इससे अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता है, इसलिए आपको इसमें इन बातों को सोचना चाहिए कि आज आम जनता में विद्युत परिषद् के प्रति क्या राय बनी है। आज आप देखें कि जो विद्युतीकरण करा रहे हैं, ग्रामों का, हरिजन बस्तियों का, प्राइवेट ट्यूबवेल्स का, जो आपने टारगेट रखा है, 31 मार्च तक केवल 5[illegible] प्रतिशत आपका टारगेट पूरा हो पाया है। आपने पाँच हजार गाँव रखे थे, जिसमें से लगभग 25 सौ गाँव ही हो पाये। जहाँ आपने [illegible] हजार प्राइवेट ट्यूबवेल्स का टारगेट रखा, उसमें जो आंकड़ा मालूम है, उसके अनुसार आप 14 या 15 हजार से ज्यादा प्राइवेट ट्यूबवेलों को बिजली नहीं दे पाये हैं, इर्नजाइजेज्ड नहीं कर पाये। एक तरफ तो विद्युत परिषद् को अधिकार दे रहे हैं, ठीक है देना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ उसकी जिम्मेदारी भी आपको फक्स करनी चाहिए, जिससे वह उत्तरदायी हो इस सदन के प्रति, जनता के प्रति और स्वयं इस मंत्रि-परिषद् के प्रति। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ब्रह्म दत्त जी का ध्यान इंडियन इलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट के पेज 7 की धारा 10 की उपधारा (4) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि—

'ए मेम्बर हू हैज बीन रिमून्ड शैल नाट बी इलिजिबिल फार रिएबाइन्टमेन्ट ऐज मेम्बर आर इन एनी अदर कैपेसिटी टू दि बोर्ड'।

यानि जो मेम्बर बोर्ड से हटा दिया गया है, वे लाइजीबिल नहीं होगा फिर से मेम्बर बनने के लिए या और भी किसी कैपिसिटी में।

मान्यवर, आज जो परिषद् के मौजूदा अध्यक्ष हैं आपके वे किन्हीं कारणों से हटा दिये गये थे और टाटा में उन्होंने नौकरी शुरु कर दी थी। लेकिन अब वे पुनः टाटा से अपना डेपुटेशन लियन लेकर सरकार की सेवा में पुनः वापस आ गये। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को जो इनके पिब्लिटी के आधार पर मेम्बरशिप से हटाया गया था, उनको आपने कैसे चेयरमैन बना दिया? जब कि इस ऐक्ट में प्राविधान है कि ऐसे आदमी को फिर से मेम्बर नहीं बनाया जायेगा, या और किसी पद पर नहीं रखा जायेगा। उपधारा 9 में ऐसे आदमी को, जिसका कहीं और भी इन्टरेस्ट हो, आज टाटा टर्मिशन्स लाइन के बाबत बहुत सा काम विद्युत परिषद् का करोड़ों का, अरबों का, खरबों का, कर रहा है, तो ऐसे आदमी को

श्री राम स्वरुप निग—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह है कि हाउस का कोरम पूरा नहीं है।

श्रीधरम पाल -

मान्यवर, इस पर व्यवस्था हो चुकी है कि लॉबी इज पार्ट आफ दि हाउस,

—लोग लॉबी में बैठे हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह मैं नहीं मानता हूँ, उनको हाउस में ही होना चाहिए, कोरम नही है, तो घंटी बजाई जाय।

(गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं यह अर्ज कर रहा था कि विद्युत परिषद् का फिर से पुर्नगठन किया जाये और उसे एक ऐसा इन्सट्रमेंट बनाया जाये तो आपके आदेशों को, जो आप चाहते हैं उसे सही ढंग से कार्यान्वित करा सकें। जब तक ऐसा नहीं होगा आपका टार्गेट पूरा होने वाला नहीं है। माननीय चौहान जी, जो भारत सरकार के प्लानिंग मिनिस्टर हैं, उनसे जब अभी हाल में माननीय विद्युत मन्त्री जी पैसा लेने गये तो उन्होंने इस परिषद् के बारे में और परिवहन निगम के बारे में यह कहा कि हम इन दोनों के लिये पैसा नहीं दे सकते क्योंकि इन दोनों से जो अपेक्षायें थीं वे पूरी नहीं हो सकीं। आप टार्गेट तो फिक्स करते हैं, पर वे पूरा नहीं करते। आप हर महीने इस विभाग की मानीटिर्यरिंग करके देख लें कि कितना काम होता है। विद्युत परिषद् साल में केवल दो माह, फरवरी और मार्च में टार्गेट को पूरा करने का काम करती है। बाकी 10 माह काम नहीं करती। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि आप हर माह मानीटियारिंग करके देखा करें कि क्या-क्या काम हुआ है। अगर काम नहीं हो तो तुरन्त आप उसके लिये जिम्मेदारी फिक्स करें और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वहां पर व्यापक रूप से इस पर चर्चा हो सकेगी। उसके बाद इसमें सुधार करके आप इसे लायें और जनता को आप यह दिखा सकें कि आपने सुधार किया है। केवल आंकड़ों के द्वारा आप सुधार नहीं कर सकते।

(श्री लाल प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया समय का भी ध्यान रखें।

×श्री लालप्रताप सिंह--

अधिष्ठता महोदय, बहुत विस्तार के साथ इस विधेयक पर चर्चा हुई। जो बात प्रवर समिति में भेजने की कही गयी है। मेरे विचार से प्रवर समिति में इसे भेजने की आवश्यकता नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं होगा।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले जो तजुर्बे थे उनको मद्देनजर रखते हुये यह विधेयक लाया गया है इसकी वर्किंग को बेहतर बनाने के लिये। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो गुप्ता जी ने बात कही और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि स्टैंडिंग आर्डर इन्स्टेट्यूटस को सुपरसीड नहीं कर सकता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा अगर कोई उपभोक्ता परेशान है उसका बिल ज्यादा आ गया है तो उसके लिये क्या उपचार हो। मैं चाहता हूँ कि उसका भी अदालत जाने का अधिकार होना चाहिये और वह लड़ सके कि उसका बिल गलत है। वहाँ उसको न्यायालय में रिलीफ मिले। हम लोगों के सामने बराबर यह शिकायत रहती है कि हमारा बिल गलत हो गया है इतना होना चाहिये 4 सौ हो गया है 100 होना चाहिये। एक हजार की जगह [illegible] हजार हो गया है।

मैं मन्त्री जी से कहना चाहूँगा कि हमारे जनपद में लोग मिले उन्होंने बताया कि हमारा बिल इतना आ गया था लेकिन ऐसा इंतजाम किया कि वह घट गया जो चाहता था उतना हो गया। इस तरह की प्रक्रिया आजकल चल रही है। जब आपने कुर्की की व्यवस्था कर दिया रेवेन्यू विभाग से वसूली की व्यवस्था कर दिया तो ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिये कि अदालत में उपभोक्ता चैलेन्ज कर सके। जिलों में जितनी शिकायत विद्युत और परिवहन की आती है उतनी किसी विभाग की नहीं आती है। आती और विभागों की भी शिकायतें हैं। मैं निवेदन करूँगा कि कोई बिल कोई कानून कैसा वर्क कर रहा है पब्लिक पर क्या असर डाल रहा है उससे अच्छाई-बुराई देखी जा सकती है। किसी को सारी शक्ति देने से या कम करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। किस तरह की वर्किंग है और किस तरह लोग सन्तुष्ट हैं यह किसी बिल के अच्छे होने का नतीजा है। इसमें यह देखने की जरूरत है कि इसको जो क्रियान्वित करने वाले लोग हैं अगर वह अच्छे ढंग से दिल से किसी चीज को क्रियान्वित नहीं करते तो लाभ नहीं हो पायेगा। इसको देखने की जरूरत है। कोई बिल या कानून तब बेकार हो जाता है जब उसको क्रियान्वित करने वाले लोग उसको दिल से जनता के हित को दृष्टिगत रखकर नहीं करते। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और उस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ जो प्रवर समिति को देने के लिये है।

×श्री बलवीर सिंह (रामपुर) –

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया। माननीय रियासत हुसैन ने जो इस संशोधन को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का सुझाव दिया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मान्यवर, विद्युत परिषद की बात आयी। जब से यह सफेद हाथी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है।

वह सारे बजट को खा गया है। हमारे मंत्रीगण सुनने में बहरे हैं और उकीट सोचने की शक्ति चली गई है। सत्ता के सहारे पास करा लेते है देहाती क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि लगभग 6 से 10 बजे तक रोशनी कभी नहीं हुई। बिल आता है। ले लिया जाता है। नहीं दिया जाता है तो तहसील के मार्फत वसूल किया जाता है। कनेक्शन

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काट दिये जाते हैं। इस तरह से किसानों का दो तरह से उत्पीड़न होता है। एक तो उत्पादन नहीं हो पाता और कनेक्शन काट दिया जाता है। उसके उपरान्त लगान एरियर की तरह तहसील द्वारा वसूली की जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से माँग करूँगा कि ट्यूबवेल के जो कनेक्शन दिये गये हैं, न काटे जायें या किसान का उत्पीड़न हो। दो तरह का उत्पीड़न, यह किसान के साथ जुल्म है। कनेक्शन काटा गया, रिकवरी तहसील के माध्यम से होगी और जब से काटा गया और जब कनेक्शन जोड़ा गया उसके बीच का पैसा किसान से न लिया जाय।

देहाती क्षेत्र में दस्तकारी लगी है, उनको भी 4-6 घण्टे बिजली मिल रही है। वायदा 10 घण्टे का किया है।

श्री अधिष्ठाता—

बलबीर सिंह जी, प्रवर समिति को भेजा जाय, इस पर बोलें आप। जनरल में जो कह रहे हैं, उसका यह समय नहीं है।

श्री बलबीर सिंह—

इसमें कोई हर्ज नहीं कि प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। क्योंकि ये मंत्री अफसरों की बुद्धि पर चलते हैं, उसमें सदस्य होंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, इसलिए रियासत साहब ने जो प्रस्ताव किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

×श्री राम स्वरूप निम

इस पर जब विवाद शुरू हो गया है, तो पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस पर बोल रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं इसलिए औचित्य बनता है कि इसमें जो कमियाँ रह गयी हैं, जो बिल पेश किया है, बोर्ड की सलाह पर किया, इसीलिए इसको प्रवर समिति में भेजने की बात कही गयी। ज्यादातर सदस्य देहात से आते हैं और खुद भुक्त-भोगी हैं, वे इस पर विचार कर लें, सभी मुद्दों को शामिल कर लिया जाये, इसलिये यह अच्छा रहेगा कि समिति द्वारा इस पर विचार किया जाये।

किसानों का या कन्ज्यूमर्स को कहीं भी शिकायतें होती हैं तो शिकायत जिन अधिकारियों के खिलाफ की जाती है वही जाँच अधिकारी होता है। अन्ततोगत्वा परिणाम यह होता है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। माननीय मन्त्री जी अगर स्वीकार करें तो मेरा एक सुझाव है इस सरकार के लिए कि वह अपने स्तर पर या परिषद के स्तर पर एक सेल बना दे। अगर कोई गम्भीर शिकायत किसी अधिकारी के खिलाफ मिले तो किसी अधिकारी से जाँच न कराकर उस सेल से जाँच कराई जाये ताकि सही जाँच हो सके। जो दोषी पाया जाये उसे दंडित किया जा सके। होता यह है कि जो किसान है, उपभोक्ता है, जिसकी गल्ती नहीं होती, इसके बावजूद उसी को दोषी पाया जाता है और कनेक्शन काट दिया जाता है। एक मामला मेरे क्षेत्र का है। मैंने परिषद को, माननीय मन्त्री जी को लिखकर दिया है। एक किसान ने ट्यूबवैल के लिये कनेक्शन लेने के लिये 4 हजार रुपया जमा किया। कहा गया कि रुपया पता नहीं चला कहाँ गया। उसने कनेक्शन के लिये पुनः चार हजार रुपये जमा किये। आठ हजार रुपया जमा करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। विद्युत विभाग इस

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपये को वापस नहीं करा पा रहा है। प्रवर समिति को सुपुर्द करने से सारे सदस्य अपने-अपने क्षेत्र को समस्यायें रखेंगे। बिजली का महत्व बढ़ गया है। आदमी की जिन्दगी की आवश्यकता बन गई है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामस्वरूप निम—

मान्यवर, इस मसले पर समिति विचार कर ले। पक्ष और विपक्ष विचार कर ले। सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा हैं, बिल पास करने में दिक्कत नहीं होगी। मन्त्री जी पहाड़ और देहात में रहे हैं। अधिक नहीं तो थोड़ा बहुत तो उन्हें अनुभव भी है। बिल में संशोधन न करके अगर परिषद् के ऊपर ही निर्भर रहे तो आशय पूर्ण न होगा। इसलिये पुनः जोर देकर रियासत हुसैन साहब के सुझाव का समर्थन करते हुये आपके माध्यम से आग्रह करुँगा कि जहाँ इतना समय लग गया, एक महीने इस पर समिति विचार कर ले।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के समर्थन में कुछ तथ्य आपके सम्मुख रखूँगा। पहली बार जब 1982 नवम्बर में 15 प्रतिशत विद्युत दरों में वृद्धि हुई थी तब उसके समर्थन में मुख्य मन्त्री जी ने अनेक बातें कहीं। उनके अपने ही वक्तव्यों में बहुत विरोधाभास थे। उस समय उन्होंने कहा कि 80-81 में जो टोटल सेल हुआ वह 8860, 19 मिलियन यूनिट हुआ। एवरेज 39.78 पैसे था। उनके अनुसार 352 करोड़ रुपये का टोटल सेल हुआ। बोर्ड का जो लेजर रिकार्ड है वह यह कहता है कि उस समय टोटल सेल हुआ 344.19 करोड़ रुपये का। भार में वृद्धि होने से जो 84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आया है उसको पूरा करने के लिये 15 प्रतिशत की वृद्धि की। दूसरे स्थान पर मुख्य मन्त्री जी अपने बयान में कहते हैं 15 प्रतिशत की वृद्धि से 84 करोड़ का अतिरिक्त भार पूरा नहीं हो पाया है। इससे 66 करोड़ का व्यय भार पूरा हुआ है।

इससे सिर्फ 66 करोड़ रुपये का भार पूरा हो रहा है। इस 18 करोड़ रुपये के भार को पूरा करने के लिये आप विद्युत दरों में वृद्धि करेंगे। इसके अलावा मान्यवर, उस समय जो 90 पैसे प्रति यूनिट कामर्शियल रेट किये हैं एक लाख की आबादी वाले में.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय श्री नेगी जी, माननीय श्री रियासत हुसैन जी ने और माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो यह संशोधन पेश किया है, उस पर यदि आप कुछ नये सुझाव दें प्रवर समिति में जाने के लिए तो ठीक है।

श्री कुँवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा था कि आज जो यह विद्युत परिषद् है इसके अलग-अलग समय पर अलग अलग बयान आते हैं। यह एक इतना महत्वपूर्ण विषय है और मैं समझता हूँ कि इसे प्रवर समिति के समक्ष विचार के लिये रखा जाय ताकि

सभी लोग इस पर विचार कर सकें चाहे वह कृषि से सम्बन्धित हो और चाहे वह इण्डस्ट्रीज से सम्बन्धित हो, यह विधेयक प्रगति से सम्बन्धित है। इस पर प्रवर समिति में जरुर विचार होना चाहिये।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, आम तौर पर यह कहा जाता है कि हम लोग बगैर सोचे समझे अफसरों के बताने पर विधेयक पेश करते हैं। मान्यवर, इसी माननीय सदन में हमेशा माननीय सदस्यों की यह माँग रही है कि बिजली की दरों को समान किया जाय और मैं समझता हूँ कि स्वयं विरोधी पक्ष के भाई भी इसकी माँग करते हैं और जब मैं भी विरोध पक्ष में था तो मैं भी कहा करता था कि दरों को समान किया जाय। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं। कुछ पुराने एग्रीमेंट्स है जो 16 साल से पहले बदले नहीं जा सकते हैं अगर 16 वर्ष के बाद भी उनमें कुछ नौमिलन इन्ट्रीज की जा सकती हैं। मान्यवर, मेरा एक नम्र निवेदन हैं। हमारे उधर के बैठे सभी भाई विद्वान हैं और यह भी जानते हैं कि हर विधेयक की एक परिधि होती है और उस परिधि के अन्तर्गत सभी चीजें नहीं आ सकती हैं। दूसरी बात, हमारे जो प्राइवेट कम्पनियों के कर्मचारी है उनका हमें भुगतान करना है।

मान्यवर, 3-4 बातें मुख्य हैं जो पहले ही की जानी चाहिये थी। इसमें देर हो गई है इसे मैं स्वयं महसूस करता हूँ। हमारे सामने मजबूरी थी। इन सारी चीजों के लिये भारत सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती है, भारत सरकार को कनवीन्स करना पड़ता है, इन सबको हमने किया। जहाँ तक अन्य सुझावों का ताल्लुक है मैं मानता हूँ कि प्रशासन में कार्य-कुशलता बढ़नी चाहिये और उपभोक्ताओं में निराशा नहीं होनी चाहिये ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके। मान्यवर, जैसा कि माननीय श्री रेवती रमण जी ने सेक्सन--10 की ओर ध्यान आकर्षित किया है उसे मैं दिखवाऊंगा कि उसमें क्या प्राविजन है और उसमें जो व्यवस्था होगी उस पर कार्यवाही की जायगी। कम से कम हमारे समाजवादी पार्टी के भाई अब जो जनता पार्टी में हैं उनकी स्वयं की माँग थी कि बड़े लोगों को बिजली कम रेट पर न दी जाय। आज पहली बार हमने यह व्यवस्था की है कि जनरेशन रेट से कम रेट पर हम उनको बिजली नहीं देंगे। इस उपलक्ष्य पर कम से कम आप अपने संशोधन प्रस्ताव को जो आपने प्रवर समिति में भेजने हेतु रखा है, वापस लेने की कृपा करेंगे।

+श्री रियासत हुसैन

मान्यवर, मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक फकीर जंगल में जाकर 12 साल की नींद सो गये थे, वैसी ही नींद माननीय जी सो गये थे। लेकिन आज उनकी आँखें खुल गई हैं। मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये, तथा मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है इसके लिये मैं उनका आभारी हूँ, और मन्त्री जी से सिर्फ यह आशा करता हूँ कि आज आपकी जो लम्बे समय के बाद आंख खुली है उसमें आप जल्दी न करें जहाँ आपको इतना समय वहाँ आप इसे एक

+वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महीने के लिये और प्रवर समिति के विचारार्थ सौंप दें। कहीं ऐसा न हो कि आपको पानी की प्यास लगी हो और आप पानी माँगना चाहते हों लेकिन जल्दी में आपके मुंह से निकल गया आग। मैं चाहता हूँ कि ऐसा न हो। इसे आप एक महीने के लिये प्रवर समिति के विचारार्थ सौंप दें। क्योंकि इस विधेयक के जरिये आप विद्युत परिषद को और शक्तियां दे रहे हैं। आज तक विद्युत परिषद को आपने जो शक्तियाँ दी थीं तथा उसने जितने काम किये हैं उससे इस प्रदेश की जनता संतुष्ट नहीं है।

अन्त में मान्यवर, मेरी दरख्वास्त है कि आज जो आप इस विधेयक के जरिये से विद्युत परिषद को जो और शक्ति प्रदान करने जा रहे हैं उसे आप सोच-समझकर और बहुत ही इत्मीनान के साथ दें क्योंकि आज लोगों की धारणा है कि विद्युत परिषद से प्रदेश की जनता सन्तुष्ट नहीं है। कहीं आपने उन्हें और शक्तियाँ दे दी तो प्रदेश की जनता कहेगी कि माननीय श्री ब्रह्मदत्त जी ने विद्युत परिषद को ज्यादा शक्ति दे दी है। कहीं लोग यह न कहने लगें कि आपने बोर्ड को और अधिक शक्ति दे दी। इसलिये सुझाव दे रहा हूँ कि जो भी चीज है, जो शक्ति मिली है, उसका ठीक तरीके के इस्तेमाल हो, इसके लिये प्रवर समिति में बैठकर चर्चा हो जाय। उस समय तो आपको ध्यान आया नहीं जब आप प्रोडक्शन से भी कम कास्ट पर बड़ी फर्मों को बिजली देते रहे। अब जब लोगों ने अपने जनरेटर और पावर हाउसेज लगा लिये और डिमाण्ड ही कम हो गयी, अब आपकी समझ में यह बात आयी है। अब भी हम इसकी सराहना करते हैं लेकिन पहले इस पर सबकी रायआ जाय। राजेन्द्र कुमार गुप्तजी और आपकी ओर से डा० बी० के० मिश्र हैं, उनकी योग्यता का भी उपयोग हो। मैं समझता हूँ कि आप इसको एक महीने के लिये प्रवर समिति के समक्ष जाने दीजिये, कल-परसोंतक समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दीजिये ताकि यह एक काम्प्रेहेन्सिव शक्ल में पास हो।

श्री अधिष्ठाता —

प्रश्न यह है कि विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता

प्रश्न यह है कि विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड 2 से 11, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 का, तथा उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 1983 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अध्याय 2

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 का संशोधन

अधिनियम संख्या 9 सन् 1910 की धारा 7-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय विद्युत अधिनियम; 1910 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 7-क में,—

(एक) उपधारा (1) में, शब्द "जहाँ किसी अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम का" के पश्चात शब्द और अंक "धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन उसकी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के परिणामस्वरूप राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा क्रय कर लिया गया है या उसका" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

(दो) उपधारा (5) में, खन्ड (ज) के पश्चात निम्नलिखित खन्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(झ) वह सभी रकम जो नियत तारीख के ठीक पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के नियोजन में व्यक्तियों के सम्बन्ध में भविष्य निधि, उपदान या पेंशन (यदि कोई हो) मद्धे हो और अनुज्ञप्तिधारी के नियोजन में एसे व्यक्तियों द्वारा की गयी सेवा की कालावधि के अनुपात में प्रभावित हों।"

धारा 22-ख का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 22-ख में, उपधारा (1) में, शब्द "आदेश द्वारा" के स्थान शब्द "शासकीय राजपत्र में अधिसूचित साधारण आदेश या सम्बद्ध व्यक्ति को दिये गये विशेष आदेश द्वारा, रख दिये जायेंगे।

नई धारा 28-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम को धारा 28 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

'28-क (1) जहां राज्य सरकार की राय हो कि विद्युत प्रदाय को बनाए रखने या जनसाधारण को उसका सम्यक् वितरण सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ या अन्यथा लोकहित में ऐसा करना आवश्यक

धारा 28 के अधीन दी गई मंजूरी का प्रति संहरण

या समीचीन है, वहाँ वह, इस अधिनियम के किसी अन्य उलधब्ब या किसी करार या परिनियत संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अधिसूचना द्वारा धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को दी गई किसी मंजूरी को प्रतिसंहृत कर सकती है, और तदुपरान्त प्रत्येक ऐसी मंजूरी, ऐसी अधिसूचना में इस निमित्त निदिष्ट तारीख से, प्रतिसंहृत हो जायेगी।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अनुसार कोई मंजूरी प्रतिसंहृत की जाती है वहाँ धारा 6—क और 7—क के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी मंजूरी के प्रतिसंहरण पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण पर लागू होते हैं।"

धारा 42 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 42 में, खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ङ) धारा 22—ख के अधीन अधिसूचित किसी साधारण आदेश या धारा 22-ख के या धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन उसे दिये गये किसी विशेष आदेश का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करेगा।"

अध्याय 3

विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 का संशोधन

अधिनियम संख्या 54 सन् 1948 की धारा 15 का संशोधन

6—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 को, जिस आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 15 में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात—

"परन्तु यह और कि बोर्ड विनियमों द्वारा इस धारा के अधीन नियुक्ति करने की अपनी शक्ति, बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य को या अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।"

धारा 60 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 60 में, उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी और 1 अप्रैल, 1965 से बढ़ायी गई समझी जायेंगी, अर्थात—

"(3) सभी व्यय जिसे राज्य सरकार विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ होने से अधिकतम दो मास में घोषित करे कि उसे रिहन्द हाइड्रो पावर सिस्टम के बारे में इस अधिनियम के प्रयोजन के सम्बन्ध में पंजीगत लेखा किया गया के है इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख पर धारा 64 के अधीन बोर्ड को दिया गया

ऋण समझा जायगा और ऐसे व्यय से अर्जित सभी आस्तियां ऐसे प्रारम्भ से बोर्ड में निहित होंगी –

(4) उप धारा (1) और (1–क) के उपलबध, उप धारा (5) के उपबन्धों के अधीन, रिहन्द हाइड्रो पावर सिस्टम के बारे में, इस उपधारा के प्रारम्भ होने के पहले और बोर्ड के प्रथम गठन के पश्चात्, राज्य सरकार से या के लिए जो ऋण और आभार लिये जायँ, संविदा की जाय तथा विषय और बात करने का अनुबन्ध किया जाय उनके सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे बोर्ड के प्रथम गठन के पहले इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए राज्य सरकार से या के लिये जो ऋण और आभार लिये गये हैं, संविदा की गई है, विषय और बात करने का अनुबन्ध किया गया है, उन पर लागू होते हैं।

(5) किसी उपभोक्ता को विद्युत शक्ति के प्रदाय के लिये जो रिहन्द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन से विद्युत के उत्पादन पर आधारित हैं या उससे सम्बन्धित हैं राज्य सरकार द्वारा की गई ऐसी सभी संविदायें और बोर्ड द्वारा ऐसे उपभोक्ता को विद्युत शक्ति के प्रदाय के लिये 1 अप्रैल, 1985 को या उसके बाद को गई कोई संविदा आगामी खंडों में विनिर्दिष्ट उपान्तर के अधीन लागू होंगी जिनका प्रभाव विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ होने के दिनांक से (जिसे आगे उक्त तारीख कहा गया है) होगा –

(क) जो विद्युत शक्ति किसी संविदा के अधीन किसी उपभोक्ता को बोर्ड के द्वारा प्रदाय की गई हैं जिसके लिए भुगतान उक्त तारीख को या उसके पश्चात् किया जाता है उसके लिये बोर्ड के द्वारा वसूल की जाने वाली दरें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से बोर्ड के द्वारा प्रदाय के क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्रदाय का प्रकार और अपेक्षित प्रदाय के प्रयोजन तथा अन्य सुसंगत तथ्य को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाय।

(ख) यदि राज्य सरकार बोर्ड को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 22-ख के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी उपभोक्ता को विद्युत शक्ति का प्रदाय कम करने के लिए निदेश देती है और तदुपरान्त बोर्ड ऐसे उपभोक्ता को तदनुसार विद्युत शक्ति का प्रदाय कम कर देता है तो सम्बन्धित उपभोक्ता ऐसी कमी किये जाने के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और यदि उपभोक्ता कम की गई सीमा जो उक्त धारा 22-ख या, यथास्थिति, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियत की गई है उससे अधिक विद्युत शक्ति का उपभोग करता है तो बोर्ड को अधिकार होगा

कि उपभोक्ता के प्रदाय को बिना नोटिस बन्द कर दे और बोर्ड के उक्त अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपभोक्ता खंड (क) के अधीन निश्चित सामान्य दर का दुगुना ऐसे अधिक उपभोग के लिए अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा,

(ग) ऐसी संविदा में समाविष्ट कोई माध्यस्थम करार इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन होगा।

धारा 79 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 79 में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु यह और कि बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में खण्ड (ग) के अधीन बनाये गये विनियम—

(i) भूतलक्षी प्रभाव से बनाये जा सकते हैं।

(ii) मैं उन अधिकारियों और सेवकों के सम्बन्ध में जिन्हें मूलतः राज्य सरकार के अधीन नियोजित किया गया था, और त्याग-पत्र देने के पश्चात् राज्य सरकार के आदेश संख्या 3670 ई/71-23-पी0 बी0, तारीख 1 जुलाई, 1971 के अनुसरण में बोर्ड की सेवा में आमेलित किया गया था, यह व्यवस्था हो सकती है कि बोर्ड (ऐसे मामलों के सिवाय जिनमें अनुशासनिक कार्यवाहियाँ, गुणावगुण के आधार पर अन्तिम रूप से तभी समाप्त की जा चुकी थी जब वे सरकार के अधीन नियोजित थे) ऐसे अधिकारियों और सेवकों के राज्य सरकार के अधीन नियोजित रहने की अवधि में किये गये कार्य और लोप के सम्बन्ध में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ या पुनर्प्रारंभ कर सकता है,

(iii) बोर्ड के ऐसे सेवकों के सम्बन्ध में जो बोर्ड के नियन्त्रण में किसी औद्योगिक स्थापना में नियोजित कर्मकार हैं, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।"

अध्याय 4

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 के संशोधन

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16 सन् 1958 की धारा 3 का संशोधन

9—उत्तर प्रदेश सरकार बिजली व्यवसाय (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में शब्द और अंक और अक्षर "इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 47-क के अधीन" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की अनुसूची 6 के अधीन या विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 47-क के अधीन" रख दिये जायेंगे :

धारा 5—क का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 5—क में शब्द और अंक "इन्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908" जहाँ वे पहली और दूसरी बार आये हैं, के स्थान पर शब्द और अंक "परिसीमा अधिनियम 1963" रख दिये जायेंगे।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

संक्रमणकालीन उपबन्ध

11—इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 7-क के उपबन्ध उन सभी अनुज्ञप्तिधारियों के उपक्रमों के सम्बन्ध में लागू होंगे, जिनका क्रय उनकी अनुज्ञप्तियों के, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिसंहरण कर दिये जाने के परिणामस्वरूप राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कर लिया गया था और जिनके क्रय-मूल्य का अवधारण इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व नहीं किया गया था।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खन्ड—2 से 11 खन्ड। प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधयक, 1981 में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति एवं पुनः पारण का प्रस्ताव

×**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि—"यह सदन किंग

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमारियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है"-यह अध्यादेश के अनुमोदन का प्रस्ताव इसलिये लाना पड़ा कि इस आदरणीय सदन में कई बार इसके पहले भी चर्चा हो चुकी है कि यह सरकार, जो हमारी संसदीय मान्यतायें हैं, उन पर कुठाराघात कर रही है। उसका एक उदाहरण इस अध्यादेश के तहत भी दिखायी देता है। यह अध्यादेश पहली बार 18 जुलाई, 81 को प्रख्यापित किया गया था, उसके बाद न जाने कितनी बार आया, लेकिन पारित नहीं हो सका। विधान परिषद में भी पारित नहीं हुआ और वहाँ से प्रवर समिति के सुपुर्द हुआ और प्रवर समिति से अब यहाँ आया है। इसलिए मैं इसका सिद्धान्त रुप से अननुमोदन करता हूँ। दूसरे अब मैं इस विषय पर दो-तीन सुझाव देना चाहता हूँ एक तो वह ऐसा कौन सा कारण है, इससे पहले भी मैं इस बात को उठा चुका हूँ कि आखिर आप इन अस्पतालों के नाम किंग जार्ज मेडिकल कालेज व क्वीनमेरी अब तक क्यों रखे हुए हैं, इनसे नामों को क्यों नहीं बदलते हैं, जबकि आपने ऐसे ही अन्य स्थानों, सड़कों व भवनों के नाम बदल दिये हैं, यह नाम सदियों अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक हैं, लेकिन इन अस्पतालों के नाम आप पता नहीं क्यों अब तक नहीं बदल सके हैं, दूसरे यहाँ की इफिसियेन्सी के बारे में कहना चाहता हूँ। इत्तिफाक से मेरा जाना मेडिकल कालेज में हुआ, वहाँ हमने देखा कि ऐक्सरे की कई मशीनें हैं, परन्तु वर्किंग आर्डर में केवल दो ही है, तो यह है आपकी इफिशियेन्सी। दूसरे मेरा जाना इत्तिफाक से क्वीनमेरी भी हुआ, वहाँ पर अक्सर बच्चों के बदले जाने की शिकायतें मिली हैं और यदि कोई किसी को बुलाना चाहे तो बगैर आया को कुछ दिये कोई काम वहाँ नहीं हो सकता है। इस दर्जे तक तो आपका भ्रष्टाचार वहाँ पर व्याप्त है। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण आपको दिये जा सकते हैं। दूसरे क्वीनमेरी अस्पताल की गंदगी चरमसीमा पर पहुँच गयी है, इससे छोटा अस्पताल हमारे यहाँ सीतापुर में है वहाँ पर भी गंदगी है, लेकिन क्वीनमेरी की अपेक्षा इतनी गंदगी वहाँ पर भी नहीं देखी तो यह है आपकी इफिसियेन्शी। दूसरे विद्यार्थियों से मेरी बात हुयी पोस्ट ग्रेजुएट के इग्जामिनेशन्स रिगुलराईज करने के बारे में, पिछली बार भी इनके इग्जामिनेसन्स तीन माह बाद हुए और इस बार भी तीन माह तक टाला जा रहा है तो यह कैसी इफिसियेन्शी है आपकी बजाए इफिसियेन्शी बढ़ाये जाने के दिन पर दिन घटती ही जा रही है।

दूसरे जब इनको भत्ता दिये जाने की बात आयी तो आपने इस ओर यह तर्क दिया कि हन्डरेड परसेंट पैसा हम देते हैं, इसलिए प्रतिकर का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जबकि इस बात का प्रेसीडेंट है कि विश्वविद्यालय को उनकी बिल्डिंग का प्रतिकर हन्ड्रेड परसेंट आप द्वारा पैसा दिये जाने के बावजूद दिया गया है, इसलिए इसे भी दिया जाना चाहिए, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए इस बात पर अननुमोदन करता हूँ।

(3 बजकर 15 मिनट)

जन स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी —

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसिएटेड हास्पिटल

(ग्रहण करना) विधेयक, 1981 में विधान परिषद द्वारा किए गये संशोधनों पर विचार किया जाये ।

श्रीमन्, यह प्रश्न इस सदन में आ चुका है । उस दिन विरोध पक्ष के लोग वाक आउट करके चले गये । उस दिन इस पर चर्चा हुई थी । गुप्त जी ने कुछ बिन्दु उठाये हैं, मैं उनकी सफाई कर देना चाहता हूँ । श्रीमन् किंग जार्ज मेडिकल कालेज की स्थापना सन् 1911 में हुई, जब प्रिंस आफ वेल्स की यहाँ पर विजिट हुई थी और दान कर्त्ताओं ने इसका निर्माण किया, । खासतौर से उत्तर प्रदेश तालुकेदार्स एशोशिएसन ने । 1921 में लखनऊ युनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो यह उनको दे दिया गया । इस पर जो भी व्यय हुआ है वह उत्तर प्रदेश शासन का हुआ है । लखनऊ विश्वविद्यालय ने नहीं किया है । आप सदन की कार्यवाहियों को उठा कर देखें तो मेडिकल कालेज की व्यवस्था पर बहुत चर्चा हुई है और उसकी स्थिति के बारे में हमेशा माननीय सदस्यों ने शंकायें व्यक्त की हैं और बीच में साढ़े तीन करोड़ रुपया जो मेडिकल कालेज को दिया गया था उसका व्यय हुआ या अपव्यय हुआ, उसका हिसाब शासन को उपलब्ध नहीं हो सका । बाद में शासन ने इस पर रोक लगा दी और फिर यह तय किया गया कि किश्तवार रुपया वसूला जाये । पहले एकदम रोक लगा दी गयी थी कि ग्रान्ट न दी जाये लेकिन जब उसकी स्थिति दयनीय हो गयी तो किश्तवार किया गया । 10-10 और 15-15 वर्ष से प्रोफेसर्स के पद रिक्त हैं, जिसकी चर्चा माननीय गुप्त जी ने एक प्रश्न के दौरान किया है । प्रोफेसर्स और रीडर्स के पद रिक्त हैं और उसकी दुर्व्यवस्था को देखते हुए यह विधेयक आपके समक्ष लाया गया है और मैं अनुरोध करता हूँ कि इसको स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री ऊदल —

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम लिया है, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, वैसे बधाई तो मैं बहुत ही कम देता हूँ, लेकिन इस कार्य के लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूँ ।

बीच में ही मैंने गुस्ताखी की थी और पूछा था कि अब तो आप गारन्टी कर दें कि वहाँ की व्यवस्था ठीक हो जायेगी । लेकिन मेरा ख्याल है कि वह अच्छी नहीं हो पायेगी । इसमें शंका है । वह निराधार भी हो सकती है बशर्ते व्यवस्था अच्छी हो जाय । जहाँ तक उसमें रीडर्स, प्रोफेसर्स आदि का सवाल है, इस बात की कमी तो उसमें बहुत दिनों से थी । कम से कम अब इतना होगा कि जो ग्रान्ट सरकार देगी उसका हिसाब-किताब सरकार के सामने आयेगा और मैं समझता हूँ कि इस माननीय सदन में वह आता रहेगा क्योंकि बजट के माध्यम से वह धन दिया जायेगा । इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस मेडिकल कालेज की व्यवस्था अच्छी होगी, जो दुर्व्यवस्था वहाँ पर फैली हुई है उसको दूर किया जायेगा और जनता की गाढ़ी कमाई का जो धन उसको दिया जायेगा उसका सदुपयोग होगा, मरीजों की अच्छी देखभाल हो सकेगी, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः लोकपति त्रिपाठी को जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं किसी को वैसे ही बधाई नहीं देता हूँ, उनको इस पुनीत कार्य के लिये दिल से पुनः बधाई देता हूँ ।

×श्री धरमपाल —

मान्यवर, मैं सबसे पहले अपने माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को जिन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है, बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस मेडिकल कालेज को लेकर उन्होंने एक नया पन्ना जोड़ा है। मान्यवर, सन् 1967 में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह ने भी इस मेडिकल कालेज को टेक ओवर करने के लिये सोचा था। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री श्री प्रताप सिंह ने भी अपने भ्रष्ट कारनामों से इसको टेक ओवर करने के लिये कहा था। मैं फिर से अपने माननीय स्वास्थ्य मन्त्री को धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है उनके नेतृत्व में मेडिकल कालेज में फैली हुई कुरीतियों के ऊपर रोक लगेगी और वहाँ पर जो स्टाफ, डाक्टर्स और रीडर्स में लापरवाही की भावना फैली हुई है वह दूर होगी। इन शब्दों के साथ में मन्त्री जी को बधाई देता हूँ।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा रखे गये अनुमोदन के समर्थन में बोलते हुये मन्त्री जी को दो-चार सुझाव इसके बारे में देना चाहता हूँ। यह जो किंग जार्ज मेडिकल कालेज है यह राजधानी में स्थित है। हम लोग भी कई बार इसमें गये हैं। इसकी दुर्व्यवस्था को देखने से बड़ा कष्ट होता था। मान्यवर, वहाँ पर अधिकांश डाक्टर अपने प्राइवेट मरीजों को सारी सुविधाओं के अनुसार भरती करते हैं और उनसे वहाँ पर प्राइवेट रुप से पैसा वसूल करते हैं। जो रोगी वहाँ पर लाभ के लिये आता है उससे दुगुना दुख लेकर वापस जाता है। हमारे बनारस में जो मेडिकल कालेज है वह जितना स्वच्छ, जितना बढ़िया, डाक्टरों की व्यवस्था और उपचार वहाँ पर देखने को मिलता है, हालांकि वह भारत सरकार का है, यह भी तो उत्तर प्रदेश सरकार का होने जा रहा है, उतना अच्छा यहाँ का यह मेडिकल कालेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि बनारस मेडिकल कालेज के 1/4 में यहाँ का मेडिकल कालेज न तो स्वच्छता में, न डाक्टरों की व्यवस्था में और न मरीजों की दवा करने में है। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने इसको टेक ओवर करने के लिये यह विधेयक लाये हैं, वे निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। इससे वहाँ पर अच्छी व्यवस्था होगी, मरीजों को अच्छी सुविधा मिलेगी और जो डाक्टर प्राइवेट तरीके से मरीजों को अपना बेड में रखते थे, वह दुर्व्यवस्था दूर हो सकेगी, साथ ही वहाँ की सफाई की ठीक से व्यवस्था हो पायेगी। इन सब बातों के लिये मन्त्री जी दृढ़तापूर्वक कानून बनाकर व्यवस्था करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अनुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

डा0 बृज किशोर मिश्र —

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से अभी तमाम सदस्यों ने मन्त्री जी को बधाई दिया, मैं तो बहुत पहले बधाई दे चुका हूँ इसलिये कि स्वास्थ्य के जगत में जो उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन किया है वह ऐतिहासिक निर्णय रहा है और इस बात को लेकर सभी साथियों के दिल और दिमाग में यह भावना बनी थी कि किंग जार्ज मेडिकल

+ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कालेज लखनऊ का अधिग्रहण किया जाये, चर्चा का विषय हमेशा रहा लेकिन उसको कार्य रुप में परिणित हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी ने किया जिसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। यह चीज इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जायेगी और उ0 प्र0 की विधान सभा से ही नहीं अपितु उ0 प्र0 के हर नर-नारी के दिलों और दिमागों में यह बात रहेगी और इसके लिये मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, रही व्यवस्था की बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि गरीब तबके के लोग मेडिकल कालेजों में जाते हैं लेकिन उनको जो सुविधा और व्यवस्था वहाँ मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है। उ0 प्र0 में 98 प्रतिशत गरीब लोग हैं जिनको राहत मिलनी चाहिये, इसलिये मैं अन्त में बिल का समर्थन करते हुये कहना चाहता हूँ कि आपका दिमाग उन 98 प्रतिशत गरीब तबके की ओर होना चाहिये और आपको डाक्टरों को राय देना चाहिये कि वह गरीबों का पहले ध्यान रखें और अमीरों का बाद में।

श्री प्रभु नारायण सिंह--

मान्यवर, हेड आफ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर जो कालेजों में हैं उनका कैरियर प्रभावित नहीं होना चाहिये कि सरकारी नियंत्रण के नाम पर उनका हम ट्रान्सफर करते फिरें, इस पर जरुर प्रतिबन्ध होना चाहिये और जो शोधकर्ता हैं उनको निश्चय ही सुविधायें दी जानी चाहिये, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, जो बात श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने कही है कि वहाँ प्रोफेसरों का कैरियर प्रभावित नहीं होना चाहिये तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वहाँ प्रोफेसर थे ही नहीं तो एकेडेमिक कैरियर क्या था, वहाँ तो एक साम्राज्य था, इसलिये वहाँ अब एकेडेमिक कैरियर प्रारम्भ होगा। मैं श्री प्रभु नारायण सिंह जी से आग्रह करुंगा और श्री राम गोविन्द जी से कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज का कार्य बनारस हिन्दू मेडिकल इंस्टीट्यूस से कम नहीं रहेगा बल्कि उससे अच्छा ही रहेगा।

मान्यवर, अब मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि एक तो सेशन की जो बात कही गयी कि पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों का सेशन दूर कर दिया गया है, तो सेशन मुकर्रर करने का काम शासन का नहीं है बल्कि यह काम लखनऊ विश्वविद्यालय करता है और श्री प्रभु नारायण सिंह जी लखनऊ विश्वविद्यालय से यह बात कहें कि एकेडेमिक कैरियर बनाने के लिये सेशन सही समय से ले चलें।

श्री अधिष्ठाता --

प्रश्न यह है कि यह सदन किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेडेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1983 का अनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड—13

× श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 13 में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जाय—

निरसन और अपवाद	'वर्तमान खन्ड 13 के स्थान पर निम्नलिखित खन्ड रख दिया जाय— 13. (1) किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1983 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।	उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 7 सन् 1983

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।"

श्री लोकपति त्रिपाठी—

यह मान्यवर, मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खन्ड 13 में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जाय—

निरसन और अपवाद	"वर्तमान खन्ड 13 के स्थान पर निम्नलिखित खन्ड रख दिया जाय— 13. (1) किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 7 सन् 1983

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—1

श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि खन्ड 1

+ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(1) में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जाय

"खण्ड 1 1) में अंक '1982' के स्थान पर '1983' रख दिये जांय"।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खन्ड 1 ( ) में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जाय --

"खण्ड 1 (1) में अंक '1981' के स्थान पर '1983' रख दिये जांय"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्तावना में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जाय

'प्रस्तावना में शब्द बत्तीसवें' के स्थान पर शब्द 'चौतीसवें' रख दिया जाय।'

श्री लोकपति त्रिपाठी ----

मान्यवर, यह मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जाय—

'प्रस्तावना में शब्द 'बत्तीसवे' के स्थान पर 'चौतीसवे' रख दिया जाय।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि माननीय मन्त्री जी और पान्डेय जी (सुरेन्द्र प्रताप नारायण) आपस में सम्बन्धी हैं, कुछ मामले में उनकी कोर दबी है, इसलिए वह झटाझट स्वीकार कर रहे हैं, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी --

कोई घर ही घर में राजा हो जाए, तो इनको उसमें क्या आपत्ति है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बाजपेयी जी ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया।

श्री केदारनाथ सिंह—

लेकिन आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह न कोई व्यवस्था है न अव्यवस्था है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान

सभा द्वारा पारित किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधनों में इस सदन द्वारा स्वीकृत अग्रेतर संशोधनों से सहमत है।'

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों में इस सदन द्वारा स्वीकृत अग्रेतर संशोधनों से सहमत है?'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981, में जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचारोपरान्त अग्रेतर संशोधित किया गया है, पुनः पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचारोपरान्त अग्रेतर संशोधित किया गया है, पुनः पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(माननीय वित्त मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, टेहरी बांध वाला रह गया है। 23 तक का एजेन्डा आज टेक-अप होगा और उसके बाद का कल।

श्री अधिष्ठाता—

अब इसके बाद ले लेंगे।

मैं ऐसा समझता हूँ कि यह सदन इसमें जो परिवर्तन हुआ है, उससे सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश के बिक्रीकर जांच चौकियों पर प्रतिदिन कई लाख रुपयों की बिक्रीकर की कथित चोरी के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)---

उत्तर प्रदेश के बाहर से प्रदेश में आने वाले माल की पूरी जानकारी रखने के लिए बिक्रीकर विभाग में 15 चेक पोस्टों की स्थापना अप्रैल 1974 में की गयी थी जिनमें नौबतपुर भी एक है। इन जाँच चौकियों की संख्या अब बढ़ कर 39 हो गयी है। उल्लेखनीय है कि नौबतपुर प्रदेश की सब से बड़ी दो चेक पोस्टों में से है जहाँ से वर्ष

भर में औसतन 1100-1200 वाहन प्रतिदिन प्रदेश में आते हैं। इन वाहनों में से जिन्हें प्रदेश के अन्दर से होते हुए किसी अन्य प्रदेश को माल ले जाना होता है, वे फार्म 34 पर इस आशय का घोषणा-पत्र देते हैं कि वे किस सम्भावित तिथि तक और किस चेक पोस्ट से हो कर प्रदेश के बाहर जायेंगे। फार्म 34 में घोषणा पत्र तीन प्रतियों में बनाया जाता है जिसमें दो प्रतियाँ चेक पोस्ट अधिकारी प्रति हस्ताक्षरित करके वाहन चालक को वापस कर देता है और इन दो प्रतियों में से एक प्रति वाहन चालक द्वारा प्रदेश की निर्गमन चेक पोस्ट पर दे दी जाती है। यदि वाहन घोषित तिथि तक प्रदेश के बाहर नहीं निकलता तो नियमानुसार यह अवधारणा बना कर कि वाहन में लदा माल प्रदेश के अन्दर बेच दिया गया, कर निर्धारण की कार्यवाही वाहन के मालिक या प्रभारी व्यक्ति के विरुद्ध की जाती है, जब तक कि वह अन्यथा प्रमाणित न कर दे।

श्री अधिष्ठाता—

इसके आगे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्मदत्त—

[फार्म 34 ले कर प्रदेश के अन्दर आये वाहन प्रदेश के बाहर निश्चित तिथि तक गये या नहीं, इसका सत्यापन निरन्तर किया जा रहा है। वर्ष 1982-83 में दिनांक 31-12-1982 तक नौबतपुर चेक पोस्ट से 1,15,776 फार्म 34 जारी किये गये जिनका सत्यापन किया जा रहा है। अब तक कुल 28,587 फर्मों का सत्यापन हो चुका है और 87,189 फार्मों का सत्यापन किया जाना है। इन 87,183 मामलों में जाँच की आवश्यकता होगी कि निर्गमन चेक पोस्ट पर फार्म 34 की दूसरी प्रति इन्होंने दी या नहीं, कितने मामलों में माल पल्टी करके दूसरे ट्रक से गया और कितने मामले में माल रेल से गया। सम्पूर्ण जाँच के पश्चात ही इन मामलों में कर निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी। इसी संदर्भ में यह उल्लेख करना असंगत न होगा कि वर्ष 1980-81 में कुल 3,52,241 वर्ष 1981-82 में 4,34,012 तथा वर्ष 1982-83 में दिनांक 31-12-1982 तक 3,47,436 वाहन नौबतपुर जाँच चौकी से प्रदेश के अन्दर आये। जाँच के फलस्वरूप जो माल या कागजात अनियमित पाये गये, उसके आधार पर वर्ष 1980-81 में रु0 10,15,056/- वर्ष 1981-82 में रु0 51,45,298/- तथा वर्ष 1982-83 में 31-12-82 तक 66,80,595/- रु0 जमानत/अर्थदण्ड के रुप में वसूल किये गये।

विधि की ऐसी किसी वर्तमान व्यवस्था से यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है कि फार्म 34 ले कर जो वाहन प्रदेश के अन्दर आयें वे हर हालत में प्रदेश के बाहर अवश्य चले जायें, किन्तु यह व्यवस्था अवश्य सम्भव है और वर्तमान विधि में है भी कि यदि वाहन प्रदेश के बाहर न जाये तो उसके विरुद्ध कर निर्धारण/अर्थदण्ड आदि की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी कार्यवाही विभाग द्वारा की भी जा रही है। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में 2000 तथाकथित जाली फार्म 34 एवं अन्य कागजात अपने

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पास उपलब्ध होने का उल्लेख किया है। यदि वे कागजात विभाग को उपलब्ध कराये जायें तो विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जाँच कर के विधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।)

×श्री केदार नाथ सिंह —

मान्यवर, इस वक्तव्य के सेकेंड पैरा में कहा गया है कि फार्म 34 जो जारी किये हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि सत्यापन का तरीका क्या है कैसे सत्यापन कराते हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त -

मान्यवर, जब कोई ऐसा वाहन प्रदेश के अन्दर प्रवेश करता है तो एक चेक पोस्ट पर फार्म की एक प्रति जाकर देता है और जब प्रदेश से बाहर निकलता है तो दूसरी प्रति देता है। इसी का फिजिकल वेरीफिकेशन किया जाता है।

श्री केदार नाथ सिंह —

मान्यवर, जब कोई माल प्रदेश के अन्दर आता है तो जो पहली चेक पोस्ट होती है, जहाँ पर वह प्रवेश करता है वहाँ पर एक प्रति दी जाती है। जब बाहर जाता है तो वहाँ की चेक पोस्ट पर दूसरी प्रति दी जाती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका सत्यापन किस तरह से कराते हैं कि माल वास्तव में बाहर गया या नहीं, इसके सत्यापन का तरीका क्या है।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैंने बताया कि फार्म की एक प्रति अन्दर आने वाली चेक पोस्ट पर दी जाती है और फिर बाहर जाने वाली चेक पोस्ट पर दूसरी प्रति दी जाती है जिससे पता किया जाता है कि वाहन चला गया है या नहीं।

(इस समय 3 बजकर 41 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह बिक्रीकर चोरी का मामला है जो मैंने नियम 56 के अन्तर्गत उठाया था। इसमें तरीका यह है कि जो ट्रकें प्रदेश के अन्दर आती हैं तो फार्म 34, तीन प्रतियों में होता है। जब पहली चेक पोस्ट पर आती हैं तो वहाँ पर एक प्रति रखी जाती है। जब ट्रक प्रदेश के बाहर निकलती है तो दूसरी प्रति वहाँ रख दी जाती है। एक प्रति मालधनी के पास पड़ी रहती है। इसमें करोड़ों रुपयों की बिक्री कर की चोरी की जाती है। फार्म दूसरी चेक पोस्ट पर नहीं दिये जाते हैं और माल प्रदेश के अन्दर रह जाता है। मन्त्री जी ने बताया कि इसका सत्यापन किया गया है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके सत्यापन का क्या तरीका है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, सत्यापन का एक ही तरीका हो सकता है। 3 काउन्टर फाइल्स होते हैं। दो जमा किये जाते हैं इनका मिलान किया जाता है। यह पहली व्यवस्था है। दूसरी

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था सचल दल की है। तीसरे जिन मामलों में चोरी आदि की बात होती तो है विशेष अनुसंधान शाखा की मदद लेते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्राविधान है। वीकली है, आल्टरनेट डेज पर या मंथली चेकिंग की जाती है। चेक पोस्ट पर जो चेकिंग की जाती है उसका क्या नियम है? मन्थली मिलान किया जाता है या वीकली किया जाता है?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो फार्म होते हैं उनको चेकिंग करते हैं। दिन प्रति दिन को चेकिंग करना सम्भव नहीं होता है। फार्म भेजने का भी निश्चित अवधि होती है कि इस अवधि के अन्दर फार्म आ जाना चाहिये।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं उसका स्पष्टीकरण यह चाहता हूँ कि जो फार्म इन कमिंग चेक पर, जिसकी प्रतिलिपि आउट गोइंग चेक पर दी जाती है आप दोनों जगहों पर मिलान कराते हैं कि आया यह माल बाहर गया कि नहीं? उसके लिए कोई निर्धारित आपका नियम है कि तीसरे दिन उसका मिलान हो जायेगा, या हफ्ते में हो जायेगा या 15 दिन में हो जायेगा। यदि इस सम्बन्ध में कोई निर्धारित नियम नहीं है, तो क्या नियम बनाने की कृपा करेंगे?

श्री ब्रह्मदत्त —

जब वह निश्चित अवधि समाप्त होती है, तो उसको उस चेक पर भेजा जाता है कि फार्म की प्रतिलिपि निकली है कि नहीं, यदि नहीं निकली है, तो दूसरे पर देखा जाता है।

श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि 1981 में और 1982 में और इधर मार्च 1983 तक जो फार्म लेकर ट्रकें दूसरे प्रदेशों के लिए चली हैं, वे दूसरे प्रदेशों में नहीं गयी हैं? क्या इसका कोई सत्यापन कराया गया? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है, कितनी ट्रकें बाहर हैं, कहीं फार्म से आपने मिलान कराया?

श्री ब्रह्मदत्त—

दो-तीन तरीके हैं जांच के। सचल दल और अपराध अनुसंधान शाखा इन दोनों द्वारा कार्यवाही की गई है, जहाँ यह पाया गया कि वे नहीं गये, जहाँ पकड़े गये, उन पर अर्थ दण्ड भी लगाया गया मेरे पास आँकड़े हैं इसके। लेकिन, चूंकि मनुष्य के द्वारा यह मेहनत की जाती है, तो उसमें टाइम लगता है। इसमें हम कम्पयूटराइज की व्यवस्था कर रहे हैं कि कम्पयूटर से पता लगाये कि बाहर गये कि नहीं।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि फार्म नम्बर 31 तो प्रदेश के अन्दर के लिए

बनता है और फार्म नम्बर 34 जो है, वह प्रदेश के बाहर जाने के लिए बनता है। यह दोनों फार्म फर्जी बड़े पैमाने पर बनारसमें नौबतपुर में इस्तेमाल किए गए थे, सन् 1980 1981, 1982 में, बड़े पैमाने पर, क्या इनका पता लगाया गया ? ऐसे मामले पकड़े गये, माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है ? यदि हाँ, तो उसकी रोकथाम के लिए सरकार की ओर से कौन से तरीके अपनाये गये ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, अब इन फार्मों को सिक्योरिटी प्रेस से छपाने की व्यवस्था हमने की है।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, नियम 56 में मैंने जब यह सूचना दी थी, उस रोज मैंने नमूने के तौर पर फर्जी फार्म, जो बिक्री कर अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किए गये थे, वह आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के पास भिजवाये थे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, जब इन्होंने इस विषय में नियम 56 के अंतर्गत सूचना दी थी, तो कुछ कागज दिखलाये थे।

श्री केदार नाथ सिंह—

उसके बारे में आपने कोई जांच कराई है, उसकी कोई रिपोर्ट आई है। यदि आई है तो वह क्या है, उसको बता दें ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में 2000 तथाकथित 'जाली फार्म 34 एवं अन्य कागजात अपने पास उपलब्ध होने का उल्लेख किया है। यदि वे कागजात विभाग को उपलब्ध कराये जांय तो विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जाँच करके विधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अगर वे उपलब्ध करा देंगे तो हम जांच करा देंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप उनको उपलब्ध कर दीजिएगा, उसके बाद वे उसमें जांच करा देंगे।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, नमूनों के आधार पर फर्जी फार्म हमारे पास बोरों में पड़े हुए हैं। मान्यवर, इसमें करोड़ों का घोटाला है कोई हजार लाख का नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि नमूने के आधार जो आपके माध्यम से मैंने शासन को फार्म भेजा था, उस पर क्या जांच रिपोर्ट आयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, हमें तो प्राप्त नहीं हुआ फार्म, लेकिन हम इसका पता करेंगे। इसमें मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही होगी।

मैं चाहूँगा कि वे हमें वह फार्म उपलब्ध करा दें। माननीय सदस्य हमारी सहायता करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय केदार नाथ जी आप वह फार्म माननीय मन्त्री जी को उपलब्ध करा दीजिएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे उसमें जाँच कराके सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मेरे पास बहुत है, मैं बंडल बनाकर भिजवा दूंगा।

श्री ब्रह्म दत्त—

बण्डल भर फार्म की जरूरत नहीं है। आप 10-20 फार्म उपलब्ध करा दीजिएगा, उसकी उच्च स्तरीय जाँच हम करा देंगे।

+श्री केदार नाथ सिंह—

ठीक है, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के पास भिजवा दूँगा।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला है और यह एक ऐसा मामला है जिस पर नियम 52 के अन्तर्गत सदन में चर्चा होनी चाहिये थी और माननीय सदस्यों को अपने सुझाव देने का अवसर मिलना चाहिये था। एक मात्र वक्तव्य से कोई भला होने वाला नहीं है। छोटे-छोटे मामलों पर यहाँ चर्चा हो जाती है, फिर यह तो बहुत बड़ा मामला है। इससे हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था प्रभावित है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस पर चर्चा करा दें ताकि माननीय सदस्य अपने सुझाव दे सकें और जो घपला करोड़ों रुपयों का हो रहा है वह रुक सके। इस वक्तव्य से नियम 56 में जो मैंने इसका प्रस्ताव रखा था उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य इस मामले से सम्बन्धित कागजात मुझे दे दें, जो हमारी अपराध अनुसंधान शाखा है, हम उससे उसकी जाँच करवा लें। जाँच के बाद जो रिपोर्ट आयेगी उसे हम सदन के सामने प्रस्तुत कर देंगे। उस जाँच रिपोर्ट के आने के बाद आप चर्चा करा लें, मुझे चर्चा में कोई एतराज नहीं है, पर पहले जाँच तो हो जाने दें, तभी कुछ लाभ चर्चा का हो सकेगा। इसकी उपयोगिता तभी होगी जब आप कागज हमें दे दें। जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी सर्वोच्च संस्था, विजिलेन्स द्वारा भी जाँच करवा लेंगे। उसके बाद में स्वतः माँग करूँगा कि चर्चा हो जाय।

+वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय केदारनाथ जी आप अपने कागजात मंत्री जी के पास दें। चर्चा के लिये बाद को देख लेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त—

आप कृपया अपने कवरिंग लेटर के साथ उसे भेज दें। हम अगले सत्र तक जाँच रिपोर्ट आपके सामने रख देंगे।

कार्य सूची की टिहरी बांध से सम्बन्धित मद संख्या 20 को दूसरे दिन लिए जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह निर्णय लिया था कि आइटम 22 व 23 तक ही ले लिया जाय, पर माननीय रियासत साहब चाहते हैं आइटम 20 पहले ले लिया जाये।

श्री रियासत हुसैन—

आइटम 23 तक से लिया जाये।

आइटम 20, टेहरी बाँध वाला पहले ले लें। टेहरी बाँध पर आधे घण्टे की चर्चा है।

श्री अध्यक्ष—

23 को ले लिया जाय बाकी को कल ले लिया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन—

20 टेहरी बाँध से सम्बन्धित है...

श्री अध्यक्ष—

कल हो जायेगा। हमारे पास काफी समय है कल।

श्री रियासत हुसैन—

20 को कल ले लिया जाय।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

इसको आधे घण्टे के बजाय एक घन्टे का कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसको मेरे ऊपर छोड़िये। मैंने निर्णय लिया और सदन को सूचित भी किया था कि 22-23 को ले लिया जाय। कल खाली है और काफी समय है।

श्री ऊदल—

आपने आश्वासन दिया है कि अगर आवश्यकता हुई तो और समय देंगे।

हमीरपुर जनपद के नगर महोबा को जिला बनाने के लिए चल रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार महोबा, जनपद हमीरपुर को पृथक जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में महोबा "जिला बनाओ समिति" के नेतृत्व में 11.11.82 से आंदोलन चलाया जा रहा है। दिनांक 1 फरवरी, 198[illegible] से संघर्ष समिति द्वारा क्रमिक अनशन भी किया जा रहा है। दो अनशनकारी महिलाओं की हालत गम्भीर होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। केवल क्रमिक अनशन चल रहा है। प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग के यातायात तथा हाई स्कूल एवं इन्टर की परीक्षाओं में कोई व्यवधान नहीं है। स्थिति पर प्रशासन द्वारा कड़ी दृष्टि रखी जा रही है। ज्ञातव्य है कि जनपद हमीरपुर में ही तहसील महोबा, चरखारी शठ तथा कुल पहाड़ को मिलाकर चरखारी में एक नया जिला बनाये जाने की माँग भी पृथक से की जा रही है।

2—जिलों के क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की स्थिति का परीक्षण करते हुए प्रभावी प्रशासन हेतु विचार कर जिलों के विभाजन हेतु संस्तुति देने के लिये शासन द्वारा जून, 1976 में अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का प्रतिवेदन अगस्त, 1976 में प्राप्त हुआ। समिति ने उस समय सामान्य स्तर के एक अवसृजित जनपद की अनुमानित आवश्यकताओं को देखते हुए सम्भावित वित्तीय भार रुपया 9.50 करोड़ आँका था, जो अब बढ़ते हुए मूल्यों के कारण लगभग दो गुना अनुमानित है।

3—समिति ने मेरठ, मिर्जापुर, बस्ती, गोरखपुर व आगरा जनपदों के विभाजन की संस्तुति की है। इनमें से मेरठ व बुलन्दशहर को पुनर्गठित करके गाजियाबाद जनपद का सृजन 14,11,76 को किया जा चुका है।

4— जनपद हमीरपुर की आबादी 11,94,168 है जब कि समिति द्वारा संस्तुति मिर्जापुर (आबादी-20,[illegible]9,149) गोरखपर (आबादी-37,95,[illegible]01) बस्ती (आबादी 35,78,069) तथा आगरा (आबादी-28,52,942) जैस बड़े जिलों को विभाजित कर नये जिलों का सृजन भी अभी तक मुख्यतः वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में सम्भव नहीं हो सका है।

5—वर्णित परिस्थिति में महोबा को नया जिला बनाया जाना सम्भव नहीं है।

×श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है आपका संरक्षण मांगते हुये मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह आन्दोलन 11-11-82 से जिला बनाओ समिति महोबा के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि आज बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्दर अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिये और विकास की स्थिति को मजबूत करने के लिये पिछले 10-15 वर्षों से यह मांग की जा रही है। महोबा हमीरपुर जनपद में और

नोट : [ ] यह पढ़ा हुआ माना जाय।

×—वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बांदा में करवी को जिला का स्थान दिया जाय। माननीय मन्त्री जी ने जो भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थिति दिया है, मान्यवर वहाँ की भौगोलिक और प्राकृतिक तथा आवगमन और प्रशासनिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि आज दोनों जनपदों में जिला केन्द्र का स्थान दिया जाना चाहिये। इसके अलावा उस क्षेत्र के सभी 21 विधायकों का समर्थन इसको प्राप्त है कि महोबा को जिला केन्द्र बनाया जाय। सभी विधायकों ने माननीय मुख्य मन्त्री से 2-3 महीने पहले इसकी मांग प्रस्तुत की थी। इसी प्रकार बांदा में करवी का।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पन्त जी जब मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि महोबा को जिला बनाया जायेगा और मन्त्रि-मण्डल से टोकन ग्रान्ट भी स्वीकार हुई थी। जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने महोबा में यह घोषणा की थी कि हमीरपुर जनपद की भौगोलिक और प्रशासनिक परिस्थिति को देखते हुये महोबा को जिला स्तर का स्थान दिया जायेगा। जब कमलापति त्रिपाठी जी मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने बुन्देलखण्ड की जनता की इस मांग को स्वीकार किया था। मैं मन्त्री जी से स्पष्टीकरण चाहूँगा कि सम्पूर्ण जनपद के सभी प्रतिनिधियों की मांग है और वहाँ के पिछड़ेपन और विकास की समस्या को ध्यान में रखते हुये जो 4 महीने पहले करवी को प्रशासनिक सुविधायें प्रदान की गई हैं महोबा को भी प्रदान करने पर विचार करेंगे ?

नम्बर दो यह कि क्या पुनः इसकी जांच करेंगे कि प्रदेश के 3 मुख्य मन्त्रियों ने इस सदन और बुन्देलखण्ड की जनता के सामने जो आश्वासन दिये, उनको पूरा करने पर विचार करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

एक बात माननीय सदस्य ने कर्वी जैसी सुविधायें दिये जाने की कही, तो वह की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, वह जिले से बहुत दूर है, बहुत पिछड़ा है, लेकिन यहाँ तो नया जिला बनाने की बात कही गयी है और वह इस समय सम्भव नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैंने दो प्रश्न किये थे, दूसरे का उत्तर दिला दीजिये कि मुख्य मन्त्रियों की घोषणा पर क्या विचार करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह बहुत पुरानी बात है, मेरे सामने तो कोई घोषणा है नहीं लेकिन मैं उनको देखूंगा कि घोषणायें क्या थीं ?

श्री रियासत हुसैन—

पूरे प्रदेश से इस तरह की मांग आयी है महोबा, सम्भल, फिरोजाबाद आदि से

इस तरह की, तो क्या मन्त्री जी के विचाराधीन है यह मामला कि उन बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे सूबे का पुनर्गठन किया जाये ?

श्री बैजनाथ कुरील—

इस सम्बन्ध में 1976 में एक कमेटी राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित हुई थी और उन्होंने कुछ जिलों को बाइफरकेट करने की संस्तुति की थी उसमें मेरठ, मिर्जापुर, बस्ती, गोरखपुर, आगरा थे। इनमें से मेरठ और बुलन्दशहर को तोड़ कर गाजियाबाद बनाया जा चुका है। बाकी को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय मन्त्री जी ने हमारे बुन्देलखण्ड के विकास पर आक्रमण किया है जब कि कई बार इस सदन में संकल्प आदि के द्वारा चर्चा की जा चुकी है और उसकी कार्यवाही आपके अधिकार क्षेत्र में है तो पिछली सरकारों ने जो आश्वासन दिये हैं इस क्षेत्र के पिछड़ेपन, प्रशासनिक दृष्टि आदि रखते हुए क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे, कर्वी के सामान कठिनाइयों के होते हुए, 75 मील पर बसा है, 7 लाख की आबादी है, जो कर्वी में नहीं है, विधायकों ने मांग की है, कि वे सभी सुविधायें जो कर्वी को दी गयी हैं, देंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जो कर्वी में सुविधायें दी गयी हैं, उनमें से कुछ तो पहले से मौजूद हैं। कोई और बात कहेंगे तो उस पर विचार करूँगा।

श्री बाबूलाल—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मन्त्री जी हमीरपुर के महोबा, चरखरी आदि के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुये वहाँ विकास को बढ़ाने के लिये अन्य सुविधायें प्रदान करने की कृपा करेंगे।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, जिला बनाने से विकास नहीं होता। विकास के लिये और चीजें जरूरी हैं। अगर जिला बना देने से ही विकास हो जाता तो जहाँ पर मुख्यालय है, जिला है, वह तहसीलें पूरी तरह से विकसित होतीं। बहुत पैसा लगता है जिला बनाने में, उस पैसे को अगर विकास में लगाया जाये तो अधिक फायदा होगा।

श्री राजकुमार राय—

प्रदेश के लगभग सारे जिलों से यह बातें उठती हैं। आजमगढ़ में मऊ से यह बात आ रही है। क्या माननीय मन्त्री जी जहाँ आवश्यकता है, वहाँ जिला बनाने पर विचार करेंगे।

श्री बैजनाथ कुरील—

इस सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है। समिति का गठन हुआ था, उसने जो

संस्तुति की थी उसका पूरी तरह से कार्यान्वयन नहीं हो सका है। दूसरी समिति बनाने की आवश्यकता नहीं समझते।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं आपके माध्यम से बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि बुन्देलखन्ड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये यह सरकार उपेक्षा का रवैया अपना रही है। महोबा को जिला बनाने की माँग चल रही है। विषम परिस्थितियां हैं। अगर बुन्देलखन्द के सम्पूर्ण विकास की ओर सरकार ध्यान देना चाहती है तो उसका केवल एक ही रास्ता है कि महोबा को जिला मुख्यालय बनाया जाये। अगर यह सरकार महोबा को जिला बनाने को तैयार नहीं है तो खेद प्रकट करते हुये इस सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री सदन त्याग कर चले गये।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से माननीय प्रदीप कुमार यादव की सूचना को स्वीकार किया गया बाकी को अस्वीकार किया गया।

अब हम उठते हैं, पुनः कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 7 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

5 अप्रैल, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1220 पर।)

जनपदों की सूची जिसमें आपरेशन फ्लड—2 कार्यक्रम लागू किया जाना है

1. आगरा
2. बुलन्दशहर
3. मथुरा
4. मेरठ
5. मुरादाबाद
6. मुजफ्फरनगर
7. सहारनपुर
8. गाजियाबाद
9. बाराबंकी
10. इटावा
11. फर्रुखाबाद
12. कानपुर
13. लखनऊ
14. उन्नाव
15. सीतापुर
16. इलाहाबाद
17. बलिया
18. फतेहपुर
19. गाजीपुर
20. जौनपुर
21. अलीगढ़
22. एटा
23. रायबरेली
24. मिर्जापुर
25. वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थ "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1223 पर।)

वर्ष 1982-83 में जनपद जौनपुर के मार्गों पर अनुरक्षण एवं मरम्मत पर

व्यय का विवरण

क्रम सं0	मार्ग का नाम	व्यय
1.	महराजगंज राजाबाजार रोड	19,251-95
2.	बादशाहपुर जंघई रोड	1,68,685-30
3.	मछलीशहर बरईपार मार्ग	52,987-45
4.	तेजीबाजार लोहिन्दा मार्ग	47,395-80
5.	सुल्तानपुर जौनपुर मार्ग	3,84,619-22
6.	मछलीशहर जंघई मार्ग	3,16,537-20
7.	बक्सा तेजीबाजार मार्ग	65,316-00
8.	फूलपुर बादशाहपुर मार्ग	38,948-05
9.	बादशाहपुर बेलवार मार्ग	2,21,392-20
10.	सुजानगंज बेलवार मार्ग	93,864-05
11.	लखनऊ-वाराणसी मार्ग	4,32,302-11
12.	शाहगंज-मुंगरा बादशाहपुर मार्ग	2,12,924-55
13.	मछलीशहर सुजानगंज मार्ग	1,12,821-27
14.	सिकरारा बेलवार मार्ग का छूटा भाग	93,903-45
15.	रोड रोलर का कार्य	45,317-52
16.	सीकरारा बरईपार बेलवार मार्ग	1,28,630-55
17.	अमरगढ़ राजाबाजार मार्ग	60,680-20
	योग :—	24,94,656-87

अथवा 24.95 लाख रुपये

विधान सभा

जौनपुर में वर्ष 1981-82 में मार्गों के अनुरक्षण पर व्यय का विवरण

क्रम सं0	मार्गों का नाम	वर्ष 81-82 अनुरक्षण पर व्यय
1	2	3
1.	लखनऊ-वाराणसी मार्ग	341436.26
2.	लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग, मडियाहूँ रेलवे फीडर, रामपुर बाजार डायवरसन, जमालापुर-डायवरसन, कुददुपुर लिंक रोड नयी बाजार लिंक रोड को लेकर के।	410038.74
3.	जौनपुर-केराकत-चन्दवक ओडयार मार्ग	199656.15
4.	वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग, डोभी रेलवे फीडर को लेकर	188695.91
5.	रामपुर-बरसठी मार्ग	127415.98
6.	जलालपुर-थानागद्दी-केराकत मार्ग	125571.19
7.	कनौरा वरडीहा मार्ग	26856.58
8.	डोभी रेलवे फीडर मार्ग	4430.00
9.	केराकत-सुलतानपुर मार्ग	2[illegible]554.63
10.	बरसठी-बंधवा मार्ग	79591.72
11.	महियाहू-जलालपुर मार्ग	179122.38
12.	बावतपुर-जमालापुर मार्ग	49689.99
13.	शीतलगंज मोकलपुर मार्ग	7053.45
14.	रामपुर-गोपालापुर मार्ग	17580.80
15.	निगोह-गोधना मार्ग	79878.25
16.	बजरंगनगर कोईलारी मार्ग	4486.50
17.	मडियाहू-कठिरांव मार्ग	31767.07
18.	थानागद्दी-चन्दवक मार्ग	42131.55
19.	मछलीशहर-मडियाहूँ मार्ग	303095.01
20.	मुफ्तीगंज-पेसारा मार्ग	12766.50
21.	धाथागद्दी-गडखडा मार्ग	27982.30
22.	रामपुर-कठवतिया मार्ग	14131.75
23.	जफराबाद-देवकली मार्ग	19843.15
24.	खुज्जीमढ़ी-बीबरीबारी मार्ग	5107.00
25.	जयगोपालगंज-अजोरपुर-बेलहरी मार्ग	1970.00

26.	हथेरा-नेवदिया मार्ग	1981.00
27.	केराकत फेरी	29257.23
28.	केराकत डाकबंगला	88.00
29.	रोड रोलर	4583.00

योग रु0 :— 2362763.09

अर्थात :—23.83 लाख रुपये।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

रख रखाव के मार्गों पर वर्ष 1981-82 में किये गए व्यय का विवरण

क्रम सं0	मार्ग का नाम	व्यय
1	लखनऊ-बलिया मार्ग	5,62,381-86
2	बटाऊवीर-सिगरामऊ मार्ग	70,694-47
3	अर्सियारामपुर बेलवाई	48,238-05
4	खेतासराय खुटहन	83,447-15
5	अब्बूपुर-जैगहा	8,671-75
6	जौनपुर मल्हनी-खुटहन	4,47,800-10
7	शिकारपुर बजापुर	14,801-17
8	गोमती पहुँच मार्ग	70,196-59
9	चौकिया आरा	27,733-27
10	पट्टी सरपतहा	62,591-56
11	त्रिकौलिया अखन्ड नगर	1,11,540-30
12	लुम्बिनी दुद्धी मार्ग	4,83,610-20
13	खेतासराय दीदार गंज	11,852-00
14	पान्टून ब्रिज पिलकिछा	59,581-67
15	जोगीबन्द मदरहा चकेसर	24701-52
16	लोनिया पट्टी पटेला	26,121-84
17	शाहगंज मुगरा बादशाहपुर	2,69,235-32
18	बिरैली समोधपुर	21,930-65
19	पट्टी समोधपुर	37,588-89
20	एस0 एम0 पी0 एन0 सी0 सी0 ट्रैक	390-80
21	पट्टी दसगर पारापिलकिछा	65,355-49
22	खुटहन पट्टी	1,62,924-77
23	सरपतहा समोधपुर	52,474-13
24	पटैला पट्टी नरेन्द्रपुर	84,006-00
25	आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर	1,13,192-52
26	आर्यनगर रानी मऊ	27,376-95
27	गुरैनी मानी कला	19,179-50
28	कोइरीडीहा-इटौरी	16,827-25
29	ढंढवाराकला-निजामपुर	10,001-21
30	लुम्बिनी दुद्धीमार्ग तरवा डिग्री कालेज	3,125-05
31	बटाऊबीर-मई	23,027-86
32	उपीरगामी सेतु शाहगंज	9,924-20

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
33	अरगूपुर-कटार-सी0 सी0 ट्रैक	17,138-65
34	पतहना-कोठवार	1,422-00
35	गौरा बादशाहपुर-वारी	20,439-95
36	सरांयख्वाजा-भकुरा	4,966-00
37	साखाशे चकेसर	448-50
38	नौपेड़वा सेमई	891-00
39	देवकली-कुकुड़ीपुर-मनवल	1,743-00
40	सलोनीमहिमापुर-पतहना	690-00
	योग	29,82,664-19
		अथवा 29,03 लाख

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-143 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1155 पर।)

सूखा राहत योजना मिर्जापुर

क्रम सं0	मार्ग का नाम	अनुदान वर्ष 1981-82	व्यय 81-82
1	म्योरपुर-लिलासी मार्ग एवं बभनी-चवना मार्ग	0.65	0.95
			0.37
2	चुर्क रोड से रामगढ़ मार्ग	0.15	0.01
3	चील्ह-कमासिन मार्ग	–	–
4	सतद्वारा-बरदिया मार्ग	0.23	0.67
5	ओबराडीह से सिलहटा मार्ग	–	–
6	शास्त्री सेतु से मझगवां जगदीशपुर का मार्ग मवैयातक-		–
7	रीवा रोड से चितांग मार्ग	0.10	0.85
8	अकोढ़ी रेलवे स्टेशन से रामपुर मार्ग	–	–
9	चुनार-राजगढ़ मार्ग	0,95	2.45
10	रीवा रोड से चितांग का शेष भाग	–	–
11	कैलहट-अदलघाट मार्ग से कोलना इण्टर कालेज मार्ग-		–
12	जलालपुर-मार्ग से नकहरा रैपुलिया सरैया मार्ग	–	–
13	अदवा-मनगढ़ा का शेष भाग	0.36	0.38
14	कुटवा-बागासोतो मार्ग	0.25	–
15	बलुई-मूतापुर का छूटा भाग	0.33	–
	कुल योग	3.02	6.04

ओला वृष्टि के कार्य

क्रम सं0	मार्ग का नाम		इस कार्यालय द्वारा अन्य मद से दिया गया अनु0	वर्ष 81-82 का व्यय
1	कछवा-जमुआ-राजातालाब मार्ग (खा0यो0नं0-2) के मार्गों पर दो कोट में एकत्रीकरण		—	0.16
2	अदलहाट-मुहली-शेरवा मार्ग	,,	—	0.08
3	महुली-सरैया मार्ग (मंडी परिषद के भाग)		—	0.06
4	जमुई-चुनार मार्ग	,,	—	0.05
5	देवरी-हलका मार्ग	,,	—	0.09
6	जयपट्टी-जमालपुर मार्ग	,,	—	0.16
7	बीटी-बालनाथ मार्ग (श्रम दान मार्ग)		—	0.14
8	राजापुर मार्ग	,,	—	0.03
9	पथरौरा-घुरहू पट्टी मार्ग	,,	—	0.02
10	जगों-छुतिहार मार्ग	,,	—	—
11	जमुई-म्योरपुर मार्ग	,,	—	0.01
12	पिराल्लीपुर-नियांव मार्ग	,,	—	0.07
13	जगों-कोलना मार्ग	,,	—	0.41
14	मड़िहान-देवरी मार्ग	,,	—	0.01
15	काशेपुर-लहास मार्ग	,,	—	0.01
16	अदवा-मनगढ़ा मार्ग (खा0यो0नं0-3 पर खड़न्जा)		—	0.28
	कुल योग		—	1.58

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1156 पर ।)

जिला	कार्य जो हुआ	टेंडर/वर्क आर्डर की धनराशि	वास्तविक व्यय की धनराशि
बलिया	हेलीपैड, मंच बनाने तथा बैरीकेटिंग का कार्य ।	30 हजार रु0 का टेंडर आमंत्रित किया गया ।	35 हजार रु0
			बलिया 35 हजार रु0
गाजीपुर	गाजीपुर शहर के लंका के मैदान में बैरीकेटिंग एवं मंच बनाया गया ।	न्यूमतम दरों पर व्यक्तिगत कोटेशन प्राप्त किये गये ।	44695.00/- रु0
	तहसील मोहम्मदाबाद के शहीद पार्क में बेरी-केटिंग का कार्य कराया गया ।	न्यूनतम दरों पर व्यक्तिगत कोटेशन प्राप्त किये गये ।	5357.00/- रु0
			गाजीपुर 50052.00/- रु0
देवरिया	रुद्रपुर में बैरीकेटिंग तथा मंच बनवाने के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये थे परन्तु पुलिस विभाग द्वारा लोहे की बैरीकेटिंग तथा मंच प्राप्त कराने पर उसे जुड़वाने एवं उखाड़ने का कार्य कराया गया ।	सार्वजनिक निर्माण विभाग ने स्वयं कार्य किया ।	2028.55/- रु0
			देवरिया 2028.55/- रु0
जौनपुर	बेरीकेटिंग मंच बनाने का कार्य ।	6475.00 कार्यादेश एवं विभागीय माध्यम से कराया गया ।	6,205.00 रु0
			10641.75
			जौनपुर 16846.75
आजमगढ़	मऊ, घोसी तथा मोहम्मदाबाद में बेरीकेटिंग एवं मंच बनाने का कार्य	रु0 48138.00 के टेंडर आमंत्रित किये गये ।	48138 00 रु0
	घोसी में मंच बनाया गया	रु0 8380	8380.00 रु0
			आजमगढ़ 56518.00 रु0

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—145 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1156 पर ।)

जनपद हरदोई में दिनांक 1-1-81 से 31-10-82 तक की अवधि में पुलिस मुठभेड़ों में मारे गये डकैतों के नाम, पते व अपराधिक इतिहास का विवरण ।

क्र0सं0	थाना	दिनांक	घटना का विवरण तथा मृतक का नाम व पता	अपराधिक इतिहास	मजिस्ट्रीरियल जाँच का परिणाम
1	2	3	4	5	6
1–	कोतवाली शहर	1/2-2-81	ग्राम गूलामऊ की हद में एक अज्ञात व्यक्ति मारा गया ।	अ0सं0 1 धारा 147/148/ 307 भा0दं0वि0	जाँच से मुठभेड़ सही पायी गयी ।
2–	मल्लावां	4-2-81	एक नफर डकैत नाम-पता अज्ञात	अ0सं0 39/81 धारा 399/ 402 भा0दं0वि0	जाँच प्रचलित है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3–	सुरसा	5/6-2-81	ग्राम ढिन्नी थाना सुरसा में दो अज्ञात व्यक्ति मारे गये।	अ0सं0 17 धारा 399/402 भा0दं0वि0	जाँच से मुठभेड़ सही पायी गयी।
4–	बेहटा गोकुल	6-2-81	एक नफर डकैत नाम-पता अज्ञात	अ0सं0 10/81 धारा 399/402 भा0दं0वि0	जाँच प्रचलित है।
5–	कासिमपुर	8-2-81	नन्हें पुत्र गंगाचरन नि0सलेमपुर	अ0सं0 137/70 धारा 395/397 भा0दं0वि0, अ0सं0 54/धारा 25 ए एक्ट, अ0सं0 223/79 धारा 395/397 भा0दं0वि0, अ0सं0 204/79 धारा 395/397 भा0दं0वि0, 153/80 धारा 395/397 भा0द0वि0	जाँच प्रचलित है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			अ0सं0 153/80 धारा 395/ 397 भा0दं0वि0	
6–	बिलग्राम 10/11-2-81	ग्राम नूरपुर थाना बिलग्राम में सर्वश्री राम चरन पुत्र बुद्धा, घूरई पुत्र मूल चन्द्र, मकरन्द पुत्र छोटकाई तथा नत्थू सिंह पुत्र द्वारिका नि0 ग्राम बिराईच मऊ थाना साण्डी	अ0सं0 38/81 धारा 147/ 148/149/307/25 ए0एक्ट	जाँच से श्री वृजमोहन शुक्ला एस0ओ0 तथा मुमताज हुसैन प्रधान नि0 ग्राम तकिया इमाम नगर तथा पुलिस पार्टी के कर्मचारी व अधिकारी दोषी ठहराये गये हैं और मामले की जाँच सी0 आई0डी0 से करवाये जाने की संस्तुति की गई है। तद्नुसार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

				शासन द्वारा इस प्रकरण की जाँच सी0आई0डी0 को सौंपी गई जो प्रचलित है।
7–	टड़ियावां 9/10-2-81	राम रतन पुत्र केशो पासी नि0 हरिहरपुर, मूल चन्द्र पुत्र कन्हईया चमार नि0भैंसरी, हनीफ पुत्र करीम मनिहार नि0 लिलवल थाना टड़ियावां की मृत्यु ग्राम बगरोली की सीमा में हुई।	(राम रतन) अ0सं0 189/77 धारा 380, अ0सं0 282/74 धारा 379, अ0सं0 14/धारा 379, अ0सं0 279 धारा 395/397 भा0दं0 वि0 (मूल चन्द्र) अ0सं0 227/80 धारा 379 भा0दं0वि0, अ0सं0	जाँच से मुठभेड़ सही पायी गयी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15/70 धारा 380, अ0सं0

25/73 धारा 363/366 भा0दं0

वि0, अ0सं0 94 धारा 147/

148/307 भा0दं0वि0 अ0स0

314/80 धारा जा0फौ0अ0सं0

1/70 धारा 396 भा0दं0वि0

(हनीफ) अ0संफी0 39 धारा 394

भा0दं0वि0, अ0सं0 54/75

धारा 302 भा0दं0वि0, अ0सं0

1027/80 धारा 396 भा0दं0वि0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8–	सण्डीला	13/14-2-81	ग्राम पिरकापुर थाना सण्डोला में एक अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हुई	अ0स0 49 धारा 399/402 भा0 दं0वि0 जाँच से मुठभेड़ सही पायी गयी।
9–	शाहाबाद	14/15-2-81	ग्राम उधरनपुर की हद में एक अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हुई।	अ0सं0 42/81 धारा 147/148/ 149/302 भा0दं0वि0 जाँच से मुठभेड़ सही पायी गयी।
10–	बेनीगंज	15-2-81	नत्था पुत्र बुद्धी नि0 मढ़िया थाना अतरौली।	अ0सं0 41/74 धारा 396 भा0 दं0वि0 थाना बन्थरा, जनपद लखनऊ अ0सं0 89/14 धारा 395/397 थाना संधना जिला सीतापुर जाँच प्रचलित है।
			एक नफर डकैत नाम-पता अज्ञात	अ0सं0 228/74 धारा 395/

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			397 भा0दं0वि0	
11–	हरपालपुर	14-2-81	विशाल पुत्र बल्देव नि0 बरनपुर थाना हरपालपुर एच0एस0 नं0 109 ए	अ0सं0 151 धारा 25 ए0एक्ट. जाँच प्रचलित है। अ0सं0 91/76 धारा 392,अ0सं0 56/82 धारा 380 भा0द0वि0, अ0सं0 213/80 धारा 399/402, अ0सं0 137/72 धारा 395/397 भा0दं0वि0, अ0सं0 337 धारा 395/397 भा0दं0वि0
12–	पिहानी	13/14-2-81	एक डकैत नाम-पता अज्ञात ग्राम दौंगलपुर थाना पिहानी की हद में मारा गया	अ0सं0 48/81 धारा 399/402 जाँच से मुठभेड़ सही पायी गयी। भा0दं0वि0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

13–	बघौली	17-2-81	राम खेलावन पुत्र जगन्नाथ नि0 कुरसठ	अ0सं0 121 धारा 392 भा0 दं0वि0 अ0सं0 152 धारा 395/397 भा0दं0वि0 एच0एस0 नं0-41	जाँच प्रचलित है।
14-	साण्डी	20-2-81	ग्राम गांधी खुटेना थाना साण्डी में श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह निवासी पकरा थाना साण्डी	अ0सं0 20 धारा 147/148/307 भा0दं0वि0, अ0सं0 68/66 धारा 110 जा0फौ0, अ0सं0 105 धारा 395/397	मुठभेड़ सही पायी गई।
15–	मझिला	1/2-3-81	ग्राम मडैया की हद में थाना मझिला के अन्तर्गत एक अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु	अ0सं0 24/81 धारा 307 भा0दं0वि0	मुठभेड़ सही पायी गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

16–	मल्लावाँ	2-3-81	मोहन पुत्र छोट्टा नि0 रामपुर गंगा थाना मल्लावाँ एक डकैत नाम-पता अज्ञात	अ0सं0 75/81 धारा 395/397 भा0दं0वि0 अ0सं0 343/79 धारा 395/397 भा0दं0वि0, अ0सं0 120 धारा 399/402, अ0सं0 119/79 धारा 399/402	जाँच प्रचलित है।
17–	बिलग्राम	4-6-81	पुतान पुत्र श्याम कोल नि0 बंहदर थाना कासिमपुर	अ0सं0 111/81 धारा 307/411/ 25 आर्म्स एक्ट	जाँच प्रचलित है।
18–	अतरौली	31-5-82	मुन्शी पुत्र बुद्धा नि0 उमरिया थाना अतरौली	अ0सं0 123 व 124 धारा 317/ 25 ए0एक्ट, अ0सं0 372/77 धारा 25 ए0एक्ट, अ0सं0 155/76 धारा	जाँच प्रचलित है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

				396 भा0दं0वि0, अ0सं0 122/82 धारा 307 भा0दं0वि0, अ0सं0 287/76 धारा 396 भा0दं0वि0, अ0सं0 140/77 धारा 396 भा0दं0वि0, अ0सं0 66/78 धारा 147/148/307 भा0दं0वि0, अ0सं0 271/78 धारा 396 भा0दं0वि0 अ0सं0 155/79 धारा 395/397 भा0दं0वि0	
19–	पिहानी	21-7-82	लाऊ उर्फ लाल बहादुर पुत्र रुदान निवासी बउठा थाना टड़ियावाँ	अ0सं0 141/82 धारा 307 भा0दं0वि0	जाँच प्रचलित है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

20–	कोतवाली	8-10-82	भैया उर्फ विनोद पुत्र भूप सिंह	अ0सं0 123 धारा 147/148	जाँच प्रचलित है।
	देहात		निवासी मदारा	307 भा0दं0वि0, अ0सं0 124 धारा 25 ए0एक्ट	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

✕ इन मामलों में मैजिस्ट्रीरियल जाँच पूर्ण हो चुकी है।

एल 86 वि0 सभा 138—H. O. P. O No—71 वि0 स0 दि0 5-12-83